खण्ड-372, अंक-8
गुरूवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1907
(22 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3-43
भूतपूर्व सदस्य एवं सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी के निधन पर शोकोद्गार ..	43-45
ग्राम मझगवां निवासी श्री सूर्यवली सिंह की मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की जी0 आर0 पी0 द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45
नौगवां व चोपन मिर्जापुर में कर्मनाशा व कनहर नदियों पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45-46
सीतापुर में हरिजन छात्रावास की दुर्व्यवस्था एवं राजकीय धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46
ब्लाक खुटार जनपद शाहजहांपुर में सिमरा वीरान की भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46-47
तहसील किरावली आगरा की भूमि के अनेक फर्जी इकरारनामों व फर्जी बैनामों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
थाना देवगांव, आजमगढ़ की पुलिस के बर्बरतापूर्ण रवैये एवं अराजक तत्वों से सांठ-गांठ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47-48
सदर तहसील वाराणसी में निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर व ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प नहर का अपूर्ण कार्य होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
कोतवाली खलीलाबाद, बस्ती के पुलिस कर्मियों की बर्बरतापूर्ण रवैये एवं अत्याचार से जनजीवन क्षुब्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48-49
जालौन तथा इटावा जनपद में अराजक तत्वों द्वारा बसों की लूट तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	49-50
बजट सत्र के दौरान नोटीफिकेशन के जरिये से इन्डस्ट्रियल अल्कोहल पर बैन्ड फीस बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	50-53

विषय		पृष्ठ-संख्या
राज्य मन्त्री श्री प्रवीण कुमार शर्मा के प्रस्तावित विदेश दौरे तथा मन्त्रि परिषद् के आदेशों का अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	53–58
प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	58–59
विधायक आवासों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन कम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	59–60
नियम 301 की सूचना का अन्तरिम उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	60–61
औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय	..	61
प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	61–62
जनपद आगरा में फतेहाबाद--फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	..	62
जनपद बांदा में धान की भूसी से दफ्ती बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)		62
जनपद आजमगढ़ की मधुवन बाजार के मध्य पानी की निकासी के लिये पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	..	62
दिनांक 7 अगस्त, 1985 को उठायी गयी श्री कमलेश कुमार पाठक आदि की कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	62
दिनांक 21 अगस्त, 1985 को पी० सी० एफ० द्वारा लालबाग शापिंग काम्पलेक्स के बारे में उठायी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	62
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरः स्थापित किया गया)	..	63
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	63–78
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	..	78–145

विषय

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 145

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को निरस्त करके पुनः परीक्षायें कराने के निर्णय के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 145–148

फैजाबाद पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 148–150

अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985 तक हथकरघा निगम द्वारा अधिकांश माल निजी इकाइयों से क्रय करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 151–156

नत्थी .. 157–158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जगदीश नारायण, श्री (हमीरपुर)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
पशुपतिनाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री (बुलन्दशहर)
भगौती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री (बुलन्दशहर)
राम जियावन, श्री (बस्ती)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिवनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गढ़वाल)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला योजना के लिए जिलों को आवंटित धनराशि का अनुपात

**1--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या योजना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के लिए जिलों को धन आवंटित करते समय उन जिलों द्वारा अल्प बचत योजना में जमा किए गए धन के विपरीत केन्द्र से मिली सारी अग्रिम राशि अथवा ऋण उन्हीं जिलों को उन द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि के अनुपात में दी जाएगी ताकि जिलों में इसके लिए प्रतिस्पर्धा पैदा हो और अल्प बचत में अधिकाधिक धन जमा हो सके? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन मन्त्री (श्री जय राम वर्मा)---

जी नहीं ।

अल्प बचत योजना में जमा धनराशि को दो तिहाई भाग केन्द्र से राज्यों को ऋण के रूप में दिया जाता है और उसकी गणना राज्यों की वार्षिक योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों में की जाती है । योजना के समस्त संसाधनों का समन्वित उपयोग योजना में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किया जाता है । किसी एक श्रोत से प्राप्त धनराशि को किसी विशेष कार्यक्रम या विशेष क्षेत्र के लिए आवंटन हेतु सुरक्षित करना नियोजन प्रक्रिया, राज्य की प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय संतुलित विकास आदि के हित में नहीं होगा । आयोजनागत परिव्यय का आवंटन कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है । साथ ही राज्य सेक्टर की बड़ी-बड़ी एवं महत्वपूर्ण सिंचाई, बाढ़, विद्युत् एवं उद्योग परियोजनायें तथा राज्य एवं अन्तर्जनपदीय मार्ग एवं पुलों आदि के लिए वार्षिक योजना का लगभग 60 प्रतिशत परिव्यय आवंटित होता है एवं पूरे प्रदेश या बहुत से जनपदों को लाभ होता है । फलस्वरूप इसके लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

जिला योजना के अन्तर्गत जिलों को वार्षिक योजना में परिव्यय का लगभग 30 प्रतिशत आवंटित किया जाता है । इसका विभिन्न जनपदों को आवंटन अन्तर जनपदीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से भी किया जाता है । यदि अल्प बचत के अन्तर्गत धन-राशि जुटाने के प्रयास के आधार पर जिलों को धन आवंटित किया जाएगा तो जिला योजनाओं का उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो जनपद अधिक सम्पन्न होंगे उनमें अल्प बचत के अन्तर्गत अधिक धनराशि जमा होगी और तद्नुरूप उन्हें अधिक धनराशि प्राप्त होगी ।

फिर भी अल्प बचत योजना में अधिकाधिक धन जमा करनें के लिए जिलों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से केवल जिला योजना के लिए निर्दिष्ट वार्षिक परिव्यय का 2 प्रतिशत जिलों को उनके द्वारा अल्प बचत योजना में जमा शुद्ध धनराशि के आधार पर एक फार्मूला के अन्तर्गत देने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, माननीय मन्त्रीय जी के उत्तर से आश्चर्य होता है, जिस आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से धन की मांग करते हैं कि हम जितनी बचत करेंगे उसका उतना ही प्रतिशत ऋण मिलेगा, तो उसी आधार पर जिलों को धन आवंटन करने का प्रश्न आता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह सम्भव नहीं है कि सारा का सारा ऋण जो प्राप्त होता है इकट्ठी की गई धनराशि से, जिला योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित किया जाता है । तो इसी आधार पर धनराशि प्राप्त हो सके ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, उत्तर में बताया है कि जनपदों में जिलायोजना की धनराशि जो

निर्धारित होती है उसका दो प्रतिशत अल्प बचत योजना में इकट्ठा की गई धनराशि के अनुपात में दिया जाता है। इसे ज्यादा दिया जाएगा तो जो विकेन्द्रिय योजना का मतलब है वह पूरा नहीं होगा, जो जनपदों में असंतुलन है, उसको दूर करना है। अगर ज्यादा धनराशि आवंटित की जाएगी तो जिलों में असंतुलन दूर होने के बजाय और बढ़ जाएगा।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, हमको जो केन्द्र से सहायता मिलती है, वह जो कर का एक भाग मिलता है, अल्प बचत योजना से लगभग 60–66 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। इस अल्पबचत योजना में धन इकट्ठा करने के लिए उत्तर प्रदेश का कोटा निर्धारित होता है और प्रदेश में जिलेवार कोटा निर्धारित किया जाता है। अगर कोई जनपद अपने कोटे से अधिक धन एकत्रित करता है तो 2/3 पैसा उसको न देने का क्या कारण है।

श्री जय राम वर्मा—

मैंने निवेदन किया इस आधार पर बांटा जायेगा तो जो विकसित जिले हैं, वहां अल्पबचत में ज्यादा धनराशि इकट्ठा होती हैं उनको ज्यादा मिलेगा और पिछड़े जिले और पिछड़ जायेंगे। जो विकेन्द्रीकृत योजना का मतलब है, वह पूरा नहीं होगा। हमने 2 प्रतिशत के आधार पर बांटा जिसका परिणाम यह हुआ है कि 6 करोड़ 9 लाख का 2/3 केवल 5 नगर महापालिका को और आधा 10 जिलों में धन चला गया। जो पिछड़े जिले हैं, उनके हिसाब से उनका कम हो जायेगा। जो असंतुलन है, दूर नहीं होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

केन्द्र सरकार से सिर्फ अल्पबचत योजना के विपरीत मिलने वाला ऋण ही नहीं है। राज्य के और संसाधन हैं। क्या कारण है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकार अपने संसाधन से विशेष धन नहीं आवंटित करती। मेरा सुझाव तो इसलिए था कि अल्पबचत के माध्यम से अधिक प्रोत्साहन हो और धन एकत्रित हो।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, जो सम्मानित सदस्य ने बुनियादी प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर मेरे सुयोग्य मन्त्री ने दिया है। इसमें यह बात ध्यान में रखने की है कि हमारी जो योजनायें हैं, मुख्य व्यय ऐसी बड़ी–बड़ी योजनाओं पर होता है। जिनके जिलेवार फाट करना सम्भव नहीं है। उससे सभी लाभान्वित होते हैं। बिजली की योजना में 34.2 प्रतिशत धन खर्च होता है, बड़े–2 बिजली घर बन रहे हैं सैकड़ों करोड़ के। यह जो 66 प्रतिशत है, चाहे अल्पबचत का हो या केन्द्रीय सहायता हो, यह दोनों इन योजनाओं में लगती है, जैसे सिंचाई में 18 प्रतिशत खर्च होता है, परिवहन वगैरह पर 11 प्रतिशत खर्च होता है। विशेष रूप से सिंचाई और विद्युत् की बड़ी–बड़ी योजनायें हैं। इनका जिलेवार फाट होना मुश्किल है। इससे सारे प्रदेश का लाभ होता है और पूरे क्षेत्र को लाभ मिलता है। दूसरी बात प्रतिस्पर्धा लेने के लिए अल्पबचत योजना में जैसे मेरे सुयोग्य नियोजन मन्त्री ने बताया कि 2 प्रतिशत का आरम्भ किया है। हमारा अनुभव है कि 5 नगर महापालिकाओं का और 10 जिलों को 6 करोड़ 9 लाख ज्यादा मिला। देखना यह है कि महापालिकाओं की तरह जो दूसरी नगरपालिकायें हैं, उनमें ज्यादा बचत होती है या नहीं। दूसरे जिले में होता है या नहीं। अगर अधिक धनराशि मिलती है तो हम प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं मैं सम्मानित सदस्य बरेली का जो इन्होंने इसमें रुचि दिखाई है, आभारी हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी हमारे सम्मानित सदस्य इस अल्पबचत योजना में रुचि लेंगे तो हम इस 2 प्रतिशत को अधिक बढ़ाने पर विचार

कर सकते हैं और इसके लिए मैं माननीय नियोजन मन्त्री जी से संस्तुति भी कर सकता हूं ।

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का बकाया भुगतान

**2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री यदुनाथ सिंह, श्री देव कुमार यादव, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री प्रेम पाल सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्च, 1985 से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और उसके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

जी हां ।

इनका वेतन पूर्व में हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा आहरित किया जाता था । मार्च, 1985 के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेतन दिया जायेगा । अब इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश भी निर्गत किया गया है । आशा है इनको शीघ्र वेतन मिल जाएगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि मार्च, 1985 के उपरान्त जो निर्णय लिया गया है वह किस तारीख को लिया गया है और किन तारीखों में शासनादेश निर्गत किया गया है और कब तक इन अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन दिला दिया जायेगा । क्या इसकी कोई तिथि निर्धारित की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह शासनादेश 30 मार्च, 1985 को निर्गत किया गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक सवाल इसमें यह भी था कि इन कर्मचारियों का वेतन कब तक आप दिला देंगे, उसकी तिथि बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बहुत ही शीघ्र हो जायेगा, निर्णय हो चुका है । इन कर्मचारियों का लगभग 37 लाख रुपयों का वेतन होता है । यह वेतन इन्हें पहले भारत सरकार की एक योजना के तहत दिया जाता था, परन्तु अब यह योजना छठी पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दी गयी है, परन्तु अब यह निर्णय ले लिया गया है कि इनका वेतन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जायेगा और जहां कहीं भी जगह रिक्त होगी, उन स्थानों पर इन चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को पहले समायोजित करेंगे ।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, पिछले 4 माह से इन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इन लोगों को पिछले चार माह का वेतन सूद सहित दिलवायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, क्षमा करें, जौहरी साहब की गद्दी यह नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत जो अन्य जिलों में कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेतन दिया जा रहा है या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के समस्त जिन-जिन विकास खण्डों में बाल विकास योजना कार्यक्रम लागू रही है, छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक उन सभी चिकित्सकों और इससे सम्बन्धित जो भी कर्मचारी रहे हैं, उन सब का वेतन भार अब स्वास्थ्य विभाग ने ले लिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, अन्य जिलों में जो इस योजना से सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत थे, उनको अब स्वास्थ्य विभाग से वेतन दिया रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर आपका आ तो गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जैसे मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश में समस्त ऐसे कर्मचारी जो बाल विकास योजना से सम्बन्धित रहे हैं, उन सब का वेतन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या माननीय चिकित्सा मंत्री जी अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि मार्च, 1985 में शासन देश हो गये हैं तो इतने दिन तक वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ? जब उनको स्वास्थ्य विभाग में समायोजित कर लिया गया है तो 5 महीने तक वेतन लम्बित रहने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, वित्त विभाग के जिस हेड के अन्तर्गत उनको वेतन दिया जाता है उस हेड के अन्तर्गत भारत सरकार से उसकी आज्ञा प्राप्त करनी पड़ी । अब आज्ञा प्राप्त हो गई है और अब शीघ्र इनका वेतन मिल जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह कोई निश्चित अवधि बता दें कि कब तक उनके वेतन का भुगतान हो जायेगा ? क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित अवधि बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट बताया कि समायोजन के साथ ही साथ उनका वेतन भी वितरित हो जायेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय मंत्री जी का शीघ्र तो बहुत साल तक चलता रहता है । अभी पिछले साल का उत्तर दिया हुआ शीघ्र इनका चल रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे कुल अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका वेतन अब आप देंगे और आपके आदेशों के बावजूद अब तक जिन लोगों ने वेतन के कागज वगैरह नहीं बनाये और जिन्होंने वेतन नहीं दिया और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, कोई दोषी नहीं है । जिनको वेतन देना है वह 54 चिकित्साधिकारी हैं और लगभग 120 या 150 ऐसे ही कर्मचारी हैं और जो वेतन देना है वह 37 लाख कुछ हजार रुपये है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री किशन सिंह तड़ागी--

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा हेतु नवीन मण्डी स्थल का निर्माण

*2--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी यार्ड आगरा के

निर्माण में सरकार ने करीब दो करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की है और वह मण्डी यार्ड विगत 5 वर्षों से पूर्ण निर्मित पड़ा है फिर भी आज तक यार्ड में मण्डी शिफ्ट नहीं की गयी है जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक तथा अन्य परेशानियां उठानी पड़ रही हैं ? क्या मंत्री जी मण्डी शिफ्टिंग के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा मण्डी कब तक यार्ड में शिफ्ट कर दी जायेगी ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा के नवीन मण्डी स्थल का निर्माण वित्तीय वर्ष 1982-83 में पूर्ण हुआ जिसमें 153·63 लाख रु0 की धनराशि व्यय की गयी । मण्डी समिति की मांग पर अतिरिक्त निर्माण कार्यों को द्वितीय चरण की 134 लाख रु0 लागत की योजना जून, 1984 में प्रारम्भ की गयी जिस पर अब तक 86·51 लाख रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य की प्रगति 85 प्रतिशत है । इस प्रकार अब तक निर्माण कार्य पर 240·14 लाख रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

नवीन मण्डी स्थल पर दिनांक 29-2-1984 को थोक व्यापार स्थानान्तरित किया गया था और मई, 1984 के अन्तिम सप्ताह तक थोक क्रय-विक्रय होता रहा परन्तु मुख्यतः टेलीफोन की व्यवस्था न होने के कारण व्यापारी अपने पुराने स्थानों पर चले गये तथापि व्यापारीगण अपनी आवंटित दुकानों को गोदाम आदि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं । टेलीफोन व्यवस्था के लिए प्रयास जारी है । टेलीफोन की व्यवस्था न होने के प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । टेलीफोन व्यवस्था होने पर निकट भविष्य में नवीन मन्डी स्थल आगरा में पुनः थोक क्रय विक्रय होने लगेगा ।

श्री चन्द्र भान मौर्य--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह वास्तव में सत्य से परे है । वास्तविकता यह है कि 240 लाख से बनी इस मन्डी पर वहां के अधिकारी मंडी को इसलिये नहीं ले गये, उसका मुख्य कारण यह रहा कि वे व्यापारियों से मन्डी शुल्क वसूल नहीं करना चाहते हैं, रिश्वत ले करके । दूसरी ओर आगरा म आठों मुख्य मार्गों पर बैरियर लगाकर किसानों से मन्डी शुल्क वसूला जा रहा है । माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि नवीन मण्डी स्थल पर दिनांक 29-2-1984 को थोक व्यापार स्थानान्तरित किया गया था और मई, 1984 के अन्तिम सप्ताह तक थोक क्रय विक्रय होता रहा । परन्तु मुख्यतः टेलीफोन की व्यवस्था न होने के कारण व्यापारी अपने पुराने स्थानों पर चले गये । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सब अधिकारियों को जानकारी थी टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है तो मन्डी स्थल पर क्यों ले गये और उसके बाद 4 महीने के बाद मण्डी फिर वापस ले गये, इसका क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह मौर्य जी ने जो पहला संदेह व्यक्त किया है कि मन्डी को मन्डी स्थल पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है, व्यापारियों के कारण । मान्यवर, मेरी जहां तक जानकारी है, यह 19-2-1985 को वहां पर स्थानान्तरण कर दिया गया था और वहां पर बाकायदा व्यापार होने लगा था । जहां तक बैरियर का सवाल है, वह लगाए जाते हैं, नियमों में है । तीसरे मान्यवर, टेलीफोन के बारे में लगातार अधिकारियों की ओर से प्रयास हुए और 16-2-1982 से ले करके अभी 5-7-1985 तक लगभग एक दर्जन पत्र लिखे गये, कई मीटिंग भी हुई । मान्यवर, बराबर प्रयास जारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मण्डी में कार्य होने लगे और मण्डी का पूरी

तरीके से उपयोग किया जा सके। मान्यवर, प्रयास में कोई कमी नहीं है। हमारी ओर से पूरा प्रयास जारी है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि मण्डी आगरा में टेलीफोन नहीं है, व्यापारियों को इसलिये वहां से व्यापार वापस ले जाना पड़ा। लेकिन वहां का मुख्य संकट यह है कि वहां पर बैंक और पोस्ट आफिस नहीं हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था नहीं होगी तो व्यापारी व्यापार नहीं कर पायेंगे। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे पायेंगे कि मई, 1984 के बाद से अब तक व्यवस्था नहीं हुई तो कब तक पूरी हो जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सभी व्यवस्था पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है कि बैंक नहीं है या पोस्ट आफिस न होने का वजह से व्यापार में दिक्कत आयी है। जो मुख्य शिकायत थी टेलीफोन की ओर दूसरी शिकायत थी कि वहां पर पीने के पानी की दिक्कत है तो उसकी व्यवस्था कर दी है। वहां मण्डी स्थल पर 6 हैण्ड पाइप लगा दिये गये हैं। ट्यूबवेल का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। पीने के पानी की दिक्कत थी, लेकिन पोस्ट आफिस या बैंक की कोई दिक्कत व्यापारियों ने नहीं बताई। चूंकि अब माननीय सदस्य ने जानकारी दी है तो इसको दिखवा लेंगे और व्यवस्था नहीं है तो करवा देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि केवल एक टेलीफोन न लगने के कारण इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है तो क्या शासन स्तर से भी इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया, यदि नहीं तो क्यों नहीं ? क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी तक अधिकारियों के स्तर पर ही प्रयास हुआ है। शासन स्तर पर प्रयास नहीं हुआ। मैंने आज ही निर्देशित किया है कि मेरी तरफ से एक पत्र माननीय संचार मंत्री जी को लिख दिया जाय। आवश्कता पड़ेगी तो दिल्ली में उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आगरा के व्यापारियों ने टेलीफोन एक्सचेंज के अधिकारियों से मिलकर के टेलीफोन लाइन वहां पर यथाशीघ्र स्थानान्तरित न करने के लिये पैसा दिया है और उसे रुकवाया है। मैं आपको निश्चित सूचना दे रहा हूं। आपके जो मंडी समिति के अधिकारी हैं वे भी व्यापारियों से मिले हुए हैं। व्यापारियों से निश्चित रकम लेकर के पुलिस की व्यवस्था पानी की व्यवस्था टेलीफोन की व्यवस्था इन सारी व्यवस्थाओं के लिये दिक्कत पैदा की जा रही है। क्या इसकी जानकारी करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, वर्मा जी ने जो यह प्रश्न किया कि व्यापारियों से मिलकर के या व्यापारी लोग टेलीफोन विभाग के अधिकारियों से मिलकर टेलीफोन आदि व्यवस्था जल्दी वहां न हो इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि अधिकारी लोग भी इसमें मिले हुये हैं, मैं समझता हूं इसमें सच्चाई

नहीं है । क्योंकि मान्यवर, पहले जो शुरुआत हुई है यह मान्यवर, 16-2-1984 को एक पत्र लिखा गया, फिर 12-3-1984 को लिखा गया, फिर 23-3-1984 को उसके बाद 16-4-1984 को, उसके बाद 26-4-1984 को, फिर 28-4-1984 को फिर 18-5-1984 को, उसके बाद 12-6-1984 को उसके बाद 14-8-84 को उसके बाद 14-9-1984 को फिर 28-9-1984 को उसके बाद 5-10-1984 को इसी तरह से लगातार हर 15-15 दिन के बाद या प्रत्येक दूसरे दिन पत्र लिखा गया है । हमारे अधिकारियों से संचार विभाग के अधिकारियों से बैठकर वार्ता भी की हैं लेकिन अभी उस पर सफलता नहीं मिली है । मान्यवर, हरिश जी ने सुझाव दिया है, हम उस पर प्रयास करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, फिर उसके बाद इस प्रश्न पर इतना टाइम क्यों किया जा रहा है ।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, जब आप उद्घाटन करने जा रहे हैं उसी बिन आप महसूस कर रहे हैं कि यहां पोस्ट आफिस की व्यवस्था आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री अमर चन्द्र--

मान्यवर, मैं जानना चाह कि भविष्य में इस बात को सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मंडी समितियों में पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, पोस्ट आफिस थी व्यवस्था, दूरभाष की व्यवस्था वहां की गयी है या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सुझाव अच्छा है । लेकिन मैं समझता हूं कि उसके लिये व्यवस्था की जाती है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इन्होंने अपने प्रश्न में यह स्वयं स्वीकार किया है कि निर्माण कार्य की प्रगति वहां पर 85 प्रतिशत हुई है और सुरक्षा सम्बन्धी जो व्यवस्थायें होनी हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया । मान्यवर, यह मंडी समिति आगरा के मुख्य स्थान से दूर कायम की गयी है । मान्यवर, तमाम व्यवस्थाओं के अभाव में जैसा कि स्वयं स्वीकार किया गया कि व्यापारी वहां से तीन महीने के बाद ही हट गये । मान्यवर, इस 3 महीने के दरम्यान में मंडी में जो कार्य हुआ है, व्यापारियों के माल को बहुत सी चोरियां हुईं । उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त रही । यदि हां, तो इस प्रकार की गारंटी व्यापारियों को दिलायेंगे जिससे नवीन स्थल पर फिर से व्यापारी लोग जाकर अपना व्यापार कर सकें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय श्री बदन सिंह जी ने जो प्रश्न किया है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है और न ही व्यापारियों की ओर से असुरक्षा के संबंध में हमारे पास कोई शिकायत ही आयी है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत हो, तो उसे वह हमें दे दें, हम उसकी जांच करा देंगे ।

चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने की नीति

*3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष चिकित्सकों को वार्षिक स्थानान्तरण

मुख्य सचिव द्वारा अर्द्ध शा० प० सं० 14/1-7-1984 कार्मिक-2, दिनांक 7 अप्रैल, 1984 द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप किए गए? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सामान्यतः वर्ष में 600 चिकित्सकों के स्थानान्तरण के स्थान पर इस वर्ष 3 हजार चिकित्सकों के स्थानान्तरण किए गए जिनमें अधिकांश को स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध होने के कारण उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त हो गया? यदि हां, तो स्थगन आदेश किन-किन चिकित्सकों को क्यों प्राप्त हुआ? शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण करने के क्या कारण थे?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रादेशिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए एक नीति प्रतिपादित की गई है। उक्त नीति के अनुसरण में इस वर्ष माह मई तथा जून में विभिन्न श्रेणी के कुल 1313 चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए, जिनमें से केवल निम्नलिखित 6 अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करके न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं :--

1--डा० टी० आर० कालरा, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल कालेज, (स्टोर) लखनऊ।

2--डा० सलाउद्दीन, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बछरावां, रायबरेली।

3--डा० (श्रीमती) आतिफा सिद्दीकी, चिकित्साधिकारी बछरावां, रायबरेली।

4--डा० जी० के० तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, एल० एल० आर० अस्पताल, कानपुर।

5--डा० नरेश चन्द्र यादव, चिकित्सा अधिकारी, एल० एल० आर० अस्पताल, कानपुर।

6--डा० के० पी० सिंह, प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल कालेज, झांसी।

यह सभी स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुरूप किए गए हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 1985-86 के लिए एक नई नीति प्रतिपादित की गई है, मैं जानना चाहूंगा कि इस नीति के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

(1) साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः 3 वर्ष से पूर्व नहीं किया जायेगा किन्तु जनहित या प्रशासनिक कारणों से अपरिहार्य स्थिति में शासन की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।

(2) स्नाकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन हेतु शासन से अनुमति प्राप्त अधिकारियों का इस वर्ष स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(3) साधारण ग्रेड के अधिकारियों को एक जनपद में 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मंडलीय संयुक्त निदेशक अपने मंडल के ही किसी अन्य जनपद में तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा मंडल के बाहर स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(4) ऐसे अधिकारी जो अगले एक वर्ष के अन्दर प्रोन्नति की पात्रता में आने वाले हैं को सामान्यतः प्रोन्नति होने तक अथवा 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान पद पर ही रखा जायेगा।

(5) सीनियर स्केल के अधिकारियों को जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि वर्तमान पद पर पूर्ण कर ली हो, स्थानान्तरित किया जायेगा। एक वर्ष के अन्दर प्रोन्नति की पात्रता में आने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति तक या एक वर्ष के लिए वर्तमान पद पर बनाये रखा जायेगा।

(6) स्पेशल ग्रेड या उससे उच्चतर पदों पर सामान्यतः 3 वर्ष में स्थानान्तरण

किया जायेगा किन्तु एक वर्ष में प्रोन्नति की पात्रता में आने वाले या सेवा-निवृत्त होने वालों को छूट दी जा सकती हैं ।

2—स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचना दी हैं कि उक्त नीति...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं, वह तो हमारे पास भी है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि सामान्यतः 3 वर्ष तक किसी भी चिकित्साधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो नाम दिए हैं । डा० सलाउद्दीन और डा० (श्रीमती) आतिफा सिद्दीकी, जो बछरांवा की हैं । इनका स्थानान्तरण डेढ़ साल में 15 बार किए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, 15 बार स्थानान्तरण नहीं हुआ । इससे पहले वह महमूदाबाद में थी । डेढ़ वर्ष के बाद यहां पर आई हैं । प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण हुआ हैं कोई राजनैतिक दबाव से स्थानान्तरण नहीं हुआ है और इस वर्ष उनका स्थानान्तरण किया गया प्रशासनिक कारण से और उन्होंने उसके खिलाफ न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया हैं ।

(नत्थी "ग" तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस वर्ष हर वर्ष की अपेक्षा ज्यादा प्रश्न हुए हैं । मेरा आरोप है कि जो डाक्टर 10-15 हजार दे देता हैं उसका स्टे हो जाता हैं । इस तरह से हर वर्ष 5-6 सौ ट्रांसफर होते थे लेकिन इस वर्ष डेढ़ हजार हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब नहीं हो सकता ।

[गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री सरदार सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

प्रदेश में कुपोषण से प्रभावित रोगियों की संख्या तथा रोकथाम हेतु योजनाएं

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की अधिसंख्य आबादी को शरीर को जिन्दा रख सकने भर का भी भोजन न मिलने के कारण प्रदेश में अंधों, अपाहिजों, अपंगों, तपेदिक और कोढ़ के मरीजों की संख्या निरन्तर बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो कुपोषण से प्रभावित लोगों की और उपर्युक्त श्रेणियों के मरीजों की अलग-अलग संख्या क्या है तथा क्या कुपोषण को दूर करने की अलग-अलग कोई त्वरित और दूरगामी योजनाएं सरकार के विचाराधीन ह ? यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । प्रदेश की अधिसंख्य आबादी को शरीर को जिन्दा रखने का भोजन प्राप्त हो रहा हैं तथा भोजन के अभाव में लोगों की मृत्यु होने अथवा अन्धों, अपाहिजों, अपंगों, तपेदिक और कोढ़ के मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है । यह बीमारियां मुख्यतया संक्रामक रोग हैं, जो जीवाणु और बायरस से फैलते हैं । तथापि बच्चों के भोजन में विटामिन "ए" की कमी होना भी अन्धेपन का एक कारण हैं, जिसकी रोकथाम हेतु यथोचित उपाय किए गए हैं ।

कुपोषण से प्रभावित लोगों और रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है । कुपोषण को दूर करने के

लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे कि--

(1) व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम--यह कार्यक्रम इस प्रदेश में 1964 से चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 1, 2 अथवा 3 विकास खंडों में यह कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए चलाया जाता है तथा लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और दूध, अण्डा, हरी सब्जियां, फल आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष पूरे होने पर अन्य विकास खंडों का चयन कर वहां पर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इस प्रकार अब तक 300 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा चुका है और आगे भी चल रहा है।

(2) समन्वित बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खंडों के ग्रामों के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से गर्भवती माताओं व बच्चों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों तथा गर्भवती माताओं को प्रतिरक्षण के टीके लगाये जाने की व्यवस्था है तथा माताओं को शिशु कल्याण सम्बन्धी शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

(3) विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम--इस योजना के अन्तर्गत नवजात शिशुओं तथा 6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पुष्टाहार की विशिष्ट व्यवस्था की जाती है।

(4) आयरन फेलिक एसिड गोलियों का वितरण--रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए।

(5) विटामिन "ए" के घोल का वितरण--अन्धेपन को रोकने के लिए।

उपर्युक्त (4) और (5) की व्यवस्था मातृ शिशु कल्याण के अन्तर्गत उक्त की गई है।

(6) केयर (अमेरिकी एजेन्सी) द्वारा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का वितरण--बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा पढ़ना आरम्भ करने पर)

एक सदस्य--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर कैसे पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। उत्तर तो पढ़ना ही पड़ेगा।

कई सदस्य--

उत्तर हम लोगों को मिला नहीं, इसलिए उत्तर पढ़वाया जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह कोई वक्तव्य तो है नहीं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मान्यवर, जैसा आप का आदेश हो।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

अगर उत्तर हम लोगों को नहीं मालूम होगा तो पूरक प्रश्न कैसे करेंगे। फिर तो इसे अतारांकित होना चाहिए। तारांकित होना ही नहीं चाहिए था।

(उत्तर पढ़े जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

इस प्रदेश में तपेदिक से कितने लोग पीड़ित हैं और कितने बच्चे प्रति वर्ष पौष्टिक आहार न मिलने के कारण अन्धे हो जाते हैं और कितन पौष्टिक आहार योजनाओं से कितने व्यक्ति आज तक लाभान्वित हुए हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में तपेदिक रोगियों की संख्या 17 लाख है, उत्तर प्रदेश में 1.5 प्रति हजार की दर से तपेदिक की बीमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश में 6 हजार 6 सौ 76 बच्चे प्रति दिन पैदा होते हैं। इसमें श्रीमन् 18 प्रतिशत बच्चों को अभी तक उत्तर प्रदेश शासन अपने छाते के अन्दर ले सका है जिसमें उनको बालाहार योजना बच्चों को फ्री व्यवस्था की है, उसके बाद भी दवा दे कर उनको बचाया जाता है। मैं माननीय विधायकों से अनुरोध करूंगा कि मातृ शिशु कल्याण के अन्तर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गर्भावस्था की महिलाओं को समझावें कि वे निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें ताकि स्वस्थ बच्चे पैदा हों।

श्री हरिचन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अन्धे, अपाहिज, कोढ़ी और तपेदिक के रोगी जो असहाय हैं, क्या ऐसा कानून बनाने की कृपा करेंगे कि शासन उनको गोद लेकर एक अपंग सहायता कोष का निर्माण किया जाय और उनसे भोजन वस्त्र, चिकित्सा आदि का पूरी तरह से प्रबन्ध किया जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है तपेदिक, कोढ़ी इनकी निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। जहां तक अन्धे का सवाल है, उम्र होने पर अगर अन्धापन होता है तो निःशुल्क आपरेशन प्रक्रिया की जाती है। शासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि कोष स्थापित किया जाय। शासन स्वेच्छा से ही दवा और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उनके लिए जो चिकित्सालयों में हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रति व्यक्ति प्रति दिन वह अपंग, अपाहिज न हों, कुपोषण का शिकार न हों, इसके लिए कितने कैलोरीयुक्त अनाज की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हो रहा है प्रति व्यक्ति प्रति दिन ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सबके लिए अलग-अलग आवश्यकता होती है। एक खिलाड़ी के लिए 2,500 कैलोरी, राजनीतिज्ञ के लिए 1,800 कैलोरी और तिवारी जी को 1,250 कैलोरी चाहिए।

(हंसी)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जैसा आपने बताया अभी कि 18 प्रतिशत माताओं को आपने इसमें लिया है, क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई प्रोग्राम है या नीति है जिससे सभी माताओं और बच्चों को, 50 हजार बच्चे अन्धे पैदा होते हैं कुपोषण के कारण, कब तक उन पर स्कीम लागू कर देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में 18,000 से ऊपर उपकेन्द्र हैं, सातवीं योजना में 9,000 अतिरिक्त उपकेन्द्रों की योजना है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख लक्ष्य दम्पति हैं, उनमें 1 करोड़ 38 लाख महिलायें जो हैं, उनका 30 प्रतिशत जो गर्भवती रहती हैं, उनको शतप्रतिशत अपने अन्तर्गत ले लें, उस दिन से जिस दिन से गर्भावस्था 3 माह की हो जाती है, यह कार्यक्रम चल रहा है, 1990 तक लक्ष्य है कि हर महिला को, जो इस उम्र की है कि गर्भावस्था ग्रहण कर सकती है, उसको अपने दायरे के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के दायरे में ले लें।

श्री मैनेजर सिंह--

इन्होंने कहा कि बाल कुपोषण को रोकने के लिए मध्याह्न भोजन की योजना चलायी जा रही है। क्या उनको पता है कि मध्याह्न भोजन की योजना का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है ? 6-6 महीने तक स्कूलों में

कुछ नहीं दिया जाता है। जिस तरह आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की सरकार ने किया है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी माननीय मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी के नतृत्व में बाल कुपोषण को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन की योजना उन्हीं प्रदेशों जैसी उतर प्रदेश में भी लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अभी तो शासन का कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है।

होम्योपैथिक चिकित्सक समिति प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया गया मांग-पत्र

*3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 जून, 1984 व 30 अक्तूबर, 1984 को उत्तर प्रदेश होम्योपथिक चिकित्सक समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्रमश: विशेष सचिव तथा सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से मिलकर एक मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो मांगें कौन-कौन सी थीं तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित समिति, जिसे शासन द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गई है, के प्रश्नगत पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा समिति के द्वारा क्या शासन को मांग-पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं, यह बात अलग है किन्तु फर्म के रजिस्ट्रेशन का जो कार्यालय है वहां से यह पंजीकृत अवश्य है। उसी समिति की ओर से एक पत्र सचिव को लिखा गया था। सचिव की ओर से उस पत्र के आधार पर 16 अक्तूबर, 1984 को प्रतिनिधि मण्डल को बुलाया गया था। यह पत्र है महामंत्री डाक्टर एल0 पी0 सिंह के नाम से जो कि भेजा गया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन का यह अर्द्ध शासकीय पत्र 16 अक्तूबर, 1984 का है जिसके माध्यम से प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था और उससे आपकी वार्तालाप हुई थी या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, इन्होंने दो तारीखों का उल्लेख किया है 26 जून, 1984 और 30 अक्तूबर, 1984। इन दोनों तिथियों में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। 15 अक्तूबर, 1984 को इस समिति का एक शिकायत-पत्र सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ। उन्होंने इस समिति के लोगों को बुलाया उनके जो बिन्दु थे उस पर वार्ता हुई, श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो मैं उसे पढ़ दूं ? इसकी मुख्य मांगें और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं--

मुख्य मांगें	उत्तर
1--निदेशक (होम्योपैथी) द्वारा चिकित्सा-धिकारियों के चयन में अनियमितता किया जाना।	कोई अनियमितता नहीं पायी।
2--निदेशक द्वारा अर्ध कुम्भ मेले तथा माघ मेले में धन का दुरुपयोग किया जाना।	आरोप निराधार पाये गये।

3—चिकित्साधिकारियों के चयन में डिग्रीधारकों का वेटेज समाप्त किया जाना

मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं (मन्त्री जी) अपनी ओर से कहता हूं कि इस पर विचार किया जायेगा।

4—उप निदेशक (होम्योपैथी) की नियुक्ति की जाय।

नियुक्ति की जा चुकी है।

5—होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग से किया जाय।

आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है।

6—होम्योपैथिक कालेजों में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्टाफ व साज-सज्जा दी जाये।

प्रयास किया जा रहा।

7—होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों व कर्मचारियों की सेवायें नियमित की जायें।

कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

अभी मंत्री जी ने बताया कि निदेशक होम्योपैथी के विरुद्ध आरोप निराधार पाये गये। पिछला जो चयन हुआ है उसमें चिकित्साधिकारी, डा0 सुभाष चन्द्र राय और रमेश नारायण त्रिपाठी के चयन को चुनौती दी गई थी कि इनके चयन गलत पाये गये थे और उन्हें हटाया भी गया था। इसी प्रकार से अर्ध कुम्भ मेले व माघ मेले में 7 हजार रुपये बिना स्वीकृत के मनमाने ढंग से खर्च किये गये ?

है। वही अपना उन्होंने किया है, कोई अनियमितता नहीं हुई है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उपरोक्त दो चिकित्साधिकारियों के जहां तक चयन का प्रश्न है तो उसमें 150 चिकित्साधिकारियों का चयन हुआ था 1982-83 में इन दोनों में से कौन था यह पता नहीं है लेकिन एक तो था जिसके पास गलती से नोटिस चला गया था नियुक्ति का। यह चयन में गलती नहीं थी बाद में वह सुधार दी गयी। जहां तक कुम्भ मेला में 7 हजार रुपया व्यय का सवाल है जब मेले का कार्य होता तो हर हेड आफ डिपार्टमेन्ट को विवेकाधीन अधिकार दिया जाता

श्री कौशिक रमाशंकर—

यह सन् 1982 के चयन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया उसके विरुद्ध याचिका थी हाई कोर्ट में और माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा जो उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल किया गया उसके मुताबिक 46 अंक पाने वाला जो व्यक्ति था, जो चिकित्साधिकारी था उसकी नियुक्ति की गई। मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी है कि इस चयन में उन लोगों को नहीं रखा गया जिनके अंक 47 प्रतिशत से भी अधिक थे। तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह उस व्यक्ति जबकि इंटरव्यू में उनको शून्य भी मिला हो, क्योंकि 5 नम्बर उनको मिले थे, वह जो शासन की नीति थी उसके अनुसार मिले थे। बाकी अंक जो उन्होंने नियम निर्धारित किया था उसके तहत उसमें 47 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त हुए। 46 प्रतिशत वाले नियुक्ति हो गये और 47 प्रतिशत वाले नहीं हुए तो जब इतनी बड़ी अनियमितता आपके

संज्ञान में आई है तो आप उस चयन के बारे में और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि न्यायालय में मामला गया है तो उन्हें मालूम होगा कि क्या निर्णय हुआ है, जो निर्णय होगा उसे मान लेंगे ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, एक शपथ-पत्र माननीय मंत्री जी के विभाग से दाखिल किया गया उस शपथ-पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि 46 प्रतिशत अंक पाने वाले व्यक्ति को हमने नियुक्ति दी है लेकिन 47 प्रतिशत वाले व्यक्ति को नियुक्ति नहीं मिली यदि उसको साक्षात्कार में भी एक भी नम्बर न मिला हो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अनियमितता होते हुए भी उस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य मुझे लिखकर दे दें, मैं दिखवा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सेलेक्शन में अनियमितता की बात की गई है, मंत्री जी ने कहा कि आरोप निराधार पाये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों की जांच किन अधिकारियों से आपने करायी ? आपने अभी उत्तर दिया उसके संदर्भ में पूछा । दूसरा अब क्या उन सेवाओं में उनको नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैंने नहीं कहा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

आपने कहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में कितने डाक्टरों को नियमित कर दिया जायेगा या इसके बारे में यदि कोई मानक निर्धारित किया गया हो तो उसको बतायें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह जो नियुक्तियां हुई वह एडहाक बेस पर हुई हैं और उसके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन को अध्याचन हो चुका है 1983 वाला भी और 1985-86 वाला भी और पब्लिक सर्विस कमीशन जब लिस्ट भेज देगी तो जो यहां नियुक्ति है वह भी जायेंगे । जो चयनित होंगे वह लिए जायेंगे जो नहीं होंगे वह नहीं लिए जायेंगे और उनको लेने का कोई विचार भी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, पहले प्रश्न में यह था कि जो मांग-पत्र गया है, मेरे पास भी कापी रखी है, उसमें चयन में जो अनियमितता की बात दर्शायी गई मैं उस संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जो आरोप लगे चयन में, उसकी जांच आपने किससे करायी, उस व्यक्ति का उस अधिकारी, उस एजेन्सी का नाम बता दे जिससे जांच करायी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरे पास यह जानकारी नहीं है, मेरे पास जो उत्तर था, उसको पढ़ दिया । आरोप लगाये गये और शासन ने उनको निराधार पाया, तो जांच की आवश्यकता ही नहीं थी ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चयन में अनियमितता हुई तो लिखकर दें, दे तो दें, लेकिन इस सदन से पवित्र स्थान और नहीं मिलेगा । 46 प्रतिशत के लोगों को लिया गया ।

तीन उदाहरण मेरे सामने हैं, डा0 राजीव कुमार 47·4 प्रतिशत उनको नहीं लिया गया, डा0 उदय प्रताप सिंह 46·5 प्रतिशत उनको नहीं लिया गया और डा0 पारस नाथ सिंह उनको नहीं लिया गया । यह 2–3 उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक बार मेरिट इन्डेक्स बन गया और जो लोग अहं लोग थे उनको नहीं लिया गया तो क्या आप पूरे सूची पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी––

माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वह मेज दें मैं जांच करा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह––

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिकायती–पत्र मिला था, वह निराधार पाया गया और जो सचिव को आरोप–पत्र दिया गया जिसमें निदेशक के खिलाफ 60,000 रुपये के दुरुपयोग का आरोप था, तो उसकी किस अधिकारी ने जांच की जिसने आरोपों को निराधार पाया, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, इसका तो उत्तर आप दिलवा दें राजेन्द्र गुप्त जी ने दो बार पूछा और जो आरोप थे उसकी जांच किस अधिकारी से कराया, क्या माननीय मंत्री बतायेंगे । आपको इस का उत्तर दिलवाना चाहिये । मन्त्री जो जो कहेंगे वही स्वीकार कर लेंगे, तो कैसे काम चलेगा, यह तो स्पष्ट प्रश्न हैं । उन्होंने कहा कि निराधार पाये गये, तो किस अधिकारी ने जांच की, यह उत्तर नहीं दिलवायेंगे, तो सदन का समय जाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष––

आप लिख कर दे दें ।

श्री मैनेजर सिंह––

आपको मैं लिखकर दूंगा । अगर ऐसा प्रश्न उत्तर होगा तो आप इसको समाप्त कर दें ।

श्री राम आसरे वर्मा––

माननीय, निदेशक, होम्योपैथी के विरुद्ध आरोप लगाये गये, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, मन्त्री जी बता पा नहीं रहे हैं, जांच हुई नहीं है और कह दिया कि आरोप गलत पाये गये । तो मैं माननीय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ऐसे अधिकारी के विरुद्ध पैसे के गोलमाल का आरोप हो और चयन में उसके विरुद्ध अनियमितायें पाई गयी हो, तो क्या भविष्य में चयन समिति से बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

*4––श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर, श्री फरीद महफूज किदवई तथा श्री भोपाल सिंह––

[दिनांक 30–7–85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खंडों में सब डीलरों की नियुक्ति को रद्द किया जाना

*5––श्री किरनपाल सिंह––

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में विभिन्न विकास खंडों में मिट्टी के तेल की बिक्री एवं ग्रामीणों की सुविधा के लिए सन् 1978 में सब डीलरों की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अप्रैल, मई, 85 से सब डीलरों की नियुक्तियां रद्द करने का क्या कारण है ? क्या इस पर पुनर्विचार कर पुनः सब डीलरों की नियुक्तियां की जायेंगी ?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)––

जनपद बुलन्दशहर के 17 विकास खंडों में से 13 विकास खंडों में जुलाई, 81 से दिसम्बर, 83 की अवधि के दौरान 28 फुटकर मिट्टी तेल के लाइसेन्सियों

को, विभिन्न तिथियों में जिला प्रशासन ने मिट्टी तेल सब डीलर के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य करने को निदेशित किया था जो मिट्टी तेल के थोक लाइसेन्सी से निर्धारित कोटे के अनुसार मिट्टी तेल प्राप्त करके सम्बद्ध फुटकर बिक्रेताओं को उपभोक्ताओं में वितरण हेतु, मिट्टी तेल उपलब्ध कराते थे । यह सब-डीलर वास्तव में बिचौलिये के रूप में कार्य करते थे ।

शासन के संज्ञान में विभिन्न स्रोतों से यह लाया गया कि उपरोक्त तेल वितरक भारी मात्रा में अनियमितायें, अपमिश्रण एवं कालाबाजारी कर रहे हैं जिससे जनता को निर्धारित मूल्य पर मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं हो रहा है अतः शासनादेश संख्या 2406/29-7-78 (केओ)/85, दिनांक 16 अप्रैल, 1985 द्वारा हर जनपद के जिला मजिस्ट्रेटों को यह निदेशित किया गया कि यदि उनके जनपद में कोई बिचौलिया जो सब-डीलर, सब-एजेन्ट, "जे लाइसेन्सी", डम्प-डीलर टी0 के0 डी0 लाइसेन्सी आदि नामों से जाने जाते हैं एवं कार्यरत हैं तो उन्हें नियमानुसार तुरन्त समाप्त कर दिया जाये । ऐसा करना इसलिए और आवश्यक था क्योंकि उत्तर प्रदेश मिट्टी तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 में केवल मिट्टी तेल थोक बिक्रेता तथा फुटकर बिक्रेता की व्यवस्था है ।

शासन द्वारा वर्तमान में लागू व्यवस्था को समाप्त करके कोई अन्य व्यवस्था लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सब-डीलर थे, बिचौलिये थे और य जो डीलर हैं ये उनके बिचौलिये नहीं हैं । तो यह जो व्यवस्था लागू हुई है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं कि यह जो व्यवस्था थी कि यह आवश्यक वस्तु है उसको जनता तक उपलब्ध कराने के लिए उसे विकेन्द्रित किया गया था । मैं जानना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को समाप्त करने के बाद आज आम जनता तक मिट्टी का तेल नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो माननीय किरनपाल सिंह जी ने गेहूं के क्रय के क्रम में यह कहा था कि बिचौलियों को समाप्त कर देना चाहिये और मैंने भी यही कहा था कि ग्राम के जो छोटे बिचौलिये हैं उनको भी मान लिया जाय । लेकिन आज मैं उनका प्रयोजन समझ नहीं पा रहा हूं । आज मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को 3 पैसे कम में मिलता है । इस व्यवस्था को वे क्यों बदलना चाहते हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताते हुये कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर फुटकर बिक्रेताओं के स्थान से मिट्टी के तेल के जो थोक विक्रेता हैं उनके स्थानों में लगभग 25/30 किलोमीटर की दूरियां हैं और 25/30 किलोमीटर की दूरी से कोई भी फुटकर विक्रेता मिट्टी का तेल लेने के लिये तैयार नहीं हो रहा है । इस परिस्थिति को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे फुटकर बिक्रेता को 10 किलोमीटर के अन्दर मिट्टी का तेल प्राप्त हो जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं । आल इंडिया के लोगों को बुलया गया था और जिलाधिकारियों को भी बुलाया गया था । जो टैंकर जाते हैं, जहां तक सड़क

जाती है, जहां पहुंच सकता हो, वहां मिट्टी का तेल दे दें। हो सकता है कुछ अंचल दूर पड़ते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है। ऐसे स्थानों के बारे में माननीय सदस्य कोई जानकारी दें। वैसे हमने निर्देश कर दिये हैं कि आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी नई दुकानें भी वे दे सकते हैं।

श्री राम जनम--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल और डीजल का लाइसेन्स देना बन्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो लाइसेन्स देने का क्या प्रोसीजर है, क्या नियम हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, वह प्रक्रिया किताब में लिखी है। लेकिन मैं बता देता हूं। आयल इंडिया या बड़े थोक व्यापारी जिलाधिकारी की संस्तुति पर रिटेल आउट लेट करते हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो अब आपके डीलर और दुकानदार रखे गये हैं इनके बारे में कैसे सुनिश्चित कर लिया कि यह बिचौलिये का काम नहीं करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

एक चीज दूसरे तक पहुंचाये इसको हम बिचौलिया नहीं मानते हैं। वह हैंडलिंग एजेंट हैं दो के बीच में जो तीसरा आदमी आता है उसे बिचौलिया कहते हैं। जिसकी वजह से वह कुछ पैसा ले जाता है क्योंकि वह ट्रांस्पोर्टेशन में खर्च करता है उसमें वह कुछ पैसा भी बना लेता है।

श्री किरनपाल सिंह--

डीलर क्या होता है ?

श्री वासुदेव सिंह--

आपको मालूम होना चाहिये कि कितने डीलर पकड़े गये और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। डीलर कम्पनी से लेगा क्योंकि कम्पनी उसको मुकर्रर करती है। 1962 का जो कानून है उससे अलग कुछ दुकानें जहां जिलाधिकारी ने दे दी हैं उनको हमने निरस्त कर दिया है।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मैं जानना चाहता हूं कि कुछ बहुउद्देशीय वितरण केन्द्र के जरिये से मिट्टी का तेल सप्लाई होता है उनसे जो मिट्टी का तेल वितरण होता है उसमें हमारी निश्चित जानकारी है कि उसका दुरुपयोग होता है। ऐसे केन्द्र डीजल में मिट्टी का तेल मिलाने का काम करते हैं क्योंकि वह डीजल भी बेचते हैं और मिट्टी का तेल भी बेचते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये बहुउद्देशीय वितरण केन्द्रों में मिट्टी के तेल का दुरुपयोग न हो इस प्रथा को समाप्त करेंगे।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, नीति यह है कि एक केन्द्र पर डीजल और मिट्टी तेल एक ही दुकान में न रखे जायं लेकिन अगर कहीं कोई अनियमितता हो रही है और नियम का उल्लंघन हो रहा है और माननीय सदस्य हमको लिखते हैं या जनता लिख कर देती है तो उस पर हम कार्यवाही करते हैं और जांच कराते हैं।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

माननीय किरनपाल सिंह यह आखिरी प्रश्न होगा। अभी तक हम प्रश्न नम्बर 5 पर ही हैं और 12-5 हो गय हैं।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबडीलर अनियमितता कर रहे थे। तो यह व्यवस्था समाप्त कर दी। तो जहां अनियमितता होती है उसे यह सरकार समाप्त कर देती है। म जानना चाहता हूं मेरे जनपद औरंगाबाद में डीलर ने तीन टैंकर लगातार बेच दिये उसके विरुद्ध डी0 एस0 ओ0 ने 3/7 का मुकदमा कायम किया ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री किरन पाल सिंह—

तो मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर डी0 एस0 ओ0 का जो ईमानदार था तबादला कर दिया। उस डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्योंकि वह किसी मंत्री का रिस्तेदार है। तो क्या आप उस डीलर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है उस व्यवस्था के तहत जहां अव्यवस्था थी इसे सुव्यवस्थित कर दिया। जिस बात को माननीय सदस्य कह रहे हैं उस चीज को संज्ञान में लायेंगे तो निश्चित ही जांच करके कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

कस्बा रुदौली, बाराबंकी में महिला अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव

*6—श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा रुदौली, बाराबंकी में जहां लाखों लोगों की घनी आबादी है, में बच्चों एवं महिलाओं की जीवन रक्षा हेतु कोई महिला अस्पताल अभी तक नहीं बन पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं एवं बच्चों की जीवन रक्षा हेतु एक महिला अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। महिला अस्पताल का भवन रुदौली में नहीं बन सका है। वित्तीय संसाधन के उपलब्ध होने पर ही इस अस्पताल का भवन निर्माण करना संभव है।

(उत्तर पढ़ने के बाद) वैसे अब यह जिला प्लान के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य वहां से इसकी स्वीकृति करा सकते हैं जिसके वह स्वयं सदस्य हैं।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि महिलाओं के लिए वहां अस्पताल है, यह छोटा-मोटा कस्बा नहीं, उसका नाम है, लाखों लोग रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस अस्पताल का उच्चीकृत करने, भवन निर्माण करने और कार्यवाही करने की क्या कोई योजना है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, अभी उच्चीकृत करने का कोई कार्यक्रम नहीं आया है।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कितने महिला चिकित्सालय खोलने की योजना है और क्या उसका आधार जनसंख्या है, यदि हां, तो कितनी जन-संख्या पर एक महिला अस्पताल खोला जायेगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सिर्फ महिला चिकित्सालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

दूसरे उत्तर प्रदेश में महिला-पुरुष संयुक्त चिकित्सालय खोलने की योजना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में और जितने कस्बे हैं उनमें वह समय-समय पर स्थापित किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजनायें हैं उन योजनाओं में यह प्रयास है कि तृतीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में जितने भारतीय चिकित्सा पद्धति अथवा होम्योपैथी चिकित्सालय हैं वहां तृतीय अधिकारी नियुक्त हों और उसमें महिलाओं की नियुक्ति भी की जाये।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि रुदौली कस्बे में जो महिला अस्पताल है उसमें कितने डाक्टर, कितने कम्पाउन्डर हैं और वह किस स्तर का अस्पताल है एवं कितने लोगों को वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, वह चिकित्सालय विगत तीन वर्षों से है और वहां महिला चिकित्सक नहीं हैं किन्तु वहां फार्मेसिस्ट, चौकीदार, कुक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अंश में वह महिला चिकित्सालय चल रहा है और पी0 एच0 सी0 के चिकित्सक वहां देखते हैं और ए0 एन0 एम0 महिला मरीजों को देखती हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसील मुख्यालयों पर एक उच्चीकृत अस्पताल बनाने की योजना क्या सरकार ने बनायी थी। यदि हां, तो तहसील मुख्यालयों पर अस्पताल कब तक बनाये जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, योजना चल रही है।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में बिजली की वायरिंग

*7--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के निकट महिला चिकित्सालय (डफरिन हास्पिटल) में बिजली की वायरिंग किस वर्ष कराई गई और वायरिंग की टूट-फूट अब तक कितनी बार हुई और वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में की गई वायरिंग मरम्मत में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त महिला चिकित्सालय के पूरे प्रांगण में बिजली की वायरिंग ठीक न होने के कारण माह अप्रैल, मई, 1985 की अवधि में कई बार जनरल वार्ड नं0-4 (अन्य वार्ड) नर्सेज हास्टल एवं अस्पताल के शेष भवनों में जीर्ण-शीर्ण विद्युत् वायरिंग के कारण आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन जांच कराकर जीर्ण-शीर्ण वायरिंग को शीघ्र ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

महिला चिकित्सालय लखनऊ में वित्तीय वर्ष 1973-74 में ए0 सी0 बिजली वायरिंग कराई गई। वायरिंग की टूट-फूट अब तक नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में वायरिंग मरम्मत पर कोई धन व्यय नहीं हुआ।

महिला चिकित्सालय की वायरिंग ठीक है। अप्रैल, 1985 में केवल जनरल वार्ड नं0 4 के स्वीच बोर्ड में आग लग गयी थी जो इलेक्ट्रीशियन द्वारा उसी समय ठीक कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैंने यह सवाल लखनऊ डफरिन अस्पताल के बारे में किया है, वहां पर बिजली और पानी की घोर अनियमितता है। पूरी वायरिंग पुराने भवन में जिसमें इमरजेंसी है बेकार हो गई है और महिला वार्ड की सारी वायरिंग झुली हुई है, यह मेरी निजी जानकारी में है कि इसके कारण अप्रैल व मई में वहां पर चार-बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जबकि इन्होंने एक घटना को स्वीकार किया है, तो क्या वहां की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था को देखते हुए फिर से वायरिंग कराने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी, करेंगे ?

डाक्टर दिनेश जौहरी--

यही नहीं पूरे प्रदेश के महिला अस्पतालों की यही हालत है, तो क्या उनम सुधार कराने की मन्त्री जी की कोई योजना या कार्यक्रम है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, शासन के विचाराधीन है कि किस प्रकार चिकित्सालयों की वर्तमान परिस्थिति को सुधारा जाए।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, सारे प्रदेश में महिला चिकित्सालयों की बड़ी दुर्दशा है। महिला चिकित्सालय नाम से तो हैं, लेकिन वहां पर कोई चिकित्सक नहीं भेजा जा रहा है। हमारे जिले में करैल तहसील हेडक्वार्टर है, लेकिन वहां पर किसी महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई, तो क्या मन्त्री जी भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

(प्रश्न संख्या 8 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

किस कारण यह आगें लगी तो आप बता दें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वायरिंग लूज थी, जो अब वहां पर ठीक हो गयी है।

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा चिकित्सा-धिकारियों को बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया जाना

*8श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा अगस्त, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक कितने चिकित्साधिकारियों को उनके खाते में अवकाश शेष रहने पर भी बिना वेतन क असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा कितने अधिकारियों की सेवा में व्यवधान माने जाने के आदेश दिये गये हैं ? इसका आधार क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा अगस्त, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक चार चिकित्साधिकारियों को बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया, तथा इनकी सेवा में व्यवधान मानने के आदेश दिये गये हैं। इनके खाते में अवकाश शेष था। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने के कारण, उपयुक्त आदेश जारी किये गये।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिन चार चिकित्सा-

धिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उनके अन्य और जितने चिकित्सा-धिकारियों का स्थानान्तरण हुआ था, उन सबने स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने के 7 दिन के अन्दर अपने स्थानों पर ज्वाइन कर लिया था या नहीं ? और यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध भी यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्न यह हुआ था कि इनके खाते में अवकाश देय है, जो 4 व्यक्तियों ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करने में 30 दिन का समय लगाया, उनके साथ कार्यवाही की गई और जो 30 दिन में अपने-अपने स्थान पर चले गये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी ।

प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लेक्चरर्स की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

*9--श्री विजय सिंह राणा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों के लिये लेक्चरर्स की नियुक्ति हेतु डाक्टरों के आवेदन-पत्र मांगने के लिये जो विज्ञापन अखबारों में 25-5-1985 को निकालने के लिये प्रेस भेजा गया था, उसको उन्होंने रुकवा दिया है और यह आदेश दिया है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नये आवेदन-पत्र न मंगा कर गत एक वर्ष पूर्व बनायी गयी वेटिंग लिस्ट में से ही नियुक्तियां कर ली जाय ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । विज्ञापन जारी किया गया है एवं उसके आधार पर नियुक्तियां की जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, बस्ती में जनरेटर की व्यवस्था किये जाने की मांग

*10--श्री मलिक मोहम्मद यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिला जो प्रदेश का सबसे बड़ा और पिछड़ा हुआ जिला है उसके जिला अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था करने के जो आदेश हुए थे उसका पालन अब तक नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि दूसरे जिले जो उनसे छोटे हैं और मरीजों की संख्या भी कम है वहां जनरेटर लगा दिये गये ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी मरीजों की कठिनाई और गम्भीर मरीजों के लिए आपरेशन थियेटर में तत्काल बिजली व्यवस्था को देखते हुए तुरन्त जनरेटर लगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला चिकित्सालय, बस्ती में जनरेटर की व्यवस्था करने के आदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं, अतः पालन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नियोजन अनुश्रवण समितियां जिन जिलों में जेनरेटर हेतु परिव्यय उपलब्ध कराती है, उन जिलों में जेनरेटर की व्यवस्था कर दी जाती है । इसमें किसी छोटे या बड़े जिले का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय उपलब्ध कराये जाने पर तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ऐसा करना सम्भव है ।

*11--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[17वें मंगलवार में तारा0 प्र0 संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

[17वें मंगलवार में तारा0 प्र0 संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जनपद आगरा में आलू उत्पादकों से शीतगृह में आलू रखने हेतु निर्धारित मूल्य

*12--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आलू उत्पादकों से शीतगृह में आलू रखने हेतु उसके किरायें की प्रति क्विंटल दर सरकार ने क्या निर्धारित की है ? क्या उस दर पर अब तक कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आलू उत्पादक किसानों से मण्डी शुल्क के रूप में दो रुपया प्रति बोरा शुल्क वसूल किये जाने के सरकारी आदेश हैं ? यदि नहीं, तो बैरियर पर किसानों से दो रुपया क्यों वसूल किया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

19 रु0 प्रति कुन्तल ।

जी हां । परन्तु 11 शीतगृह मालिकों ने उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ से 2 रु0 प्रति बोरा अतिरिक्त भंडारण प्रभार वसूल करने के आदेश प्राप्त कर लिये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, जिला बांदा में आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर खोलने की कथित योजना

*14--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, जिला बांदा में आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या यह भी सही है कि निदेशक आयुर्वेद, उपरोक्त के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के भण्डार के ऐतिहासिक जिले कालिंजर में जड़ी बूटियों के सर्वेक्षण के लिये कालिंजर गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त रिसर्च सेन्टर खोलने को कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

निदेशक आयुर्वेद ने बांदा जनपद के चिकित्सालयों के निरीक्षण दौरे के दौरान कालिंजर क्षेत्र का भी दौरा किया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के जूनियर डाक्टरों द्वारा की गयी हड़ताल तथा मांगें

*15--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के जूनियर डाक्टरों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन पर दबाव डालने हेतु 11 जून, 85 अथवा उसके आस-पास हड़ताल की गयी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

उनकी मांगे इन्टर्न्स, हाउस अफिसर्स, तथा रेजीडेंट आफीसर आदि के स्टाइपेण्ड की धनराशि को बढ़ाने की थी ।

इन जूनियर डाक्टरों के स्टाइपेण्ड की धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*16--श्री मैनेजर सिंह--

[दिनांक 13-8-85 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 द्वारा उत्तरित]

सहायक नियंत्रक बाट तथा माप बरेली द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन के बरेली स्थित डिपो में मापकों की जांच

*17--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आयल कारपोरेशन के बरेली स्थित डिपो में दिनांक 30-5-85 को बाटमाप सहायक नियन्त्रक द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि डिपो द्वारा प्रयोग किये जा रहे मापकों के कारण प्रतिदिन डीलरों को 3000 लीटर कम तेल मिलता था जिसे वह उपभोक्ताओं से पूरा करते थे ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या कम माप द्वारा चुराए गये इस तेल की कीमत जो गत वर्ष में ही लगभग 40 लाख रुपये होती है, को इंडियन आयल कारपोरेशन से वसूल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 30-5-85 को सहायक नियंत्रक बाट तथा माप बरेली द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन के बरेली स्थित डिपो के दो (बैरल फिलर) मापकों की जांच किये जाने पर उनकी क्षमता, निर्धारित क्षमता (200 लीटर प्रति बैरल फिलर) से कम पाई गई किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि उक्त दो मापकों में पायी कमी के कारण प्रतिदिन डीलरों को 3000 लीटर कम तेल मिलता था जिसे वह उपभोक्ताओं से पूरा करते थे, सही नहीं है ।

उक्त डिपो के दो मापकों में पायी गयी कमी के लिए "उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम 1959 की धारा 28, 29 एवं 31 के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन के विरुद्ध न्यायालय में वाद निदेशित किया गया है ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*18--श्री पूरन सिंह--

[25वें मंगलवार के तारा0 प्र0 संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रोफेसर, शरीर रचना पद पर चयन

*19--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या स्वस्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोफेसर, शरीर रचना पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद के पत्र सं0 234/117/सेवा-2/डी-81-82, दि0 12 नवम्बर, 1982 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से अब तक किस अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

लोक सेवा आयोग के संबंधित पत्र द्वारा प्रोफेसर, शरीर रचना के पद पर एक ही अभ्यर्थी का नाम मुख्य सूची में था । उस अभ्यर्थी को शासन ने नियुक्ति दी लेकिन उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।

*20--श्री मयंकर सिंह--

[8वें सोमवार में तारा0 प्र0 संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका संडीला, जनपद हरदोई में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का रिक्त पद

1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका संडीला, जनपद

हरदोई में कितने दिनों से नगर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं हैं और अब तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी को यहां न भेजे जाने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

नगर पालिका, संडीला, जनपद हरदोई में दिनांक 8-4-1984 से नगर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं था । दिनांक 21-6-1985 को उपर्युक्त अधिकारी की तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं ।

2--श्री राम आसरे वर्मा---

[दिनांक 25-7-85 को ता0 प्र0 सं0 19 द्वारा उत्तरित]

मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा शासनादेश की अवहेलना किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा शासनादेश की अवहेलना करने के कारण उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु उ0 प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-11 ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या 6376 (1)/16-11-84-10(75)/79, दिनांक 21 नवम्बर, 1984 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी को कारण बताओ नोटिस जारी करने को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां ।

शासनादेश संख्या-6376(1)/16-11-84-10(75)/79, दिनांक 21 नवम्बर, 1984 के अनुपालन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1985 द्वारा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के उत्तर पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद अलीगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत किये जाने हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति

4--श्री सुरेश प्रताप सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कितने प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र तीस शैय्या चिकित्सालय के स्तर तक उच्चीकृत कर दिये गये हैं ? उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है जहां स्थान उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जनपद अलीगढ़ के निम्न 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत किये जाने हेतु भवन-निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी :---

1--अतरौली

2--छर्रा

0--जवां

4--खैर

अतरौली उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किया जा चुका है ।

छर्रा और जवां में निर्माण लगभग पूर्ण है ।

खैर के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य-भूमि हस्तानान्तरित न होने के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है ।

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के कतिपय ग्रामों में समतलीकरण का कार्य

5—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के ग्राम रहमकलां नगला नकटा गढ़ी सम्पत, नगला नथौली, रायपुर, गढ़ी जगन्नाथ, मनोहरपुर व कुबेरपुर आदि गांवों में क्या वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में नदी घाटी के इलाके का समतलीकरण योजना के तहत भूमि का समतलीकरण हुआ ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों से समतलीकरण का पैसा वसूला गया ? यदि हां, तो किस दर से ? क्या यह भी सही है कि उक्त समतलीकरण योजना में काश्तकारों के वही खेत लिए गये जो पहले से बने हुए थे ? यदि हां, तो उन पर बिना काम किए कैसे धन वसूला गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक केवल, ग्राम रहमकलां, कुबेरपुर, नगला नथौली एवं गढ़ी जगन्नाथ में समतलीकरण का कार्य कराया गया ।

सम्बन्धित काश्तकारों से वसूली हेतु राजस्व विभाग को मांग सूची भेज दी गयी है । अभी तक केवल चार काश्तकारों से रु0 1654.07 की वसूली हुई है ।

अलग-अलग काश्तकार के यहां पर कार्य की मात्रा के अनुसार हुए व्यय पर 10.5 प्रतिशत ब्याज लगाकर कार्य की समाप्ति के एक वर्ष के उपरान्त 10 छमाही किश्तों अर्थात् 5 वर्ष में वसूली की जाती है । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय द्वारा गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडल में क्रय किया गया गेहूं बीज तथा कृषकों को वितरण

6—श्री सुखपाल पांडे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय द्वारा गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडल में कितना गेहूं गत रबी के बीज के लिए कितने रुपये का विभाग द्वारा क्रय किया गया है ? जो गेहूं क्रय किया गया उसमें कितना गेहूं किसानों में वितरित किया गया, कितना गेहूं शेष है, गेहूं किस-किस जिले के बीज भंडार में रखा गया है, कितना किसानों को वितरण किया गया ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(क) गत रबी 1984-85 में गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडल में क्रमशः 15937.06 कुंतल तथा 17339.20 कुंतल गेहूं बीज क्रय किया गया जिसका क्रय मूल्य क्रमशः रु0 56,35,040.80 तथा रु0 57,48,482.97 था ।

(ख) क्रय किये गये गेहूं बीज में से गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडलों में क्रमशः 12,750.85 कुंतल तथा 10,831.98 कुंतल किसानों में वितरित किया गया तथा क्रमशः 3186.21 कुंतल और 6507.89 कुंतल बीज वितरण के उपरान्त अवशेष रह गया ।

(ग) अवशेष गेहूं के बीज की भण्डारण की जिलेवार स्थिति संलग्न विवरण में अंकित है । किसानों को वितरित बीज का उत्तर अंश "ख" में अंकित है ।

पूरा विवरण प्रस्तुत है । विवरण न देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 'क' आगे पृष्ठ.... पर) ।

लखनऊ नगर के सस्ते गल्ले की दुकानों के दुकानदारों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

7--श्री सरदार सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1980 में लखनऊ में पाम आयल के कितने सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से दुकानदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? केवल श्री दुर्गेश त्रिवेदी, आलमबाग, लखनऊ की दूकान जबकि वह (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार) ठेके पर थी किस आधार पर बहाल कर दी गई ? जनता उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, आलमबाग, लखनऊ को दुकान जो कि समिति की थी क्यों निरस्त कर दी गयी थी ? उपरोक्त समिति की दूकान कितने समय तक और क्यों सील रही ? क्या उस समय समिति के सचिव ने दुकान के किराये की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त समिति को उपरोक्त दुकान के सील रहने के समय तक का किराया देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

फरवरी, 1980 में लखनऊ नगर के के 13 पाम आयल के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के दुकानदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ।

इनमें से श्री दुर्गेश त्रिवेदी सहित ग्यारह सस्ते गल्ले की दुकानें समुचित दण्ड के साथ बहाल कर दी गई थीं । श्री दुर्गेश त्रिवेदी की दुकान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनधिकृत व्यक्ति के पाये जाने का आरोप था न कि दुकान ठेके पर चलाये जाने का । पाम आयल के सम्बन्ध में इनके ऊपर लगाया गया आरोप परीक्षण के उपरान्त सिद्ध नहीं पाया गया । श्री त्रिवेदी की बीमारी के कारण दुकान पर अनधिकृत व्यक्ति पाये जाने के आरोप में इनकी जमा प्रतिभूति से रु0 100/- शासन के पक्ष में जब्त करते हुये बहाल की गई थी । जनता उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड आलमबाग, लखनऊ की दुकान पाम आयल के आमद वितरण के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या आरोप पाये जाने और तत्सम्बन्धी समिति द्वारा मांगे जाने पर भी अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण निरस्त कर दी गई थी । उपरोक्त समिति की दुकान दिनांक 26-2-80 को सील की गई थी । दिनांक 28-2-80 को सील खोली गई, किन्तु समिति के सचिव द्वारा सम्बन्धित अभिलेख मौके पर उपलब्ध न कराये जाने पर आवश्यक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका । सचिव द्वारा सम्बन्धित अभिलेख अतिशीघ्र उपलब्ध करा देने के आश्वासन पर दुकान पुनः उसी दिन 28-2-80 को सील की गई जिसे बाद में दिनांक 6-8-80 को खुलवाया गया । इस प्रकार 26-2-80 से 6-8-80 तक (5 माह 7 दिन) उपरोक्त कारणों से दुकान सील रही । समिति के सचिव ने सील की गई दुकान के किराये की मांग की थी । चूंकि दुकान समिति के सचिव द्वारा दिये गये आश्वासन पर बन्द रही अतएव किराया देने का कोई प्रश्न नही उठता । किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का भी प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ जिला आपूर्ति कार्यालय में श्री पी0 सी0 शुक्ला का सेवा काल, प्रत्यावर्तित किये जाने का कारण, स्थानान्तरण पर विचार

8--श्री सरदार सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला आपूर्ति

कार्यालय में श्री पी0 सी0 शुक्ला (सप्लाई इंस्पेक्टर) अपने सेवा काल में अब तक कितने समय लखनऊ जनपद में ही रहे और लखनऊ में मुख्य कार्यालय में दिनांक 20-6-1985 तक की अवधि में कितने समय रहे ? इनको वरिष्ठ निरीक्षक बनाये जाने का तथा बाद में प्रत्यावर्तित किये जाने का कारण क्या था ? क्या मंत्री जी इनका लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

(अ) श्री पी0 सी0 शुक्ल अपने सेवा काल में अब तक विभिन्न पदों पर लखनऊ जनपद में लगभग 20 वर्ष रहे हैं जिसमें से लखनऊ जनपद के मुख्य कार्यालय में दिनांक 20-6-85 तक की अवधि में पूर्ति निरीक्षक के रूप में लगभग 7 वर्ष तथा वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक के रूप में लगभग 4 वर्ष तक रहे हैं ।

(ब) श्री शुक्ल को लखनऊ में उप नगर खाद्य अधिकारी के पद पर हुई रिक्ति के फलस्वरूप स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक पद से वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया था । स्थानीय व्यवस्था समाप्त हो जाने पर श्री शुक्ल को प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

(स) श्री शुक्ल का लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरण विचाराधीन है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद तथा सी0 पी0 एम0 टी0 में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित स्थान

9--श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अस्पतालों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों को भरने के लिए शासन ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न अस्पतालों में सभी पद्धति के डाक्टरों के 102 पद रिक्त हैं । एलोपैथिक की 96 रिक्तियों को भरने हेतु तदर्थ नियुक्तियां की गई तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के बार-बार प्रयास किये गये हैं ।

10--श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 एम0 टी0 में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये कितने स्थान आरक्षित हैं ? क्या पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों के रिक्त पदों पर इन आरक्षित स्थानों से निकले डाक्टर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सी0 पी0 एम0 टी0 में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 3 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 3 प्रतिशत स्थान एम0 बी0 बी0 एस0 तथा अन्य कोर्सों हेतु आरक्षित हैं । ऐसे अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा

चयनित या तदर्थ नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित होने पर ही कार्यरत हो सकते हैं ।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में नई मशीन की व्यवस्था की गयी

11—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद की एक्सरे मशीन जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में कई सालों से चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिविल अस्पताल को नई मशीन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में नई मशीन की व्यवस्था वर्ष 1985-86 की जिला योजना में सम्मिलित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में आलू का वृहद् उद्योग लगाने का प्रस्ताव

12—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद प्रदेश का अग्रणी आलू उत्पादक क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या विदेशी सहयोग से आलू पर आधारित किसी वृहद् उद्योग को जनपद फर्रुखाबाद में लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विदेशी विकसित तकनीक का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर एक आलू के आटे का कारखाना लगाए जाने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार होता रहा है । इसके विषय में एक बैठक माननीय कृषि मन्त्री जी के कक्ष में 18 मई, 1985 को हुई थी । कारखाने का स्वरूप और स्थान जहां लगाया जाना है, पर निर्णय शासन द्वारा लिया जायगा ।

विशेषज्ञ सहित एक अध्ययन दल विदेश भेजकर तकनीक के चयन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । अभी इस पर निर्णय नहीं हो सका है ।

संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ की राजकीय गाड़ी की लाग-बुक

13—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ की राजकीय गाड़ी की लाग-बुक कब से नहीं भरी गई है ? उक्त लाग-बुक किन परिस्थितियों में तथा उसे सीज करके कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ की राजकीय कार संख्या यू0 एस0 सी0 5251 की लाग-बुक अद्यावधिक तिथि तक भरी हुई है । अतः उसे हस्तगत कराकर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा क्रय की गयी डीजल चालित जीप

14—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा डीजल की राजकीय जीप खरीदी

गई जो कि बिना नम्बर के देहली ले जाई गई जिस पर बिना रजिस्ट्रेशन के 180 रुपये जुर्माना देहली में हुआ ? क्या इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को है ? यदि हां, तो किस मद से भुगतान किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

माह अगस्त, 1984 में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा क्रय की गई डीजल चालित जीप बिना पंजीकृत हुए राजकीय कार्य हेतु दिल्ली गयी थी जिसकी जानकारी शासन को नहीं थी। दिल्ली में यातायात अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार 118.00 रु0 (एक सौ अट्ठारह रुपए मात्र) दण्ड के रूप में लिया गया था जिसका भुगतान राजकोष मद से नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य निदेशालय (लखनऊ) के पुराने स्टाक रजिस्टरों की अन्तिम वार्षिक जांच

15--श्री विजय सिंह राणा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय (लखनऊ) के पुराने स्टाक रजिस्टरों की अन्तिम वार्षिक जांच कब हुई और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? पुराने सामान की नीलामी, अन्तिम बार कब हुई और किस-किस सामान की नीलामी हुई और उससे कितनी आय हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के—

(1) केन्द्रीय औषधि भंडार,

(2) नजारत,

(3) संक्रामक रोग औषधि भंडार

(4) ई0 पी0 आई0 एवं चेचक उन्मूलन कार्यक्रम।

(5) विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण से3 का सत्यापन क्रमशः मार्च, 1985, 1980 के बाद प्रति वर्ष, मार्च, 1985, 10-5-83 व मार्च, 1985 में किया गया।

क्रम-संख्या 1 के सामानों की 26-4-80 को हुई नीलामी से 975 रु0 की आय हुई। क्रम-संख्या 2, 3, 4 व 5 से सम्बन्धित किसी सामान की नीलामी नहीं हुई।

टी0 बी0 क्लीनिक, अलीगढ़ में बी0 सी0 जी0 टैक्नीशियन का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण किये जाने पर विचार

16--श्री विजय सिंह राणा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 क्लीनिक अलीगढ़ में कितने बी0 सी0 जी0 टैक्नीशियन ऐसे हैं जो विगत 14 15 वर्षों से वहीं के वहीं कार्यरत हैं ? इनके स्थानान्तरण न होने के कारण क्या हैं। क्या शासन इनके स्थानान्तरण पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

4(चार) बी0सी0 जी0 टैक्नीशियन विगत 14-15 वर्षों से टी0 बी0 क्लीनिक, अलीगढ़ में कार्यरत हैं। अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण इनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इनके स्थानान्तरण का मामला अभी शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह ऐसे पद नहीं हैं जिनके पद धारकों का स्थानान्तरण समय सीमा के आधार पर किया जाना आवश्यक हो।

टी0 बी0 क्लीनिक, अलीगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री करन सिंह का निलम्बन तथा आरोपों की जांच

17—श्री विजय सिंह राणा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 क्लीनिक, अलीगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री करन सिंह को दिनांक 30-4-83 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभियोग पत्र में क्या आरोप लगाये गये हैं और इन आरोपों की प्राथमिक जांच आख्या क्या है ? क्या शासन निलम्बन आदेश निरस्त करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठ —

जी हां ।

उक्त लिपिक को रिश्वत लेते हुये धारा 161 आई0 पी0 सी0 व 5(2) पी0 सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । अभी पुलिस की जांच चल रही है और अभियोग पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है ।

निलम्बन के आदेश निरस्त करने से सम्बन्धित कार्यवाही पुलिस की जांच तथा न्यायालय के निर्णय के ऊपर निर्भर है ।

मेडिकल कालेज, आगरा के रेडियोलाजी विभाग के एक्सरे थैरापी आपरेटर के पद के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने का विचार

18—श्री विजय सिंह राणा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ के पत्र संख्या 23 फ/902/10169, दिनांक 4 अगस्त, 1975 के द्वारा मेडिकल कालेज आगरा के रेडियोलाजी विभाग के एक्सरे थैरापी आपरेटर पद के वेतनमान को पुनरीक्षण करने के आदेश प्रदान करके उन्हें अभी तक क्रियान्वित न करने का क्या कारण है ? इस प्रकार के पद उत्तर प्रदेश में कितने हैं ? तथा इस पुनरीक्षित वेतनमान को कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठ —

एक्सरे थैरापी आपरेटर का प्रदेश में केवल एक ही पद मेडिकल कालेज, आगरा से सम्बद्ध चिकित्सालय के रेडियालोजी विभाग के लिए सृजित है । प्रश्न में उल्लिखित स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पत्र की संख्या तथा दिनांक सही नहीं है और उक्त पत्र के द्वारा मेडिकल कालेज, आगरा के एक्सरे थैरापी आपरेटर के पद का वेतनमान पुनरीक्षित करने के कोई आदेश भी नहीं दिए गए हैं । वास्तविकता यह है कि संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (मण्डार), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या—23फ/902(10)/69/17467, दिनांक 5 सितम्बर, 1975 द्वारा एक्सरे थैरापी आपरेटर के पद का वेतनमान रुपया 350—700 में पुनरीक्षित किए जाने की संस्तुति की गई । निदेशक की इस संस्तुति पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एक्सरे थैरापी आपरेटर के पद के वर्तमान पद धारक को वेतनमान रुपया 470—735 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा और भविष्य के लिए पद की शैक्षिक प्राविधिक अर्हता तथा वेतनमान अलग से निर्धारित कराये जायं । तदनुसार आवश्यक आदेश शासनादेश संख्या 2373 से0—1/पांच—अ—12/74, दिनांक 29 मई, 1985 द्वारा जारी कर दिये गए हैं जिसके अनुसार रुपया 470—735 का वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1979 से लागू है । प्रश्नगत पद की शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता तथा पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित किए जाने का विषय अभी विचाराधीन है ।

इटावा व मैनपुरी क्षेत्र के बीजोत्पादकों का कतिपय असुविधायें दूर करने हेतु पत्र तथा उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा अग्रिम धनराशि का भुगतान

19—श्री औसान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड के इटावा व मैनपुरी क्षेत्र के बीजोत्पादकों का कोई पत्र उन्हें कतिपय असुविधाएं दूर करने हेतु मिला है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । इटावा तथा मैनपुरी क्षेत्र के बीज उत्पादकों द्वारा यह मांग की गयी है कि इटावा में निगम का एक कार्यालय खोला जाये । कार्यालय खोलने की प्रारम्भिक व्यवस्था हेतु फिलहाल इस क्षेत्र में बीज फसलों का निरीक्षण करने के लिये सहायक बीज उत्पादन अधिकारी कार्यरत हैं तथा उत्पादकों के बीज को इटावा में ही लेने के लिये बीज एकत्रीकरण केन्द्र खोल दिया गया है ।

20—श्री औसान सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर से बीजोत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित पैदावार से कम के अन्तर्ग्रहण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को होने वाला लाभ नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

निगम किसानों से दो वर्गों में बीज उपादित करवाता है । प्रथम वर्ग (ग्रोवर प्रोग्राम) के उत्पादित बीज को निगम मानकों के अनुरूप होने पर लेने के लिए बाध्य होता है तथा वर्ग दो (प्रोड्यूसर प्रोग्राम) में उत्पादित बीज को लेने के लिये बाध्य नहीं होता है तथा मांग के अनुसार ही यह बीज लिया जाता है । मांग के अनुसार इस वर्ष भी बीज लिया जा रहा है

21—श्री औसान सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में कृषकों/बीजोत्पादकों के अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि सदैव उपलब्ध नहीं रहती जिससे उत्पादक व्यर्थ में परेशान होते हैं ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाह की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

निगम बीज उत्पादकों को भुगतान बैंकों से ऋण लेकर करता है तथा बीज बिक्री करके बैंकों को ऋण की वापसी एवं अन्य खर्चे वहन करता है । इस वर्ष बैंकों द्वारा स्वीकृत 5·50 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग किया जा चुका है । बीज उत्पादकों को अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु शासन से ऋण की व्यवस्था की गयी है । अन्य स्रोतों से भी धन की व्यवस्था करायी गयी है । माह अगस्त, 1985 के अन्त तक बीज उत्पादकों को अग्रिम धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक, आगरा मण्डल द्वारा पी0 एम0 एस0 डाक्टर व चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण

22—श्री विजय सिंह राणा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य के कार्यालय में कितने पी0 एम0 एस0 डाक्टर व चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं

जिन्हें अपने पद पर कार्य करते पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुयी है और कितने डाक्टर व चिकित्सा अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अपने पद पर कार्य करते पांच वर्ष से अधिक समय पूरा हो गया है किन्तु उनके स्थानान्तरण नहीं किए गए ? क्या इस अनियमितता की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, आगरा मण्डल द्वारा, पांच वर्ष की अवधि से कम के, साधारण ग्रेड के एक पुरुष चिकित्साधिकारी का प्रशासनिक आधार पर तथा एक दम्पत्ति चिकित्साधिकारी का जनहित में स्थानान्तरण किया गया था ।

आठ पुरुष चिकित्साधिकारी, चार दम्पति चिकित्साधिकारी तथा तेरह महिला चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें जनपद में पांच वर्ष पूरे हो गये थे, का जनहित में स्थानान्तरण नहीं किया गया। इन मामलों में कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर, जनपद फैजाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास

23—श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जनपद फैजाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास गत वर्ष 1984 में उनके द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन के लिए विभाग द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी ।

ग्राम सभा पवहा, जनपद एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना पर विचार

24--श्री प्रेम पाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पवहा, विकास खंड अत्रागढ़, जनपद एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना वित्तीय वर्ष 85-86 में कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ग्राम पवहा, जिला एटा में 85-86 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि जिला योजना में इस केन्द्र को स्थापित करने की संस्तुति नहीं की गयी है ।

जनपद आगरा की ग्राम सभा अकोला में मिट्टी का तेल तथा चीनी प्राप्त करने वाले कार्ड धारक

25--श्री विजय सिंह राणा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा की ग्राम सभा अकोला (तहसील खास) में मिट्टी का तेल तथा चीनी प्राप्त करने वाले कितने कार्ड धारक हैं और यहां प्रति माह कितनी चीनी तथा कितना मिट्टी का तेल दिया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि यहां प्रति कार्ड धारक को एक लीटर मिट्टी का तेल तथा प्रति यूनिट 250 ग्राम चीनी दी जा रही है ? यदि हां, तो इतनी कम मात्रा में तेल व चीनी देने का क्या कारण है और शासन इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद आगरा की तहसील खास के अन्तर्गत ग्राम सभा अकोला में मिट्टी का तेल तथा चीनी प्राप्त करने वाले 1467 कार्ड धारक हैं । इस ग्राम सभा को 1600 लीटर मिट्टी का तेल तथा 18

कुन्तल चीनी वितरण हेतु प्रति माह दिया गया है। ग्राम सभा अकोला में मिट्टी का तेल एक लीटर प्रति कार्ड की दर से वितरित किया गया है तथा चीनी 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से वितरित की गई है। चीनी एवं मिट्टी का तेल उपरोक्त अनुपात में वितरण कराये जाने का कारण प्रदेश की आवश्यकता के अनुपात में आवंटन कम मात्रा में प्राप्त होना है। प्रदेश का मिट्टी तेल का मासिक कोटा बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार से बराबर अनुरोध किया जा रहा है।

26—श्री विजय सिंह राणा—

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आरक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में पत्र

27—श्री श्रीराम सागर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की ओर से आरक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 22-6-85 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उक्त चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, 22-6-85 का पत्र प्राप्त हुआ है।

3-8-85 को विभागीय चयन समिति की बैठक में 25 अनुसूचित जाति व एक जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों के नाम पर विचार कर उपर्युक्त का चयन कर लिया गया है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर में दवाओं एवं मशीनों का कथित अभाव, डाक्टरों के रिक्त पद

28—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चीकृत चिकित्सालय, तिलहर, शाहजहांपुर में कई मशीनों व दवाओं के अभाव में मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं,

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, में दवाओं एवं मशीनों का अभाव नहीं है।

प्राप्त सूचना के आधार पर दवाओं और उपकरणों की समुचित व्यवस्था तिलहर में है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

29—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में कितने व कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा यह पद कब से और क्यों रिक्त पड़े हुए हैं और कब तक इन पदों को भरा जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, शाहजहांपुर में चार पद रिक्त है—सर्जन, महिला चिकित्साधिकारी, बालरोग विशेषज्ञ और डेन्टल हाइजिनिस्ट।

सर्जन एवं महिला चिकित्साधिकारी के पद दो माह से, बालरोग विशेषज्ञ का पद सितम्बर, 1983 से तथा डेन्टल हाइजिनिस्ट का पद एक माह से रिक्त है। डाक्टरों के अभाव में यह पद भर नहीं पाये हैं।

खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों के प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत रिक्त पद तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

30--श्री परागी लाल चौधरी--

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों के प्रोन्नति कोटे के कितने पद रिक्त चल रहे हैं और कब से तथा उनको न भरे जाने के क्या कारण हैं ? प्रोन्नति कोटे में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति खाद्य पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर कार्यरत हैं और इस कोटे की कमी को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षकों के प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत लगभग 70 पद गत दो-तीन वर्ष से रिक्त चल रहे हैं। इनको न भरे जाने के निम्न कारण हैं :

(1) प्रधान लिपिक पद की प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का अद्यावधिक न हो पाना ;

(2) वांछित संख्या में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रोन्नति हेतु उपलब्धता न होना;

(3) द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त प्रधान लिपिक एवं पूर्ति निरीक्षक का वेतनमान समान हो जाना ;

(4) द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप पूर्ति निरीक्षक का पद शत प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती की परिधि में आ जाना;

प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए निर्धारित 61 पदों के विरुद्ध 34 कर्मचारियों को प्रोन्नत किया जा चुका है जिसमें से 14 उच्चतर पदों पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नत किये जा चुके हैं। कोटे की कमी को यथाशीघ्र पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

31--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला महिला अस्पताल, फतेहगढ़ में गुड्डी उर्फ सुधा देवी की भर्ती

32--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जानकारी है कि दिनांक 12-3-85 को जिला महिला अस्पताल, फतेहगढ़ में एक अविवाहित लड़की को घूस लेकर फर्जी नाम से गुड्डी पत्नी रमेश, निवासी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ बना कर पंजीकरण टिकट संख्या 627 पर भर्ती किया गया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त लड़की का आपरेशन करके बच्चा पैदा किया गया और अस्पताल की एक वरिष्ठ महिला चिकित्सक ने भारी रकम लेकर बेच दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दिनांक 11-3-1985 को पंजीकरण संख्या 3677 पर गुड्डी उर्फ सुधादेवी पत्नी श्री रमेश को महिला चिकित्सालय, फतेहगढ़ में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 12-3-85 को 9 बजे उन्हें चिकित्सालय में भर्ती किया गया, उसी दिन प्रातः 11-00 बजे पेट का आपरेशन करके जीवित लड़के का जन्म हुआ तथा दिनांक 27-3-85 को रोगी के टांके काटे गये और उसे छुट्टी दे दी गयी । श्रीमती गुड्डी नवजात शिशु को अस्पताल में बिस्तर पर छोड़ कर चली गयी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर बच्चे को अस्पताल में ही रखा गया तथा बच्चे की मां के सम्बन्धियों की प्रतीक्षा की गई ।

दिनांक 10-4-85 श्रीमती गुड्डी के प्रार्थना पत्र सहित कुल 16 प्रार्थना पत्र बच्चे को लेने के लिए महिला चिकित्सालय अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त हुए । प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर अधीक्षक, महिला चिकित्सालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी तथा जिला अधिवक्ता दीवानी का वैधानिक परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त बच्चे को उसकी मां श्रीमती गुड्डी को दिनांक 8-5-85 को सौंप दिया गया ।

अतः बच्चे को बेचे जाने का प्रश्न नहीं उठता तथा न ही किसी कार्यवाही का प्रश्न उठता है ।

राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्यो-पैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य द्वारा आवास किराया भत्ता लिये जाने के विरुद्ध जांच

33--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद में प्राचार्य, विद्यालय के आवास में रहने के बाद भी आवास किराया भत्ता लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार डी0 डी0 ओ0 द्वारा ऐसी अनियमितता बरतने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

होम्योपैथिक निदेशक को यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य डा0 आर0 पी0 दुबे, कालेज में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं और आवास किराया भत्ता भी वसूल रहे हैं । इसकी जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही जांच के उपरान्त की जायेगी ।

राजकीय टी0 डी0 होम्योमेडिकल कालेज, जौनपुर में समायोजित अन्य कालेजों के डाक्टर

34--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय टी0 डी0 होम्यो-मेडिकल कालेज, जौनपुर में समायोजित अन्य कालेजों के डा0 अलखदेव कुंवर, डा0 मनी लाल शुक्ल, प्रशासक एवं शासन के आदेश के आधा पर समायोजन के बाद एवं प्रान्तीयकरण की तिथि के एक दिन पूर्व तक किस पद पर कार्यरत थे ? क्या सरकार उन्हें उसी पद पर नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डा0 अलखदेव कुंवर और डा0 मनी लाल शुक्ल तिलकधारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर में प्रश्नगत अवधि में किसी भी पद के विपरीत समायोजित नहीं थे ।

ऐसी दशा में उसी पद पर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बाराबंकी स्थित कार्यालय गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण

35--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में मुख्य लेखा-धिकारी द्वारा बाराबंकी स्थित किसी कार्यालय/गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो निरीक्षण में क्या-क्या अनियमितताएं मिली थीं और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

निरीक्षण में कुछ अभिलेख अपूर्ण पाये गये और कुछ प्रस्तुत नहीं किये जा

सके थे। अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण करा लिया गया है तथा निरीक्षण के समय न प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का भी सत्यापन करा लिया गया है। सम्बन्धित कर्मचारियों को भविष्य में अभिलेख पूर्ण रखने के लिए सचेत कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

26--श्री यदुनाथ सिंह--

[7वें सोमवार में अता० प्र० संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

37--श्री सुखपाल पाण्डे--

[दिनांक 8-8-85 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

नेत्र चिकित्सालय सीतापुर में
दैनिक मजदूरी पर काम
करने वाले वार्ड ब्वाय
तथा वार्ड आया

38--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आंख का अस्पताल, सीतापुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले वार्ड ब्वाय तथा वार्ड आया को कितने रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है? इस समय अस्पताल में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत वार्ड ब्वाय तथा वार्ड आयाओं की संख्या कितनी है कि जो 240 दिन से अधिक समय से कार्यरत हैं परन्तु अभी स्थायी नहीं किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से कितनी दैनिक मजदूरी मिलती चाहिए?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर, द्वारा 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी दी जा रही है।

240 दिन से अधिक समय से इस चिकित्सालय में 6 वार्ड ब्वाय और एक वार्ड आया कार्यरत हैं जिसे स्थायी नहीं किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से 11·50 रु० को दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए।

चरखारी चिकित्सालय, हमीरपुर
के अधीक्षक के विरुद्ध कथित
शिकायती-पत्र

39--श्री राम सजीवन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद के चरखारी चिकित्सालय के अधीक्षक के विरुद्ध महीपत, जिला मन्त्री, भा० क० प०, हमीरपुर के शिकायती-पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1985 पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कथित शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

40- श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्ष बर्धन--

[दिनांक 8 अगस्त, 1985 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में
एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों
को यात्रा भत्ता की
धनराशि का भुगतान

41--श्री कार्श सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विगत 5 वर्षों में किन-किन एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को क्रमशः कितनी यात्रा भत्ता की धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 1984 तक भुगतान नहीं हो पाया था? क्या सरकार इस धनराशि का शीघ्र भुगतान करते हुये भविष्य में पर्वतीय क्षेत्र में इस भत्ते के शीघ्र निपटारे हेतु कोई ठोस नियम

बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद पिथौरागढ़ में विगत पांच वर्षों में दिनांक 31 मार्च, 1984 तक (1) डा0 एच0 सी0 पाठक तथा (2) ड0 रमेश चन्द्र को क्रमशः 1,722.00 रु0 तथा 191.90 रु0 के यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं हो पाया था। अब यह भुगतान दिनांक 19 दिसम्बर, 1984 तथा दिनांक 17 दिसम्बर, 1984 को कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में पहले ही नियम विद्यमान हैं, अतः पुनः नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सिविल अस्पताल, लिंज गंज, जनपद फर्रुखाबाद में शैय्याओं की वृद्धि का प्रस्ताव

42--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लिंजगंज, जनपद फर्रुखाबाद में इलाज हेतु आने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुये उक्त अस्पताल में शैय्याओं की वृद्धि करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? क्या उक्त अस्पताल में एक्सरे मशीन एवं दांतों के इलाज के उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उन्हें प्रयोग मे न लाने का क्या कारण है और सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

इस समय इस अस्पताल में शैय्या वृद्धि का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। इस अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं है। दंत विभाग में दंत चिकित्सक उपकरण सहित कार्यरत हैं।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रोशन लाल सक्सेना को सम्मानित न किये जाने का कारण

43--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुशमोरी, विकास खंड बांकेगंज, जिला लखीमपुर खीरी के निवासी श्री रोशन लाल सक्सेना पुत्र श्री उमराव लाल सक्सेना वृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं ? यदि हां, तो उनको आज तक सम्मानित न किये जाने का क्या कारण है ?

जेल एवं राजनैतिक पेंशन मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)--

श्री रोशन लाल सक्सेना पुत्र श्री उमराव लाल सक्सेना के स्वयं के कथनानुसार वह एक वृद्ध स्वातन्त्रता संग्राम सेनानी हैं। किन्तु उनका कथित नजरबन्दी की पुष्टि सरकारी अभिलेखों से नहीं हुई और न उन्होंने मान्य सहबन्दी प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये। अतः वह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में नहीं आते हैं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मेडल देकर सम्मानित किये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं की खरीद, खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

44--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मई, 1985 तक प्रदेश में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कुल कितना गेहूं खरीद गया ? शासन को इस खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इन

शिकायतों के निराकरण हेतु शासन ने क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये ?

श्री व सुदेव सिंह--

दिनांक 31 मई, 1985 तक मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी क्रय संस्थाओं द्वारा 16,88,113 मी0 टन गेहूं की खरीद की गयी ।

खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में सामान्य तौर से किसानों द्वारा लाये गये गेहूं को खरीदने में क्रय केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा टाल-मटोल किये जाने, उनसे अनुचित धन वसूलने, बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचने के लिये उन्हें बाध्य किये जाने, क्रय किये गये गेहूं के मूल्य का समय से भुगतान न किये जाने तथा कमीशन लेकर बिचौलियों से गेहूं क्रय किये जाने आदि की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ।

उक्त शिकायतों के निराकरण के लिए क्रय केन्द्रों के नियमित रूप से निरीक्षण करने, दोषी पाये गये स्टाफ के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने, क्रय केन्द्रों के सम्यक् संचालन सुनिश्चित करने, किसी भी हालत में बिचौलियों से गेहूं की खरीद न किये जाने, कृषकों को उनके द्वारा बेचे गये गेहूं के मूल्य को सुगमता से प्राप्त कराये जाने के उद्देश्य से यथासम्भव निकट के बैंक से चेक देने के आदेश दिये गये और यह सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये कि कृषकों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न न हो तथा उन्हें समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं बेचने हेतु बाध्य न होना पड़े । इसके अतिरिक्त प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी आदेश दिये गये ।

श्री एस0 पी0 सिंह, अध्यक्ष,
उ0 प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिक
संघ द्वारा कथित
शिकायती-पत्र

45--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-6-85 को श्री एस0 पी0 सिंह, अध्यक्ष, उ0 प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा कोई शिकायती-पत्र सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 शासन को दिया गया ? यदि हां, तो उसमें शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं, ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु उसकी प्रतिलिपि प्राप्त की गई है, जिसमें मुख्यतः निम्नांकित शिकायतें की गई हैं :--

(1) चिकित्सा शाखा एवं स्वास्थ्य शाखा में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जाना ।

(2) स्वास्थ्य शाखा के प्राविधिज्ञों को निःशुल्क आवास की सुविधा से वंचित रखा जाना जबकि चिकित्सा शाखा के प्राविधिज्ञों को यह सुविधा प्राप्त है ।

(3) उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार न किया जाना ।

स्वास्थ्य शाखा के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है । इन्हें आवासीय भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है । उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है, जिसे यथाशीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

एस0 बी0 डी0 अस्पताल,
सहारनपुर के स्थायी लेबो-
रेटरी सहायक श्री दयाराम
के बकाया भुगतान
के सम्बन्ध में
कार्यवाही

46--श्री किशन लाल दिलेर--

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे गुरुवार के अता0 प्र0

सं0 75 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाराम, स्थायी लेबोरेटरी सहायक, एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर के 28-6-77 से 15-11-81 तक के वेतन के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में श्री डी0 सी0 चन्दानी, एडवोकेट द्वारा 24-12-81 तथा श्री सुभाष चन्द्र जैन, एडवोकेट द्वारा 1-12-83 को शासन को कोई नोटिस दी थी ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र जैन, एडवोकेट का धारा 80 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत श्री दयाराम, लैब अटेन्डेन्ट की ओर से नोटिस दिनांक 7-12-83 प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर द्वारा सुभाष चन्द्र जैन को दिनांक 21-1-84 को दे दिया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 25-9-81 का सन्दर्भ था । श्री दयाराम ने अपनी सेवा सम्बन्धी मामले में उक्त अधिकरण के समक्ष दावा दायर किया था । श्री दया राम को अधिकरण के निर्णय के अनुसार दिनांक 2-7-77 से 7-5-78 तक के अवकाश का वेतन का भुगतान किया जा चुका है । शेष अवधि दिनांक 8-5-79 से 15-11-81 तक का बगैर वेतन अवकाश स्वीकृत कर सेवा को नियमित कर दिया गया है ।

चिकित्सा विभाग में कार्यरत अप्रशिक्षित लैब असिस्टेंट को देय वेतनमान

47--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत अप्रशिक्षित लैब असिस्टेंट जिनकी शिक्षा जूनियर हाई स्कूल है तथा सेवाकाल 7 वर्ष हो चुकी है, को प्रशिक्षित लैब असिस्टेंट के समान वेतनमान दिया जाने लगा है ? यदि हां, तो 14 वर्षों से फार्मेसिस्ट एवं स्टाफ नर्स के पदों पर कार्य कर रहे प्रशिक्षित मेडिकल अटेंडेंट को उन्हीं पदों का वेतनमान या पदोन्नति क्यों नहीं प्रदान की जाती है जिन पदों की अपेक्षा में इसका स्थायीकरण किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

जहां तक मेडिकल अटेंडेंट को फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नत करने एवं उनका वेतनमान देने का प्रश्न है, वे डिप्लोमाधारी नहीं हैं और मेडिकल अटेंडेंट फार्मेसी ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार उन्हें फार्मेसिस्ट के पद पर प्रोन्नत नहीं किया जा सकता । जहां तक नर्सों के पद पर प्रोन्नत करने और उनका वेतनमान देने का प्रश्न है मेडिकल अटेंडेंट सामान्य नर्सेज ट्रेनिंग तथा मिडवाइफरी का प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण उन्हें नर्सेस सम्वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

राजकीय क्षय रोगाश्रम भुवाली, नैनीताल में कार्यरत श्री आर0 पी0 शुक्ला को प्राविडेन्ट फंड की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

48--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान राजकीय क्षय रोगाश्रम, भुवाली, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण किये जाने के पूर्व जब वह एक निजी ट्रस्ट था उस समय कार्यरत स्टाफ नर्स (श्री आर0 पी0 शुक्ला) द्वारा प्राविडेंट फंड के रूप में अपने वेतन का जो भाग

जमा कराया गया था तथा ट्रस्ट के प्रान्तीयकरण होते समय वह रुपया नैनीताल ट्रेजरी में जमा कर दिया गया, वह रुपया राजकीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी अब तक श्री शुक्ल को क्यों नहीं दिया गया है इसे कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

श्री आर० पी० शुक्ला क्षय रोगाश्रम, भुवाली, जिला नैनीताल में दिनांक 7-4-43 से 24-4-50 तक कार्यरत थे। इस अवधि में यह क्षय रोगाश्रम एक ट्रस्ट के अधीन कार्यरत था। श्री शुक्ला के वेतन से दिनांक 1-4-44 से 14-2-48 तक कुल रु० 353.75 की प्राविडेंट फंड के रूप में कटौती की गयी थी जिसे दिनांक 2-3-50 को नैनीताल ट्रेजरी में जमा किया गया था। श्री शुक्ला को उक्त धनराशि शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

मेसर्स छोटे लाल जय प्रकाश, लाइसेंसी, जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर के यहां तत्कालीन खाद्य मंत्री के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मारा गया छापा

49—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स छोटे लाल जय प्रकाश लाइसेंसी जहांगीराबाद के यहां तत्कालीन खाद्य मंत्री जी ने उच्च अधिकारियों के साथ छापा मारकर अवैध सामग्री बरामद करके प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 1984 में दर्ज कराई थी ? क्या यह भी सही है कि लाइसेन्स प्राधिकारी ने लाइसेन्स निलम्बित करते समय समस्त बरामद स्टाक फर्म के हक में रिलीज कर दिया जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए के अन्तर्गत उन्हें अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मेसर्स छोटे लाल जय प्रकाश, लाइसेन्सी, जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर के यहां छापा मार कर अवैध सामग्री बरामद करके प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 1984 में दर्ज करायी गयी थी।

जी नहीं। निरीक्षण के समय जो स्टाक सीज्ड किया गया था वह एक अन्य व्यक्ति श्री जगदीश प्रसाद को सुपुर्दगी में दिया गया था जिस पर निरीक्षणकर्त्ता द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दिनांक के बाद से लाइसेन्स निलम्बित होने की तिथि तक संचित अन्य स्टाक के निस्तारण के आदेश लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा पारित किये गये थे। अतः इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

जनपद आगरा में कार्ड धारक की मृत्यु के बाद भी राशन लेने एवं अन्य अनियमितताओं की जांच

50—श्री विजय सिंह राणा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राशन कार्ड नं० 867394 के सन्दर्भ में कार्ड धारक की मृत्यु के बाद भी 4 वर्ष तक राशन लेने एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह को संसद सदस्य श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री के पत्र संख्या यू० एम० 94/84-85/833, दिनांक 31-

8-94 के द्वारा शिकायत भेजी गयी थीं ? यदि हां तो पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। प्रश्नगत पत्र तत्कालीन खाद्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था, जिस बारे में संभागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा से जांच करायी गयी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक आगरा ने श्री प्रणवीर शर्मा, जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी थी, पुलिस अधीक्षक (नगर) आगरा के माध्यम से कई बार बुलाया लेकिन उक्त श्री प्रणवीर शर्मा साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ने शिकायतकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर शिकायत को सही प्रतीत होना पाया है। इसी सम्बन्ध में इस जांच से पूर्व एक जांच जिला स्तर पर स्थानीय अभिसूचना ईकाई (एस0 आई0 यू0) द्वारा भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(12 बजकर 20 मिनट)

भूतपूर्व सदस्य एवं सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हबीबुर्रहमान अंसारी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ सम्मानित सदन को सूचित करने का दायित्व निभाना है कि सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हबीबुर्रहमान अंसारी साहब का निधन दिनांक 10 नवम्बर, 1984 को देहली में हो गया और उनके पार्थिव शरीर को बांगरमऊ, जिला उन्नाव में दफनाया गया। श्रीमन्, हबीबुर्रहमान अंसारी जी न केवल उन्नाव जनपद के बल्कि प्रदेश के जाने-माने नेता थे और जिस प्रकार से उन्होंने बुनकर बिरादरी को नेतृत्व प्रदान किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जो योगदान उन प्रारम्भिक वर्षों में हैंडलूम सेक्टर के नियोजन और उनके कार्यान्वयन के लिये दिया वह भी चिरस्मरणीय रहेगा। उस समय विभाजन के पूर्व, श्रीमन्, मुझे वह दिन याद है जबकि वह इलाहाबाद के उस प्रख्यात राष्ट्रवादी सम्मेलन में एकत्र हुये थे और राष्ट्रवादी शक्तियों का डटकर समर्थन किया था। वह बड़े कठिन दिन थे, उस समय उनकी ओजस्वी वाणी मुझे भलीभांति याद है। सन् 1948 में लखनऊ और उन्नाव ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से वह चुने गये और 1952 में सफीपुर, उन्नाव जिले से पुनः निर्वाचित हुये। श्रीमान्, एक ऐसे पुराने देश सेवक एवं बनकरों व दबे हुये वर्ग के नेता के निधन से जो क्षति हुयी है वह अपूर्णनीय है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन की ओर से, हमारे दल की ओर दिवंगत आत्मा के परिवार को संवेदना का हार्दिक संदेश देने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय, स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अंसारी उन्नाव जनपद के रहने वाले थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वह बड़े समाजसेवी थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और बुनकरों की बहुत बड़ी सेवा की। उनके निधन से उन्नाव जनपद ने एक समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। माननीय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके पारिवारिक जनों तक मेरी और मेरे दल की ओर से संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री मैनजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अंसरी के निधन से बुनकर जगत का एक मसीहा उठ गया। मैंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वयं देखा था कि किस प्रकार से वह बुनकर भाइयों की समस्याओं में बराबर लगे रहते थे। ऐसे एक समाजसेवी के निधन से प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। जो विचार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने आपको और दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से और हमारी दल की ओर से संवेदना संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, हबीबुर्रहमान अन्सारी के सम्बन्ध में जो भावनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मैनेजर सिंह ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। निश्चित तौर पर अन्सारी साहब बुनकरों की समस्याओं को लेकर सदा जूझते रहे। एक प्रकार से वह बुनकरों के मसीहा थे। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कड़ी के रूप में अन्सारी साहब हमारे बीच से उठ गये। उनके निधन से हम सभी दुःखी हैं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अन्सारी के निधन से मुझे और मेरे दल के सभी लोगों को दुःख है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना संदेश शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा कर।

श्री कौशिक रमशंकर—

मान्यवर, स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अन्सारी जी के निधन पर जो भावनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मैनेजर सिंह, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, माननीय स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अन्सारी के संबंध में माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं। माननीय हबीबुर्रहमान अन्सारी बुनकरों के मसीहा थे। उनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आग्रह करता हूं कि मेरी ओर से मेरी पार्टी की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार तक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अंसारी साहब के निधन पर माननीय नेता सदन न, माननीय नेता विरोधी दल ने और दूसरे माननीय नेताओं ने जो भावनाएं, अपना शोकोद्गार व्यक्त किया है, उसमें मैं भी व्यक्तिगत रूप से अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बुनकरों के बीच में संघर्ष करने वाले एक मसीहा संसार से बिदा हो गये। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय हबीबुर्रहमान अन्सारी साहब ने बुनकरों के लिए जो किया वह शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने किया हो। वह पुराने आजादी के सिपाही थे, इस सदन के सदस्य रहे। जो हमारे नेता सदन, नेत विरोधी दल और अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और आप सबकी ओर से उनके परिवार तक संवेदना [illegible] दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट के लिए मौन खड़े हों।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

ग्राम मझगवां, निवासी श्री सूर्यबली सिंह का, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की जी0 आर0 पी0 द्वारा पिटाई में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें से नौ सूचनाओं को स्वीकार किया है। जिनके नाम इस प्रकार हैं, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री कल्लू राम रत्नाकर, श्री राम कृष्ण, श्री चेतराम, श्री बदन सिंह, श्री दीप नारायण, श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नांकित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 7 अगस्त, 1985 की रात लगभग 8 बजे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर जिला मिर्जापुर के थाना चिल्ह के अन्तर्गत ग्राम मझगवां निवासी 26 वर्षीय नौजवान सूर्यबली सिंह को जी0 आर0 पी0 के पुलिस कर्मियों ने पकड़कर उसका दो हजार रुपया, एक घड़ी व एक तोले की जंजीर छीन ली तथा [illegible] से निर्ममता पूर्वक पिटाई [illegible] बरहमी से बुरी तरह [illegible] का। मारपीट की [illegible] चोटग्रस्त सूर्यबली सिंह [illegible] हालत जब बिगड़ने लगी तो 7/8 अगस्त की रात्रि को ही तीन बजकर पचपन मिनट पर जी0 आर0 पी0 वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया। 8 अगस्त अपरान्ह साढ़े तीन बजे उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी।

मृतक के भाई श्री शिवबली सिंह ने तार द्वारा जिलाधिकारी मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक को घटना की रिपोर्ट की है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्र में तनाव व जनता में क्षोभ व्याप्त है। दूसरी ओर जी0 आर0 पी0 वाले अपनी खाल बचाने के लिए मामले की लीपा-पोती करने की कोशिश कर रहे हैं।

अतएव लोकमहत्व की इस घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि घटना क्रम की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा इस हत्या किये जाने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

नगवा व चोपन, मिर्जापुर में कर्मनाशा व कनहर नदियों पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कल्लूराम रत्नाकर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद मिर्जापुर के नगवा एवं चोपन क्षेत्र से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मनाशा एवं कनहर नदी गुजरती हैं इन नदियों में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण हजारों व्यक्ति बेघरबार हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं । इन नदियों पर कोई पुल नहीं है जिससे इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है । लगभग हमेशा एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी में होकर आना जाना पड़ता है । जिससे नगवा एवं चोपन ब्लाक का राबर्ट्सगंज एवं मिर्जापुर शहर से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है । इस क्षेत्र में शिक्षा चिकित्सा एवं यातायात की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है । सरकार को लाखों रुपये का हर वर्ष अनुदान देना पड़ता है । उपरोक्त समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जबकि कर्मनाशा एवं कनहर नदी पर ग्राम कोटा एवं ग्राम पकरहट के पास पुल का निर्माण करा दिया जाए । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थान पर पुल का निर्माण हो रहा था । लेकिन किसी कारणवश उसे रोक दिया गया है । पुलों का निर्माण शीघ्र करा दिया जाय ताकि क्षेत्र की जनता की परेशानी दूर हो सके ।

अस्तु, उपरोक्त समस्याओं को सदन के संज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि समस्याओं का समाधान करके सदन को सूचित करेंगे ।

सीतापुर में हरिजन छात्रावास की दुर्व्यवस्था एवं राजकीय धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामकृष्ण—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने जनपद सीतापुर के हरिजन छात्रावासों की दुर्व्यवस्था एवं राजकीय धन के दुरुपयोग की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । शासन की ओर से छात्रावासों की व्यवस्था एवं संचालन हेतु दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग एवं वर्तमान अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनेक बार छात्रों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किये जाने पर भी न तो कोई कार्यवाही की गई न वर्तमान अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाया गया है । श्री परागी लाल चौधरी छात्रावास, दुर्गापुरवा, सीतापुर को अध्यक्ष द्वारा किराये पर उठा दिया गया है, जिसका किराया अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जा रहा है । दूसरी बिल्डिंग किराये पर लेकर छात्रावास चलाया जा रहा है ।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले की ओर शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप करके परागीलाल चौधरी छात्रावास को मुक्त कराने एवं अध्यक्ष द्वारा राजकीय अनुदान के दुरुपयोग की जांच कराने की कृपा की जाए ।

ब्लाक खुटार, जनपद शाहजहांपुर में सिमरा बीरान की भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम—

माननीय अध्यक्ष जी, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक खुटार ग्राम सभा टाह के ग्राम सिमरा वीरान, में एक गऊ सदन काफी अरसे से चल रहा है । इस गऊ सदन के नाम लभ भ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

400 एकड़ उपजाऊ भूमि है, जिससे लाखों रुपये की आमदनी होनी चाहिए किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली लोगों ने पशुधन विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की सांठ-गांठ से उक्त भूमि पर अनाधिकार कब्जा कर रखा है तथा गोसदन की सम्पत्ति को खाकर मौज उड़ा रहे ह ।

गोसदन में सभी गायें गायब हैं यहां तक कि गोसदन के भवन की ईंट भी उखाड़ कर लोग अपने घरों को ले गये हैं इससे क्षेत्र की जनता में भीषण असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है ।

मेरी जानकारी में आया है कि लोग इस गोसदन की भूमि को फर्जी सोसायटी बनाकर हड़पना चाहते हैं ।

अतएव लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर मौके की तत्काल स्थलीय जांच एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं ।

तहसील किरावली, आगरा की भूमि के अनेक फर्जी इकरार नामें व फर्जी बनामों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आजकल फर्जी इकरारनामें व बैनामों की भरमार हो रही है । इस तहसील के अखबाई, बसैया, चैकोरा, दुलहारा, टोकरी, और जाजऊ के असहाय लोगों की भूमि फर्जी भूमि विक्रेता खड़े करके शक्तिशाली लोगों द्वारा इकरारनामा और बैनामा करा लिये गये हैं जिससे वास्तविक भूमि स्वामी भूमिहीन बन गये हैं । इन असहायों को अपनी भूमि का पैसा भी नहीं मिला है और शक्ति के बल पर जबरदस्त लोगों ने इनकी भूमि छीन ली है । उनके बच्चे और वे स्वयं असहाय स्थिति में दर-दर घूम रहे हैं और पूरी तहसील के लोगों में यह संकट उत्पन्न हो गया है कि कहीं कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनकी भूमि बैनामा न करा ले । इससे उत्पन्न स्थिति ने तहसील किरावली के लोगों में खलबली मचा दी है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तहसील किरावली के सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय और समस्त फर्जी इकरारनामें और बैनामे को रद्द कर दिये जायं ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में फर्जी बैनामों का दौर चल रहा है । भूमि बिक्रीकर्ता का फोटो लगाने का प्राविधान होना चाहिये ।

थाना देवगांव, आजमगढ़ की पुलिस के बर्बरतापूर्ण रवैये एवं अराजक तत्वों से सांट-गांठ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

महोदय, सन् 1983 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्मगलर सोहराब व रियाज आदि ग्राम बैरीडीह, थाना देवगांव, आजमगढ़ की पुलिस ने डा0 शाहिद, इम्तियाज अहमद और इजहारुल हक ग्राम बैरीडीह के सहयोग से पकड़ा और डा0 शाहिद आदि को भारत सरकार की ओर से 5,000 रु0 का इनाम भी मिला इसी दुश्मनी से सोहराब आदि ने मनिराम नाम के हरिजन को गायब करके डा0 शाहिद आदि पांच आदमियों को सन् 1984 में दफा 364 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत फंसाना चाहा, परन्तु पुलिस ने उक्त हरिजन को ढाई महीने बाद बरामद करके तथा उससे बयान

लेकर डा0 शाहिद आदि को छोड़ दिया और सोहराब आदि के ऊपर मुकदमा चलाया ।

इसी सोहराब आदि ने बैरीडीह, गौसपुर, तरगहना, नूरपुर, इस्माइलपुर आमा महुआ आदि गांवों की लगभग 200 एकड़ गांव सभा की भूमि फर्जी लिखा लिया था । जिसका पर्दाफास डा0 शाहिद आदि ने किया जिसका मुकदमा विचाराधीन है ।

इस समय ऐसे भ्रष्ट स्मगलर सोहराब आदि को थाना देवगांव के नायब थानेदार श्री एस0 बी0 सिंह और सी0 ओ0 (श्रीवास्तव) का संरक्षण प्राप्त है । जो साधारण झगड़ा में डा0 शाहिद के वृद्ध पिता को पकड़कर बुरी तरह पीटा और चालान कर दिया तथा डा0 शाहिद आदि को जान से मारने की तलाश कर रहे हैं ।

अतः इस मामले की सी0 बी0 आई0 से जांच कराते हुये ऐसे पुलिस अधिकारियों के साथ कठोर कार्यवाही की जाय और डा0 शाहिद आदि की जानमाल की रक्षा की जाय ।

सदर तहसील, वाराणसी में निर्माणाधीन शारदा सहायक नहर व ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प नहर का अपूर्ण कार्य होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय, वाराणसी जनपद के सदर तहसील वाराणसी क्षेत्र में लगभग 12 वर्षों से निर्माणार्धीन शारदा सहायक नहर व ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने से एवं किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध न होने से हजारों एकड़ भूमि पर कृषि न होने से किसानों में क्षोभ व्याप्त है ।

उपरोक्त नहरों का निर्माण कार्य लगभग 12 वर्षों से शुरू है किन्तु नहरों के पूरा न होने से किसानो को इन नहरो से सिंचाई के लिए आज तक पानी उपलब्ध नहीं कराया गया । किसानों की उपजाऊ जमीन ले ली गयी, उन्हें उसका ठीक से मुआवजा भी नहीं मिला । नहरों के कारण उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूप भी सरकार की ओर से नहीं लगाये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है । हजारों-हजार किसानों को अपूर्णीय क्षति हो रही है और उनके परिवार अत्यन्त दुखी हैं, उनकी आर्थिक हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी है ।

इस संदर्भित नहरों के निर्माण न होने से किसानों में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से इन नहरों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और किसानों को जलापूर्ति करने की आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

कोतवाली खलीलाबाद, बस्ती के पुलिस कर्मियों की बर्बरत पूर्ण रवैये एवं अत्याचार से जनजीवन क्षुब्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

महोदय, बस्ती जिले में स्थित खलीलाबाद कोतवाली के कोतवाल तथा उनकी अधीनस्थ पुलिस के अत्याचारों से जनता में भारी भय, आतंक तथा असंतोष व्याप्त है । स्थानीय इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री शिवेन्द्र सिंह के पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह को खलीलाबाद कोतवाली के एक पुलिस अधिकारी ने 24 जुलाई को कालेज के सामने अकारण केवल अपना दबदबा जमाने के लिए बुरी तरह

से खुले आम मारा। खलीलाबाद की पुलिस ने मजदूर नेता श्री बी0 के0 सिंह तथा पत्रकार एवं बुनकर नेता श्री अब्दुल मजीद अन्सारी को खुले आम मारा-पीटा है। परन्तु सर्वाधिक शर्मनाक काण्ड जो खलीलाबाद कोतवाली की पुलिस नें किया वह यह है कि दिनांक 15 मई, 1985 को पुलिस दो युवकों सर्वश्री जगदीश तथा राजू को घर से पकड़ कर कोतवाली ले गयी। उनको कोतवाली में रात भर डंडों, लातों और घूसों से मारा गया। पुलिस की मार से दोनों ने खून की उलटियां की। दिनांक 16 जून, 1985 की प्रातः उनके सिर, भौंहों, दाढ़ी और मूंछ के बाल छिलवाकर मुंह में कालिख और चुन पोत कर नग्न बदन खलीलाबाद की सड़क पर घुमाया गया और फर्जी मुकदमा बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। परन्तु खेद है कि आज तक वे सभी पुलिस अधिकारी न तो वहां से हटाये गये हैं और न उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुयी है। जिसके कारण जनता में भय, आतंक और असंतोष का वातावरण व्याप्त है। यह स्थिति किसी भी समय जनता और पुलिस के बीच बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है।

अतः में आदरणीय सदन को इस स्थिति से अवगत कराते हुए शासन से मांग करता हूं कि वह खलीलाबाद कोतवाली के कोतवाल सहित सभी पुलिस अधिकारियों को तत्काल स्थानान्तरित करके तीनों घटनाओं की जांच करायें।

जालौन तथा इटावा जनपद में अराजक तत्वों द्वारा बसों की लूट तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा--

महोदय, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद जालौन के अन्तर्गत यादव ट्रान्सपोर्ट की बस नं0 यू0 टी0 के0 1763 जनपद इटावा में औरैया से उरई के लिए दिनांक 4 अप्रैल, 1985 को जा रही थी। 7-45 बजे शाम को खनपुर गाँव के पास उक्त बस को दीपू सहित 4 अन्य निवासी भदेख, थाना कुठौंद, जिला जालौन के आतताई गुण्डे जबरदस्ती ले जाकर ग्राम भदेख के पास फूंक दी, जिसकी रिपोर्ट थाना कुठौंद में दर्ज करा दी गयी थी और गुण्डों को जेल जाना पड़ा। उक्त गुण्डे जब अपनी जमानत पर छूट कर आये तो पुनः दूसरी बस नं0 यू0 टी0 के0 2568, दिनांक 20 जून, 1985 को उरई से औरैया जा रही थी उक्त भदेख गांव के पास नैनापुर बस स्टाप पर कन्डक्टर ड्राइवर को रिवाल्वर दिखाकर सारा रुपया लूट लिया गया और धमकी दी कि यदि पिछला मुकदमा वापस न लिया तो जान से मार दूंगा और सारी बसें फूंक देंगे। इस घटना की भी रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज है लेकिन राजनतिक प्रभाव के कारण थाने की पुलिस तथा प्रशासन बिल्कुल मौन है जिससे इस गंभीर घटना से जनपद इटावा तथा जनपद जालौन की जनता में भारी रोष तथा भय व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि कृपया इस गम्भीर घटना की जांच कराते हुए गुण्डों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करें। शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें पहली---कौशिक रमाशकर जी की,

दूसरी---माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय किरनपाल सिंह जी की,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी--माननीय शतरुद्र प्रकाश और माननीय सुखपाल पाण्डेय जी की,

चौथी--माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी की,

पांचवीं--माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की,

छठीं--माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की,

सातवीं--माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की और

आठवीं--माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय गोविन्द चौधरी, माननीय गौरी भइया, माननीय हर्षवर्धन तथा माननीय शर बहादुर सिंह जी की है।

बजट सत्र के दौरान नोटिफिकेशन के जरिये से इन्डस्ट्रियल अलकोहल पर बैंड फीस बढ़ाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, 16 अगस्त, 1985 को मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न में मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि 12 जुलाई से बजट सत्र चल रहा है। 12 जुलाई को बजट पेश हो गया उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई को एक नोटिफिकेशन के जरिये से बैन्ड फीस, इन्डस्ट्रियल अलकोहल पर बढ़ा दी। उस पर आपकी व्यवस्था से पूर्व माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने तथाकथित तथ्य रखते हुए कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बैंड फीस के सम्बन्ध में बताया था। माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में जिन बातों का जिक्र, आबकारी विभाग में, किया गया है उसमें उस बैंड फीस के प्रश्न पर कोई बात नहीं रखी गयी है। मान्यवर, एक्साइज ड्यूटी और बैंड फीस इन दोनों में फर्क है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब है जो अपने प्रदेश में पदार्थ बनते हैं उस पर उत्पादन और खपत का कर और बैन्ड फीस का मतलब है बेचने का कर। मान्यवर, इन्डस्ट्रियल अलकोहल के सम्बन्ध में जो बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी वह यह थी कि उसे इन्डस्ट्रियल अलकोहल पर जो हम अपने प्रदेश से बाहर भेजते हैं, उसकी फीस को हम बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, मेरा वह प्रश्न था ही नहीं। मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि बैंड फीस बढ़ाई गई और वह इन्डस्ट्रियल अलकोहल पर बढ़ाई गई जो हम अपने ही प्रदेश में खर्च करने वाले हैं। जब बजट सत्र चल रहा है तो उस मौके पर नोटिफिकेशन के जरिये से किसी भी कर को बढ़ाने की व्यवस्था करना जिससे राजस्व पर असर पड़ता हो, गैर कानूनी, असंवैधिक तथा संसदीय परम्पराओं एवं आचरण के विरुद्ध है और परम्पराओं के प्रतिकूल है। आपने अपनी व्यवस्था में बताया कि दिनांक 22 फरवरी, 1983 को लोक सभा अध्यक्ष ने इसे गैर कानूनी नहीं माना है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दिनांक 22 फरवरी, 1983 की पूरी की पूरी कार्यवाही, जो लोक सभा के द्वारा प्रकाशित हुई है लोक सभा डिबेट्स उसको मैंने देखा, उसमें कहीं भी ऐसी व्यवस्था का जिक्र नहीं है। दिनांक 23 फरवरी, 1983 की कार्यवाही को पढ़ने से जरूर मालूम होता है कि यह विषय जो उठा था--22 तारीख को उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष लोक सभा ने कुछ आब्जरवेशन किया। मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन है कि एक तो आपकी जो व्यवस्था हुई है उसमें किसी ऐसी बात का जिक्र होना चाहिये, जो वास्तव में दस्तावेजों से साबित होती हो। इसमें मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 22 फरवरी 1983 के साथ-साथ 23 फरवरी, 1983 की कार्यवाही को भी देखने का कष्ट करें। उसी से संदर्भ स्पष्ट होता

है । वैसे यह बात सही है कि 22 फरवरी, 1983 को कुछ लोक सभा के माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि सेशन के समय नोटीफिकेशन के जरिये से जो पैट्रोलियम उत्पाद के दाम बढ़ाए गए हैं, वह अनुचित है और गलत है । उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए 23 तारीख को प्रोफेसर मधु दण्डवते न कहा--(कृपया लोक सभा डिबेट्स दिनांक 23 फरवरी, 1983 का पेज 305 देखें)

"सर यू हैव आलरेडी काल्ड मी सो दैट आई फुड मेक माई सबमीशन । सर ए बेरी इम्पार्टेन्ट इस्यू इज बिईंग रेज्ड । आई हैव गिवेन ए नोटिस एन्ड आई हैव वाइन्टेड आउट टू यू दैट जस्ट आन दि इव आफ दि लोक सभा बजेट सेसन, दि मिनिस्टर फार पेटरोलियम हाइड दि प्राइसेज आफ पेटरोलियम प्राडेक्ट । बाई डोण्ट यू से दैट इट इज ए ब्रीच आफ प्रविलेज आर एट लीस्ट इट इज ऐन इम्प्रोप्राइटी ।

मान्यवर, मैं इसका अनुवाद कर देता हूं । प्रोफेसर मधु दण्डवते ने कहा "मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने के लिए आपने पहले ही बुला लिया है । श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया जा रहा है मैंने उस पर सूचना दे रखी है और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि लोक सभा के बजट सत्र से ठीक पहले मन्त्री महोदय ने पेट्रोलियम उत्पादकों का मूल्य बढ़ा दिया है । आप मान्यवर, क्यों नहीं स्वीकार करते कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है या कम से कम अनुचित इम्प्रोप्राइटी तो है ही ।"

मान्यवर, इस पर माननीय अध्यक्ष लोक सभा ने कहा "आई हैव आलरेडी सेड दैट । यानी "मैं तो इसे पहले ही कह चुका हूं ।" इसके बाद श्री इंद्रजीत गुप्त और श्री अटल बिहारी बाजपेयी आदि और सदस्य भी बोले । श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा "दे आर क्लासिकी आफ कान्टेम्प्ट आफ पार्लियामेन्ट । दे आर नाट प्रिपेयर्ड टु फालो दि पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर" ।

मान्यवर, मैं इसका अनुवाद कर दूं । मान्यवर, उन्होंने कहा कि यह पार्लियामेन्ट का जो प्रोसीजर है, उसको अपनाना नहीं चाहते और यह पार्लियामेन्ट की अवमानना कर रहे हैं । श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने आगे कहा कि "अन्यथा अपोजीशन को यह करना पड़ेगा कि जब वह रखेंगे, तब उसको फिजिकली प्रिवेन्ट करेंगे ।"

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "यह तो आप देख लें । मैं मानता हूं कि यह प्रोप्राइटी नहीं है । आप रूल बदल दीजिए ।" फिर आगे कहते हैं कि "मैं यही कह सकता हूं कि जो इनफ्रिजमेंट करे, तो उसके खिलाफ प्रिवलेज कर दें । लेकिन जहां प्रिवलेज बनता ही नहीं, अगर कोई इम्प्रोप्राइटी करे, मेरी बात को नहीं माने, तो मैं मना नहीं कर सकता ।" मान्यवर, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि यह प्रिवलेज का प्रश्न नहीं बनता, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन इम्प्रोप्राइटी जरूर है । इम्प्रोप्राइटी का मतलब है असभ्य, अश्लील और अयोग्य । मैं नहीं कहता कि आप इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करें । आप इसको संसदीय दुराचरण कह सकते हैं । फिर हमारे यहां की और केन्द्र की परिस्थिति में अंतर है । हमारे यहां बजट शुरू हो गया था, उनके यहां शुरू होने वाला था । यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी वित्त मन्त्री की हैसियत से बजट भाषण दे चुके थे । बजट प्रस्तुत किया जा चुका था । तो मेरा निवेदन है कि जब आपने लोक सभा की कार्यवाही का हवाला दिया है तो वहां के अध्यक्ष महोदय ने जो कहा कि यह प्रिवेलेज का प्रश्न नहीं बनता, यह गैरकानूनी नहीं है । मान्यवर, मैं यह मानें लेता हूं । जो आपकी व्यवस्था है लेकिन मान्यवर, मेरा निवेदन इतना जरूर कि हमारे यहां परिस्थितियां कुछ और

थीं। नोटिफिकेशन के जरिये से किसी प्रकार का कार्य, जिससे राजस्व पर प्रभाव पड़ने वाला हो, करना ही नहीं चाहिये था। मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि इम्प्रोप्राइटी शब्द जोड़ दें। जिसका मतलब अयोग्य, असभ्य, अश्लील होता है, अगर ऐसा न कर सकें, तो संसदीय दुराचरण ही कर दें। मान्यवर, आपकी रूलिंग आज के लिए नहीं है यह भविष्य के लिए भी है। एक ऐसे दस्तावेज के रूप में है जो संसदीय कार्यों में मार्गदर्शन का कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी ने एक बिन्दु उठाया, उसमें कई रिफरेंस भी दिये हैं, मैं इसपर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। बाद में इस पर रूलिंग दूंगा।

(श्री नारायन दत्त के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अब तो निर्णय सुरक्षित कर दिया माननीय अध्यक्ष ने।

मुख्य मन्त्री(श्री नारायन दत्त)--

अगर सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि एक ही पक्ष के लोग अपनी बात कहें, तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष--

नेता सदन, आपको सुनने के बाद मुझे सहायता मिलेगी निर्णय लेने में।

श्री नारायन दत्त--

मान्यवर, वैसे तो सम्मानित सदस्य हसनपुर ने बड़ी मेहनत की है। तमाम उद्धरण भी दिये। इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अच्छी बात है। लेकिन, जो चीज थी इम्प्रोप्राइटी अगर हम उसका अनुवाद करें तो असभ्य, अश्लील उसका अर्थ शायद नहीं होता है। इम्प्रोप्राइटी के माने यह कहा जाता है कि जो प्रापर नहीं है, उचित नहीं है। इन्होंने असभ्य, अश्लील पता नहीं किस शब्द कोष से देखा है। वह जो डिक्शनरी है अर्थ का अनर्थ करती है। मान्यवर, सम्मानित सदस्य शासन में रहे हैं और जहां तक मुझे याद है वे ही संसदीय कार्यों का जवाब देते रहते हैं दो ढाई साल। जब कभी किसी भी शासन को कोई भी कर वगैरह लगाता होता है, संसाधन बढ़ाने का प्रस्ताव करता है तो उसका एक कर्तव्य यह भी होता है कि जो प्रस्ताव कर दिया उसके आधार पर नियमन भी करे ताकि वसूली भी हो। और सदन का भी यह दायित्व होता है कि शासन के प्रस्तावों पर विचार करे। श्रीमन्, इसलिए जो कराधान विधेयक लाया जाता है, एक-आध लाये भी गये हैं, अधिकार देने का प्रस्ताव लाया जाता है, जिनको घोषित किया जा चुका है, अब इसमें नोटीफिकेशन करने का अधिकार पहले से ही शासन को कानून के अन्तर्गत मौजूद है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी ने उस दिन उस विधेयक की धारा का हवाला दिया कि फलां-फलां विधेयक की इस धारा का नोटीफिकेशन सदन की मेज पर रख रहे हैं मान्यवर' शासन का कोई प्रस्ताव है, अगर उसका नोटीफिकेशन न रखा जाय तो वह इम्प्रोप्राइटी व गलत होता है। नोटी-फिकेशन रख दिया गया, जो कर्तव्य था शासन का, वह पूरा हुआ। उस घोषणा का कि क्या-क्या करेंगे उसका उसमें संकेत था, जो कदम उठाये जायेंगे, वह सदन के सामने आयेंगे। मान्यवर, अब आबकारी की आमदनी बढ़ जाय, मेरे विचार से सिद्धांत: सम्मानित सदस्य इसके विरोधी नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अगर उनको इसमें कुछ गलत लगता हो, तो वह हमें बता दें, उसमें हम सुधार कर लेंगे। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबध है, शासन को पूरा अधिकार है। अधिनियम की धारा के अन्तर्गत नोटीफिकेशन किया गया और यहां पर वह प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव करना है तो सदन से तो आग्रह करना ही पड़ेगा। इसी बीच में हम

सदन में 24 तारीख के पहले या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में इसका विधेयक भी रख देंगे ।

राज्य मन्त्री श्री प्रवीण कुमार शर्मा के प्रस्तावित विदेश दौरे तथा मन्त्रि परिषद् के आदेशों का अधोनस्थ कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, भारतीय संविधान के प्राविधान के मुताबिक राज्य मंत्रि मण्डल राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनके बारे में सदन की उत्सुकता का होना स्वाभाविक हो जाया करता है । मंत्रि परिषद् का अगर कोई सदस्य विदेश दौरे पर जाये और वह किसी माननीय सदस्य के संज्ञान में आ जाये तो सदन की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है । जो स्वाभाविक भी है । मुझे जानकारी मिली है कि मंत्रि परिषद् का एक सदस्य विदेश दौरे पर जाने वाला है इसमें कई देशों का दौरा है । उनके साथ उनकी पत्नी और दो आई0 ए0 एस0 अधिकारी भी जा रहे हैं । इसमें जो देश हैं वे बगदाद, अल्जीरिया, कैरो, और कुवैत है । मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्र सरकार ने इस पर आपत्ति लगा दी थी और कहा था कि लोग हज पर जाने वाले हैं ।

यहां पर ब्रिज कारपोरेशन के जरिये से इन उक्त देशों को टेलेक्स भेज दिया गया था । वहां पर भारतीय राजदूत ने उत्तर प्रदेश शासन से और ब्रिज कारपोरेशन से जानकारी चाही कि मंत्री जी यहां पर किस सिलसिले में आना चाहते हैं । इसका जवाब यहां से दिया गया कि मंत्री जी वहां पर काम की खोज में आना चाहते हैं । जब यह उत्तर यहां से चला गया तो वहां से फिर एक टेलेक्स यहां आया जो प्रबन्ध निदेशक, ब्रिज कारपोरेशन का प्राप्त हो गया । उसमें साफ लिखा गया था कि अगर वह काम के सिलसिले में आना चाहते हैं तो न आये, वैसे घूमने के लिए आने वाले हैं तो आयें । मंत्रि परिषद् का वह सदस्य 9 सितम्बर को दिल्ली से बगदाद जायेंगे, 13 सितम्बर को बगदाद से अल्जीरिया जायेंगे, 15 सितम्बर को अल्जीरिया से कैरो जायेंगे 18 सितम्बर को कैरो से कुवैत जायेंगे, और 20 सितम्बर को कुवैत से बम्बई जायेंगे । इस प्रकार यह 10-12 दिन का दौरा होगा । मैं समझता हूं कि अगर कोई काम न हो तो लाखों रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस दौरे का क्या प्रयोजन है मन्त्री परिषद् के सदस्य स्वयं बतायेंगे ? मन्त्री परिषद् के वह सदस्य प्रवीण कुमार शर्मा जी हैं । इतना अच्छा अलाट है । आप काशी जायें, चित्रकूट जायें, कैरो और बगदाद जाकर आप क्या करेंगे ? माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर कोई काम नहीं है तो इस दौरे को वह रद्द कर दें । 1978 में जितने पुल बनाने का काम लिया गया था, वे सब पूर्ण हो गए । अब वहां पर उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन का कोई भी काम नहीं चल रहा है । कोई भी कार्य नहीं है, तत्काल कोई जरूरत नहीं । तब तक लिखा-पढ़ी कर लीजिए, भारतीय राजदूत रहता है, उनका टेलेक्स देख लें, उसके बाद मन्त्री सपरिवार जाना चाहते हैं तो ठीक है, जब तक कोई कार्य, कोई प्रयोजन न हो, प्रदेश सरकार का इतना मूल्यवान पैसा बरबाद न किया जाय ।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सब को नहीं सुन सकता । एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं । यह नहीं हो सकता ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

हमने तय कर लिया है कि हमको न सुनियेगा, इनकी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह रोज की छूट नहीं रहेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अगर कोई नई बात कहना चाहते हैं तो एक मिनट दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

जितनी बातें थीं सब शतरुद्र प्रकाश कह चुके हैं । बस, मैं इजाजत नहीं देता । हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इतनी ढील दिए हुए हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस औचित्य के प्रश्न पर शतरुद्र प्रकाश जी ने विचार व्यक्त किया, उसकी सूचना प्राप्त हुई है । उस पर माननीय किरन पाल सिंह के दस्तखत हैं या नहीं ? अगर हैं तो उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

अभी दिया है, पहले नहीं थे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आये दिन घटना हो रही है कि मंत्रि परिषद् के सदस्यगण जो हैं, उनके आदेशों का अनवरत उल्लंघन अधीनस्थ अधिकारी कर रहे हैं । इसके दो प्रमुख कारण हैं पहला यह कि मंत्रीगण के आदेश अज्ञानतावश, अनुचित, अपने अधिकार क्षेत्र से परे और गलत होते हैं और दूसरे नौकरशाही इस प्रदेश को बिल्कुल निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो चुकी है । मैं उद्योग मन्त्री के दो आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसकी फोटो स्टेट कापियां मैंने अपनी नोटिस के साथ लगा दी हैं । माननीय उद्योग मन्त्री ने 30-6-85 को एक आदेश माननीय सदस्य जलालपुर, जनपद श्री शेर बहादुर सिंह के प्रार्थना-पत्र पर पारित किया था। वह पत्र मुख्य मन्त्री को सम्बोधित था । शायद उनको मुख्य मंत्री उपलब्ध नहीं हुए तो उद्योग मन्त्री के पास गए और उद्योग मन्त्री ने आदेश पारित किया--चेयरमैन राज्य कताई मिल निगम--कृपया "क" का अवलोकन करें । कार्यान्वयन सुनिश्चित करें । फाइल 7 दिन के अन्दर से प्रेषित करें । "क" में लिखा है माननीय उद्योग मन्त्री जी ने उक्त प्रार्थना-पत्र सचिव, को उक्त आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रबन्धकों ने उक्त आदेश का अनुपालन भी अभी तक नहीं किया है । दो चीजें थीं, जो मैं जान पाया, जिस वजह से चेयरमैन राज्य वस्त्र निगम ने आदेश नहीं माना । एक तो माननीय मन्त्री जी को शायद जानकारी नहीं थी कि राज्य कताई मिल निगम कोई संस्था नहीं है बल्कि संस्था का नाम राज्य वस्त्र निगम है । दूसरे, इस पत्र को देखने से ही लगता है कि उद्योग मन्त्री ने बिना सारे तथ्यों को जाने आदेश निरस्त पहले किए पत्रावली बाद में मांगी ।

जहां तक मेरी सम्मति है, यह मामला श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित था । मंत्री जी ने अधिकारों का इनक्रोचमेन्ट किया श्रम विभाग के और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश किया। दूसरा आदेश है एक कोई त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने अपने लड़के के ट्रांसफर के लिए लिखा, उस पर भी चेयरमैन, राज्य कताई मिल ने लिख दिया चेयरमैन, वस्त्र निगम को आदेश वापस भेजवा दिये श्री शेर बहादुर सिंह के पास और कहा कि ऐसे मन्त्री के आदेश बहुत देखे हैं । इसके साथ ही ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग कोई निरंकुश अफसर ही कर सकता है । बादशाह अकबर महान कम पढ़े-लिखे थे तो वे

अपने नवरत्नों की सहायता से राज का काम चलाते थे। अब मन्त्रियों का यह हाल है कि एक ढूंढ़िये हजारों मिलते हैं। ये अपने दायित्व का क्या निर्वहन करेंगे जब कि इनको ज्ञान ही नहीं है? नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो गया है। इससे मंत्रिपरिषद् की साख गिर रही है। अगर ऐसा होता रहा तो आगे आने वाले जमाने में क्या होगा? यह सारे सदन का अवमान है, मन्त्रि-परिषद् का अवमान है, लोगों को विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। मंत्रिपरिषद् से मैं आपसे निर्देश चाहूंगा कि आप आदेश दें नेता सदन को कि मान लिया इनको मन्त्रि परिषद् के सदस्य नाजानकार हों तो उनको बिठाकर सिखा दें और नौकरशाही को ऐसे निर्देश जारी करें कि अगर कोई गलत आदेश भी हो जाता है तो मन्त्रियों को अपमानित न करें बल्कि वैधानिक तरीके से संज्ञान में लाएं, सचिव को लिखें, मुख्य मन्त्री जी को लिखें, लेकिन अपमानजनक व्यवहार न करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन में शतरुद्र प्रकाश जी की सूचना पर आपके विचार चाहूंगा और जो माननीय रवीन्द्र नाथ नाथ तिवारी जी ने कहा है, उस पर भी विचार चाहूंगा।

श्री नारायन दत्त--

मैं विवश हूं कि थोड़ा सा जो सम्मानित सदस्य, फैजाबाद ने निवेदन किया, उसमें यह अग्रह करूंगा कि कृपा करके हम लोग सब जो सदन में आते हैं, जनता के चुने हुये निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो अनुभव के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और दलीय स्थिति के आधार पर चुनकर आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रोफेसर हों, बैरिस्टर-एट-ला हों या हाईकोर्ट के जज ही हों, यदि ऐसा होता तो जनता का सदन कैसे रहता। मैं तो समझता हूं म खुद कम पढ़ा लिखा हूं....

(व्यवधान)

विनम्रतापूर्वक न कहूं तो और कैसे कहूं? सदन के सामने यदि कहूं कि बहुत-पढ़ा लिखा हूं तो आप जानते हैं कि मेरे दिमाग में सारा अहंकार भर जायेगा। यदि मैं सदन में यह कहूं कि मैं कम पढ़ा-लिखा हूं, यह शोभनीय बात होगी। मैं यह कैसे कह दूं कि सारे सेक्रेटेरियट की बातों को मैं जानता हूं? मुझे भी जानकारी के लिए राय लेनी पड़ती है, मैं ज्यादा जानकार हूं कह देने से अहंकार ही होगा। यहां पर प्रश्न यह है कि मन्त्रिपरिषद् में कम पढ़े-लिखे लोग हैं या ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं यह कहना उचित नहीं है। आप देखें कि बाहर भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग जानते ही क्या हैं। तो क्या आप इसे सही मान लेंगे? राजनीति में लोग जनता के ही चुने हुए आते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस आधार पर किसी मंत्री के बारे में कहना शोभनीय नहीं है। इस आधार पर आलोचना न्याय-संगत नहीं लगती है।

जहां तक विषय है कि क्या आदेश और किस मंत्री ने किसको दिया और किसे नहीं दिया और इन सब बातों के सन्दर्भ में फाइल की फोटो स्टेट कापी दी जाती है, यह प्रक्रिया भी गलत है। इस प्रक्रिया को भी सम्मानित सदस्य, फैजाबाद को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई भी शासन में हो यह उचित नहीं है कि उसकी इस तरह से टिप्पणी हो। मैं सम्मानित सदस्य से अलग भी बात करूंगा इस संदर्भ में।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैंने पत्रावली की फोटो स्टेट कापी नहीं दी है। मेरा कहना है कि माननीय सदस्य, शेर बहादुर सिंह के पत्र की जो उन्हें लौटा दी गई थी फोटो स्टेट कापी दी है।

श्री नारायन दत्त--

माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं और इस बात को जानते हैं। ठीक है, वह जानते हैं कि एक बार जब मंत्री के

आदेश हो जायं तो वह शासकीय पत्रावली का अंग हो जाते हैं और पत्रावली बन जाती है । फाइल शुरू हो जाती है जब आदेश हो गए मंत्री होने के नाते, तभी से वह सरकारी फाइल बन गयी । इस पर एक बात और भी कहनी है कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सम्मानित सदस्य आते हैं और कहते हैं कि आप अभी आदेश कर दीजिए, पत्रावली मंगाने का समय भी नहीं देते हैं । कभी-कभी मुलाहजे में हम लोग बिना फाईल के ही आदेश कर देते हैं । यद्यपि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हू । लेकिन जब सम्मानित सदस्य आदेश कराने आते हैं और पत्रावली मंगाने में थोड़ा समय लगता है तो उनकी भावभंगिमा कोई कृपापूर्ण नहीं होती है और जब लगता है कि वे क्रुद्ध हो कर जा रहे हैं तो आखिर मंत्री भी तो आपका ही साथी है, वह भी बिना पत्रावली देखे ही आदेश लिख देता है । और जब वह लिख देता है तो माननीय सदस्य मुस्कराते हुए चले जाते हैं । फाईल मंगाने में देरी होगी इसलिए कहते हैं कि अभी आप लिख दीजिए ।

एक बात आपने बहुत सत्य कही कि तथ्यों की जानकारी करके ही आदेश देने चाहिए । अगर तथ्यों को मांगने के लिये कोई मंत्री लिखता है तो आप लोगों को उसका समर्थन करना चाहिये बजाय इसके कि आप मंत्री हैं और आप ही सत्य लगा रहे हैं । आपने मार्गदर्शक बिन्दु दिया है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ।

ब्रिज कारपोरेशन का जहां तक सवाल है, इस सम्बन्ध में एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने ईराक में बहुत अच्छा काम किया है । जब मैं भारत सरकार में श्रम मंत्री था तो तब मैं ईराक गया था, मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश सेतु निगम के काम को देखा और वहां लोगों से मेरी वार्ता भी हुई, प्रेसीडेन्ट सद्दाम हुसेन से भी मुझे बात करने का मौका मिला, सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत तारीफ की, जिसका उल्लेख परोक्ष रूप से माननीय सदस्य, वाराणसी ने भी किया है । सेतु निगम का वहां बहुत सामान पड़ा हुआ है, बड़े काम चल रहे हैं, कोरिया से, चीन से हमारा कम्पटीशन चलता है । वहां फौजी शासन है, ईरान और ईराक की लड़ाई चल रही है । आजकल बगदाद जाना कोई पसन्द नहीं करता है । अगर किसी टूरिस्ट से पूछिये तो टूरिस्ट बगदाद और तेहरान नहीं जाना चाहता । कोई घूमने को गया हो बगदाद यह सम्भव ही नहीं है । तो इसलिए श्रीमन्, अगर कार्य के हित में सेतु निगम के हित में कोई कार्य मिल जाय यहां तो करोड़ों का सामान वहां पर पड़ा हुआ है तो मैं यह कहूंगा कि शासन के हित में काम के हित में कभी-कभी शासन के सदस्यों को बाहर जाना होता है ।

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कौन सा काम है ?

श्री नारायन दत्त--

अलजीरिया जैसे है, अलजीरिया में भारत की ओर से निगम के टेन्डरिंग की ओर से जाना पड़ता है । अगर कोई सेतु निगम का प्रबन्धक, निदेशक या कोई अधिकारी जा रहा है, और भी इन्होंने कहा कि वहां कोई काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है सेतु निगम का काम मैंने खुद देखा है कितनी प्रशंसा हुई है । वहां पर करोड़ों रुपयों का सामान पड़ा हुआ है सेतु निगम का और कभी-कभी कुछ और बात सोचनी चाहिये । मैं तो इस राय का भी हूं कि हमारे सम्मानित विधायकों को भी बाहर जाना चाहिए । अगर हम यह सोचें की आज की दुनिया में कि हम लोग केवल यू० पी० में, इस सदन के अन्दर और अपने क्षेत्र में इतना ही घूमते रहे और बाकी कुछ न देखें, मैं सहमत नहीं हूं । लोगों को जाना चाहिए मैं तो कहता हूं कि जापान तो

जरूर जाना चाहिए । तो मैं यह चाहूंगा कि इसलिए कभी-कभी कोई मंत्री चला जाय तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इसमें वह जहां जायं तो देखा जाय कि शासन के लिए कुछ काम करें, खाली घूमने के लिए बगदाद, तेहरान या अल-जीरिया न जाय । वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है, कौन जाना ही चाहता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय शतरुद्र जी ने जो सवाल उठाया उसमें केवल इतना है कि काम तो वहां चल नहीं रहा है । आपने बताया है, काम नहीं चल रहा है, सामान पड़ा है ।

श्री नारायय दत्त--

काम लेने के लिए जा रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह भी सदन को पता हो जाय कि किस काम के लिए जा रहे हैं । दूसरा यह है कि यह फिजूलखर्ची है । माननीय शर्मा जी से भी यही कहें कि आप फिजूलखर्ची को क्यों करते हैं अपनी यात्रा को रद्द करें । आपकी राय ठीक है यदि पूरे विधायक दुनियां में घूमें और देशी में जायं, मैं तो यह समझता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को भी घूम ले तो बहुत बड़ी बात है । आप सदस्यों को यह राय, यह सलाह दीजिये । उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत नहीं देखा है आप कहिये कि हिन्दुस्तान की मिट्टी को देखें ।

श्री नारायन दत्त--

जायं, जरूर जायं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही कहा कि जब आदेश मंत्री का हो जाते हैं तो वह पत्रावली का पार्ट हो जाता है । श्रीमन्, अधिकारी ने उसको मंत्री जी के आदेश सम्बन्धी पत्रावली अधिकारी को लौटा दिया तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मैनेजर सिंह यह प्रश्न खत्म हुआ ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, आप मुझे इजाजत दे दें तो....

श्री अध्यक्ष--

अब इस विषय पर चर्चा हो गयी है, नेता विरोधी दल के बाद कोई नहीं बोलेगा ।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री सुखपाल पांडे--

कृपया आप मुझे आज्ञा दे दें । मैं आपकी आज्ञा मांग रहा हूं । अगर आप हमको न दें तो इन्हीं को दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

कौशिक रमा शंकर की सूचना पर रूलिंग रिजर्व कर ली है, सूचना नम्बर 2 ।

श्री सुखपाल पांडे--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठिए । श्री माता प्रसाद पांडेय की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, वह मंत्रि-परिषद् का अन्दरूनी मामला है । संविधान और नियमावली का कहीं पर उल्लंघन नहीं है, यह उनका अन्दरूनी मामला है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, एक मिनट आप मेरी बात को सुन तो लें। इस सदन का संचालन व्यवस्था का भार आप पर है। अभी सदन में जितने भी प्रश्नों के उत्तर आये और हमको मिले, वह सुसंगत नहीं थे, क्योंकि नियम 38 के अनुसार जो भी उत्तर आयेगा वह सुसंगत होगा तो मान्यवर, उत्तर सुसंगत आते नहीं हैं। वह सामूहिक उत्तरदायित्व का लेकर काम यहां पर करते हैं। मान्यवर, 45 विभाग हैं मुख्य मंत्री के पास, इसी कारण समुचित उत्तर नहीं आते हैं। जफर अली नकवी साहेब गैलरी में रोते हुए मिलते हैं, गृह मंत्रालय को वह समझते नहीं है, इस नाते समुचित उत्तर वह दे नहीं पाते हैं। मैं भीम राव अम्बेदकर और शकधर की किताबों का उद्धरण नहीं देना चाहता हूं। मान्यवर, राज्य मंत्रि परिषद् की बैठकों में भाग नहीं लेता है, हिस्सा नहीं लेता है, जो नीति का निर्धारण होता है, उसका ज्ञान उसको नहीं होता है और वह प्रश्नों का उत्तर देने के लिये खड़ा हो जाता है और जब नीतिगत प्रश्न उससे किये जाते हैं तो वह उत्तर नहीं दे पाता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने तमाम विभागों को अपने पास रख रखा है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, गन्ना विभाग, ऐसे तमाम विभाग हैं जिनका कोई अलग मन्त्री नहीं हैं, जबकि यह बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। अभी मान्यवर, कल रिछारिया साहेब उत्तर दे रहे थे और वह टेंगिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे थे और इसलिये वह प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। मान्यवर, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट इसलिये नहीं आ पा रही है, क्योंकि पत्रावली मुख्य मन्त्री के पास पड़ी हुई है और उस पर उनके हस्ताक्षर होने हैं। स्टेट मिनिस्टर को कोई अधिकार नही है, वह पत्रावली नहीं देख सकते हैं और नीचे से जो जवाब सचिव बनाकर भेज देता है, उसमें राज्य मन्त्री को संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिये प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से नहीं आते हैं। मान्यवर, मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व का लाभ उठाकर यह करते हैं। इसलिये मैं औचित्य का प्रश्न उपस्थित करता हूं। मान्यवर....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

एक विभाग का जो मन्त्री होता है वह उस विभाग के कार्यों का जिम्मेदार होता है। इसलिये मैं यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दे चुका हूं यह मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्रि-परिषद् का अन्दरूनी मामला है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न था....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सुखपाल पांडे--

आपको सुनना चाहिए....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल....

श्री सुखपाल पांडे--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सुखपाल पांडे--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल पांडेय जी, आप बैठें ।

श्री सुखपाल पांडे--

आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री सुखपाल पांडेय, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा किरनपाल सिंह के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

जहां तक श्री शतरुद्र प्रकाश जी के प्रश्न का सम्बन्ध है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये यह अस्वीकृत हुआ । जहां तक श्री राकेश धर त्रिपाठी जी का सवाल है यह मामला 7-8-85 को नियम 300 के अन्तर्गत उठाया गया था इसलिये अब नहीं उठाया जा सकता । जहां तक श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो मामला उठाया है वह 25-7-85 को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया गया है ।

विधायक आवासों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन कम किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इसमें एक मिनट सुन लें । यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, उनकी सेवा में लगे हुये कर्मचारियों से सम्बन्धित यह प्रश्न मैंने दिया था । एक प्रश्न भी मैंने पूछा था जिसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री ने दिया था । मान्यवर, आप उसको देख लें । आज जबकि सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है लेकिन विधायक निवास नम्बर 5 में जो फर्राश और मजदूर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह घटाई जा रही है । इस पर मैंने एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि आज की तिथि से उन्हें 9 रुपया मजदूरी दी जा रही है । लेकिन मान्यवर, जुलाई के महीने की जो तनख्वाह कल बंटने के लिये गई तो उन्हें साढ़े 8 रुपया दिये जाने लगे । इससे सब कर्मचारी एकत्र हो गये और उन्होंने तनख्वाह लेने से इन्कार कर दिया । उन्हें आज तक 9 रुपया दी जा रही थी और कल साढ़े 8 रुपया दी जाने लगी । इससे मान्यवर, सभी कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त हो गया है । इससे कार्य में शिथिलता आयेगी और हम लोगों को भी असुविधा होगी साथ ही उनकी कार्य क्षमता भी घटेगी । इसलिये आपके सामने यह प्रश्न लाया गया है । मान्यवर, अप्रत्यक्ष रूप में विधायक निवासों का संचालन आपके निर्देशन में चलता है । इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि सरकार को निर्देश दे दें कि जो उनको 9 रुपये मजदूरी दी जा रही थी वही उनको दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जब यह मामला प्रश्न एवं संदर्भ उस समिति को सुपुर्द किया गया है तो अब जो कुछ भी आप कहें ।

(व्यवधान)

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम सरन --

आवास समिति में तो सभी मामले जाते हैं। वह समिति कब बैठेगी, क्या बठेगी। इसलिये इस पर आपको विचार करना है। आज सुबह विधायक निवास 5 के कुछ कर्मचारी मेरे पास आये थे और जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपने 8 आने उनके काट लिये और उसे वे लेने के लिये तैयार नहीं हैं। एक तरफ तो आप काम देखने के लिये ईराक भेज रहे हैं शर्मा जी को, जहां उनको 2 हजार रुपया भत्ता या क्या मिलेगा, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों का 8 आना काटकर आपको क्या मिलेगा। मान्यवर, आप अच्छे हैं, हम सब में खूबसूरत हैं। इन गरीबों को क्यों मार रहे हैं। उनको 9 रुपया दीजिये। यह बात ठीक नहीं है कि आप 8 आना उनका काट दें।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता। लिहाजा अस्वीकृत हुआ। इससे नियमावली या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लिहाजा नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता।

नियम 301 की सूचना का अन्तरिम उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

(व्यवधान)

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो दिया है...

(व्यवधान)

अब कुछ नहीं....

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने उसे गलत समझ लिया। यह 301 में स्वीकार हुआ है। पुनः इसे 300 में लाया हूं। 7 अगस्त का यह 301 में स्वीकार हुआ है और अभी तक माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कोई इंटेरिम जवाब नहीं दिया है। मैंने निवेदन किया कि आपने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि 7 अगस्त को लिया जा चुका है। तो कम से कम माननीय शिक्षा मन्त्री जी को 7 दिन के अन्दर इंटेरिम जवाब दे देना चाहिये था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और वहां अव्यवस्था फैलती जा रही है। रोज-रोज वहां बसें जलाई जा रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं जिसके कारण तमाम अव्यवस्था वहां बनी हुई है। इसलिए औचित्य का प्रश्न दिया है कि 7 तारीख से आज 22 तारीख तक माननीय शिक्षा मन्त्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय राकेशधर त्रिपाठी जी ने 7 तारीख को यह प्रश्न उठाया था और सात दिन के अन्दर अंतरिम जवाब आना चाहिये था लेकिन वह नहीं मिला। माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि यह मन्त्री लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं। इसी कारण से यह अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। रोज लड़के वहां बसें जला रहे हैं, स्टेशन फूंक रहे हैं जिससे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर हस्तक्षेप करें और तत्काल कार्यवाही करें ताकि वहां स्थिति शांति को हो सके नहीं तो स्थिति और

बिगड़ गयी तो कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होगा। विश्वविद्यालय का छात्र कमलेश तिवारी भूख-हड़ताल पर बैठा था उसको जबरदस्ती खतम करा दिया लेकिन वह आज भी खा नहीं रहा है। उसकी हालत गंभीर है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री जो कम से कम इंटरिम रिप्लाई एक हफ्ते के अन्दर आ जाना चाहिये।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मुझे विश्वास है रिप्लाई चला गया होगा। मैं देखूंगा अगर नहीं गया होगा तो भेज देंगे।

औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपने मुझको सुना नहीं एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपको रोज-रोज सुनता हूं। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो सूचना दी है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है उसे अस्वीकार किया जाता है। लेकिन मैं अलग से निर्देश दे रहा हूं कि वहां से कूड़ा हटाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय। माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की सूचना भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। लिहाजा इसे अस्वीकार किया जाता है।

(मद संख्या 5 पुकारे जाने पर)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने आपके कारण 219 के अन्तर्गत एक नोटिस दी है उस पर कोई व्यवस्था आप देंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्देश दे रहा हूं कि कूड़ा तुरन्त हटा दिया जाय।

(व्यवधान)

प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैंने करण 219 के अन्तर्गत एक नोटिस दी है। उस पर आप सुनेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

सुनाइये क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मित्रसेन--

मैंने करण 219 के अन्तर्गत नोटिस दी है। मेरा एक सवाल था जो कृषि मन्त्री जी से सम्बन्धित है उसका सम्पूर्ण उत्तर मुझे नहीं मिला जो 19 नम्बर पर था। मैंने नियम 49 में नोटिस दिया था उसको आपने अस्वीकार कर दिया था और कहा कि करण 219 में चाहें तो पूछ सकते हैं। तो उसकी नोटिस मैंने आज दी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको व्यवस्था देता हूं कि जो आपने नोटिस दी है वह मैं माननीय मन्त्री जी को भेज रहा हूं और उनका जवाब आने के बाद ही कोई निर्णय दूंगा।

श्री मित्रसेन--

बगैर सुने आप क्या जवाब देंगे। कम से कम एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 5

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

आप व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने दे दी है

(व्यवधान)

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

कितने दिन के अन्दर जवाब दिलवा देंगे । कब तक जवाब मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

इतनी जल्दी नहीं हो सकती है ।

जनपद आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं जनपद आगरा में फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने विषयक श्री हर विलास वर्मा आदि, निवासीगण, जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बांदा में धान की भूंसी से दफ्ती बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं जनपद बांदा में धान की भूंसी से दफ्ती बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने विषयक राजा पिछोरहा आदि, निवासीगण, अतर्रा, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आजमगढ़ की मधुबन बाजार के मध्य पानी की निकासी के लिये पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री विष्णु देव--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जनपद आजमगढ़ की मधुबन बाजार के मध्य पानी की निकासी के लिए पक्का नाला बनाये जाने विषयक श्री हरीलाल आदि, निवासीगण, जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

दिनांक 7 अगस्त, 1985 को उठायी गई श्री कमलेश कुमार पाठक आदि की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन को सूचना दे रहा हूं कि (1) दिनांक 7 अगस्त, 1985 को श्री कमलेश कुमार पाठक आदि ने नियम 56 के अन्तर्गत 6 हरिजनों की हत्या विषयक सूचना दिया था जिस पर मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था । विचारोपरान्त मैं इस मत का हूं कि इस मामले में शासन द्वारा वक्तव्य दिया जाये ।

दिनांक 21 अगस्त, 1985 को पी0 सी0 एफ0 द्वारा लालबाग शापिंग काम्प्लेक्स के बारे में उठाई गई कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

दूसरी सूचना दिनांक 21-8-85 को पी0सी0एफ0 लखनऊ द्वारा लालबाग में शापिंग काम्पलेक्स के बारे मे नियम 56 की सूचना प्राप्त हुई थी । उसमें भी मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था । विचारोपरान्त उक्त मामले को भी मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नहीं की संख्या अधिक है इसलिए वोटिंग करा लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें । आप लोग शांत रहें ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 को मैं पुरः स्थापित करती हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना, श्री बालेश्वर, सब्जी मंडी के विक्रेता की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में है । दूसरी श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री बंगाली सिंह वगैरह, सलेमपुर परियोजन के स्थानन्तरित होने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी--श्री सरदार सिंह, श्रीमती शारदा देवी, श्री शारदा नन्द अंचल--गोरखपुर में हरिजन छात्रावास में लूट के सम्बन्ध में है ।

चौथी--श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री मित्र सेन, श्री राम संजीवन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा वगैरह--हिन्डालको में लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--आई0टी0आई0 में प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में है ।

छठी--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--कानपुर में गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में है ।

सातवीं--श्री गोपाल दास यादव--राजकीय यूनानी कालेज में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

आठवीं--श्री सत्य प्रकाश विकल, डा0 दिनेश जौहरी, श्री सूर्य प्रताप शाही--साढ़े तीन लाख बेसिक शिक्षा अध्यापकों को वेतन न मिलने के बारे में है ।

नवीं--डा0 दिनेश जौहरी का लैब टैकनिशियन की हड़ताल के बारे में है ।

दसवीं--देवेन्द्र कुमार सिंह जी की राम जानकी मन्दिर से आभूषणों की चोरी पर है ।

ग्यारवीं--माननीय सूर्य प्रताप शाही की बेसिक शिक्षा अध्यापकों के बारे में है ।

बारहवीं--माननीय जवाहर सिंह यादव, और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह वगैरह की बिजली के फर्जी बिलों की वसूली के बारे में है ।

†दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

तेरहवीं– मुहम्मद आजम खां साहब का रजा लाइब्रेरी रामपुर में पुस्तकों की चोरी पर हैं ।

चौदहवीं––श्री भोपाल सिंह मेरठ में हिन्डन नदी से कटाव के सम्बन्ध में हैं ।

पन्द्रहवीं––श्री बदन सिंह का आगरा में दूषित पानी से बीमारी पर है ।

सोलहवीं––श्री राम नरेश और श्री शारदा प्रताप की रायबरेली में हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में हैं ।

सत्रहवीं––मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ साहब व मनोहर लाल जी का फतेहपुर में पुलिस के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है ।

अठारहवीं –श्री विष्णु देव व श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की जिला परिषद् आजमगढ़ की जमीन की नाजायज बिक्री के विषय में हैं । फिर

उन्नीसवीं––श्री राजकिशोर सिंह जी की मथुरा में इन्टर कालेज के प्राचार्य की पिटाई पर है ।

बीसवीं––श्री राजेन्द्र गुप्त जी का कुमाऊं में बाढ़ एवं वर्षा से भूस्खलन के बारे में है और

इक्कीसवीं––इसी मामले पर श्री रेवतीरमण सिंह, श्री मैनेजर सिंह व श्रीमती विजय लक्ष्मी जी का भी है ।

बाईसवीं––श्री फजलुल बारी की प्रदेश में छोटे बच्चों के अपहरण के बारे में और [redacted]

तेइसवीं––श्री हरिश्चन्द्र जी का भाडल हाउस लखनऊ में पेयजल के अभाव के बारे में ।

[1 बजकर 45 मिनट]

श्री बालेश्वर––

मान्यवर, में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । देवरिया जनपद में पुलिस अधीक्षक, एस0 के0 त्रिपाठी के कुकर्मों के कारण पुलिस का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वहां की सब्जी मंडी के थोक विक्रेता मोहम्मद फारूक की उनके द्वारा निर्मम पिटाई की गई है । इसलिये की कि उनसे माहवारी को पैसा मांगा जा रहा था, जो वहां पर अवैध रूप से पुलिस द्वारा सब्जी विक्रेताओं से वसूला जाता था । उनसे कहा गया था कि तुम हर सब्जी विक्रेता व दुकानदार से पैसा इकट्ठा करके 5 हजार रुपया माहवार हमें दिया करो । जब उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, तो उसकी 14–8–85 को शाम 7 बजे निर्मम पिटाई की गई, जिससे वह दो दिन तक बेहोशी की हालत में पड़ा रहा । इसके विरोध में जनता के 7–8 सौ आदमियों ने थाने का घिराव किया था । अब भी वह अचेतावस्था में कभी–कभी हो जाता है । दुकानें आजतक बन्द पड़ी रही हैं । वहां का जीवन अस्त व्यस्त है न किसी को सब्जी मिल रहा है न और कुछ मिल रहा है । वहां आज पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों के खिलाफ बहुत जन आक्रोश है । वहां पर पुलिस अधीक्षक एस0 के0 त्रिपाठी के कुकर्मों से 4, 5 हत्याएं हो चुकी हैं । उनकी ज्यादतियों के खिलाफ सत्तापक्ष के 7–8 विधायकों ने मुख्यमन्त्री जी को लिखकर दिया है कि पुलिस अधीक्षक एस0 के त्रिपाठी का स्थानान्तरण जल्द से जल्द कर दिया जाए, लेकिन, मुख्यमन्त्री जी का पता नहीं उनसे क्या लगाव है, इसके साथ ही गृह सचिव भोलानाथ तिवारी का उनसे बहुत ही गहरा लगाव है, जिसके कारण से अबतक उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार पडरौना में ही राम जी कसेरा नामक युवक की इन्होंने निर्मम रूप से पीटा और पिटवाया और पीट–पीट कर 6–8–85 के उसे मार डाला गया । इस पुलिस की दरिन्दगी की वजह से रामदास सिपाही, सन्तरी, जो

इनके बंगले पर पहरा दे रहा था, की भी हत्या इन्हीं पुलिस अधीक्षक द्वारा कर दी गई । इसकी जांच कार्रवाई की जानी चाहिए । यह लोक महत्व का मामला है । मैं इसे सदन के संज्ञान में लाकर सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पुलिस अधीक्षक को जल्दी से जल्दी वहां से स्थानान्तरित करके सारे मामले की जांच करायें और उनको उचित सजा देने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर माननीय सदस्य ने एक सब्जी विक्रेता की पिटाई के बारे में सूचना दी है । हमने जानकारी करने का प्रयास भी किया लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक थाने में अंकित नहीं है और जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उस सूचना को आधार मानकर आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या घटना हुयी है । लेकिन पडरौना या अन्य किसी स्थान पर न कोई बुकान बन्द है और न इस किस्म की कोई बात है । तो मेरा आग्रह है कि इस सूचना को कम से कम कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने का प्रश्न नहीं उठता । जो जानकारी आपने दी है उसको आधार मान कर आगे जानकारी प्राप्त करेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

यह मामला पहले भी उठाया गया था और माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि दिखवायेंगे । इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है । इसलिये मैं बालेश्वर जी के कार्यस्थगन पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि शासन इस पर वक्तव्य दे ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य बालेश्वर जी ने जो आरोप लगाये हैं क्या उसकी जांच आप करायेंगे । यह सत्य है कि देवरिया के त्रिपाठी, एस0 पी0 ने अपने संतरी को गोली से मार दिया क्या आप इसकी जांच किसी दूसरी एजेंसी से करायेंगे । आप सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे कि पुलिस कप्तान देवरिया ने अपने संतरी को गोली से मार दिया । कहते हैं कि उसका नाजायज सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक के परिवार के एक सदस्या से था ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सूचना की मेरे पास कापी आयी है उसमें केवल जिक्र एक सब्जी बिक्रता और दरोगा की आपस की मारपीट का है । माननीय मैनेजर सिंह ने दूसरा मामला उठा दिया । कार्यस्थगन के सम्बन्ध में जो नियम हैं तो निश्चित् सूचना के आधार पर विचार किया जा सकता है । मैंने गुजारिश की है, सब्जी वाले और दरोगा के आपसी झगड़े की जो बात आपने कही है, मैंने उसकी जानकारी कराने की बात की है । आपने कहा कि एक आदमी की हत्या हो गयी क्या इसकी जांच करायेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम अपने आपको सीमित इस सूचना तक रख । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जो यह कार्यस्थगन है इसकी सीमा का कहां तक विकास करेंगे । मेरा अनुरोध है कि कार्यस्थगन को स्वीकार न कर ।

श्री अध्यक्ष --

आप अपने को उसी तक सीमित रखें ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

मान्यवर, प्रदेश में जहां निजी पूंजी निवेश के द्वारा बाहरी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, नये उद्योग लगाने की बात की गयी है और केन्द्रीय योजनाओं को पृष्ठभूमि प्रदान करने की बात की गयी है वहीं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अलीगढ़ की सलेमपुर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना प्रदेश सरकार की उपेक्षा एवं अदूरदर्शिता की नीति के

कारण स्थानान्तरित होने की स्थिति में आ गयी हैं । इस योजना के अन्तर्गत 12 सौ करोड़ की लागत से एक पेट्रोकेमिकल कम्पलेक्स का निर्माण जर्मन सरकार के सौजन्य से होना था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के साथ ही अन्य आधारित उद्योग, एनीसिलेरी यूनिट्स भी लगनी थी जो कि निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र में लगती और करोड़ों रुपयों का इसके लिये प्राविधान किया था । यह सभी योजनायें और आधारभूत उद्योगों के सफलीभूत होने के कारण जिला अलीगढ़ और आसपास के जनपदों का कायाकल्प हो जाता । केन्द्रीय सरकार के वहां पर पहुंचने वाले एक अध्ययन दल और उसके साथ जर्मन विशेषज्ञों की टीम जो स्थल पर निरीक्षण करने गयी उसके द्वारा ज्ञात हुआ कि उन्होंने प्रदेशीय सरकार से योजना की स्थापना से पूर्व वांछित आवश्यक संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा की थी । इन संसाधनों में एक तो योजना क्षेत्र के चारों तरफ एक कि0 मी0 चौड़ी वृक्षों की पट्टी, प्रदूषण रोकने के लिये ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी डेवलप करने के लिये कहा गया था ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलिये ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

दूसरी बात नहर के पानी को योजना कार्य के लिए उपलब्ध कराने की बात कही गयी है । तीसरी बात सड़क चौड़ी कराने की योजना, नगर के आसपास सड़क चौड़ी कराने की बात कही गयी थी । चौथी बात वहां की भूमि अध्याप्ति करने की थी । मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इन चारों में से एक भी संसाधन निर्धारित अवधि में प्रदेश सरकार नहीं उपलब्ध करा सकी । इस कारण से यह योजना ...

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत ....

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय, यह अधिकार आपका है । किसी माननीय सदस्य को जब आपने नियम 56 के अन्तर्गत बोलने की इजाजत दे दी, तो किसी दूसरे माननीय सदस्य को आपके आदेश के खिलाफ बोलने या टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय, जब उस माननीय सदस्य की बात समाप्त हो जाय, तब किसी माननीय सदस्य को आपकी इजाजत से बोलने का अधिकार होगा ।

(व्यवधान)

माननीय, यह नई रिवायत बनती जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय सदस्य रामपुर मेरी बात से इत्तफाक करेंगे । नियम 56 के अन्तर्गत, नियम 58 भी पढ़ने की कृपा करें । माननीय, इसमें लिखा है-"प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन-कार्य-स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन ग्राह्य होगा :-- इसमें माननीय, नियम 58 का (3) भी देख लें । इसमें लिखा है--" प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।" माननीय, इसको आप देख । कब वह सड़क बनी, कब केन्द्र से योजना आई, कब उसे चौड़ी कराना चाहते हैं । माननीय, ऐसे ही

किसी विधायक के खिलाफ कब किसी अधिकारी ने क्या किया या किसी का स्थानान्तरण, सरकार के जो रोज के काम हैं, स्थानान्तरण करने या ऐडमिनिस्ट्रेशन करने आदि के, उसके बारे में एक काम रोको प्रस्ताव ....

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, यह आपका अधिकार है, इस पर माननीय सदस्य चुनौती दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार---

मैं अपनी बात पर बल देने के लिए, यह अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संहत संकलन की पुस्तिका जो है, इसे लाया हूं । इसमें रूलिंग हैं । मान्यवर, आप जानते हैं, उस समय आप भी सदस्य थे ।

(कई सदस्य खड़े हो गये ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, बैठालिये इनको ।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, पेज 14 पर 68 देख लें। इसमें लिखा है– "अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न घटना के तुरन्त बाद ही कार्य–स्थगन प्रस्ताव का विषय हो सकता है ।" इसमें पेज 175 पर घटना का उद्धरण दिया है । इसका पेज 175 पढ़ने की कृपा करें । इसमें 68 में लिखा हुआ है कि–"अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न घटना के तुरन्त बाद ही कार्य–स्थगन प्रस्ताव का विषय हो सकता है । यह घटना 9 अगस्त, 1966 की है । मान्यवर, उस समय माननीय खैर साहब उस पीठ पर आसीन थे, इस पीठ को सुशोभित करते थे । उन्होंने उक्त कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार करते हुए कहा–", यह वाक्या 5 अगस्त का है, अतः यह विलम्बित है । इसे 5 अगस्त के तुरन्त बाद ही आना चाहिये था ।" मान्यवर, 9 अगस्त को उन्होंने कार्य–स्थगन प्रस्ताव रखा, घटना 5 अगस्त की थी । आप मान्यवर, देखें । चार दिन के विलम्ब के बारे में भी उन्होंने कहा कि यह विलम्बित है । इस तरह की कई रूलिंग मान्यवर, मैं दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

दो महीने से मान्यवर, मैं रोज देख रहा हूं । मुझे आपके आशीर्वाद से बीस साल से बैठने का इत्तफाक है । इस तरह से रोज दो घंटे कार्य–स्थगन पर बहस चलती रहती है और बजट 4 बजे प्रस्तुत होता है । मान्यवर, पेज–182 पर 89 देखें । अस्वीकृत कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़कर सुनाना अस्वीकृति का कारण बताना आवश्यक नहीं है । मान्यवर, नियम 56 में काम रोको प्रस्ताव आया अपने स्तर से स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं

(व्यवधान)

मान्यवर, आगे देखें श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी है---

> "28 प्रस्तावों को पढ़कर में सदन का समय नहीं लेना चाहता जिस समय बजट पर बहस होगी तो माननीय सदस्य उनके सम्बन्ध में जिक्र करेंगे ही और मैं पढ़कर इस समय सदन का समय लेना मुनासिब नहीं समझता इन सब को नामंजूर करता हूं ।"

मान्यवर, आगे है "और मैंने यही व्यवस्था उचित समझी कि अब पढ़ने की कटिंसी अगर मैं रखूंगा और जो भी काम रोको प्रस्ताव आयें उनको पढ़कर सुनाऊं और मन्जूरी और नामन्जूरी के कारण बताऊं तो मैं समझता हूं कि केवल कामरोको प्रस्ताव के जरिये से सदन का सब कार्य रोका जा सकता है, सिर्फ ऐसे प्रस्ताव पेश करके ही रोका जा सकता है ।"

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष सदन के काल में शायद अड़चन पैदा करना चाहता है कि सारा समय काम रोको प्रस्ताव में समाप्त हो जाय और जो हमारा निश्चित लक्ष्य है, उसको हम न प्राप्त कर पायें, तो मान्यवर, इसपर आप अपनी व्यवस्था दें। क्या हर माननीय सदस्य को सुनना आवश्यक है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बहुत सुन लिया है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, ऐसे प्रस्ताव अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। यह माननीय खेर साहब माननीय मदन मोहन वर्मा साहब और माननीय अग्रवाल साहब को, कई लोगों को यह रुलिंग है। मान्यवर, मैं अब आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि इस पर आपकी क्या व्यवस्था है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं अभी विद्वान सदस्य, बरेली को सुन रहा था। मान्यवर, विरोध पक्ष का अधिकार है कि वह नियम-56 में सूचनायें आपको देते हैं और आप गम्भीरतपूर्वक जिसको स्वीकार करते हैं उस पर माननीय सदस्य बोलते हैं जब आपने सूचना स्वीकार कर ली और माननीय गांधी जी को बुला लिया तो क्या आपके अधिकार को माननीय सदस्य चुनौती दे सकते हैं? क्या यहां पर कोई चुनौती देने का प्रश्न बनता है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी विद्वान आदमी हैं वह माननीय सदस्य को समझा दें, कि माननीय अध्यक्ष जब कोई निर्णय दे दें तो वह न खड़े हों। मैं चाहता हूं कि आपके निर्णय के बाद कोई ऐसी बात सदन में नहीं आनी चाहिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह ग्राह्यता पर कृपया बोलें और जो दस-दस आदमी एक सूचना पर हैं उसमें केवल एक-एक आदमी बोलेगा।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना विगतकाल की नहीं है यह विचाराधीन है। इस पर विचार चल रहा है... कृपया मुख्य मंत्री के बजट भाषण का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें उसमें इस योजना की चर्चा की गई है। यह विगत काल की योजना नहीं है। दूसरे हमारे क्षेत्र से इस योजना को स्थानान्तरित करने की खबर सुनकर वहां की जनता में असन्तोष पैदा हो गया है। हमें विधायकों को लोगों ने नोटिस दिया है कि काले झन्डे दिखायेंगे और घिराव करेंगे। जो समस्या वहां उत्पन्न हो गई है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायें।

श्री सरदार सिंह--

यह बड़े दुख की बात है कि हमारी सत्कार निर्बल वर्ग के लोगों, हरिजन लोगों को सता रही है। 20 अगस्त को गोरखपुर जनपद में एक छात्रावास गोलघर में है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग, नागपंचमी के दिन गये और उन असामाजिक तत्वों ने हरिजनों का ताला तोड़ा तथा उनका सामान लूट लिया। साथ में लोग लेबर ले कर गये थे और छात्रावास को ध्वस्त कर दिया। सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता अपनी इमारत वहां बनवा रहे हैं, वह नहीं चाहते हैं कि वहां छात्रावास रहे। जब हरिजन छात्र जिलाप्रशासन के पास गये तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि सत्ता पक्ष का सवाल है, वह लोग नहीं चाहते हैं कि वहां छात्रावास रहे। अफसोस की

बात यह है कि उस दिन डा0 संजय सिंह और श्री सुनील शास्त्री दो मंत्री गोरखपुर में मौजूद थे । हरिजनों ने जब उनसे निवेदन किया संरक्षण मांगा तो उन्होंने इंकार कर दिया । इससे पूरे हरिजनों में चिन्ता और भारी आक्रोश है । मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करादें । हरिजनों का मामला है । माननीय सदस्य को सुनलें यह वहीं का रहने वाली हैं ।

श्रीमती शारदा देवी—

मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जो मंत्री हैं, ये वहां के रहने वाले हैं । महाबीर कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं, यहां पर हरिजन छात्रावास लूटा गया छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई । वीर बहादुर सिंह का मकान वहां पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब एक मिनट में संक्षेप में अपनी बात खत्म करादें ।

श्रीमती शारदा देवी—

20 अगस्त को गोरखपुर स्थित छात्रावास को लूटा गया और इमारत ध्वस्त करदी गई । यह घटना जब घटा उसी दिन प्रदेश ई0 का0 के श्री महाबीर प्रसाद एम0 पी0, अध्यक्ष, मंत्री ऊर्जा, मंत्री हरिजन व समाज कल्याण गोरखपुर में मौजूद थे ।

मान्यवर, छात्रावास लूटा गया है । आप सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवा दें ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

अभी माननीय सदस्य ने गोरखपुर का हवाला दिया और यह बताया कि गोलघर के पास स्थित हरिजन छात्रावास में कोई घटना घटी है, इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है । बैसे में विश्वास दिलाना चाहता हू कि सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी आदमी कोई गलत काम नही कर सकता फिर भी यदि कोई बात हुई होगी तो उस पर आवश्यक कार्यवाही होगी ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी है, वह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व की एवं व्यापक सूचना है और यह अभी 18 तारीख की घटित घटना है । मान्यवर, मिर्जापुर में बिड़ला का एक अल्मूनियम का कारखाना है, वहां के कुछ मजदूर अपनी कालोनी के गेट पर बैठे कुछ मीटिंग कर रहे थे, उस समय मान्यवर, न कोई धारा 144 लागू थी और न ही मीटिंग आदि करने सम्बन्धी प्रतिबन्ध था, पुलिस और गुण्डों ने मिलकर उन पर लाठी चार्ज किया । मान्यवर, सन् 75 से कुछ मामले उक्त फैक्ट्री के मजदूरों से सम्बन्धित चले आ रहे हैं, उनमें से कुछ मामले पंचनिर्णय में पड़े हुए हैं और कुछ निलम्बित हैं । इसी सम्बन्ध में इन मजदूरों को उस कालोनी से जबर्दस्ती निकाला जा रहा है और उन पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहू-बेटियों को मारा-पीटा जा रहा है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए, श्री ललन चन्द्र व अन्य बहुत से लोग घायल हुए, परन्तु उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस मामले पर चर्चा कराई जाए क्योंकि यह बहुत अविलम्बनीय लोकमहत्व का व्यापक मामला है, मजदूरों से सम्बन्धित है, इस घटना को लेकर, वहां पर लोगों में भय, आतंक और असंतोष की भावना बहुत व्याप्त है । साथ ही मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में माननीय रामचन्द्र बख्श को काफी जानकारी है, यदि दो मिनट के लिए उनको भी सुना जाए, तो स्थिति और स्पष्ट हो सकती है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, यह अमानवीय घटना जो घटी, इसके सम्बन्ध में आपसे केवल दो मिनट चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका इस घटना से कोई संबंध नहीं है । इसमें मुझे आप क्षमा करें और कृपया बैठ जायं । सूचना नं0 1 श्री बालेश्वर यादव तथा सूचना नं0 3 और 4 सर्वश्री सुरेश प्रताप गांधी व बेनी प्रसाद वर्मा की है, जिन्हें मैं सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए भेज रहा हूं और सूचना नं0 7 माननीय गोपाल दास यादव जी ।

*श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में जो इस समय वहां पर भ्रष्टाचार व अन्य अनेक समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यह चिकित्सा पद्धति मानव समाज की सेवा आदिकाल से करती चली आ रही है, लेकिन मान्यवर, दुख इस बात का है कि शासन द्वारा इस पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस पद्धति का जो गौरव और महत्व होना चाहिए था, वह महत्व नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से इस शिक्षा के ग्रहण करने वाले छात्रों में जबर्दस्त असंतोष और मानसिक तनाव पैदा होता जा रहा है । दूसरे मान्यवर, इसकी शिक्षा को दूसरी अन्य शिक्षाओं से जो कम्बाइण्ड कर दिया गया है, उसकी वजह से भी छात्र में काफी क्षोभ है । एक लखनऊ में और दूसरा इलाहाबाद में है । यहां पर 40-40 सीटें लखनऊ और इलाहाबाद में हैं और पिछले 5 सालों में 200 में से केवल 45 विद्यार्थियों का ही इसमें चयन हुआ है । आज हर विद्यालय में उर्दू और संस्कृत भी होनी चाहिए जिससे छात्रस्थान पा सकें । इलाहाबाद के अन्दर जितने टीचर्स होने चाहिए वहां पर उतने टीचर्स नहीं हैं । जहां पर 56 टीचर्स होने चाहिए वहां पर केवल 15 टीचर्स हैं । वहां पर पढ़ाई कैसी होती होगी, प्रैक्टिकल कैसे होते होंगे वहां का जो प्रधानाचार्य है वह हाईस्कूल भी पास नहीं है और उसने वहां पर अपने पूरे परिवार को नियुक्ति करा दी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री गोपाल दास यादव—

वहां पर 50 शैय्याओं का अस्पताल है लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर एक्सरे है लेकिन एक्सरे टक्नीशियन नहीं है । वहां पर एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है । वहां पर बहुत भ्रष्टाचार है । जो अनुदान शासन से दिया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है । इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनको मुअत्तल किया जाय । शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा जी, आपने सूचना नं0 4 पर भी हस्ताक्षर किये हैं और सूचना नं0 5 पर भी । मैं इसको खत्म करता हूं । सूचना नं0 20,21 माननीय राजेन्द्र गुप्त, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री मैनेजर सिंह सबकी सूचनायें एक ही हैं इस पर कोई दो व्यक्ति बोल लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, प्रदेश में एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । कुमायूं मण्डल में लगातार 4 दिन से वर्षा हो रही है और उसके कारण भू-स्खलन हो गया है और अभी दूर संचार से भी बात नहीं हो पा रही है कि स्थिति क्या है । वहां पर ऋषिकेश के बीच में पुल भी टूट गया है जिससे रेलगाड़ियों का चलना बन्द हो गया है । काठगोदाम से नैनीताल के इधर कोई गाड़ी नहीं आ रही है । वहां पर एक नहीं हजारों की संख्या में यात्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फसे हुए पड़े हैं। दो व्यक्तियों की मृत्यु की भी सूचना मिली है । यह बहुत ही अविलम्बनीय और तात्कालिक है । छोटे बच्चों को खाने का सामान उपलब्ध हो रहा है और वहां का जनजीवन अस्तव्यस्त हो या है इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो जो हर चीज से विज्ञ हैं, यह बात कहकर न इसे समाप्त कर दें कि सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीप रेवती रमण सिंह जी ने जो विषय रखा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं । वह तो इसकी विषय वस्तु है । वह कार्य स्थगन का प्रश्न बनता है या नहीं, इसकी ग्राह्यता पर कहना चाहूंगा मान्यवर, जहां यह घटना हुई है वहां कोई रिलीफ नहीं है । मान्यवर, दैवी आपदाएं तो आएंगी ही, लेकिन शासन की हृदयहीनता के बारे में मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं । मुझे अफसोस है कि अब तक उसके लिये शासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है । आज प्रातःकाल मेरी टेलीफोन पर बात हुई, पता लगा है कि हल्द्वानी स्टेशन पर हजारों व्यक्ति पड़े हैं । उनके पास खाने को नही है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी वहां देखने तक नहीं गया है । भूस्खलन से कामडोगी, भीमताल नैनीताल और हल्दानी में 2 व्यक्ति मरे हैं । वहां मलवा उठाने वाला कोई नहीं है । आपने देखा होगा कि पहाड़ मे थोड़ा सा भी भूस्खलन हो जाता है तो इधर और उधर कितनी बसें और सवारियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन यह जो भूस्खलन हुआ है, बहुत बड़ा है । वहां जो गैंगमैन काम कर रहे है, वह वहां नहीं हैं । कचरा उठाया नहीं जा रहा है नावें इनको नहीं हैं । क्योंकि वहा पर बरसात अप्रत्याशित रूप से हुई होगी लेकिन बरसात का समय आ गया और समय रहते शासन की जो व्यवस्था करनी चाहिये, नहीं हुई । इसलिये यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव बनता है । मैं समझता हूं कि जितने विषय आज आपके संज्ञान में आए हैं, उनमें इससे महत्वपूर्ण विषय दूसरा नहीं हो सकता वहां व्यक्तियों को एक हजार जानें फंसी हैं, राहत कार्य हो नहीं रहा है । इसलिये मैं इस पर बल देता हूं । इसपर कार्य स्थगित करके विचार करें । संसदीय परम्पराओं में कार्य स्थगन हमारा विशेष अधिकार है । आगे सदन बन्द होने जा रहा है । मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

(संसदीय कार्य राज्यमंत्री के खड़े होने पर)

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्व विभाग से सम्बन्धित राहत कार्य का है । यहां पर राजस्व मंत्री बैठे हैं । यहां मैं जितनी देर इस समस्या पर बोला, वे उधर बात करते रहे । उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं । नियमों में व्यवस्था है कि हम लोग आपको एक घंटा पहले सूचना देंगे । दस बजे से पहले सूचना दे दी जाती है, अतः सम्बन्धित मंत्री के पास सूचना पहुंच जाती है ताकि वे अपने विभाग से जानकारी प्राप्त कर लें । पूर्व दृष्टांत हैं और पूर्व के पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्थाएं हैं कि इसमें उत्तर सम्बन्धित मंत्री को ही देना चाहिये । मंत्री बाहर गया हो तो संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे सकते हैं । जिस प्रश्न को हम आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संज्ञान में लाए हैं वह राजस्व विभाग से सम्बधित है । राजस्व मंत्री बैठे हैं, अतः इनको ही उत्तर देना चाहिये, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र गुप्त जी यह कोई जरूरी नहीं है कि राजस्व मंत्री ही जवाब दें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है । मान्यवर, पूर्व के दृष्टांत हैं और पीठासीन अधिकारियों की माननीय बनारसी दास जी की धर्म सिंह जी की व्यवस्थाएं हैं कई बार को उन्होंने सम्बन्धित मंत्रियों को चैम्बर में बुलाकर उत्तर दिलाया है । आपके लिये कोई आवश्यक नहीं है कि उन पूर्व दृष्टांतों को माने लेकिन पूर्व दृष्टांतों को आपकी जानकारी में लाना मेरा अधिकार है, तो मैंने बता दिया अब आप मानें या न मानें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो प्राविधान नियमावली में नियम 56 में दिये गये हैं, उसकी ग्राह्यता की कुछ शर्तें हैं । माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो विषय रखा, उसके गुण अवगुण के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा । प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से से संचार व्यवस्था भंग हो गयी है । जो लोग वहां पर हैं, वे वहीं पर हैं । संख्या का अभी अनुमान नहीं हो पाया है । तमाम मैदानी इलाकों के लोग भी पहाड़ों पर गये होंगे । मान्यवर, 20 घंटे लगातार पानी बरसा है । मान्यवर, इसमें ग्राह्यता के अन्तर्गत नियम 58 में 7 शर्तें हैं । इसे आप देखें । इसके बाद मैं आपका ध्यान नियम 60 के दूसरे भाग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । 60(2) देखें--इसमें है "यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्य खड़े हो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी । यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित कर देंगे कि उन्हें सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है ।

मान्यवर, ग्राह्यता की जितनी भी शर्तें हैं, वे सब पूरी हो रही हैं । अब इसके बाद अगर आप अनुज्ञा दें और 1/12 सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो फिर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है ।

मान्यवर, आज के उपवेशन में मेरी दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं आया । यह तात्कालिक है । जो ग्राह्यता की शर्तें हैं, वे पूरी हैं । नियम 60(2) के अन्तर्गत अगर इसका आप समाधान करना चाहें तो आप अनुज्ञा दे दें । 1/12 सदस्य खड़े हो जायेंगे, इसको आप स्वीकृत करें ।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कार्य-स्थगन के प्रश्न के रूप में कुमाऊं मण्डल में 20 घंटे वर्षा होने की सूचना दी है और जिससे भू-स्खलन और रास्ते में रुकावट की बात कही है । मेरा अनुरोध है कि आप इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, हमारे पास इस सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी है । जो आदरणीय सदन के समक्ष इसे रखना चाहेंगे । आप इस पर चर्चा करायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय संसदीय-कार्य मंत्री जो इस प्रश्न की ग्राह्यता पर बोल सकते हैं या अपनी बात कह सकते हैं। यह व्यवस्था कैसे दे सकते हैं कि वक्तव्य दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह--

मैंने अनुरोध किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप हमें निदेश दें 1/12 सदस्य इस विषय पर सहमत हों तो आप इसको स्वीकार कर लें कार्य-स्थगन के रूप में।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय संसदीय-कार्य मंत्री ने वक्तव्य के लिये स्वीकार किये जाने की बात कही है इसके माने उन्होंने परोक्ष रूप से ग्राह्यता की शर्तों को स्वीकार कर लिया।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब नियमावली के नियम 60 के अन्तर्गत जब ग्राह्यता की शर्तों को सत्ता पक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है तो मान्यवर, आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि अब आप सदन में इस बात को देख लें कि 1/12 सदस्य इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। 12वां अंश सदन में आज की इस समय की उपस्थित का यदि इसका समर्थन करता है तो कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

यह तब होगा जब मेरी इजाजत होगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। सत्तापक्ष ने भी इसकी गम्भीरता को माना है और जो ग्राह्यता की शर्तें हैं स्वीकार किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नियमावली के नियम 60 को देखने की कृपा करें। क्या 12वां अंश इसका समर्थन करता है? इसे आप देख लें। मेरा निश्चित मत है कि 12वां अंश इसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहने जा रहा हूं कि आप इस पर अनुज्ञा ले लें कि 12वां अंश इसका समर्थन कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मेरी अनुज्ञा के बाद ही तो यह होगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

ग्राह्यता की सारी शर्तों को यह विषय पूरा करता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी सिद्धान्ततः इसको स्वीकार कर लिया है और वक्तव्य देने के लिये कहा है। इसलिए मान्यवर, आप प्रश्न उपस्थिति करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी स्वीकार तो किया नहीं है। आप लोग सब क्यों खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, अब यह प्रश्न बहुत आवश्यक हो गया है। मैंने आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से

अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है । यदि राहत कार्य हो रहा होता तो राजस्व मंत्री जो जो यहां पर बैठे हुए हैं, बड़े साहस से खड़े होते और कहना शुरू कर देते कि हमने इतनी नावों की वहां पर व्यवस्था कर दी हैं और इतना राशन हम ट्रकों द्वारा बांट रहे हैं लेकिन सरकार ने आज तक वहां पर कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया है, इसलिए वह कुछ नहीं कह रहे हैं । इसलिए मान्यवर, आप इसे कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में आप इस पर चर्चा स्वीकार करें । यदि आप ऐसा करेंगे तो यह इस अष्टम विधान सभा का एक इतिहास हो जायेगा । और हमको बल मिलेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, नियमों के तहत हमने अपनी बात कही है इसलिए आप अनुज्ञा लेकर प्रश्न उपस्थित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी अनुज्ञा नहीं दी है ।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, यह लोगों की जान-माल से सम्बन्धित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी श्री गुप्ता जी, श्री तिवारी जी और विशेष तौर से श्री शतरुद्र प्रकाश जी संसदीय परम्पराओं के विज्ञ हैं । आज ही नहीं इससे पहले भी कई बार सदन में ऐसे मौके आये हैं जब खुद सरकार ने स्वयं कहा कि इस पर वक्तव्य दे दिया जायेगा चाहे वह कार्य-स्थगन के रूप में पेश किया गया हो लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही उसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है । बल्कि इसका आशय यह है कि और बातों पर समय नष्ट करने के बजाय....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इसको कार्यवाही से निकलवाइये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

सदन का समय नष्ट न करें, समय नष्ट करने की बात आप....

श्री हुकुम सिंह—

जो साधारणतया कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए, अग्राह्य करने के लिए कहा जाता है इसलिए उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता । हम विस्तार से आप को जानकारी दें कि हमने क्या-क्या किया है, और अगर आज ही जानना चाहते हैं तो जितने भी यात्री रुके हुए है उन तमाम को निकलवाने के लिए बसें लगा दी हैं, तमाम राहत कार्य चालू है और जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं, कि खाने-पीने की व्यवस्था करें । बाद में विस्तार से सब बातें रखी जायें, कितनी बसें लगायीं हैं, कहां-कहां लगायी हैं, कितने यात्री रुके, अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं, मैंने इसकी जानकारी की है, कोई कठिनाई किसी प्रकार की नहीं है, वर्षा हो रही थी पुल टूट गया....

(व्यवधान)

टेलीप्रिन्टर, टी० पी० मेसेज दिया है और सुनिश्चित कर लिया है कि कोई यात्री किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करे, यानी सारी व्यवस्था कर दी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मंत्री जी ने पहले कहा कि कोई सूचना नहीं है ।

एक आवाज—यह गलत बयानी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

इन्होंने कहा कि सूचना नहीं है, कार्यवाही में देख लें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कहा होगा तो कार्यवाही में देख लिया जायगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह गलत बयानी है, मान्यवर ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

उत्तेजना नहीं । यह कह रहे थे तो हम सुन रहे थे जब हम कह रहे हैं तो यह सुनें । दूर संचार नहीं है, राजधानी से सम्पर्क टूट गया है, किसी प्रकार से बात सम्भव नहीं है, टेलेक्स है नहीं, फिर कैसे इन्होंने कहा था कि व्यवस्था कर दी । न टेलेक्स की व्यवस्था है न टेलीफोन की है । तो यह कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । इसी को देखने के लिए मैं मांग करता हूं कि ग्राह्यता की शर्तों को देखते हुए अनुज्ञा ले कर इसे स्वीकार करें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं खड़ा हूं, आप बैठ जायें । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा था कि इस पर वक्तव्य दिला दिया जाय, इसलिए इस को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और अनुज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय पर कोई व्यवस्था नहीं होती ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । इतनी जानकारी है कि अध्यक्ष के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए इतना संसदीय ज्ञान रखता हूं । मुझे आपके सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी है ।

(घोर व्यवधान)

मैं नम्रता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना रेवती रमण सिंह जो ने दी थी ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना उन्होंने अलग दी थी, मैंने अलग दी थी । ग्राह्यता पर जो बोले वह भी दोनों विषय अलग हैं । जब सदन में चीज आ गयी सदन की सम्पत्ति बन गयी, उसके बाद वह न माननीय रेवती रमण सिंह जी की रही, न मेरी रही । सदन के बाहर चैम्बर में हमारी और आपकी अगर कोई बात होती है तो उसका उल्लेख परम्परागत रूप से सदन में नहीं किया जाता । माननीय रेवती रमण सिंह जी ने आपसे क्या कहा, मुझे नहीं पता । उनको सदन की ओर से कोई बात निर्देशित करने का हक नहीं है । वह हमारे नेता हैं, उनका सम्मान रखते हुए कहना चाहूंगा कि उन्हें सदन के बाहर कक्ष में कोई बात कहने का हक नहीं था । सदन में किसी की मंशा नहीं थी कि उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर सहमत हुआ जाय । पुनर्विचार के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में ही चर्चा करना चाहते हैं । स्वयं के मत को ध्यान में रखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निर्देशित कर

दिया है, मैं चुनौती देता हूं टेलेक्स की कापी मंगा लें, अगर आपका समाधान हो जाय कि सरकार के ऐसे निर्देश जिलाधिकारी, नैनीताल को सहारनपुर को दिये गये हैं, तो हम अपनी बात पर पुनर्विचार करने को तैयार हो जायेंग । मेरा आरोप है कि इस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो पहली बात कही थी कि मेरी जानकारी नहीं है, तत्काल बात पलट गये । इन्होंने अपनी निष्क्रियता पर और संवेदनहीनता पर पर्दा डालने के लिये ऐसा किया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैं जो निर्णय दे चुका हूं वह माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी से सदन के बाहर हुई बात के आधार पर नहीं है, बल्कि आप सबकी बातों को सुनने के बाद मैंने निर्णय दिया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

इन्होंने जिस हृदयहीनता का परिचय दिया है, उसके विरोध में अपने दल सहित सदन त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं आपका ध्यान नियम 60 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अगर आप किसी सवाल पर इजाजत न दें तब नियमों में कोई व्यवस्था है या नहीं, मैं यह बताना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय के ऊपर आप नहीं कह सकते ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थावित विषय नियमानुकूल है और नियम 57 के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मागेंगे । लेकिन नियम 60(2) क्या कहता है--यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, आपने यहां अनुज्ञा नहीं दी है । आगे लिखा है कि अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तत्कालिक सदन के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य खड़े हो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी । यह अनुज्ञा प्रदान करने का जो दूसरा चरण है कि अगर 1/12 सदस्य खड़े हो जाते हैं तो अनुज्ञा प्रदान करने के लिये सोचेंगे मैंने यह प्रश्न नियमावली के मुताबिक उपस्थित किया है, मैंने कोई व्यवस्था की मांग नहीं की है । नियमावली का नियम 60-(2) कहता है कि अगर 1/12 सदस्य खड़े हो जायं तो आपको अनुज्ञा देनी चाहिये ।

श्री राम औतार दीक्षित--

जब विषय पर निर्णय हो गया है तब इसकी क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे निर्णय देने के बाद अब यह प्रश्न नहीं उठता है जो आपने उठाया है । 23 सूचनाओं को मैंने नियम 56 में अस्वीकार किया । अब मद संख्या 14 ।

(व्यवधान के मध्य सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री द्वारा अनुदान प्रस्तुत करना आरम्भ किये जाने पर)

(व्यवधान)

(इस समय 2 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मनोहर लाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री हर्षवर्धन, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री भोपाल सिंह आदि अनेक विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

ऐसे काम नहीं चलेगा । आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं । सदन नियमों के अन्तर्गत ही चलना चाहिए ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्य सामने फ्लोर पर खड़े हो कर बोलते रहे)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

नियमों के विपरीत सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय हो चुका है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

पहले आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठिये, तब हम आपकी व्यवस्था सुन सकते हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

नियमों के विरुद्ध सदन नहीं चलेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं हर्ष वर्धन जी और श्री वर्मा जी से कह रहा हूं कि आप वहां जाकर पहले बैठिये, फिर व्यवस्था उठाइये ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर व्यवधान करते रहे और नारे लगाते रहे --"यह सदन नहीं चलेगा", यह सदन नियम के विरुद्ध नहीं चलेगा, "इस तरह से सदन नहीं चलने देंगे ।")

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपनी सीट पर चलकर बैठे और वहीं से व्यवस्था उठायें यहां से कुछ नहीं सुना जायेगा ।

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्य नारे लगाते रहे कि "यह सदन नहीं चलेगा, नियम के विरुद्ध सदन नहीं चलेगा")

श्री अधिष्ठाता--

आजम साहब, आप लोग जाकर बैठे और वहीं से व्यवस्था उठायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित कर दिया । 3 बज कर 5 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने 25 मिनट सदन की कार्यवाही और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने 30 मिनट सदन की कार्यवाही पुनः स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 4 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट पेश होने जा रहा है उसे एक ऐसे माननीय मंत्री पेश करने जा रहे हैं जिन पर बहुत बड़े गम्भीर आरोप हैं और वह आरोप एक इसी मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा लगाया गया है । इन्होंने जमीन का फर्जी इंदराज अपने नाम करा दिया है । इसलिए जिन पर इतने गम्भीर आरोप हों, नैतिकता का तकाजा है कि उनको आज यह बजट

पेश नहीं करना चाहिये । मान्यवर, आप उदाहरण देखेंगे श्री लालबहादुर शास्त्री श्री कृष्णामाचारी आदि ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए उनको भी दे देना चाहिये और इस बजट को पेश नहीं करना चाहिये । यह सारे सदन की भावना है एक गम्भीर आरोप उन पर हैं, मुकदमा चल रहा है । उनसे आप बजट पेश करवाते हैं तो हम सदन त्याग करते हैं ।

(नेता विरोधी दल सम्पूर्ण विपक्ष सहित सदन त्याग कर चले गये)

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग(आवास भवन) अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा--)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग(अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,76,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय :

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,09,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,97,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,46,77,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपने मुझे यहां पर आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट पेश करने के लिए अनुमति दी उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, इस गरिमामय सदन में मुझे यह बजट

पेश करने का मौका मिला इसके लिए भी मैं सदन का आभारी हूं ।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत समय से काम कर रहा है । जिसके सम्बन्ध मे मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि इसको स्थापना 1844 में हुई और इसका पुनर्गठन 1980 में हुआ । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस विभाग ने जो 16 प्रतिशत आबादी देश की यहां निवास करती है, इस प्रदेश के अन्दर फिर भी सड़कों की कमी है । मैं इस सम्बन्ध में एक आंकड़ा भी प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, पंजाब में प्रति लाख आबादी पर 246 किलोमीटर सड़कों का अनुमान है, कर्नाटक में 211 कि0 मी0 और हमारे प्रदेश में 61 कि0 मी0 पक्की सड़कें हैं जिससे प्रतीत होता है कि यहां सड़कें कम हैं । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल से देखें तो 100 किलोमीटर के ऊपर कम से कम 24 कि0 मी0 हमारे यहां सड़के हैं ।

मान्यवर, बाम्बे प्लान जो एक बना था, देश-विदेश से तकनीकी लोग आये थ और इंडियन कांग्रेस का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था तो उसमें तय हुआ था कि 32 कि0 मी0 प्रति 100 कि0 मी0 क्षेत्रफल पर पक्की सड़कें होनी चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है । मान्यवर, अभी लखनऊ प्लान बना था, इंडियन रोड कांग्रेस की मीटिंग, लखनऊ में हुई थी, सौभाग्य इस प्रदेश का है कि यहां मीटिंग हुई और उसके अन्दर तकनीकी विशेषज्ञों ने कुछ राय दिया था जिसके अनुसार 80 कि0 मी0 प्रति 100 कि0 मी0 क्षेत्रफल में पक्की सड़कें होनी चाहिए जिसको अभी तक पूर्ति नहीं हो पायी है । इसकी पूर्ति के लिये लखनऊ प्लान में आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब इस देश को आजादी मिली थी तो उस समय केवल 15113 कि0 मी0 प्रदेश में सड़कें थीं, और उसके बाद यह धीरे-धीरे बढ़कर आज 1985 में लगभग 71,200 कि0 मी0 हो गयी हैं । लखनऊ प्लान में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके अनुसार 20 वर्ष का प्लान था, इसके अन्तर्गत आने वाली इक्सवीं शताब्दी है जिसमें श्री राजीव गांधी, प्रधान मंत्री इस देश को आगे बढ़ाये जा रहे हैं, उस प्लान में तय हुआ है ढाई लाख कि0 मी0 सड़कें होनी चाहिए । टारगेट अच्छा है किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये काफी धन की आवश्यकता होगा जो कि उपलब्ध नहीं हो पाता है । मान्यवर, अभी सातवीं पंच वर्षीय योजना में आप देखें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी, ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि इस प्रदेश को अन्य सब चीजों के अलावा सड़कों का एक जाल दे देंगे जो एक आदर्श होगा और इस प्रदेश को ऊंचा स्थान देश में दिलायेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए 1286 करोड़ रुपये सड़कों के लिये उन्होंने प्रस्ताव किया था सातवीं पंच वर्षीय योजना में लेकिन प्लानिंग कमीशन की भी अपनी कुछ सीमायें होती हैं जिससे उनको कटौती करना होता है और इसलिए उन्होंने अपनी सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल 965 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है । इसलिए मान्यवर, जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

मान्यवर, मैं थोड़े और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस सदन को जानकारी हुई होगी कि 1984-85 में पक्की सड़कें सरकार 1539 कि0 मी0 प्राप्त की । मान्यवर, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि 7792 कि0 मी0 सड़कें और प्राप्त करने के लिए जो एक नई तकनीकी विधि निकाली है उसमें "हाटमिक्स" और पेवर फ्रिनिशर से सड़कें बन रही हैं और उसके अन्तर्गत हमने 287 कि0 मी0 सड़कें बनायी हैं। हमने एक बड़ी उपलब्धि की है और वह यह है कि हमने पिछले वर्ष 1289 ऐसे गांवों को फेयर वेदर रोड्स से सम्बन्धित किया

हैं, जोड़ा है जो 15 सौ की आबादी के हैं। हमको इस सम्बन्ध में केन्द्र से गाइडेंस मिली है। 15 सौ आबादी के जो गांव हैं उनको मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत, शत प्रतिशत गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमको सड़कों से जोड़ना है। हमको उसको पूर्ति करनी है। हमने अपने टारगेट जरूर रख लिये हैं लेकिन पूर्ति अवश्य ईश्वर के हाथ में है। जो 15 सौ आबादी से कम के गांव हैं उनमें से 646 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 133 जूनियर हाई स्कूलों को बनाया है। 348 प्राइमरी स्कूलों को बनाया है। 364 पी0 एच0 सीज0 बनायी हैं। जो उच्च श्रेणी के हेल्थ सटर्स हैं तो 46 हेल्थ सेंटर्स को बनाया है। इसी तरह से 162 सब हेल्थ सेंटर्स बनाये गये हैं। 46 शिशु कल्याण केन्द्र बनाये गये हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं आपके समक्ष कुछ और आंकड़े रखना चाहता हूं जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसके द्वारा हमने कुछ विशेष योजनायें अपने प्रदेश के अन्दर चलायी हैं।

आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 का जो प्रोग्राम है उसमें 135·90 करोड़ रुपये को हमने स्वीकृत किया था जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार का 60 करोड़ रुपये का हिस्सा था और भारत सरकार का 75·90 करोड़ रुपये का हिस्सा था। हमने 1990 तक जो पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है, हमने तय किया है, इस प्रदेश की सरकार ने माननीय नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में तय किया है कि 15 सौ आबादी के जो गांव हैं, उन शतप्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ दें। 100 से 1499 की आबादी के जो गांव हैं तो उन गांवों के 50 प्रतिशत गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। मान्यवर, यह कहने में गर्व होता है कि 1000 से 1499 आबादी तक के जो गांव हैं, जो हमारा टारगेट इस सम्बन्ध में था, उसको हमने प्राप्ति कर लिया है। उसके साथ ही साथ मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने में हर्ष हो रहा है कि हमने 1984–85 में कुछ शहरों की सड़कों का सुधार किया है इसके लिए हमने 54 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इसमें हमने 6 महानगरियों, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद में सड़कों के सुधार का कार्य किया है। इतना ही नहीं 6 कमिश्नरियों के हेड क्वार्टर्स पर, 1985–86 के अन्दर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी के लिये 55 करोड़ रुपये व्यय करके सड़कों के सुधार का कार्य किया जायगा। हाट मिक्स और पेवर फिनिशर के जरिये सड़क बनाने की जो नयी तकनीक है उनके द्वारा इन में कार्य पूरा करने का हमने संकल्प किया है। मान्यवर, इसके अलावा इस विभाग के जो कार्यक्रम हैं और जो कार्यप्रणाली है उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

हम इस प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को ऊपर ले जाने के लिये हमने योजनायें बनायी हैं। हमने कुछ प्रस्ताव बनाकर भेजे थे तो जैसा मैंने अभी चंद मिनट पहले कहा वह हमको प्राप्त नहीं हो सके हैं। फिर भी हमारे जो इस साल के आंकड़े हैं। 1985–86 में हमने 346·6 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है जिसमें से 49 करोड़ रुपये इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होगा। 140 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च होंगे। 69 करोड़ रुपया भवनों पर खर्च होगा। 28 करोड़ रुपया ब्रिजेज पर खर्च होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक चीज अवश्य लाना चाहूंगा कि नयी जो स्वीकृतियां हैं वह कम ही दे पायेंगे। पुरानी स्वीकृतियां हैं, जो पुराने कार्य हैं, जो स्पिल ओवर वर्क्स हैं उनको पूर्ति करने में हमको काफी रकम लगानी पड़ेगी। इसके अलावा मान्यवर, मैं कुछ और आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता इस वर्ष हमने 612 कि0 मी0 पक्की सड़कों के बनाने का प्रस्ताव किया है। सड़कें जिनका पुनरुद्धार करना है वह 771 किलोमीटर हैं और कच्ची खड़ंजा

की सड़कें 2175 किलोमीटर का हमने प्रस्ताव रखा है, टारगेट रखा है तथा पुल जो 30 मीटर के ऊपर के हैं, 65 पुलों का हमने टारगेट रखा है । यह भी टारगेट रखा है कि नई तकनीकी विधि से करीब 12 सौ किलोमीटर लम्बी सड़कें हम बनवायेंगे । जो 6 महानगरीय शहर हैं, उसके अलावा 8 ऐसे राजमार्गों को हम ले रहे हैं, जहां नई तकनीकी विधि से सड़कें बनवायेंगे । 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को हम फेयर-वेदर सड़कों से जोड़ेंगे और 1000 से 1499 की आबादी वाले जो गांव हैं, जो केन्द्रीय सरकार की ओर से तय हुआ था, उसको हमने प्राप्त कर लिया है । 288 गांवों को और हम फेयर-वेदर सड़कों से जोड़ेंगे ।

कुम्भ मेले के अवसर पर कुम्भ मेला यात्रियों की सुविधा से लिए हमने 9 सड़कें वहां पर बनवाने का प्रस्ताव रखा है, और 12 अस्थायी पुल भी हम वहां पर बनवाने जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु भक्तजनों को कोई कठिनाई न हो और आने वाले वहां पर सुविधा प्राप्त कर सकें । हमारे विभाग ने कुछ बड़े-बड़े सार्वजनिक भवन बनाने का लक्ष्य रखा है, जो इस वर्तमान वर्ष में हम बनवायेंगे, जैसे--योजना भवन, इंदिरा-भवन, गांधी-भवन, साथ ही हमने हाईकोर्ट की मल्टी-स्टोरीज बिल्डिंग भी बनवाई है । इसके अलावा जो हमारा रिपेयर वर्क होगा, जिसका लक्ष्य रखा है, उसके भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने देना चाहूंगा । वह इस प्रकार है, हमने पिछले वर्ष जो जो कार्य किया था, इस वर्ष हमारे पास धन की कमी हो गई है, फिर भी माडर्न सरफेसिंग के लिए, मशीनीकरण की प्रक्रिया से हम सड़कों को बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमने 8 राष्ट्रीय मार्गों को चुना है । वह हैं:--जी0 टी0 रोड (गाजियाबाद से कानपुर तक), देहली-मेरठ मुजफ्फरनगर-सहारनपुर-देहरादून रोड, खटीमा-पानीपत रोड, बरेली-अलमोड़ा रोड, रामपुर-नैनीताल रोड, लखनऊ-रायबरेली-ऊंचाहार-इलाहाबाद रोड, इलाहबाद-प्रतापगढ़-फैजाबाद रोड तथा वाराणसी - आजमगढ़ - गोरखपुर-देवरिया रोड । इसके अलावा हमने इतना ही नहीं किया है बल्कि जो इस समय हमारे पास सड़कें मौजूद हैं, उनके उच्चीकरण करने का भी कार्यक्रम अपने यहां रखा और इसके लिए तय किया है कि और 700 किलोमीटर सड़कों के लिए प्रपोजल केन्द्रीय सरकार के पास हमने भेजा था, ताकि वह नेशनल हाइवे में आ सके । कुछ रुपया स्वीकृत होकर आ गया है, 156 नम्बर का । जो मुख्य जिला सड़कें अर्थात् एम0 डी0 आर0 हैं उनको राष्ट्रीय मार्गों में परिवर्तित करेंगे, अर्थात् एक लेन की जो सड़कें हैं, उनको हम दो लेन में अर्थात् 22 फुट में परिवर्तित करने का इन्तजाम कर रहे हैं । उसके अलावा हम रुपये की कमी की वजह से और ज्यादा कार्य शक्ल अख्तियार देने की स्थिति में नहीं हैं । फिर भी हमने इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण 640 करोड़ रुपये का प्लान बनाकर वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया है । यदि यह हो जाता है तो हमें पूरी आशा है कि कई सौ किलोमीटर सड़कों का हम उच्चीकरण कर सकेंगे ।

एक बहुत बड़ी हर्ष की चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में दो बार इंडियन रोड कांग्रेस हुई है । एक बार कांग्रेस के गोल्डेन जुब्लिी सम्मेलन को हमें अपने यहां आयोजित करने--होस्ट बनने का मौका मिला है । इसी तरह से हिल्स रोड परिषद् की सेमिनार भी जुलाई में अपने यहां कराने का हमें मौका मिला है । सदन को जानकर खुशी होगी कि करीब ढाई हजार डेलीगेट के रूप में, अन्य प्रदेशों से और विदेशों से बहुत अच्छे-अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ यहां आए थे जिन्होंने लखनऊ प्लान तैयार किया और जो हमारी हिल्स सेमिनार हुई है नैनीताल में, उसमें भी करीब 500 डेलीगेट्स हमारे यहां आए थे, देश से और विदेशों से भी । इंडियन रोड कांग्रेस ने जो एक लक्ष्य रखा है, उसको हमने अपने यहां पूरा करने का निश्चय किया है ।

में एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह सड़कों का जो कार्य-क्रम है, बहुत बड़ा आवश्यक कार्यक्रम है । इसमें मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य अपना सहयोग देंगे, क्योंकि हमारा यह बहुत बड़ा इच्छा है कि सड़के हमारे सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र तक सुलभ हो जाय । सड़कों का हमने बहुत बड़ा काम किया है । पिछले वर्ष में आप लोगों को मालूम होगा कि जहां पर आप लोग जाते हैं सड़कों के बारे में आपको प्रशंसा सुनने को मिलती है । सड़कों के मामले में यह प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है । इसी के साथ हम यह भी कोशिक करेंगे, हालांकि धन की कटौती हुई है, जो प्रस्ताव हमने भेजा था, उसमें कटौती करके 965 करोड़ का भेजा, लेकिन सप्लीमेन्ट्री ग्रांट लेकर पूरी कोशिश हो रही है । वर्ल्ड बैंक से भी कोशिश हो रही है कि कुछ न कुछ और कार्य की बढ़ोत्तरी हो जाय, कुछ न कुछ और सड़कों की बढ़ोत्तरी हो जाय और सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में सड़क सुलभ कर दी जायं ताकि और सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सके । पी० डब्लू० डी० के साथ सम्बद्ध दो निगम भी हैं, एक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम है । उसके बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं । उसने एवार्ड भी पाया है और साथ ही साथ देश और विदेश के अन्दर बहुत बड़ा काम किया है और आज देश और विदेश के अन्दर उनकी बहुत बड़ी ख्याति है । मैं अपने अधिकारियों के साथ गुजरात, महाराष्ट्र गया था । वहां पर हमको बहुत प्रशंसा सुनने को मिली है । वहां पर हमारे सेतु निगम से कहा गया कि हमारे यहां पर भी ठेके पर काम ले लो । उन्होंने स्वयं आफर किया है ।

आंध्र में हम बहुत बढ़िया पुल बना रहे हैं और भी जो वहां पर बिल्डिगें हैं, वह बहुत बहुत अच्छे ढंग की बनाई गयी हैं । हमारे जो एम० डी० हैं उन्होंने बताया कि केरल के अन्दर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए आफर है । ईराक में हमारे काम चल ही रहे हैं । लेकिन जो इन्टरनेशनल मारकेट है, उसमें कम्पटीशन बहुत है । चीन, जापान, कोरिया भी इस कम्पटीशन में पीछे नहीं हैं । अमेरिका आज परेशान है वह जापान से पीछे जा रहा है । यह निगम अपने कार्य के साथ-साथ अपने नवजवानों को नौकरी देने का प्रयास कर रहा है । हमने अल्जीरिया, इजिप्ट आदि के भी आंकड़े इक्ट्ठा कर लिया और 1985-86 में कार्यक्षमता लगभग 70 करोड़ है, जिससे अन्दाजा लगता है कि इसकी 60 गुना बढ़ोत्तरी हुई है । यह लाभ बहुत अच्छा कमा रहा है । मैं सदन का बताते हुए गौरव का अनुभव करता हूं कि हमारे दो निगम ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं । 1984-85 में तीन करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था । 1985-86 में लगभग 5 करोड़ शुद्ध लाभ अर्जित करने की आशा है । लखनऊ में इसके द्वारा बिल्डिंग बनायी गयी हैं । ओ० सी० आर० एनेक्सी और जयपुर में भी इसके द्वारा बिल्डिंग बनायी गयी हैं । हम इस विभाग को तेजी से ऊपर ले जाने के लिए, उसकी गुणता को सुधारने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं, उसका रिसर्च डायरेक्टरेट खोला गया है । यह जांच करता है कि कौन सी गिट्टी अच्छी रहेगी । कौन सा मैटीरियल अच्छा रहेगा । हर जिले में एक लेबोरेटरी खोलने का निश्चय किया गया है । इसमें नयी तकनीकी विधियों की खोज होती है । हमारा वास्तविक विभाग भी है । इसमें एक चीफ आर्किटेक्ट होता है । सात लोगों का इनका स्टाफ होता है ताकि अच्छे-अच्छे भवनों का निर्माण हो सके । मशीनीकरण पर मान्यवर, माननीय सदन का थोड़ा समय लेना चाहूंगा । क्योंकि बहुत सी जगह पर यह अजूबा सी चीज बनी हुई है । अभी हम गुजरात और महाराष्ट्र गये थे ।

गुजरात में बहुत तेजी से मशीनीकरण की प्रक्रिया से कार्य हो रहा है ।

हम मशीनों को जुटा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में, अधिक भार सहन करने वाली सड़कें बन सकें। माननीय मुख्य मंत्री नारायन दत्त तिवारी जी के प्रयास से "कार्य ही जीवन है" इसका विकास हुआ है। पी० डब्लू० डी० विभाग में आपने देखा होगा कि मुख्य मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जहां कोई भी काम हो रहा है, जहां रोलर लगे हुए हैं, वहीं अगर जंगल में भी सड़क बन रही है तो जंगल में भी फील्ड अफसर होगा, नक्शा बना होगा और साथ ही साथ ड्यूटी चार्ट होगा जिससे पता चल सके कि कौन ड्यूटी पर है कौन ड्यूटी पर नहीं है। अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि समय-समय पर चाहे रात्रि का समय रहा हो, माननीय मुख्य मंत्री जी ने या मैंने निरीक्षण किया है, तो अधिकतर अधिकारियों को कार्यरत पाया है। चाहे वह इंजीनियर हों चाहे वह चीफ इंजीनियर हों, सब वहां दिखाई देते हैं। कार्य के प्रति काफी रुचि पैदा हुई है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश सड़कों के मामलों में देश के अन्दर बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर सकेगा, वह समय अब दूर नहीं है। श्रीमन्, कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए हमने इसका पुनर्गठन किया है। इसके चार जोन थे। एक जोन पहाड़ पर था, अब पहाड़ पर अच्छी तरह से काम हो उसकी जांच अच्छी तरह से हो इसलिए हमने एक जोन के दो जोन बना दिया है। एक जोन कुमाऊं में किया है। एक जोन के लिए एक चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, यहां पर जो तीन जोन थे, उसके पांच जोन बना दिए हैं। इसमें दो कमिश्नर एक चीफ इंजीनियर के अन्डर में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं, यह भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के संरक्षण में हमने दंड देने में कमी नहीं की है। मुझे सदन के संज्ञान में लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हमने 264 गजटेड अफसरों को इस वर्ष के अन्दर दंडित किया है इसके अलावा एक बात बार-बार सदन में आती रही है और सदन के माननीय सदस्य कहा करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय। हमारे सेतु निगम के अन्दर ठेके का कोई काम नहीं होता है, राजकीय निर्माण निगम के अन्दर जो ठेके का काम होता है, वह न के बराबर है। पी० डब्लू० डी० में जो कार्य होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक कर दिया है। रजिस्ट्रेशन से यह लाभ हुआ है कि वही ठेकेदार अब आते हैं जो कुछ अनुभव रखते हैं, काम पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, पैसा व्यय कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि टेन्डर किसी ने भर दिया, काम किसी ने ले लिया, काम पूरा नहीं हुआ, मुकदमेबाजी होती थी, धन व्यय होता था और कीमत बढ़ जाती थी।

यह भी बतलाना चाहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा की एक समिति बनी है, वह पूरा विचार कर रही है कि इस ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतया कैसे समाप्त किया जाय। हम अपने प्रदेश के अन्दर हाईवेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि संसार में आज नहीं हजारों साल पहले हाईवेज को बहुत बड़ी मान्यता दी थी। रोमन ऐपिन नामक हाईवेज बहुत लम्बी हाईवेज है। इसी प्रकार इंका सभ्यता में खंडहरों में देखने को मिला कि बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण किया था यद्यपि उनके पास पहियेदार गाड़ियां नहीं थीं। पैदल चलने के लिए उन्होंने यह सड़कें बनायी थी। मैं दोनों तरफ के साथियों से यह चाहूंगा कि वह सृजनात्मक सुझाव दें। हमारे विभाग में जो कमियां हैं, उनको बतावें, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में बतावें, हम उनके सुझावों को सादर ग्रहण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके सुझाव के अनुसार विभाग

में सुधार कर सकें। मैंने बजट को सदन में प्रस्तुत कर दिया। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

[4 बजकर 31 मिनट]

*श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, आज माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट पेश किया। बड़े गौर से मैं उनकी विभागीय चर्चा को सुन रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मंत्री जी अपने विभाग के संबंध में कुछ गहन जानकारी देंगे। लेकिन मंत्री जी का सारा समय मुख्य मंत्री की प्रशंसा में और उनकी चाटुकारिता में समाप्त हो गया। माननीय मंत्री जी को विभाग के बारे में जो जानकारी देनी चाहिए थी वह नहीं दे सके। माननीय, उत्तर प्रदेश में जहां 80 फीसदी आबादी गांव में रहती है, गांव के विकास किए बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

माननीय, गांधी जी ने कहा था कि जब इस देश के तमाम प्रदेशों को और इनके शहरों को गांवों से जोड़ा नहीं जायेगा। देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन गांधी जी के नाम पर सत्ता में यह बैठने वाले लोग उनके बताये हुए रास्ते से भटक गए हैं। माननीय, यह सही है कि जब तक गांव से गांव को जोड़ने और गांवों को शहरों से जोड़ने का काम नहीं किया जायेगा वह देश तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए जब हम इस प्रकार की योजनाएं बनायें तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है।

माननीय राष्ट्रीय जीवन में सड़कों का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक हम लक्ष्य बन कर एक उद्देश्य बनाकर कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक चाहे वह कहीं का रहने वाला हो, गांवों का रहने वाला हो, शहरों का रहने वाला हो उसको आवागमन की सुगमता तथा हर संभव साधन इस प्रकार के मिलेंगे तो वह निश्चित ही विकास करेगा और उनकी पैदावार को और उनके उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यदि जितनी अच्छी सुविधा होगी, उतना ही वह विकास कर सकेंगे, लेकिन इस ओर इस सरकार का सदैव उपेक्षा रही है क्योंकि इस शासन के लोगों ने और विभाग के लोगों ने अपनी सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान दिया है, इस देश और प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं को और परेशानियों को ध्यान में कभी नहीं रक्खा गया है। मान्यवर, इस विभाग का नाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग है, बल्कि इसका नाम "प्लेन्डर वर्क्स डिपार्टमेन्ट" होना चाहिए या लूटकार विभाग होना चाहिए, जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम आता है, मस्तिष्क में स्वतः ही यह स्मृति उभर उठती है कि यह तो लूटकार विभाग है, यह भावना यहां के नागरिकों की इस विभाग के प्रति बनी हुई है मान्यवर इस भावना को सरकार को तोड़ना होगा, इसके लिए आपको अपनी तमाम भ्रष्टाचारी नितियों को तोड़ना होगा तभी यह विभाग और प्रदेश और देश उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। मान्यवर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो हिमालय की कंद्राओं तक बसा हुआ है, जिसकी सीमा चीन और नेपाल से मिलती है। इसलिए यहां पर सड़कों का विशेष सामरिक महत्व है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में सड़को का वही महत्व है जिस तरह ते शरीर के अन्दर रक्त वाहिनियों का होता है, इसलिए यहां पर तो पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल को बिछाने की आवश्यकता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस के इस 35 वर्षीय शासन काल में सड़कों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। आप देखें कि जनता शासन के तीन वर्षों के शासन काल में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, उस अनुपात में कांग्रेस के शासन में 35 वर्षों में नहीं हुआ है

(शोर)

मान्यवर, आप देखें कि वर्ष 1977-78, में 2,553 कि0 मीटर सड़कें बनी हैं वर्ष 1978-79 में 3,364 कि0 मी0 वर्ष 1979-80 में 4200 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार यदि देखा जाए कि तीन वर्षों में 10,417 कि0 मी0 सड़कें बनाई गईं। मान्यवर, आप देखें कि जिस समय हमारा यह देश आजाद हुआ था उस समय 15,103 कि0 मी0 सड़कें बनी हुई थीं और जनता शासन के तीन सालों में 10,417 कि0 मी0 सड़कें बनीं तो दोनों को मिलाकर 25,500 कि0मी0 सड़कें बनी और आज कुल 67,663 कि0 मी0 सड़कें बनी हुई हैं तो इस प्रकार आपके 35 वर्षों के शासन काल में कुल 42, 143 कि0 मी0 सड़कें ही बनीं।

इन आंकड़ों से आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि जनता शासन के तीन वर्ष के शासन काल में ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ या 35 वर्षीय शासन काल में ज्यादा निर्माण हुआ। मान्यवर, आज सड़कों के अभाव में विकास गति के पहियों पर कन्ट्रोल है। तो मान्यवर, जब विकास गति के पहियों पर रोक होगी तो प्रदेश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। विकास के रथ की गति में जब अवरोध उत्पन्न होगा तो हर चीज का विकास रुक जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश की विकास गति को आगे बढ़ाने का हर संभव जब आप प्रयास करेंगे तो यहां प्रगति संभव हो सकेगी। आज माननीय मंत्री जी ने ठेकेदारी प्रथा को हटाने की बात कही।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा को कम करने जा रहे हैं परन्तु आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। एक इन्जीनियर थे जे0 पी0 कोटली, उन्होंने कानपुर से रुड़की तक नहर बनाने का काम किया स्वयं सर्वे किया। लोहे की कमी पड़ी तो लोहे की फाउन्ड्री बनाई, विशेषज्ञों की कमी हुई तो रुड़की में ही इन्जीनियरिंग कालेज बनवाया, ईंट की कमी हुई तो ईंट के भट्ठे लगाये लेकिन आज कोई भी कार्य बिना ठेकेदारों के हो नहीं सकता क्योंकि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में वह इच्छा शक्ति नहीं है। सारा काम ठेके पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्गों की स्थिति प्रदेश के अन्दर बहुत दयनीय है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक केवल 31 कि0 मी0 में राष्ट्रीय मार्ग उ0 प्र0 सीमा में नए निर्मित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2445 कि0 मी0 राष्ट्रीय मार्ग है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ लगातार सौतेला व्यवहार होता रहा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने कम से कम इस प्रदेश को उचित हिस्सेदारी लाने का काम किया होता। आज न कोई मंत्री और सरकार कारगर ढंग से यह बात कह पा रही है। आज आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास करके प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक नये राष्ट्रीय मार्ग बनवाये और उसका खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे। मान्यवर, सरकार ने संकल्प लिया है कि 1990 तक 1500 से ऊपर आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। आज 1500 से ऊपर आबादी वाले गांव 53 प्रतिशत सड़कों से सम्बद्ध हैं और 1000 से 1500 तक 27 प्रतिशत गांव सड़कों से सम्बद्ध हैं। एक हजार आबादी वाले 14 प्रतिशत गांव सड़कों से सम्बद्ध हैं। आज माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रतिदिन एक गांव सड़क से जोड़ा जाएगा और 6 महीने बाद दो गांव सड़क से जोड़े जाएंगे और एक वर्ष में सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। मैं इससे पहले मंत्री माननीय विद्याभूषण की घोषणा को सुनाना चाहता हूं :—

"मिस्टर भूषण सेड दि पी0 डब्लू डी0 आफीसर्स हैव बीन डायरेक्टेड टु लिंक वन विलेज डेली विथ पक्का रोड फार 6 मन्थ दे हैव बीन डायरेक्टेड टु लिंक टू विलेजेज पर डे विथ पक्का रोड ही एडेड"।

श्री अधिष्ठाता—

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री अशोक बाजपेई—

मान्यवर, मैंने हिन्दी तो पहले ही बता दिया कि प्रतिदिन एक गांव सड़क से जोड़ा जाएगा और 6 महीने बाद दो गांव सड़क से जोड़े जाएंगे। आजादी से पहले प्रदेश में कुल 15113 कि0 मी0 सड़कें थीं जनता सरकार ने 3 वर्ष से कम शासन काल में 10417 कि0 मी0 सड़कें बनवाई। वर्ष 1977-78 में 2583 कि0 मी0 और 1978-79 में 3364 कि0 मी0 सड़कें बनीं। 1982 में 282 गांव सड़कों से जोड़े गए। मान्यवर, आप देखें प्रदेश में लगभग 10899 गांव हैं अगर इसी गति से काम हुआ तो शायद 100 वर्षों में माननीय मंत्री जी प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाने का काम कर सकेंगे। हिन्दुस्तान के नक्शे में हम कहां हैं। सड़कों के मामले में हमारी स्थिति इस प्रकार है :—प्रति लाख आबादी पर पंजाब में 246 कि0 मी0, कर्नाटक में 213 कि0 मी0, तामिलनाडु में 203 कि0 मी0 हरियाना में 175 कि0 मी0 सड़कें हैं और हमारे यहां केवल 56 कि0 मी0 सड़कें हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में प्रदेश की स्थिति क्या होगी। मान्यवर, दुनिया के मुकाबले में अगर हम अपनी स्थिति देखें—

कि जहां जापान में 2.96 कि0 मी0 प्रति वर्ग किलोमीटर, जर्मनी में 1.95 कि0 मी0 प्रति वर्ग कि0 मी0, स्वीटजरलैंड में 1.60 कि0 मी0 प्रति वर्ग कि0 मी0, इंगलैंड में 1.53 कि0 मी0 प्रति वर्ग कि0 मी0, भारत में 0.46 कि0 मी0 प्रति वर्ग कि0 मी0, उ0 प्र0 में 0.23 कि0 मी0 प्रति वर्ग कि0 मी0 में सड़क हैं। यह स्थिति उ0 प्र0 की है। मान्यवर, अज माननीय मंत्री जी ने एक नयी घोषणा की लखनऊ योजना की। इससे पहले भी इनके महकमे ने एक बम्बई योजना बनायी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि बम्बई योजना में सन् 1961 से 1981 तक जो कार्य समाहित किये थे, क्या आपने उसके लक्ष्य को पूरा करने का काम किया है। बम्बई योजना की जो प्रस्तावना थी, अगर बम्बई योजना नहीं पूरी तरह से लागू हो सकी, तो लखनऊ योजना से कैसे आप पूरी उम्मीद करते हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के जो सलाहकार श्री शीतला शरण जी उन्होंने एक लेख में यह बात कही है—

दि टोटल रोड लेंग्थ इन यू0 पी0 प्रायर टु इन्डिपेन्डेन्स वाज ओनली 15,113 कि0 मी0। दिस रोड लेंग्थ हैज इनक्रीज्ड टु 69,193 कि0 मी0 ऐट दि एण्ड आफ 1984-85। आल दो सिन्स इन्डिपेन्डेन्स, दे इन्क्रीज्ड सब्सटैन्सियली, बट स्टिल फार बिलो दि बाम्बे प्लान, टारगेट, एक्कार्डिंग टु विच दि टोटल रोड लेंग्थ शुड हैव बीन 94,200 कि0 मी0।

माननीय शीतला शरण के इस लेख से मान्यवर, स्थिति साफ स्पष्ट हो जाती है कि 69,193 कि0 मी0 सड़क बना पाये हैं।

मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले यहां पर लखनऊ योजना की घोषणा की गयी। बड़ी धूमधाम के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से उद्घाटन कराया गया और यह कहा गया कि आने वाले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जायेगा मान्यवर, उसकी रिकमडेंशन क्या थी। मान्यवर, रिकमडेंशन घूम फिर के अधिकारियों के लाभ तक ही सीमित रह गयी। उसमें यह कहा गया इंजीनियरिंग सेवाओं को आई0 ए0 एस0 की तरह राष्ट्रीय स्तर पर का कैडर दिलाया जाय। उनका राष्ट्रीय कैडर बन जाय। वैसे ही वे लोग बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी संस्तुति थी कि प्रत्येक 50 कि0 मी0 पर पुलिस की चौकी स्थापित की जाय सड़कों की सुरक्षा के लिए और एक आयुक्त सड़क सुरक्षा बना दिया जाय।

मान्यवर, आप देखें 50 कि0 मी0 की दूरी पर जो पुलिस चौकी की बात है, उससे सड़कों को सुरक्षा तो कम होगी जो वहां से ट्रकें और बसें गुजरेंगी, वे अधिकारियों के लिए लूट का एवं आय का साधन बन जायेंगी। उससे अधिकारियों की जेबें मोटी होंगी। यह हमारी लखनऊ योजना की संस्तुतियां हैं। यह भी कहा गया था कि 1990 तक पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि उसमें कहा गया कि एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जायेगा। इसका क्या प्रारूप व प्राविधान होगा तथा प्रदेश को इससे कितना लाभ होगा। इसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। मान्यवर, लखनऊ योजना में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सड़कों के खराब होने के कारण 15 प्रतिशत ईंधन वाहनों में अधिक खर्च होता है। सड़के सुधर जायं, तो यह 15 प्रतिशत ईंधन की कटौती की जा सकती है। उसमें भी कहा गया कि बद्रीनाथ मार्ग को सर्दियों में खोले रखा जाय। माननीय मंत्री जी का मैं इस पर ध्यान चाहूंगा। मान्यवर, आज सड़क यातायात की स्थिति यह है कि देश में 47 प्रतिशत माल सड़कों द्वारा ले जाया जाता है। देश में 68 प्रतिशत यात्री सड़कों द्वारा यात्रा करते हैं। मान्यवर, 2001 तक

56 प्रतिशत माल सड़कों द्वारा ले जाया जायेगा। मान्यवर, योजना आयोग ने भी कितनी उपेक्षा की है सड़कों के लिए। मान्यवर, पहली योजना में 7.7 प्रतिशत का प्राविधान था।

मान्यवर, उसके बाद में चौथी योजना में 5.5 प्रतिशत का प्राविधान किया गया। पांचवीं और छठी योजना में 3.5 प्रतिशत सड़कों का प्राविधान किया गया। लगातार सड़कों के ऊपर होने वाला खर्च घटता जा रहा है। मान्यवर, देश में उत्पादन की राशि का 10 प्रतिशत केवल सड़कों से उपलब्ध होता है। लेकिन उस पर खर्च करने में लगातार कटौती की जा रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जो प्रयास करें और सड़कों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु योजना आयोग में उत्तर प्रदेश की स्थिति को सामने रखें। एक बात का लगातार जिक्र किया गया कि सड़कों के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रदेश में नये जल मार्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी के भाषण में जल मार्गों का जिक्र किया गया है। सन् 1982-83, 1983-84, 1984-85 और इस वर्ष भी इसका जिक्र किया गया है, तो क्या यह योजना अब भी बजट की सामग्री बन कर रह जायगी या कुछ काम भी हो सकेगा। मान्यवर, प्रस्ताव किया गया था कि पांच ऐसे जल मार्ग उत्तर प्रदेश में निर्धारित किये गये थे इलाहाबाद से हल्दिया होकर पटना तक, कंवसी घाट से देवरिया तक, हरदोई से कानपुर तक, मथुरा से इलाहाबाद तक तथा नैमिषारण्य से लखनऊ तक। लेकिन इन सारे जल मार्गों पर अब तक कोई काम नहीं हो रहा है। केवल बजट में चर्चा कर दी जाती है। मान्यवर, इसके लिए इन्होंने यू0 पी0 इन्लैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन की घोषणा की थी, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो इस कार्पोरेशन की प्रगति पर प्रकाश डालने का प्रयास करें कि इसमें अब तक क्या कार्य हुआ है।

मान्यवर, जहां तक इनके विभाग का सवाल है, जैसी कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि मुख्य अभियन्ताओं को बढ़ा दिया है और पर्वतीय क्षेत्र में दो मुख्य अभियन्ता कर दिये हैं। तो यह कार्य तो आसान है। चाहे जितने मुख्य अभियन्ता बना दीजिये। लेकिन पद बढ़ाने से प्रदेश की गरीब जनता का कितना लाभ होगा। आपने अधिकारियों की लम्बी फौज खड़ी कर दी है। आप रोज-रोज नये पदों का सृजन कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी उपलब्धि क्या है। कितना कार्य हुआ है। मान्यवर, इसके रोज-रोज नये विभाग बनते रहते हैं। रोज एक नया खंड बनता जा रहा है। इनके पांच-सात मुख्य खंड हैं। सामान्य खण्ड, प्रान्तीय खण्ड, अस्थायी खण्ड। विभागीय निर्माण इकाई छोटे सेतु निर्माण का काम करता है। इन सब में ठेकेदारों के माध्यम से काम हो रहा है। मान्यवर, इनके यहां एक सेल बना है शोध कार्य के लिए। यह अन्वेषणालय शोध का काम करता है। उसकी प्रगति क्या है, पूछना चाहता हूं। इमारतों में रेत की दीवार खड़ी की जा रही है। एक प्लास्टर की जांच करनी हो तो रिपोर्ट आती है कि जांच के लिए 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तो ठेकेदार पेमेंट लेकर चला जाता है। एक मामले में (माझेला थाने के भवन) तीन साल तक लगातार आई0 जी0 कान्स्ट्रक्शन ने इस विभाग के अधिकारियों को लिखा परन्तु वह मैटीरियल की जांच नहीं करा सके। इस अन्वेषणालय में उत्तर प्रदेश का लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। नयी-नयी चीजों की शोध की बात हो रही है। लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इन सब पर आप ध्यान दें। एक प्रज्ञा मैगजीन निकलती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की जानकारी देती है। सदन में इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, लेकिन किसी ने उस पत्रिका के दर्शन नहीं किये। तीन माह में एक बार निकलती

हैं, लेकिन किसी ने दर्शन तक नहीं किये। क्या वह पत्रिका केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाई गयी है। इन सारे लिटरेचर को हम तक पहुंचाने की व्यवस्था करें तो पता लगे कि प्रदेश कितनी प्रगति कर रहा है। मान्यवर, पर्वतीय विभाग के बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया गया कि इसमें 68 प्रतिशत जमीन बनों के लिए आरक्षित है, केवल 32 प्रतिशत बचती है। इसमें 10 प्रतिशत सिंचित और 22 प्रतिशत असिंचित है। अतः सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि ही नहीं बचती। मान्यवर, जब तक इस अधिनियम में शिथिलता नहीं होती, विकास की गति अवरुद्ध रहेगी। जिससे पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। वहां स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति आधा एकड़ औसतन जमीन आती है। इस प्रकार वहां कहां पर भवन बनेंगे और कहां पर पुल बनेंगे इसलिए मेरी मांग है कि इस वन अधिनियम में शिथलीकरण किया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।

मान्यवर, उद्योग विभाग की एक क्रय समिति बनी है, जहां से सारा सामान खरीदने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि भवनों और पुल बनाने के लिए मनमाने ढंग से सामान मंगाया जाता है और इस क्रय समिति से कोई स्वीकृति नहीं ली जाती है, मैं चाहूंगा कि अगर शासन ने किन्हीं कारणों से यह क्रय समिति बनाई है तो उसी के माध्यम से ही खरीदारी करे। माननीय मंत्री जी यह भी सुनिश्चित व्यवस्था करें कि क्रय समिति की मंजूरी के बाद ही काम शुरू होगा।

मान्यवर, आज तक इस विभाग का कार्य विभाजन ही सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ये कहते हैं कि 5 लाख रुपये के नीचे आर0 ई0 एस0 काम करेगा, 5 लाख से 25 लाख रुपये तक पी0 डब्लू0 डी0 काम करेगा और 25 लाख से अधिक राजकीय निर्माण निगम और राज्य सेतु निगम काम करेगा। लेकिन ऐसा बंटवारा अभी कहीं दिखाई नहीं देता है। जिसका मन जहां से काम करने को होता है वह शुरू कर देता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि कार्य विभाजन के इस कार्य को वह सुनिश्चित करें।

मान्यवर, योजना आयोग के सामने जब हमारा सड़कों का मामला जाता है, तो वह लो-प्राइरटी कह कर रख दिया है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के सड़कों के बजट पर पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयास करें कि लो-प्राइरटी को खत्म करें ताकि सड़कों के विकास का काम किया जा सके।

मान्यवर, विभाग में स्थानान्तरण का मामला है। इस सम्बन्ध में भी विभाग की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जबकि नियम यह है कि 31 जून तक सारे स्थानान्तरणों को सुनिश्चित कर दिया जाता है लेकिन आज भी प्रभावशाली लोग और अधिकारी सम्बन्धित लोगों को खुशकर अपना स्थानान्तरण करा रहे हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप स्थानान्तरण की नीति के बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं डेपूटेशन के बारे में कहना चाहता हूं। नियम यह है कि डेपुटेशन पर व्यक्ति 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा लेकिन आज बड़े-बड़े अधिकारी 10-10 और 15-15 वर्ष से डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये मेरी मांग है कि आप इसे सुनिश्चित करें।

मान्यवर, विभाग के अन्दर कर्मचारी पहले दो वर्ष अकार्यकारी डिवीजन में रहेगा, उसके बाद वह 3 वर्ष निर्माण कार्य के डिवीजन में रहेगा और उसके बाद वह सड़क निर्माण के कार्य में लगाया जायेगा लेकिन आज जो इंजी-

नियर आता है, उसे सीधे सड़क निर्माण के कार्य में लगा दिया जाता है। न तो वह अकार्यकारी डिवीजन में रहा होता है और न ही निर्माण कार्य के डिवीजन में, इसलिये मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह स्पष्ट नीति की व्यवस्था करें ताकि दूसरे इंजीनियर्स यह न सोच पांय कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

मान्यवर, वर्कचार्ज पर लोग वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक रेगुलेराइज नहीं किया गया है। अधिकारी जिसे चाहते हैं उसका रेगुलेराइज कर देते हैं। अधिकारी लोग जिस पर नाराज हो जाते हैं वह बेचारा वर्कचार्ज पर ही काम करता रहता है, इसलिये माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में भी वह स्पष्ट नीति बनायें।

मान्यवर, फर्जी मस्टर रोल में इनका विभाग बहुत निपुण है। मन्त्रियों के लिए और अधिकारियों के लिये बड़ी-बड़ी दावतें इनका विभाग आयोजित करता है। सारा भुगतान फर्जी मस्टर रोल से किया जाता है। रेडियों से भी फरमायशी कार्यक्रम आते हैं इस विभाग के अधिकारी वही नाम सुनकर फर्जी मस्टर रोल भर लेते हैं। वहां पर भी तमाम उन फर्जी लोगों का नाम आता है, जिनके नाम पर फर्जी मस्टर रोल से भुगतान किया जाता है। इसलिये माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस फर्जी मस्टर रोल को समाप्त करें।

मान्यवर, जो नये पुल बनाये जाते हैं और उन पर जो पथ कर लगाया जाता है। कभी-कभी तो पुल का आक्सन कर दिया जाता है। पथ कर की स्थिति यह है कि इसका पैसा खजाने में जमा नहीं होता है। आधा पैसा कर्मचारी और अधिकारी मिलकर आपस में बाट लेते हैं। यही टेन्डर का हाल है। टेन्डर के खुलने के बाद उसके एप्रूवल में महीनों लग जाते हैं। दूसरा, यह कि टेन्डर इस वर्ष खुल गया तो उसे जल्दी स्वीकृति नहीं देते हैं लेकिन फिर उसी कीमत पर उसे अगले साल के लिये भी स्वीकृत कर देते हैं। इस विसंगति को दूर किया जाय। पथ कर द्वारा जब पुल की लागत निकल जाती है तो पथ कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिये लेकिन लागत से भी ज्यादा पैसा निकल जाने के बाद भी टोल टैक्स लगा रहता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि चौपान का पुल की जितनी लागत थी, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिल गया है, लेकिन अभी भी उस पर पथ कर लगा हुआ है। हाई-कोर्ट ने स्टे भी किया है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करें और मामलों की जांच भी करें।

मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 में 60 प्रतिशत भाग मजदूरों की मजदूरी के लिये निर्धारित किया गया है और 40 प्रतिशत मैटीरियल पर खर्च होना चाहिये। लेकिन कहीं पर भी इसे ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यदि यह योजना व्यवहारिक नहीं हो पा रही है तो इसको परिवर्तित किया जाय। अगर योजना ठीक है तो सही मायने में उसे लागू किया जाय। योजना का 25-30 फीसदी पैसा मजदूरों को मिलता है बाकी मैटीरियल के नाम पर खर्च कर दिया जाता है...

श्री अधिष्ठाता--

समय का ध्यान रखें....

श्री अशोक बाजपेयी--

अभी तो मैंने मान्यवर, शुरुआत की है। जो सड़कें आप बनाते हैं, आज बनती हैं और कल टूटने लगती हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है और सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ टन सामान लाद लेते हैं और सड़कें भी ठेकेदारों द्वारा बनवायी जाती हैं

उनकी क्षमता भी दयनीय होती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं संजय गांधी मार्ग हरदोई में बनाया गया, इधर उद्घाटन का पत्थर राजीव गांधी जी ने लगाया और दूसरी तरफ सड़क टूटने लगी उसे कोई देखने वाला नहीं। कितनी मिट्टी, कितना सोलिंग, कितनी पेंटिंग होनी चाहिये, यह सब नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में सड़कों की लागत घटाने का काम किया है। आप भी उस दिशा में काम करें, उससे लागत लगभग एक लाख रु0 कम हो सकती है प्रति किलोमीटर में। जो गिट्टी सप्लाई होती है, प्राइवेट ठेकेदारों से ली जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का निगम है, खनिज विकास निगम, उसके माध्यम से खरीद की जाय तो 60 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर गिट्टी की दर आ जायेगी और ठेकेदारों से 120 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर कीमत आता है। इस तरह से इसमें कमी हो सकती है। शासन में इस सम्बन्ध में मीटिंग हुई है लेकिन अधिकारी इसे लागू करने को तैयार नहीं हैं। खनिज विकास निगम न कमीशन देगा और न उसे मौका मिलेगा।

मान्यवर, जरूरत है प्रभावी कदम उठाने की, प्रभावी कार्यान्वयन की, इफेक्टिव इक्जीक्यूशन की और जरूरत है लगातार अनुश्रमण की, कान्स्टयुवेन्ट मानिटरिंग की, वैज्ञानिक के मूल्यांकन की, साइंटिफिक वैल्यूवेशन की और तभी सुधार लाया जा सकता है। मैं इनके दो और विभागों की ओर आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारा सेतु निगम है, देश और विदेश में काम कर रहा है और मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि इसे 82 में जो गोल्ड मेडल विशिष्ट कार्यों के लिये मिला, हर बार बजट पेश करते समय उसका बार-बार जिक्र किया जाता है। क्या इसकी जानकारी है कि यह गोल्ड मेडल किसी सरकारी संस्थान द्वारा नहीं बल्कि एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा दिया गया और उसके बदले ढाई हजार डालर जमा करा लिया गया और उसके बाद यह मेडल मिला। मैं बता रहा हूं कि यह मेडल खरीदा गया सेतु निगम के नाम पर और 82 के बाद हर बार बजट में इसकी चर्चा होती है कि मेडल मिला। हम चाहते हैं कि सेतु निगम देश के गौरव को, साख को बढ़ायें लेकिन जो कमियां उत्पन्न हो रही हैं उनकी ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। आज अधिकारियों के ऐश, आराम और मौज-मस्ती के लिये यह निगम बनता जा रहा है। इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है फिर भी एक काफिला लीबिया में टिका हुआ है। कितने अधिकारी विदेश में हैं और वह कौन सा काम कर रहे हैं। एक-एक गेस्ट हाउस विदेशों में ले लिया है जिसका एक वर्ष में दो लाख रुपया खर्च आता है, बढ़िया सैलून, एअरकन्डीशन्ड करें। सारा वेतन का पैसा हिन्दुस्तान भेज देते हैं केवल 10 फीसदी वेतन पर विदेशों में रहते हैं। मैं चाहता हूं मन्त्री जी इनके बैंकों की जांच करा लें 10 फीसदी पैसे पर लाखों की सम्पत्ति कैसे अर्जित कर ली। जबकि वेतन का 90 प्रतिशत स्वदेश भेजते रहे हैं। इसके लिये विशष रूप से प्राविधान किया गया कि सेतु निगम के अधिकारी 90 प्रतिशत वेतन स्वदेश भेज सकते हैं। आज विदेशी गाड़ियां, टी0 वी0, वी0 सी0 आर0 कहां से लाया जा रहा है? एक-एक अधिकारी 1-1 हजार कि0ग्राम से 5-5 सौ कि0ग्राम तक सामान विदेशों से कारों द्वारा लाये हैं। यह स्थिति है विदेशों में जाने की। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने शासन को भी लिखकर दिया है। निगम इतना उदार है कि ईराक में 80 हजार लाख रुपया का दान दिया और सितम्बर, 81 में 6 लाख ईराकी दीनार का दान दिया गया। इस प्रकार से फारेन एक्सचेंज ऐक्ट का उल्लंघन किया गया। जनवरी, 85 में 10 लाख रुपये निगम ने दान दिया, न वित्त विभाग से अनुमति मांगी न अधिकारियों से इजाजत ली।

कहते हैं ठेकेदारों पर निगम कार्य नहीं कर रहा है । इनके यहां सेतु निर्माण के लिये कुंए बनाये जाते हैं, 50 प्रतिशत पैसा कुंओं के निर्माण पर खर्च होता है, कुओं का सारे काम ठेकेदारों से कराते हैं । पी0 डब्लू0 डी0 में कम से कम हर ठेकेदार को मौका तो है, लेकिन आपके यहां जितने चहेते ठेकेदार हैं, उन्हीं से सारा काम लिया जाता है । मैं नाम लेना चाहूंगा बलदेव सिंह, सन्तोष सिंह और दीना सिंह, चाहे यहां काम हो रहा हो या विदेशों में, सारा ठेका इन्हीं को मिलेगा । इतना ही नहीं होता है निगम के सारे संयंन्त्र जो करोड़ों रुपये के हैं, उसका किराया भी निगम को नहीं मिलता है और ठेकेदार उनसे काम करते रहते हैं, करोड़ों रुपये बदले में निगम को देना पड़ता है । सारी मशीनरी का इस्तेमाल हमारा होता है । इसी निगम के सम्बन्ध में लाखों रुपये का फर्जी भुगतान और सीमेन्ट की बिक्री का अभियोग सामनें आया है । एटा में एक धर्मकांटे की रसीद खो गयी, उसने पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दिया, किन्तु इनके विभाग के अधिकारियों ने उस रसीद का पूरा इस्तेमाल करके, उसमें मनचाहा वजन और सामग्री दर्ज कर दी । वे सारी रसीदें सेतु निगम में हैं । आप मन्त्री जी जांच करा लें, वह सामान निगम में नहीं लाया गया ।

करोड़ों रुपये का अनधिकृत खर्चा किया गया । बगदाद और ईराक में 40 करोड़ रुपये का अनधिकृत खर्चा किया गया । कोई स्वीकृति नहीं ली गई । बुदई ट्रेडिंग कम्पनी से सारी खरीद का काम किया गया । निगम के जो निदेशक हैं, उनको केवल 12.50 लाख तक का खर्च की पावर है चेयरमैन को 25 लाख तक की खरीद का अधिकार है । उसके बाद बोर्ड से अनुमति लेनी होगी, किन्तु न बोर्ड की अनुमति ली गई न हायर अथारिटी की अनुमति ली गई । मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं इन सारी चीजों की जांच करने का काम करेंगे । यदि यह सही है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।

होता यह है कि वहां बिजनेस प्रोमोशन के लिए 25 प्रतिशत विदेशी कम्पनियां डिस्काउन्ट देती हैं । जो निगम को डिस्काउन्ट मिलता है, वह भी एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया, वह भी मिल बांटकर खा लिया गया । तत्कालीन मन्त्री जी से शिकायत भी की गई, उन्होंने जांच भी कराई । मैं आपका ध्यान पी0 यू0 सी0 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें स्पष्ट रूप से चार्जेज आये हैं । उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का प्रतिवेदन 17 अप्रैल, 84 को मान्यवर, आप देखें । उस समय मन्त्री अम्मार रिजवी थे, उन्होंने जो कहा, वह मैं बता रहा हूं । 'मेरे पास बहुत से विधायकों एवं जनता के लोगों ने यह चिन्ता व्यक्त की हैं कि मध्य गंगा बैराज, बिजनौर के करीब 4.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जिसे कम करके 2.50 करोड़ रुपया करने का प्रयास किया जा रहा है । यह मामला अब सदन में भी उठ सकता है । इस कारण पहले से ही इसके बारे में सारे आंकड़ें मंगा लिए जाएं । उस पर जो कार्य हुआ है, उसकी जांच के लिए टेक्निकल आडिट सेल की नियुक्त किया जाता है । जो अपनी रिपोर्ट एक महीने में दे दें । साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं तथा किन परिस्थितियों में यह नुकसान हुआ है । राजकीय सेतु निगम के जो कार्य प्रदेश के बाहर चल रहे हैं, उनकी एक सूची कृपया भेजें और साथ ही साथ उसमें यह भी इंगित किया जाय कि किस कार्य में लाभ तथा किस कार्य से हानि हुई । लेकिन इस रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं हुआ है । आप इस रिपोर्ट को इसमें संलग्न कर लें और जो समिति ने संस्तुति की है, उसको भी जांच कराने का काम करें ।

श्री अधिष्ठाता--

बाजपेयी जी, सदन की कार्यवाही के बारे में तो आपको मालूम है। मैं समझता हूं कि संक्षेप में आप अपनी बात को कह कर समाप्त करें। आपको बोलते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं। सीमिति समय के अन्दर ही अभी कई लोगों को और बोलना है।

श्री अशोक वाजपेयी--

परियोजना प्रबन्धकों का कार्यालय वहीं होना चाहिये, जहां उनका काम हो रहा हो। एक मुख्य परियोजना प्रबन्धक का मुख्यालय बगदाद में ही रखा गया है, जबकि इनके कार्यस्थल बगदाद से 400-500 कि0 मी0 दूर हैं। भारत सरकार के अन्य सभी कम्पनियों के परियोजना प्रबन्धक अपनी-अपनी साइट पर ही रहते हैं, किन्तु यहां ऐसा नहीं हो रहा है। विशेष रूप से तब जबकि बगदाद में सभी परियोजना प्रबन्धकों की सभी इकाइयों के कार्यों तथा समन्वय हेतु एक मुख्य परियोजना प्रबन्धक श्री बागेश्वर प्रसाद भी तैनात हैं। बगदाद में परियोजना प्रबन्धक के निवास तथा इनकी साज-सज्जा में तकरीबन दो लाख रुपया प्रति माह खर्च किये जाते हैं।

अधिकारियों के विश्व भ्रमण की ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियमानुसार होता यह है कि बगदाद में तैनात किये गये अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भारत आ सकते हैं, किन्तु देखने में यह आता है कि साल में कई-कई बार ये लोग भारत आते रहे हैं। जबकि एक आदमी के एक बार आने-जाने में ही लगभग 6,000 रु0 का खर्च हो जाता है। इस प्रकार से निगम को धनराशि और विदेशी मुद्रा का अपव्यय हो रहा है।

बगदाद से आपके अधिकारियों ने सारे विश्व का भ्रमण किया है, वह भी रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना और भारत सरकार की अनुमति के बिना और छुट्टी लिए बगैर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैन्ड, जापान और भी अन्य यूरोपीय देशों में भ्रमण किया है। लाखों का एकाउंट इनका बैंक में है, आप उसे मांग कर देख लें तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

बगदाद में तैनात लगभग सभी अधिकारियों ने अनेक विदेशी बैंकों में अपने खाते खोल रखे हैं जिसकी जांच निहायत जरूरी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इनके पास यह पैसा किन श्रोतों से आया। विदेश जाने वाले हर अधिकारी को यात्राओं के सम्बन्ध म 1,750 रु0 प्रति दिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

मान्यवर, दिल्ली में उ0 प्र0 के अधिकारियों के लिए यू0 पी0 निवास, यू0 पी0 भवन बना हुआ है, लेकिन सेतु निगम के अधिकारी वहां नहीं ठहरते हैं, उनके लिए नई दिल्ली में ग्रेटर कैलाश गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिस पर प्रति माह 15 हजार रु0 खर्च होते हैं। इस गेस्ट हाउस का अधिकांश भाग डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइन, श्री आर0 के0 माथुर ने हथिया रखा है जबकि इनका मुख्यालय गाजियाबाद में है, उनके क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री एस0 सी0 वर्मा का मुख्यालय मेरठ में है, लेकिन वे स्वयं दिल्ली में ही रहते हैं। मान्यवर, इस तरीके से मुख्य परियोजना प्रबन्धक और सारे लोग दिल्ली में रहकर पूरी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और इसका भार निगम के ऊपर पड़ रहा है। बगदाद में 2 गेस्ट हाउस हैं, उनके ऊपर प्रति माह 2 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके अधिकारी पड़े हुए हैं और गेस्ट हाउस चल रहा है। मान्यवर, जब यहां के प्रबन्धक या उनके अधिकारी विदेश जाते हैं तो लाखों रुपया गिफ्ट के नाम पर खर्चा करते हैं और इसका कोई रिकार्ड निगम के पास नहीं है कि गिफ्ट किसे दिया गया है। जब भी कोई अधिकारी भारत से विदेश जाता है तो

विदेशों में गिफ्ट देने के नाम पर लाखों रुपये का गिफ्ट खरीद कर ले जाता है और जब वहां से चलता है उत्तर प्रदेश के लिए कि अपने प्रदेश में जायेंगे, और वहां पर अधिकारी को गिफ्ट देना पड़ेगा। इस गिफ्ट के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला है। मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें।

मान्यवर, विलासिता पूर्ण काम के लिए लाखों रुपये का सामान कुवैत से खरीदा गया और वहां से दफ्तर हटा दिया गया, तो वहां का सामान जिनमें अनको वी0 सी0 आर0, बीडियो केमरा व रंगीन टी0 वी0, एयरकण्डीशनर आदि चीजें थी, वह सुखसुविधा का सामान कहां चला गया। जिन्हें इराकी नियमों अनुसार विदेशों से खरीदे गये किसी भी सामान को ईराक में नहीं बेचा जा सकता केवल ईराक में खरीदा गया सामान ही ईराक में डिस्पोज किया जा सकता है। मनामा बहरीन में रिजर्व बैंक को अनुमति के बिना एक डेवलापमेन्ट आफिस इसलिए खोला गया ताकि उनके जो चेयरमैन है, उनके चहेते अधिकारी को वहां रखा जा सके। इसके लिए भारत सरकार की अनुमति तो दूर इसकी सूचना भी नही दी गई। दो साल तक यह एक मात्र अधिकारी वहां पर रहे और यह अधिकारी पुखराज गर्ग है। वह वहां बने रहें। इन्होंने रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर एक वातानुकूलित कार खरीदी तथा लाखों रुपये का अन्य सामान खरीदा इस तरह से विदेशी मुद्रा को पानी की तरह बहाया गया।

श्री अधिष्ठाता--

बाजपेयी जी इसके बाद भी आपको बोलना होगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, इसी तरह से शासन की नीति है सेवा निवृत्त अधिकारियों को इक्सटेन्शन नहीं दिया जायगा, लेकिन पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से जो सेवा निवृत्त होते हैं, उनको निगम में रख दिया जाता है और उनको सुख सुविधायें दी जाती हैं। एक तरफ माननीय मन्त्री जी ने निगम का सुनहला चित्र पेश किया हैं, परन्तु वास्तव में यह स्थिति है निगम की। अभी एक शताब्दी समारोह निगम ने मनाया, उस पर 10 लाख रुपया खर्च किया गया। मान्यवर, स्थिति यह है कि 10 लाख रु0 से ज्यादा खर्च किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। शिपमेन्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई। यह अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। इसकी जांच करा दें। विदेशों में कार्यरत अधिकारों अपनी 90 प्रतिशत तनख्वाह यहां हिंदुस्तान में भेजते है और उनके पास केवल 10 प्रतिशत ही रह जाता है तो इस 10 प्रतिशत में कैसे यह सारा सामान लेते है, इसकी जांच करायें। मान्यवर, इसके साथ ही सेतु निगम भी कार्यकुशलता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

बाजपेयी जी, इसके बाद भी आपको भाषण का मौका मिलेगा तब भी कुछ बातें कह लीजियेगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, पुलों की मजबूती के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहता हूं कि आप दूसरे माननीय सदस्यों का ख्याल रखे, सबको थोड़ा-थोड़ा बोलना है तो आप भी थोड़ा सहयोग दें।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितना अच्छा यह निगम कार्य कर रहा है। सन् 76 में किच्छा पुल का उद्घाटन मुख्य मन्त्री जी ने किया, उद्घाटन के 2 घंटे बाद यह पुल बैठ गया। हरैया पुल का जिक्र करना चाहता हूं, मान्यवर, अभी यह पुल बन

हो रहा था, उसमें दरार पड़ गई, उसकी तसवीर लाया हूं, दिखाना चाहता हूं। नीचे भी काम चल रहा है, ऊपर भी काम चल रहा है और कहते हैं कि सेतुनिगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह का हालत निगम के अधिकारियों ने कर दी हैं। मन्त्री जी इसकी जांच करायें। अब मैं निर्माण निगम की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री मुईद अहमद--

उसके बारे में तो कह दिया।

श्री अशोक बाजपेयी--

वह तो सेतु निगम था, अब मैं निर्माण निगम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जब आपको दुबारा समय मिले तो कह लीजियेगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम को लीबिया में भवन निर्माण का कार्य मिला। निर्माण निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण वहां के प्रेसिडेन्ट कर्नल गदाफी ने इनका काम रोक दिया और इनको वहां से भागना पड़ा। इस कारण हमारी सरकार को 10 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश की साख हिन्दुस्तान की साख है और इस प्रकार से हिन्दुस्तान की साख विदेशों में गिरी है। मान्यवर, इस निगम का हाल यह है कि एटा का कार्य 36 लाख रुपये का अनुमानित था और उस कार्य में इनको 36 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। इसी प्रकार से करोड़ों रुपये की प्रतिवर्ष हानि हुई है। मान्यवर, इनको सरकारी भवन निर्माण का कार्य सौंपा जाता है, जब तक यह उसको पूरा करते हैं तब तक उसकी लागत ड्योढ़ी हो जाती है। मान्यवर, यह निगम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मान्यवर, जब तक यह भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा, न तो निगम का भला होगा और न आपकी साख ही बढ़ेगी। माननीय मन्त्री जी इसकी गम्भीरता पर ध्यान दें और इस बात की घोषणा करें कि वह इनकी जांच करायेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम एवं सेतु निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं है, इस लिये माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां के कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलाइज करें, इन्होंने सा0 नि0 विभाग के 5 मुख्यालय बना रखे है, कोई मेरठ में है कोई पहाड़ पर है, तो कर्मचारियों की सेवाओं को भी नियमित किया जाय ताकि वह पूरे मनोयोग से कार्य कर सके। मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

वह गांव का पनघट हो,
या शहर का मयखाना हो,
तूफाने हवादिस में गुम है सभी अफसानें
आगाज तो जाहिर है उजड़े हुये चेहरों से,
इस दौरे तरक्की का अंजामे खुदा जाने।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

10-10 मिनट का समय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अगर सुखपाल पाण्डे जी की बात मान लूं तो 10 बजे तक चलेगा। इसी लिए मैं इसको अभी से सीमित कर रहा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रताप मिश्र--

मान्यवर, मैं श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। बातें करना आसान पर देश बनाना मुश्किल है। कांग्रेस ने जो कर दिखलाया, उसे कर दिखला मुश्किल है। आपके संचेतक मोहन सिं को हरा कर आया हूं, उपसेन को

हराया है और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं शुरू से देखता आ रहा हूं कि विरोध पक्ष कटौती का प्रस्ताव नियमावली की दफा 189 के अन्तर्गत तो हर जगह ला रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ और देखता चला आ रहा हूं कि जब आबकारी का अनुदान आये तब भी एक रुपया कटौती और जब मद्य-निषेध का बजट आये तब भी एक रुपया कटौती। यह सब क्या है। आप इसे उसी दफे की तहत (ख) में लाइये (ग) में लाइये, तब तो मैं आपकी बात मानूं। यह तो आपकी बुद्धि का दिवालियापन है कि जब मद्य निषेध का बजट आये तो कटौती का प्रस्ताव 1 रुपये के लिये आता है और जब शराब के लिये आये तब भी एक रुपये करने का प्रस्ताव आता है। मान्यवर, मैं तारीफ करता विरोध पक्ष की यदि आप (ख) और (ग) के अन्तर्गत प्रस्ताव ले आते।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें। आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इस तरह से तो अशांति होगी और बहस भी नहीं चल पायेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि बहस ठीक तरह से की जाय।

(व्यवधान)

[5 बज कर 23 मिनट]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, आपने बताया कि आजादी के बाद 1947 में हिन्दुस्तान में हमारे पास केवल 15,113 किलो मीटर सड़कें थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विभाग की स्थापना जब 1844 में हुई और आपने 1954 में कार्य शुरू किया तो 100 वर्ष में जिस देश में 15 हजार किलो मीटर सड़कें बनती हों जब कि कुछ पहले को भी रही होगी लेकिन कांग्रेस हुकुमत जब सन् 1947 में इस देश में शासन में आयी तब भारत एक गरीब देश था, भारत भूखा था, भारत की जनता के पास खाने के लिए अन्न नहीं था कपड़ा नहीं था, बैंकों में पैसा नहीं था लेकिन आज हम 72 करोड़ जनता को अन्न दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं...

(व्यवधान)

आज 1985 में हमारे पास 71,168 किलोमीटर सड़कें हैं। इन 38 वर्षों में हमने 56,055 किलोमीटर सड़कें बनायी हैं, इस देश को खाने के लिये अन्न दिया है, कपड़ा दिया है और इस देश के गोदामों में 3 करोड़ टन गल्ला हमने रखा है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे जनता पार्टी के शासन काल में उनके तीन साल मिला कर करीब 10 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई टोटल। जोकि केवल कागज पर ही थीं और स्थिति यह है कि मिट्टी की सड़क मौके पर मौजूद भी नहीं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि 1984-85 में केवल 1,510 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई हैं, 1,815 किलोमीटर खड़ंजे की सड़कें और 4,784 किलो मीटर कच्ची सड़कें एक साल में बनायी जो कि आप 3 साल में नहीं बना सके। आप कटौती का प्रस्ताव क्यों लाते हैं। इस लिए लाते हैं कि आप हमारे सेतु निगम पर आरोप लगायें। इस प्रदेश में और प्रदेश के बाहर सेतु निगम को जो ठीका मिलता है वह दर्जनों प्रदेशों में काम कर रहा है। यह सेतु निगम विदेशों में ठेका पा रहा है। वही एक निगम है जिसमें गत 5 वर्षों से आमदनी होती चली आ रही है। हम इस लिये उसमें कटौती कर देंगे? इस विभाग का महत्व आप जानते हैं। आपने कबूल किया है कि यह ऐसा प्रदेश है जिसमें आज गांवों की संख्या 1,17,787 है। तो इतने गांवों का यह प्रदेश है और उसमें भी वह बिखरे हुए हैं। पहाड़ों की हालत आप जानते ही हैं मैदानी क्षेत्रों में नदी और नालों से गांव तितर बितर हैं जिनको जोड़ने का काम यह विभाग करता है इसलिए आप चाहते हैं कि

इसमें कटौती की जाय । हमारी सरकार ने तय किया है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे 15 सौ से ऊपर की आबादी के गांवों को 90 तक सड़कों से जोड़ देंगे और एक हजार से 1,499 तक की आबादी के 50 प्रतिशत गांवों को 90 तक सड़कों से जोड़ देंगे । तो इसलिए आप कटौती चाहते हैं । हमने एक पुनीत काम उठाया, हमने देश और विदेश में नाम कमाया है । हमारे साथी ने वैसे ही कह दिया क्योंकि उनको माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने सेट दे दिया और वह कह गये । हमारे सेतु निगम को इंटरनेशनल एवार्ड मिला है इसको आपको तारीफ करनी चाहिए । हमको उम्मीद थी आप उसके मनोबल को ऊंचा करेंगे जो दूसरे देशों में ठेका लेने का काम करता है जहां कम्पटीशन है जिससे हमारा नाम उज्जवल हुआ है लेकिन हमारे ही प्रदेश के एक संभ्रांत व्यक्ति उसे खराब कहते हैं तो क्या इससे प्रदेश का नाम ऊंचा होगा । आपको ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिये जिससे हमारे और आपका सब का नुकसान हो ।

हमारे इस विभाग के पास इतना काम है कि हम तो माननीय मन्त्री जी से निवेदन करेंगे इसको और स्टाफ मिलना चाहिये । मैं अपने जिले की बात बताता हूं हमारे यहां 227 विद्यालय भवन बनाने के लिए पैसा है लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है । केवल एक ही डिविजन भवन का काम करता है जिसके पास वहां पर केवल पांच जूनियर इंजीनियर हैं । तो 227 विद्यालयों में से मुश्किल से 22 भवन बनाने की जिम्मेदारी वह ले पाया है क्योंकि उसके पास स्टाफ नहीं है और 10 स्कूल इस साल मुश्किल से ले सकेंगा । तीन साल से हमारे यहां विद्यालयों में भवन का अभाव है । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 65 हजार आप विद्यालय भवन के लिए देते हैं और उनके निर्माण में देर होने की वजह से उसके दाम 95 जार हो गये हैं ।

हमारे जनपद में एक और समस्या है । जनपद देवरिया में घाघरा में भागलपुर में एक पक्का पुल बनना है जिसको केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है । जिसके निर्माण में आधा पैसा केन्द्र को देना है । लेकिन केन्द्र से पैसा न मिलने के कारण काम आरम्भ नहीं हो रहा है । मैं निवेदन करूंगा पिछले साल मिश्रा जी ने उसके शिलान्यास करने की बात कही थी, उसका निर्माण का काम जो आपने आधा पैसा देना है उससे निर्माण कार्य आरम्भ कर दें तो वह पुल बन जायेगा और केन्द्र से भी पैसा आ जायेगा । यह पुल दो कमिश्नरियों को जोड़ता है बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस देवरिया और गोरखपुर को जोड़ता है यानी गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के सम्पूर्ण जिलों को यह पुल जोड़ता है । इससे सैकड़ों कि0 मी0 की दूरी कम हो जायेगी । इसलिए यह बहुत जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त कर ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी द्वारा निर्माण विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभी माननीय मन्त्री जी और माननीय मिश्रा जी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रशंसा कर रहे थे । पी0 डब्लू0 डी0 पर उन्होंने कविता बनाई, मुझे भी इस विभाग पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए दो पंक्ति कहनी हैं ।

कांग्रेस के शासन में बस इतना सा निर्माण हुआ ?

कि रिश्वत भी हो गयी सयानी और भ्रष्टाचार जवान हुआ है। किसी जमाने में यह डिपार्टमेन्ट पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट कहलाता था जिसकी हम व्याख्या करते थे पूरे वाक्य में पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट। मगर मान्यवर, इस विभाग ने किस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से अपनी कार्य शैली बदली और किस प्रकार कमीशन का बोर चलाया कि आज पी० डब्लू० डी० की व्याख्या पब्लिक वर्स्ट डिपार्टमेन्ट यानि सार्वजनिक निकृष्ट विभाग सम्बोधित करन लगे हैं। इसलिये आंकड़ों के द्वारा कितने निर्माण कार्य हुये, और कितने भ्रष्टाचार किये उसके सम्बन्ध में श्री अशोक बाजपेयी ने बताया। मान्यवर, मैं 2–3 बिन्दुओं के बारे में कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है।

मान्यवर, मैं सबसे पहले निर्माण निगम और सेतु निगम के बारे में कहना चाहता हूं कि इन दोनों निगमों ने एक नई संस्कृति का जन्म दिया है। निर्माण निगम क्या करता है। इसकी सत्ता पक्ष द्वारा बड़ी प्रसंशा की जा रही है यह क्यों। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम के सब अधिकारी कर्मचारी मिलकर बांटते, खाते और लूट रहे हैं, इसलिये जय-जय कार की जा रही है और निर्माण कार्य नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा की जगह आपने सरकारी ठेकेदारी प्रथा चालू कर दिया। यह दोनों निगम कुछ नहीं नहीं करते हैं। मेरी धारणा है फिर मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि आज पब्लिक मनी का वेस्ट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं फिर कहना चाहता हूं कि क्यों न निर्माण निगम और सेतु निगम को समाप्त कर दें, इसलिये कि दूसरे ठेकेदार होते हैं वह अपनी जेब से पैसा लगाकर काम को पूरा करते हैं और जब वह अपना बिल पेमेन्ट हेतु प्रस्तुत करता है तो काम का वेरीफिकेशन होता है तब पेमेन्ट किया जाता है लेकिन यह निगम तो कुछ बताते ही नहीं हैं सार्वजनिक पैसे को चेक कटा लिया और ले लिया। उनका आडिट तक नहीं होता है। इसलिए यह भी वह नहीं बताते हैं कि कितना पैसा लगाया, कितना पैसा लिया केवल अधिकारी से कहा कि इतना काम किया और इतने धन की आवश्यकता है बस अधिकारी ने चेक काट दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि इन निगमों की आडिट के लिये सुनिश्चित व्यवस्था की जाये क्योंकि छोटे-छोटे कार्यालयों का आडिट हो सकता है तो इन दोनों निगमों के कार्यों का भी आडिट कराया जाये। मान्यवर, यहां तक इनकी कार्य-शैली बदली है कि ये निगम अधिकारियों के ठाठ बाट के केन्द्र बन गये हैं। सचिवालय के सचिव और मैं दावा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी का सचिव और यहां तक कि मंत्रियों के आवासों व कार्यालयों से ज्यादा निगमों के अधिकारियों के आवासों व कार्यालयों की शान शौकत में व्यवस्था की जा रही है, इसलिये मेरी मांग है कि एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए कि किस स्तर के अधिकारी के लिये कमरे, फर्नीचर और रखरखाव में कितना खर्च होगा। कितने कर्मचारी होंगे इसका भी स्टैंडर्ड तय होना चाहिए। गरीबों से जो कर और लगान के रूप में पैसा वसूल किया जाता है वह वेस्ट किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए वर्ना पब्लिक मनी का वेस्ट होता रहेगा।

मान्यवर, आप देखें कि निर्माण निगम द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये लखनऊ में एक आडोटोरियम का निर्माण निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन की वरीयतायें क्या हैं। क्या गन्ना किसान आपके इस आडोटोरियम में आयेगा। प्रदेश के सुदूर देहाती अंचलों से किसान को इस आडोटोरियम में क्या घुसने भी दिया जायगा। और क्या उसे तपती धूप से आकर इस एअर कंडीशंड आडोटोरियम

में घुसने पर बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा । मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने जो नई कल्चर पनपा रही हैं और जिसमें अमिताभ बच्चन सरीखे "मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है" या गाकर नृत्य करने वाले लोग संसदों में पहुंचाये जा रहे हैं और ऐसे लोगों द्वारा कुछ नाच गाने कराकर अफसरों का मनोरंजन उस आडोटोरियम में किया जायेगा और लाखों रुपये प्रदेश का बरबाद किया जायेगा । या पब्लिक मनी की कास्ट पर बनने वाले इस आडोटोरियम में अफसरों के बच्चों की शादी विवाह में बारातें ठहराई जायेंगी ।

मान्यवर, अन्त में मैं अपने जनपद फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो बहुत महत्वपूर्ण पुल हैं एक गंगा नदी पर बना है और दूसरा राम गंगा पर बना है । जो आपका राज मार्ग नं0 23 पर है भिड इटावा से से लेकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छावनियां फतेहगढ़ बरेली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है । और दूसरा राज मार्ग संख्या 43 जो फर्रुखाबाद से फतेहगढ़, बदायूं और चंदौसी एवं मुरादाबाद को जोड़ता है । लेकिन बड़ी वेदना होती है, इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि रामगंगा और गंगा में दोनों तरफ जो कटाव हो रहा है, उससे बिना पुल के ही दोनों नदियां मिलने जा रही हैं और आपके ये पुल बेकार हो जायेंगे । सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जो पत्रिका छपी है, उसमें सेतु-निगम द्वारा जो काम हो रहा है, उसमें फरूंखाबाद-मुरादाबाद मार्ग पर एक पुलिया बन रही है, यह दिखाया गया है । 83-84 में इसका बजट 17 लाख 83 हजार का बताया गया है । यह जो पुलिया गूजरपुर में बन रही है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, 10 वर्ष से वह अधूरी पड़ी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हो गया है, श्री पूरन सिंह ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

वह पुलिया गूजरपुर, ब्लाक राजेपुर में बना दी जाए...(व्यवधान) उसकी जांच होनी चाहिए...

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह--

मान्यवर, आपका आभारी हूं जो माननीय राज्य मन्त्री के इस बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं सदन के योग्य सदस्य श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का, जो उन्होंने बड़े लच्छेदार शब्दों में घुमा फिराकर यहां रखा है, विरोध करता हूं और माननीय शर्मा जी द्वारा ओजस्वी भाषण के साथ रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जो उत्तर प्रदेश में कुल 15113 किलोमीटर सड़कें थी, उसको आज 71168 किलोमीटर तक पहुंचाया है । इसका श्रेय इस कांग्रेस सरकार को जाता है । इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं । आज उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर हिसाब से 61 किलो मीटर सड़कें हैं जबकि पूरे भारत में 110 किलो मीटर हैं । अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में इसकी मात्रा कम है, इसको बढ़ाने की चेष्टा की जाए । वर्ल्ड बैंक की ओर से जो रोड यूजर्स कन्सट्रक्शन ने स्टडी किया है, उसने कहा है कि मार्गों के निर्माण पर जो धन लगाया गया है, उससे अधिक लाभ हुआ है । उससे सीधे मजदूरों को भी लाभ मिलता है । उसने रोड निर्माण कार्य की ओर अधिक तेजी से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लि

कहा है । जो इंडियन रोड कांग्रेस के 20 वर्षीय योजना बनाई है, उसने कहा है कि हमें 64 हजार करोड़ रुपये की मार्गो के निर्माण के लिए आवश्यकता होगी । इसलिए हमें रोड निर्माण और पुल के लिए प्रदेश केन्द्र सरकार दोनों को मिलाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पुल व मार्ग निर्माण को सेक्टर में सम्मिलित करवा कर अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए ।

जैसा मंत्रीं जी ने बताया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में पी0 डब्लू0 डी0 ने सड़कों के लिए 1284 करोड़ रुपये का अनुदान केन्द्र सरकार से मांगा था लेकिन केन्द्र सरकार ने केवल 965 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना का भी 550 करोड़ रुपया अभी बाकी है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मुख्य मंत्री तक यह बात पहुंचाएं और केन्द्र सरकार से पूरी धनराशि प्राप्त करने की चेष्टा करें । 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांवों में जो 50 प्रतिशत सड़कें सन् 90 तक बननी हैं, उसके लिए 13 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन मिला है केवल 415 करोड़ रुपया । किन्तु उसके बावजूद कांग्रस शासन इस पर 597 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया है, हमारी सरकार ने रोड निर्माण को इतना ज्यादा महत्व दिया है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो केवल 45 करोड़ रुपया उपलब्ध था, उसके विरुद्ध हमारे प्रदेश में इस विभाग ने 93 करोड़ रुपया खर्च किया है, अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण की दृष्टि में रखकर । इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री व विभाग बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष अकेले मोटर व पैदल पुल मिलाकर कुल 63 पुल बने हैं । 63 पुल बनना अपने आप में एक रिकार्ड है । इतने पुलों का निर्माण इसके पहले वहां कभी नहीं हुआ था । यह रिकार्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कायम किया है । इसके लिय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे वहां 70 प्रतिशत जंगल हैं चूंकि वहां पर वन अधिनियम लागू है इसलिये निर्माण कार्यों में दिक्कत होती है, मार्ग अधूरे पड़े हैं । तो मैं अनुरोध करूंगा कि वन अधिनियम का सरलीकरण किया जाय । अगर वन अधिनियम में सरलीकरण नहीं किया जायगा तो हमारे शासन की जो आकांक्षा है, भावना है वह पूरी नहीं हो सकेगी । इसके सरलीकरण की योजना बनायी जानी चाहिये । मान्यवर, वर्क आर्डर, सप्लाई आर्डर, इम्प्रेस्ट, आदि के सम्बन्ध में जो फाइनेंशियल हैंडबुक में नियम हैं तो यह पावर बहुत ही कम है । यह अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं तो इन पावर्स को बढ़ाकर 4 गुना कर देना चाहिये । अगर हम चाहते हैं कि काम तुरन्त हो और सक्षम तरीके से हो तो इन पावर को बढ़ाना पड़ेगा । इसके अलावा निविदा के आगणन को रिवाइज करने की पावर को अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर ही बढ़ाना चाहिये साथ ही स0 अभियन्ता को चेक करने का पावर बढ़ाना चाहिए । मान्यवर, यह जो साख सीमा है, सी0 सी0 एल0, कैश क्रेडिट लिमिट है इसको महीने-महीने देने की व्यवस्था है । पहले यह पूरे वर्ष भर के लिये दी जाती थी । तो मैं कहना चाहूंगा कि महीने भर की व्यवस्था होने के कारण इंजीनियर्स का दबाव काम करने वालों पर नहीं रहता और वह उन्हें समय पर पैसा नहीं दे पाते हैं इसलिय मैं अनुरोध करूंगा कि इसको पहले की तरह साल भर के लिये करने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में बजरी व पत्थर के काम पर रायल्टी ली जाती है । नैनीताल और पिथौरागढ़ में यह रायल्टी नहीं ली जाती है लेकिन अल्मोड़ा में ली जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको अल्मोड़ा जनपद में भी समाप्त करने

की कृपा करें । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में रोड़ी के क्रेशर नहीं होते रोड़ी के लिये खनन किया जाता है और लेबर्स के द्वारा नदी से निकाली गई रोड़ी बनायी जाती है । रोड़ी पर जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो इसको हटाया जाना चाहिए तथा निविदा पर स्टैम्प ड्यूटी को समाप्त किया जाना चाहिए । मान्यवर, आपने जो ठेकेदारों के रजिस्ट्रेजन की प्रथा चालू की है इससे वर्क्स की क्वालिटी में सुधार होगा इसे विभाग में सख्ती से अपनाना चाहिए । आपने ऐज ए होल सारी कम्युनिटी में भ्रष्टाचार होने की बात कह दी । आपने कहा कि सब जगह इसमें भ्रष्टाचार हैं तो आप व आप के साथी सम्मानित विधायक जो ओ० सी० आर० में रहते हैं, हमारी जो एनेक्सी हैं, जनपथ है, यह सब पी० डब्लू० डी० ने बनाये हैं । जितनी सड़कें हैं, जिन पर आप चलते हैं वह पी० डब्लू० डी० ने बनायी हैं । यह जितने पुल हैं वह किसने बनाये हैं, यह सब पी० डब्लू० डी० ने बनाये हैं तो किस तरह से आप कहते हैं कि पी० डब्लू० डी० काम नहीं कर रही है ।

(मेजों की थपथपाहट)

भ्रष्टाचार कहां से पनप रहा है इसको आप देखने की कोशिश कीजिये । मैं कहना चाहता हूं अभी योग्य व्यक्तियों की हमारे समाज में कमी नहीं है । रे सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी नदार व योग्य व्यक्तियों की कमी हैं । धर्मवीर साहब और तायल ब जैसे योग्य व ईमानदार व्यक्ति इस विभाग में हैं । इन शब्दों के साथ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं । आपने जो बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जय हिंद, जय भारत ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कटौती के प्रस्ताव की निंदा करता हूं, तो क्या यह कहा जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

"विरोध करता हूं" यह कहना चाहिये । इसको हम देख लेंगे ।

*श्री सुखपाल पांडे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ों का जाल प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो खर्चीले काम किये हैं वह क्या है । आपका ध्यान मैं केवल प्रमुख अभियन्ता कार्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 1981-82 में एक प्रमुख अभियन्ता थे, मुख्य अभियन्ता 7 थे । अधीक्षण अभियन्ता 61 थे और अधिशासी अभियन्ता 323 थे तथा सहायक अभियन्ता 1483 थे तथा अवर अभियन्ता 5970 थे । मान्यवर, इस तरह से 1984-85 में प्रमुख अभियंता एक थे, मुख्य अभियंता 12 थे, एक अधीक्षण अभियंता 65 थे, अधिशासी अभियंता 347 थे, सहायक अभियंता 1483 थे और अवर अभियंता 5970 थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज न इनके यहां अवर अभियन्ता बढ़ाये गये, न सहायक अभियंता बढ़ाये गये, इनके यहां बढ़ाये गये अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता। अब हालत यह हो गयी है कि काम करने वालों की संख्या तो कम देखने वालों की संख्या ज्यादा। इनके यहां भ्रष्टाचार ज्यादा है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह जो मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें सड़कों के लिए बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पांचवीं स्कीम के अन्तर्गत यह 7000 किलो मीटर खड़ंजे की सड़कें बनी हैं, जो सूखा इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत बनाई गयी हैं। वहां पर जो खड़ंजे लगाये गये हैं, वह चूर-चूर हो गये हैं। वह सड़कें चलने लायक नहीं हैं। यह बात सत्य बताई गयी है या गलत, मुख्य अभियंता का आदेश है कि ये खड़ंजे न लगाये जायं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह के खड़ंजे लगा कर यातायात को बन्द किया जा रहा है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में जिस प्रकार की लूट की गयी है, वह इतिहास बतायेगा। हमारा ख्याल है कि वहां पर एक ये अधिशासी अभियन्ता श्री हीरा लाल चौधरी, जिनके माध्यम से सड़कों का निर्माण किया गया है, फर्जी पेमेंट किया गया है। मैं कुछ सड़कों का नाम बता देना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर काम नहीं हुआ, पेमेंट किया गया है, धर्मसिंहवां, मसीना, जंगल बशहर को सड़कों पर तृतीय श्रेणी के ईंटें लगा कर बनायी गयी हैं। उन सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया है और सारा पैसा लोगों ने खा लिया और चाहते हैं कि सड़कों का निर्माण हो। आप चाहते हैं कि सड़कें बनाई जायं। पैसा जो खर्च हो रहा है, वह आज किसानों के लिए नहीं खर्च किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान वहां के राष्ट्रीय मार्ग की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय मार्ग की हालत यह है कि अभी पिछले साल वह सड़क 10 हजार रुपये की लागत से बनी थी और वह ध्वस्त हो गयी। करीब 71 हजार रु0 दूसरी सड़कों के नाम पर उस पर व्यय किया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान किलो मीटर 240 और 241 की ओर दिलाना चाहता हूं। ये सड़कें 10 लाख रु0 खर्च करके बनाई गयी थीं और उसके बाद एक ही बरसात में सड़कें टूट गयीं और हालत खराब हो गयी। 50 प्रतिशत पेंटिंग उजड़ गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मार्ग में सहायक अभियन्ता श्री पी0 डी0 मिश्रा थे। उनके माध्यम से जिस प्रकार से खुली लूट की गयी, वह अकथनीय है। उनके खिलाफ माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ साहब ने दिया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और जांच को रोक कर उनकी पदोन्नति कर दी गयी। 10 लाख रुपया राष्ट्रीय मार्ग गोरखपुर शहर के निकट राप्ती पर स्थित पुल के बचाव हेतु जमीन और पेड़ों का मोआव्जा दिया गया है, जबकि, वहां पर केवल मामली ही पेड़ थे और 8 लाख रु0 फर्जी पेड़ों का मोआव्जा अधिशासी अभियन्ता ने कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, तो सारी सड़कों का नाश हो जायगा और ये अधिकारी लूट कर मालोमाल हो जायेंगे। पीलीभीत में सहायक अभियंता द्वारा खुली लूट की गई और 1981 में वर्कचार्ज के कर्मचारियों को मस्टर रोल पर कर दिया गया और कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें मजदूरों की डिग्री हुई। अब अधिकारी लोग मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। इटावा में लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई, गबन हुई, जिसकी शिकायतें हुईं, कोई कार्यवाही नहीं की गई। केन्द्रीय कार्यशाला सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में भूतपूर्व मंत्री ने 24-4-84 को छापा मारकर 5 लाख रु0 के गबन का मामला पकड़ा

और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और फोरमैन को निलम्बित करते हुए शासन द्वारा जांच कराने का आदेश दिया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उल्टे अधिशासी अभियंता को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत करके लखनऊ नियुक्त कर दिया। इसकी जांच मध्य क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री जगदीश चन्द्र तायल कर रहे हैं, परन्तु वह उस भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं और अभी तक किसी भी दोषी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया।

इस भ्रष्टाचार में श्री तायल, मुख्य अभियंता स्वयं भी शामिल हैं। श्री तायल मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि वह कहते हैं कि एम0एल0ए0 और मन्त्री तो टेम्पोरेरी होते हैं, उनके लिखने और कहने की कोई वैल्यू नहीं है। यहां तक कि उन्होंने इस प्रकार की नोटिंग कई फाइलों में भी कर चुके हैं। वह मंत्री जी के आदेश को बिलकुल ही नहीं मानते हैं और उनके मौखिक एवं लिखित आदेश को अनुचित कहते हैं। श्री तायल के पास यदि कोई माननीय विधायक लिखित प्रार्थना-पत्र देता है, तो वह उसके विपरीत ही आदेश करते हैं। यहां तक कि वह प्रमुख अभियंता एवं माननीय मुख्य मंत्री के भी आदेश का उल्लंघन करते हैं। ऐसे भ्रष्ट मुख्य अभियंता के विरुद्ध जांच बैठाई जाय और जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा कर उचित कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने के लिए मुझे हुक्म दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए जो हमारे बाजपेयी भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि यह उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। यह उनका कुछ व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण भावना का प्रतीक है, और बाकी एक रद्दी की टोकरी है इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और अर्ज करना चाहूंगा तामीरात के इस दौर में माननीय अशोक बाजपेयी जी, आप व्यवधान न उत्पन्न करें आपकी अपने जमाने की कार्यगुजारी पर आपको एक शेर नजर करता हूं—

इतनी न बढ़ा पाकिए—

दामों हिकायत

दामन को जरा देख,

जरा बन्दे कबा देख

देखें कि आपने अपने जमाने में क्या किया था? माननीय विपक्ष के लोग अपने गरेबान में भी तो झांकिये मान्यवर, हर दिल अजीज वजीरे आला जनाब नारायण दत्त तिवारी जी की कयादत में तथा ईमानदार और कर्मठ वजीरे तामीरात जनाब पी0 के0 शर्मा की रहबरी में तामीरात का नया दौर शुरू हुआ है जिसमें सड़कें बन रही

हैं, पुल बन रहे हैं इमारतें बन रही हैं, उसको देखते हुए यह कहा जाय कि आज के परिवेश में निर्माण का यह स्वर्णिम युग है, तो अतिशियोक्ति न होगी ।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रदेश के दूरदराज इलाकों में जहां सड़कें नहीं थीं वहां सड़कें बनवायी गयीं, जहां कच्ची सड़कें थीं वहां खड़ंजा, जहां खड़ंजा वहां पक्की सड़कें बनवाई गयीं, जहां पतली सड़कें थीं वहां चौड़ी सड़कें बनवाई गयीं, और उन सड़कों को इस योग्य बना दिया गया है कि अशोक बाजपेयी जी अगर दिल्ली की तरफ चलें तो उनको आसानी से फिसलते हुए जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी । बहरहाल मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है । जिससे रूठकर श्री बाजपेयी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम से 640 करोड़ की लागत से सड़कों की योजना बनाई जा रही है, जो काबिले-तारीफ है । निगम द्वारा पुलों की तामीरात की गई हैं । इससे और मुल्कों से ठेके मिल रहे हैं । तरक्कीयाफ्ता मुल्कों से ठेके मिल रहे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश का प्रतिष्ठावान निगम है, जिस पर फख्र किया जा सकता है । इसको पांच लाख की लागत से शुरू किया गया था अब इसका टर्न ओवर 70 करोड़ रुपया है । पिछले साल ढाई करोड़ रुपये का लाभ कमाया । माननीय बाजपेयी जी की तवज्जों लाना चाहूंगा ढाई करोड़ इस निगम ने लाभ कमाया । पांच लाख से 1975 में शुरू किया गया था, इस वर्ष उम्मीद है कि साढ़े चार करोड़ मुनाफा कमाएगा । मैं कहना चाहता हूं अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो मुनाफा कहां से आ गया । पुआंवां की तहसील को आप देखें । तिलहर की चीनी मिल निर्माण निगम ने बनाई, इसको आप देखें । लखनऊ की बहुमंजिली इमारत को देखें । ओ0 सी0 आर0 की पन्द्रह मंजिली इमारत को देखें । क्या यह देश में अग्रणी निर्माण संस्था का प्रतीक नहीं है ? करीब 80 करोड़ के ठेके इस निर्माण निगम को मिले हैं, जो प्रदेश का प्रतिष्ठित और प्रगतिशील निगम है ।

मैं इस विभाग के कर्मचारियों की तारीफ करूंगा, जिनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए अजन्ता और एलोरा का नाम है उसी तरह से इनका भी नाम होगा । अगर पहले कुछ भ्रष्टाचार होगा तो हमारे मंत्री जी ने कहा है कि 264 गजटेड अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लिया है । ऐक्शन तो बड़े-बड़े मंत्री के खिलाफ लिया गया है बशर्ते उनके खिलाफ सबूत पाए गये हों । मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा । मैं पूर्वांचल के बस्ती जनपद से आता हूं । बस्ती जनपद को फैजाबाद रोड को जोड़ने वाली सड़क पर अमहट एक पुराना पुल है । वह जर्जर अवस्था में है । वह किसी समय भी टूट सकता है मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि उसको तुरन्त बनाया जाए । बस्ती से मेहदावल रोड पर आमी नदी का पड़रिया पुल, मुहैया पुल, करमैनी पुल बनवाया जाए । इसके अतिरिक्त समरियावां से खलीलाबाद रोड, तिलजा से खलीलाबाद, दुधारा से देवरिया लाल होते हुए खलीलाबाद, समरियावां से रुधौली, गंगौली रोड,

मेहदावल से करमैनी रोड ध्रुव ज्योति से बघौड़ी रोड, बाघ नगर से ऊंचाहार, महदेवपुर, रनापुर सरैंया होते हुए खलीलाबाद रोड, दानकुइया से इटवा, दानू कुंइया से केरवापुर, सेहड़ा से सिसईमाफी होते हुए परसादपुर--महदेव रोड, कोइरियावां से धुसुरा--दुधारा रोड, रक्सा कलां से रुधौली--गंगौली रोड, रुधौली से करमा खाल होते हुए सेकरियावां रोड तथा इन सड़कों पर पुल बनवाने का काम पूरा किया जाय। मेरे पिछड़े हुये क्षेत्र में तमाम पुल और सड़कें बनाने के लिए जो शासन ने कहा था उसको पूरा कराया जाय। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह निहायत अच्छा है और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मान्यवर, सड़कों का सम्बन्ध प्रदेश के उन सारे पिछड़े इलाकों से है। देहाती इलाके में 70 प्रतिशत जनता रहती है। उनका विकास नहीं हो पाया। देहात के गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। सरकार तथा विभाग के अधिकारीगण राष्ट्रीय मार्गों और राज्य के मार्गों को सुधारने और संवारने में अधिक ध्यान देते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से देहात के गांवों में जो छोटे-बड़े पुल बनने हैं, उनका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। क्योंकि उनका निर्माण न होने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ओर ले जाना चाहती हूं, जहां सड़कों का बहुत अभाव है। मैं मांग करती हूं कि रेवती से हड़िया कला मार्ग को तत्काल बनाया जाय क्योंकि वहां आने-जाने का कोई मार्ग नहीं है।

दूसरा गाय घाट से अघौला-बुधैला एवं छोटकी बेल हरी को जोड़ना आवश्यक है।

तीसरा बांसडीह से खरौनी-कितुंपुर तक सड़क बनायी जाय।

चौथा डुमरी का हास्पिटल जो चिलहर क्षेत्र में पड़ता है सार्वजनिक निर्माण विभाग ही बनावें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करती हूं।

धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट हमारे सुयोग्य मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं और हमारे सम्मानित सदस्य विपक्ष के भाई अशोक बाजपेयी ने कहा कि गावों में सड़कों का जाल कम बिछाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मान्यवर, 85 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में 15 सौ से ज्यादा आबादी के गांव 10 हजार 898 हैं, इनमें से 8 हजार 449 गांव 86 तक सड़कों से जुड़ जायेंगे। एक हजार से 1499 तक की आबादी के 11 हजार 677 गांव हैं। 5 हजार 874 गांव 86 तक सड़कों से जुड़ जायेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं पुलों और सड़कों का निर्माण जो इस विभाग द्वारा किया गया है वह प्रशंसनीय रहा है। 1984-85 में पी0 डब्लू0 डी0 विभाग ने 30 हजार 759·41 लाख रुपये खर्च किया। एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी ने जो प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। परन्तु कहीं दाल में काला है। राजकीय निर्माण निगम के बारे में जो कुछ कहा गया, उसके बारे में इतना कहना चाहता हूं।

कि इस समय 26,239.33 लाख रु0 के प्रोजेक्ट राजकीय निर्माण निगम चला रहा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वह स्व0 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट जो 45,00 लाख रुपयों का है। यह एशिया का सबसे बड़ा चिकित्सालय प्रोजेक्ट बन रहा है। मान्यवर, इसमें 5 प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, जिनके पिछले 6 माह में विभिन्न नामों से 5 लाख रु0 से लेकर 20 लाख रुपयों तक की लाटरियां निकल चुकी हैं। और यह लाटरियां कैसे निकलीं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, फेज-1 जिसके अन्तर्गत भवनों के निर्माण एवं उनके विकास कार्य हैं, के निर्माण के लिए उन पांचों प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने शत प्रतिशत ग्रांट प्राप्त कर लिए हैं, परन्तु अब तक कार्य मात्र 60 प्रतिशत ही हुआ है। इसके अलावा एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां के प्रोजक्ट मैनेजर कोटेशन्स के जरिए जो डायरेक्ट परचेज बिजली के सामान की गयी हैं, वह आज के बाजार भाव से भी तीन गुना ज्यादा की रखी हैं, इसकी आप कहीं से भी जांच करा लीजिए तो इस खुले रूप में नग्न नाच का पर्दाफाश हो जायेगा। दूसरे इन मैनेजर्स के स्टैण्डर्ड आफ लिविंग से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जायेगी।

साथ ही मान्यवर, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जी0 एम0 लखनऊ जोन जिनकी प्रोन्नति मुख्य अभियन्ता के रूप में सेन्ट्रल जोन, पी0 डब्ल्यू0 डी0, लखनऊ के पद पर की गयी जो जी0 एम0 के पद से ऊंचा पद है, पर न जाकर जनरल मैनेजर के पद पर ही रहना उचित समझा क्योंकि यहां पर इनके लिए लाभांश ज्यादा हैं। मान्यवर, निर्माण निगम में एक दो नहीं आज बहुत से घपले हैं। अनेक्सी भवन के निर्माण में एक व्यक्ति स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत था जो आज पी0 वी0 सी0 पाइप बनाने वाली कम्पनी का मालिक बना हुआ है, यह कारखाना लगाने के लिए इसके पास कहां से धन आया, यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा इसकी जांच करवाई जायेगी तथ्य अवश्य ही सामने आयेंगे। इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और अपने पिता के नाम पर यह कारखाना चल रहा है। मान्यवर, आज पी0 जी0 आई0 में जो कार्य प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं, उनके स्पेसीफिकेशन आफ वर्क की यदि जांच कराई जाए तो मालूम हो जाएगा कि इनका कार्य सब-स्टैन्डर्ड का ही है।

मान्यवर, हमारे बहुत योग्य सचिव यहां पर बैठे हुए हैं, जिनकी ईमानदारी और निष्ठा की हम लोग सदैव कद्र करते हैं, इनके होते हुए इस विभाग में ऐसा नग्न नाच भ्रष्टाचार के नाम से हो रहा है अत्यन्त दुखद है। साथ ही मान्यवर, आपको मैं एक निश्चित जानकारी देना चाहता हूं कि निर्माण निगम के आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के फायनल बिल आज तक सब्मिट नहीं हुए, इसका क्या कारण है इसका कारण यह है कि इनके निर्माण के प्रयोग में आने वाली समस्त चीजों के रेट आज के बाजार भाव से 100 गुने अधिक बढ़े हुए हैं, इस तथ्य की जांच किसी भी एजेंसी द्वारा कराई जा सकती है। मान्यवर, जो पम्प और अन्य एसेसरीज पी0 जी0 आई0 में खरीदी गयी उन सब का स्टैन्डर्ड अप टू मार्क नहीं है, मान्यवर यहां तक कह रहा हूं कि वह कम्पनी तक सर्वाइव आज नहीं कर रही है, जहां से खरीद हुई है उन पम्पस की। मान्यवर, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने हम लोगों को एक ही नारा देकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन के अन्दर और सदन के बाहर, लड़ने के लिए, भेजा है, आज हम उसी के तहत यहां काम कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम जो सरकारी भवन निर्माण डिपोजिट वर्क प्रणाली से करती है समय से कभी पूरे नहीं हुए

जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आगरा का 100 बिस्तर का आपातकालीन चिकित्सालय है जिसकी निर्माण अवधि एक वर्ष थी परन्तु शिलान्यास के डेढ़ वर्ष बाद भी जिसकी नींव तक न खुद सकी है। दूसरा, ठेका प्रणाली के कार्य तो सदैव बाजार भाव से 200 गुना अधिक पर भ्रष्ट इंजीनियरों को दान कमवा रही है।

माननीय, राजकीय निर्माण निगम ने जहां-जहां काम किया है, वहां सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ में सार्वजनिक निर्माण मंत्री के बजट का दिल से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं परन्तु मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि भ्रष्टता से जो गंगा गन्दी हो रही है उसको साफ करने का प्रयास करें।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

माननीय, उत्तर प्रदेश में 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं। अगर सड़कों और पुलों के जरिये से गांव को हम शहरों से मिला दें तो इस प्रदेश के अन्दर देहात और शहर दोनों अच्छी तरक्की करेंगे और माननीय, यहीं नहीं, सड़कें और पुल बनाने के दिन से ही लोगों को रोजगार नहीं मिलता है बल्कि बनने के बाद भी उसमें दुकान आदि का तरह-तरह का कारोबार मिलता है और बेरोजगारी दूर होती है। आज तक इस बारे में जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ। अगर माननीय मंत्री जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि 31 मार्च, 1980 से पहले जितनी सड़कें सेंक्शन हुई थीं क्या वह सब पिच रोड हो गई? अगर हो गई तो वाकई काम हुआ है और अगर नहीं हुई तो काम नहीं हुआ। सड़क की इम्तहा है कि पिच रोड हो, पक्की हो, काली हो। मैंने भी सड़कों को देखा है कहीं खड़ंजे लगे हुए हैं और मामूली सा पुल है। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से और सरकार से कि अगर अब से वे प्लांड वे में काम करें तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है और उसके सिलसिले में 31 मार्च, 1985 तक जोड़ डालें कि कितनी सड़कें सेंक्शन हुई और पिच रोड नहीं बन पाई, उसकी लागत क्या है सबको जोड़ डालें और 3 साल के अन्दर सारी की सारी सड़कें पिच रोड हो जाएंगी, उसमें कोई मिसिंग ब्रिज नहीं रहेगा। यह विभाग का सबसे जरूरी काम होता है कि यह देखें कि हमारे ऊपर कर्जा कितना है। मंत्री जी के पास अगर रिकार्ड न हो तो वे उसे विभाग से मंगवा लें। 31 मार्च, 1985 तक जितनी सड़कें मंजूर हुई हैं, पिच रोड तक मुकम्मल करने के बाद कितना कर्जा आता है और तीन सालों के अन्दर जितनी सड़कें सेंक्शन हुई हैं उसमें मिसिंग ब्रिज नहीं रहेगा, कोई लिंक नहीं छूटा रहेगा और सब तीन साल के अन्दर पक्की कर दी जायेंगी, अगर ऐसा आप प्लान बना लें तो यह काम जल्दी पूरा हो सकता है। मैंने किताब पढ़ी, पता नहीं कहां से यह आंकड़े दिए गए। इस प्रदेश में 1500 से ऊपर आबादी के 5800 गांव बाकी हैं। और एक हजार से पन्द्रह सौ जो बताया है वह 8500 गांव हैं। पता नहीं कहां से ये आंकड़े आए हैं। इनको फिर से देख लें। पन्द्रह सौ के जितने गांव हैं, वे 14,000 किलोमीटर लम्बे चौड़े हैं। एक हजार से पन्द्रह सौ के हिसाब से 18 हजार आता है। तो चौदह हजार और 18 हजार जोड़ लें तो कुल 30 से 32 हजार किलोमीटर आता है। इसके लिए आप तीन साल की योजना बना लें। पहले साल मिट्टी डाल दें और बरसात में पानी पड़ने दें। दूसरे साल खडंजा बिछा दें और फिर बरसात में पानी पड़ने दें और फिर तीसरे साल पिच कोट करावें। इस तरह तीन साल में सड़क पूरी होनी चाहिये। इस प्रकार नहीं पूरी होती है तो इसका मतलब है कि पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है और जो भी दोषी हो उसे दण्डित किया जाय। 3 साल से ज्यदा समय नहीं लगना चाहिये।

आपके विभाग के पास उत्तर प्रदेश का नक्शा है, उसमें दिया है। आप

1500 से 1000 तक की आबादी वाले गांवों की एक समन्वय समिति बना लीजिए। जिनने विभाग मिलकर सड़क बनाते हैं, उन सबको एक साथ लेकर ही बनाइये। नहीं तो एक एक सड़क का तीन तीन बार पेमेन्ट हो जायगा, लिहाजा समन्वय समिति बनाकर कार्य कीजिए। ब्रिज कारपोरेशन के बारे में मालूम है कि असेट है। कोई भूल चूक हुई हो तो मंत्री जी उसे ठीक कर लें। सन् 1978 में ब्रिज कारपोरेशन के लोग गये थे ईराक। वहां से लौट आए, लेकिन ठेका नहीं मिला। तो उस समय जो मंत्री जी थे उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को तीन आफर दिए पहला यह कि जितना खर्च हुआ है, उसे जमा करें, या एक रुपये में कोई ठेका ले आएं और या फिर सस्पेन्ड किया जायगा। वह फिर से गए और ठेका मिला और तबसे ठेका है। मंत्री जी और उनके कुछ अधिकारी जाना चाहते हैं। मैंने तीन चीजें सामने रख दी हैं। इन बातों के साथ में सारी बातें एक शेर मे कहना चाहता हूं कि "इस मुल्क की बदकिस्मती है--उसूले गुलिस्तां से वाकिफ नहीं, अब निजामे चमन उनके हाथ आ गया"।

श्री अधिष्ठाता--

पी0 डब्लु0 डी0 का बजट है, शेर चल रहे हैं, अच्छी बात है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

माननीय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और विरोधी तरफ से जो कटौती प्रस्ताव हैं, उसका विरोध करता हूं। माननीय, सन् 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी उस समय इंदिराजी ने जो शब्द कहे थे, वे आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने जनता पार्टी सरकार से कहा था कि जनता पार्टी जो भी काम जनता के हित में करेगी, उसमें कांग्रेस अपना रचनात्मक सहयोग देगी। लेकिन, जनता पार्टी ने उस समय क्या काम किया? इंदिराजी के ऊपर कई मुकदमें कायम किए। शाह आयोग को बिठाया था? जब जनता ने उस शेरनी को चिकमंगलूर से जिताकर पार्लियामेन्ट में भेजा, तो उस जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया।

माननीय, पहाड़ के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय, पहाड़ों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से ब्लास्टिंग का काफी प्रयोग होता है, उससे पानी के स्रोतों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वहां पर सड़कें पहले बहुत कम थी, अब तो सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, सारी सुविधा जनता की हो गयी है, लेकिन एक दिक्कत है कि जो जमीन हरिजनों की पड़ती है, क्यों कि जैसे जेड0 ए0 ऐक्ट में प्रतिबन्ध है कि हरिजन अपनी जमीन को रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, माननीय, जब सड़क के लिए हरिजन की जमीन ली जाती है, तो हरिजन को यह इजाजत होनी चाहिए कि विभाग के नाम पर उसकी रजिस्ट्री करा लें। माननीय, विभाग जबरदस्ती उन जमीनों पर निर्माण कार्य करता है, जिससे उन गरीबों को बड़ी तकलीफ होती है। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाय। माननीय, कल गन्ना विभाग का बजट था, मुझे तो बोलने का समय नहीं मिला। माननीय, पहाड़ों में मधु मक्खी से सम्बन्धित जो उद्योग थे, वे शनैः शनैः समाप्त होते जा रहे हैं। वे किस लिए हो गए हैं, शायद ब्लास्टिंग की वजह से यह बात हुई हैं और दूसरे जो वहां पर फारेन सीड आ गयी, उसके प्रयोग से मधुमक्खियों के उद्योग समाप्त हो गए। यह भी जांच का विषय है। यह उद्योग जो पहाड़ों म पनपता था, उसकी ओर ध्यान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री किशन लाल दिलेर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें विभाग के खोखलेपन को काफी हद तक दर्शाया है। माननीय बाजपेयी ने अपने कटौती के प्रस्ताव द्वारा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की सारी पोलें खोल दी हैं कि कितनी सब गोलमाल है कितना घोटाला है। मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने सदन से बहिष्कार किया था। मैं उस सम्बन्ध में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं।

जिन्दा जलील होके जहन्नुम से
कम नहीं,

इज्जत से अगर मर जाय तो हमको
यह गम नहीं।

मान्यवर, आशंका कुछ ऐसी लग रही है कि सारा विभाग ही भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में गत वर्षों का हवाला देना चाहता हूं कि गत 5 वर्षों में वहां बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जो सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 में गयी हैं, उन पर अभी तक काम नहीं हुआ है।

मान्यवर, ब्लाक धनीपुर में हरदुआ-गंज से जलाली तक, पनेठी से साधु आश्रम तक, पनेठी से मररात स्टेशन, अलीगढ़ छावनी से शहवाजपुर, इन सड़कों पर काम नहीं हुआ है। खड़ंजा जो कहीं-कहीं बिछा था, वह भी छिन्न-भिन्न हो गया है। इसी तरह से ब्लाक लोधा में यही स्थिति है—

लोधा से गोंडा रोड वाया बाढ़ौन आप इन सड़कों की स्थिति देख लें। अहमदपुर से मड़राक आगरा रोड, अलीगढ़ तुर्कमान गेट से वादवामनी, बड़ेगांव अकबरपुर से इगलास रोड वाया वहमती—कंथवारी यह सड़क दयनीय स्थिति में हैं, इन पर कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना बड़ा बजट होते हुए भी हमारी कान्स्टीट्यूऐन्सी में कुछ काम नहीं होता है। यह मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि यह स्थिति सारे जिले में है। जितना काम सड़कों का और जिलों में हो रहा है, उतना काम हमारे जिले में नहीं हो रहा है इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अलीगढ़ जिले को इस तरह से नेगलेक्ट न किया जाय। वहां के बजट में आप कटौती कर देते हैं, जिससे वहां का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अलीगढ़ की तरफ भी अवश्य ध्यान देंगे। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जय नारायण तिवारी—

मान्यवर, आपने, मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शिक्षा का बजट भी शेरो और सायरियों के माहौल से शुरू हुआ था, उसी प्रकार आज यह महत्वपूर्ण सड़क बजट का माहौल भी शेरो शायरियों से चला है, इसका समर्थन करते हुए मैं भी अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूं। आप लोग मुलाहिजा फरमायें।

"न सोचोगे तो मिट जाओगे,
तुम ऐ दोस्तो सुन लो।
तुम्हारी दास्तां तक भी,
न होगी दास्तानों में।"

मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की तमाम समस्यायें हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट

आज यहां पर आया है, माननीय श्री बाजपेयी जी ने कहा कि काम तो बिल्कुल कम किया गया है लेकिन नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशस्ति ज्यादा की गई है । मैं दावे के साथ कहता हूं यदि आप भी अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक को स्थान दें और अपने दिल पर हाथ रखें तो आप भी हमारे नेता सदन की इससे भी ज्यादा प्रशस्ति करेंगे । आज इस प्रदेश की महानगरियों में जो सड़कें हैं वे मिक्स फाल्ट प्लान्ट से बनाई जा रही हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे । आज आप लखनऊ की ही सड़कों को देख लो । साल भर पहले इन सड़कों की क्या हालत थी और आज क्या है । इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा विभाग कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है और कितनी तेजी से सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है । मान्यवर, जो काम करता है, उसकी प्रशस्ति की जाती है । जो अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रशंसा अवश्य की जाती है । आपने अपनी तरफ से एक ही बात कही कि जनता पार्टी के कार्यकाल में सड़कें बनी थीं और वे जनता की सड़कें थीं । सड़कें तो आपने नहीं बनाई हां, यह जरूर है कि आपने आयोग अवश्य बनाये । आपने जनता का विकास नहीं किया अपितु आपने आयोग का विकास किया । यह एक क्रान्तिकारी बजट है । 1,500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है । आपने ढाई साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, केवल आयोग बनाने के सिवाय । दूसरा आपने जो काम किया, हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, आपने उसे रोलिंग प्लान बना दिया और योजनाओं को तहस-नहस कर दिया था ।

डा० दिनेश जौहरी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य इतनी तेज बोल रहे हैं कि कानों में भन्नाहट की आवाज हो रही है ।

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र, इसौली (सुल्तानपुर) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

फैजाबाद से चित्रकूट तक इससे लाभान्वित हो रहा है । मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि राम वन गमन मार्ग को जो पूर्ववर्ती सरकार ने मंजूर किया है, को प्राथमिकता और वरीयता के स्थान पर रखा जाय । सुल्तानपुर जनपद में एक ऐतिहासिक स्थान है बिजेथुआ महाबीरन को । इसको विकसित करने के लिए दस लाख रुपये स्वीकृत है लेकिन काम अभी केवल ढाई लाख का हुआ है और पैसा पड़ा है । कृपया प्राथमिकता पर कार्य शुरू कराया जाय ।

(व्यवधान)

इसके लिए सार्वजनिक निर्माण से योजना स्वीकृत हुई थी । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उसको भी प्राथमिकता देते हुए वरीयता पर स्थान प्रदान करें । हमारे सुल्तानपुर जनपद में धोपाप एक तीर्थ स्थल है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण का वध करके मां जानकी सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो यहीं पर अपने पाप धोये थे, इसलिए इसका नाम धोपाप पड़ा, मैं गुजारिश करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इसको प्राथमिकता देकर वरीयता के स्थान पर रखा जाय और पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया गया । पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर भी विशेष ध्यान दिया था ।

(व्यवधान)

इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बेतवा नाले का महमूदपुर नाले का पुल हलियापुर के चिकित्सालय के भवन, बल्दीराय के चिकित्सालय का भवन, देहली व जार के चिकित्सालय का भव

का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर चलाये जायें और कार्य पूरा कराया जाय क्योंकि पहले से पैसा अब ज्यादा लगेगा ।

(व्यवधान)

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम 7वीं पंचवर्षीय योजना में मंत्री जी ने उठाया है । उन्होंने घोषणा की कि 7वीं योजना में हमारा ढाई लाख कि0 मी0 सड़क का टागट है । लखनऊ प्लान के अन्तर्गत....

एक सदस्य--

पढ़ कर आइये पहले ।

श्री जय नारायण तिवारी—

आपको पढ़ने की आदत है मैं तो वैसे ही बोलता हूं । कटिंग्स से बोलने की आदत नहीं है....

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ पुनः पुरजोर शब्दों में, ताकत के साथ, इस क्रान्तिकारी बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसकी निन्दा करता हूं और विरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे । यह अपना कटौती का बजट वापस लेकर हमारे साथ मिलकर बजट को पास करें जिससे आवागमन के साधनों का प्रचुर मात्रा में विकास हो सके । जय हिन्द ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

हमारे जो उधर के लोग हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि

[×××]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं देख लूंगा इसको और देख कर..

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आप लोग कृपया बैठिये । वर्मा जी, बैठिये, मैंने कह दिया ना कि मैं देखूंगा ।

श्री राज किशोर सिंह--

विषय शोर करने का नहीं चुप रहने का है ।

श्री अधिष्ठाता--

राज किशोर जी, भाषण दीजिये । कृपया शान्त रहिये ।

(6 बजकर 31 मिनट)

श्री राज किशोर सिंह--

बजट के समर्थन में जो उनका भाषण हुआ है वह निरा लफ्फाजी का है इसलिए मैं उस बजट का विरोध कर रहा हूं और माननीय अशोक बाजपेयी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह तथ्यों से भरा हुआ है, वास्तविकता है उसके अन्दर बातें और तर्कसंगत हैं और सच्चाई को बढ़ कर सामने रखा है इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूं ।

यहां हमारे भाई कह रहे हैं कि हमने बड़ी सड़कें बना दीं । सड़कें क्या आप बनाते हैं ? ये मजदूर बनाते हैं, जिनकी कमाई पर आप पल रहे हैं । अगर आप इसी को बन्द कर दें तो जो सड़कें अपने शासनकाल में बनायी हैं उनकी जो लम्बाई है, इसको मैं आपसे कहता हूं कि अगर मजदूरों की कमाई छोड़ दें तो कई गुना सड़कें बन गई होतीं और सड़कों का जाल बिछ गया होता । आप 1500 की आबादी की बात कर रहे हैं । यह जो बात है कि 1500 की आबादी के तमाम गांवों को जोड़ देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इनको जोड़ने वाले नहीं हैं । जैसे डपोर शंख बोलता है, वैसे ही आप भी बोलते हैं । माननीय

मंत्री जो चाहे मेरे साथ वाराणसी चले चलें, भत्ता भी बन जायगा, गंगा मइया का दर्शन हो जायगा, बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन हो जायेंगे और सड़कें भी देख लेंगे । अभी बोल रहे थे कि हमने भवन बनायें, चिकित्सालयों के भवन बनाये और भी बहुत सारे भवन बनाये। मेरे साथ चलिये मैं आपको दिखा दूं आपने जूनियर हाई स्कूल बनाया, पिछले साल बनाया और इस साल सारे का सारा भवन चू रहा है। उसकी शिकायत मैंने माननीय मन्त्री जी को दिया है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । सारे भवन टपक रहे हैं और गिर रहे हैं । सड़कों का हाल सुन लीजिये । सड़कों की क्या हालत है । मैंने माननीय मन्त्री जी को लिखित दिया है कि बनारस में सड़कें बनायी जा रही हैं और पूरे प्रदेश में जो सड़कें बनायी जा रही हैं उसका जो सीलिंग है तीसरे दर्जे कि ईंटों से होती है और जो पहली और दूसरी कोटिंग होती है, टाप कोटिंग होती है, वह दोषपूर्ण है । मैंने एस० ई० को जोनल इन्जीनियर को ईंटों का नमूना दिया, लेकिन उन्होंने जांच नहीं की । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप उन सड़कों के बारे में सही तरीके से जांच करें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

श्री राज किशोर सिंह—

(कई माननीय सदस्यों के खड़े हो जाने से उत्पन्न व्यवधान के मध्य) ।

गंगा नदी पर पुल होना चाहिये रामनगर पर, यह नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप नदी पर पुल बनाइये । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुईद अहमद—

आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं । जो कटौती का प्रस्ताव बाजपेयी जी ने रखा, उसका विरोध इस कारण कर रहा हूं क्योंकि उनको सोचना चाहिये था कि पी० डब्लू० डी०, सिंचाई हाइडिल, आर० ई० एस० इन सबमें भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत है । कुछ न कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पी० डब्लू० डी० में कुछ भ्रष्ट लोग रहे हैं और आज भी हैं । मगर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, साल भर के अन्दर जो उन्होंने परिवर्तन पी० डब्लू० डी० विभाग में दिखाया है, वैसी प्रगति पहले कभी नहीं हुई है । पिछले एक वर्ष में सड़कों की प्रगति देखी जा रही है लखनऊ में ही नहीं बल्कि देहातों में भी बराबर से प्रगति है गांवों में भी और गांव के किनारे-किनारे जो जिले हैं उनमें भी सड़कों की तकनीकी प्रगति देखी जा रही है । इसकी तारीफ करनी चाहिये थी बाजपेयी जी को ।

माननीय बाजपेयी जी भूल गये कि पी० डब्लू० डी० विभाग की योजनाओं को पहले प्रोडेक्टिविटी प्लानिंग कमीशन नहीं मानता था लेकिन माननीय नारायन दत्त तिवारी जी की सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता की श्रेणी में अंकित कराया है और अधिक से अधिक बजट लाकर पी० डब्लू० डी० विभाग को दिया है । आप इस बात को भूल गये हैं कि आज देहातों में चिकित्सा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तकनीकी विज्ञान की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है । यह सारी प्रगति सड़कों के माध्यम से हो सकती है । यदि सड़कें नहीं हैं तो उस क्षेत्र का उस जिले का विकास नहीं हो सकता है, शिक्षा नहीं पनप सकती है, यह सब यातायात पर ही निर्भर है इसलिए यातायात बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है । हवा में बह कर बातें नहीं करनी चाहिये बल्कि ठोस सुझाव देने चाहिये ।

अभी सदस्य, वाराणसी ने कहा कि पिछले साल पी० डब्लू० डी० विभाग ने वहां एक जूनियर स्कूल की बिल्डिंग बनायी थी जो कि गिर गयी । मैं उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूछता हूं कि कहीं उनके दल के ही ठेकेदार ने तो नहीं उसे बनाया था ? शासन के सामने ज्यादा से ज्यादा बातें आ जाती हैं, ये लोग बस आलोचना करते हैं भ्रष्ट अधिकारियों की और जब उन अधिकारियों को पकड़ा जाता है तो यही लोग उसकी सिफारिश भी करते हैं। मान्यवर, जो खड़ंजा उसमें डाला जाता है उसकी उन्हें तकनीकी जानकारी होती है।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान है नौगवांतांर। यह गांव 15,000 आबादी का गांव है। यहां तीन-चार हजार आबादी के लोग रहते हैं। यह गांव चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है जैसे कि गांव स्वयं में एक टापू है। इसके एक तरफ गोमती नदी है। अगर आप इस पर पुल नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां एक पतला नाला भी है इसलिए वहां एक पैन्टन ब्रिज बना दिया जाय। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री त्रिलोक चन्द्र के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

त्रिलोक चन्द्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं बोलना चाहता हूं, बस एक निवेदन करना चाहता हूं इसलिए आप मेरी बात को सुन लीजिये। मान्यवर, इसमें महत्व-पूर्ण विभाग का बजट चल रहा है और जिस तरीके से बहस का स्तर होता है क्या हम लोगों का फर्ज यह नहीं है कि कमियों की ओर इशारा करें ? गलती हमने भी की है और ये भी कर रहे हैं--

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप बैठें। विषय पर ही टिप्पणी होनी चाहिये जिससे कि उत्तेजना न हो और भाषण का स्तर भी ऊंचा रहे, सुझाव आयें, रचनात्मक सुझाव आ सकते हैं। भाषण का एक स्तर होना चाहिये।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह माननीय नय सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि इनको सब कोई सुनेंगे।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी--

इस विभाग की विशेषता मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। सड़कें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है। वहां पर सड़कें भी बहुत जरूरी हैं सड़कों का महत्ता इतनी ज्यादा है कि अगर सड़कें न हों तो हमारा यातायात और हमारे सामान को इधर से उधर ले जाने में व हमारे किसानों को सामान शहरों तक पहुंचने में ज्यादा कठिनाई पैदा हो सकती है जहां पर सड़कें नहीं हैं वहां जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच सकती हैं। शहरों का शहरों से जोड़ना लाभदायक है और उससे ज्यादा लाभदायक शहरों का देहातों से जोड़ना है। मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके शहरों को देहातों से ज्यादा-तर जोड़ना चाहिये। इसके साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं जहां एक शहर से दूसरे शहर में चक्कर काटकर जाना पड़ता है वहां पर यह किया जाय कि वहां कोई सीधा रास्ता बनाया जाय और सड़क से जोड़ा जाय। चूंकि क्रिटिसाइज करने का ज्यादा मौका नहीं है मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हमारे माननीय मसूद साहब ने फरमाया था कि सड़कें चाहे जितनी लो

जाय उसको 3 साल में पूरा किया जाय। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे ही क्षेत्र में सरधना, पारसी, बुढ़ाना रोड जो पानीपत में जाकर मिल जाती है, काफी अर्से से पड़ी है। उसकी सोलिंग बजाय ईंट के बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़ों से की गयी है, और वह पत्थर के टुकड़े कुल्हड़ की तरह से इधर-इधर लुढ़क रहे हैं जिससे शासन का भी नुकसान हो रहा है और जनता को भी परेशानी हो रही है।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

अभी माननीय सदस्य ने जो बतलाया इस बारे में कहना चाहता हूं कि एक मास्टर प्लान बन गया है और दूसरा मास्टर प्लान जल्दी ही बन जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यह पूरा करा दिया जायेगा।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी--

इसका धन्यवाद। इस तरह से जो सड़कें ली जाय उनका पूरा ध्यान रखा जाय और उसको 3 साल के अन्दर पूरा कर दिया जाय। जितना मैटेरियल टेन्डर में हो, जो रेशियो के हिसाब से ही वही इस्तेमाल होना चाहिए। आज क्या होता है कि तारकोल और सीमेन्ट उस रेशियो से नहीं पड़ता, पत्थर उस रेशियो से नहीं पड़ता है। सड़कें बन जाती हैं और वर्षों-वर्षों तक उसकी परवाह नहीं होती। खास-तौर से मैं यह देखता हूं कि आपके जो बड़े-बड़े ग्रान्ड ट्रंक रोड हैं, उनकी तो देख-रेख होती है क्योंकि उन पर वी0 आई0 पी0 और ऊंचे अधिकारियों का दौरा होता है। लेकिन जो देहातों की सड़क है पी0 डब्ल्यू0 डी0 के द्वारा निर्माण की हुई है उसको देखें तो वास्तव में पता चलेगा कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिसमें यदि गर्भवती महिला बोगी या रिक्शा में बैठकर जाये तो आप सही मानिये कि उसको खतरा पैदा हो जायेगा और सीरियस मरीज के निकल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसी तरह से जहां-जहां जो सड़कें बनायी जाती हैं उसके साथ ही इस बात का ध्यान दिया जाय कि जहां पर नदी या नालों पर पुल की आवश्यकता हो तो वह भी साथ ही बन जाना चाहिए जिससे कि यातायात में सुविधा हो।

सड़क बनने में तो शासन का पैसा खर्चा हो जाता है और पुल न होने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसा कि मेरे क्षेत्र में पारसी पर एक हिंडन नदी का पुल नहीं है। उस पर ट्रैफिक चलता है और यह पारसी पानीपत कर्नाल होती हुई हरियाणा पंजाब से मिल जाती है। मेरठ कैन्ट मिलेट्री का भारी केन्द्र है जिसका इस सड़क पर यातायात भी है। फिलहाल पाये के पुल बनवायी जाय जब तक पक्का पुल न बने जो अति आवश्यक है आज के पंजाब की स्थिति को देखते हुए इस रास्ते से सीधा सम्पर्क बनाया जा सकता है, इसलिए यह अति आवश्यक है। माननीय चौधरी हुकुम सिंह मेरठ हर महीने 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र की समस्या उनके सामने बतायी और उन्होंने पी0 डब्ल्यू0 डी0 अधिकारियों को आदेश दिया कि आप इस ओर तुरन्त ध्यान दें। बगली आजड़ जो तीर्थ-स्थान है उसकी सड़क तथा पुल बनना अति आवश्यक है क्योंकि हजारों यात्री वहां से जाते हैं। इसी प्रकार लावड़ व मीठेपुर मार्ग पर देदवा पुल काली नदी पर है उसका पुल लकड़ी का बिल्कुल टूट चुका है और यातायात में बहुत कठिनाई है। इस समय सम्पर्क टूट गया है। उसको तुरन्त बनाने का कष्ट करें। परन्तु मंत्री जी के कहने पर भी इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सार्वजनिक

निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य बजट के समय कहा था कि आवागमन की सुविधाओं से क्षेत्रीय संतुलन बनायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1500 की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जयेगा और इसी प्रकार से उन्होंने यह भी वादा किया है कि 1500 से 1000 की जनसंख्या वाले 71,062 गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया जायेगा और इसी कारण उन्होंने इस विभाग को अपने पास रखा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशिष्ठ तकनीकी आधार पर विशिष्ठ गुणता की सड़कें हाट मिक्सड प्लान्ट और पेवर मिक्चर द्वारा तकनीकी ढंग से नगरों और महानगरों की सड़कों को बनाया जाये। मेरी मांग है कि राष्ट्रीय मांगों के साथ शहरों का जोड़ने वाली सड़कों को सम्मिलित किया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजकीय निर्माण और निगम राजकीय सेतु निगम लाभ पर चल रहे हैं।

मान्यवर, सेतु निगम को 1982 में इन्टरनेशनल एशिया एवार्ड प्राप्त हुआ है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम का काम विभाग द्वारा किया जाता है और जो दूसरे कार्य हैं वह वह ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों है और उसका औचित्य क्या है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिये इसको 7 क्षेत्रों में बांटा है। जिसमें पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर और वाराणसी को मिला दिया है और उसका कार्यालय वाराणसी में बनाया गया है, मेरी मांग है कि गोरखपुर डिवीजन को अलग कर दिया जाये क्योंकि गोरखपुर एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है और यह नैपाल की सीमा पर स्थित है और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्व का स्थान है। मान्यवर, गोरखपुर नदी और नालों से घिरा हुआ है, इसलिये यहां पर पुलों की बड़ी आवश्यकता है और मेरा निवेदन है कि यहां पर पुलों का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बजट में गोरखपुर जिले को नई मदों के बारे में शून्य के बराबर रखा गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हार्ड पावर कमेटी बनाकर और सर्वे कराकर गोरखपुर मंडल और विशेष कर गोरखपुर जिले को 1985--86 के अनुपूरक योजना में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र सहजनवा में नेशनल हार्डवे, 28 रिठवा खार--घकसरा मार्ग पर स्थित पटना घाट पर 34 लाख 36 हजार का पुल स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार से पीपीगंज, सिसई मार्ग पर गोबड़हिया नाला तथा राप्ती पर सिसई घाट एवं करमैनी घाट पर पुल बनाया जाये। इसके अतिरिक्त मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में सरकिट हाउस तथा दो बाई-पास स्वीकृत हैं उनको जल्दी पूरा किया जाये। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरनही, नटनी, कटसरा, सूरस-देवरिया सड़क को नहर से लेकर पक्का बनाया जाये तथा साथ ही साथ सिहापार नडवा खुर्द घकसरा एवं जिगना परसा डांड़ सड़क को बनाया जाये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बद सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख 94 हजार

413 किलोमीटर है। जिसकी आबादी 12 करोड़ है और जो पूरे देश की आबादी का छठवां हिस्सा है। इस प्रकार 19 प्रतिशत आबादी पूरे देश की इस प्रदेश में रहती है। 112561 गांव इसमे हैं। मान्यवर, पूरे देश में इस समय 16 लाख किलोमीटर सड़कें ह जब कि इस प्रदेश में 67 हजार किलोमीटर सड़कें ह। अगर इस प्रदेश की सरकार को इस प्रदेश की प्रगति का जरा भी ध्यान होता तो अब तक इस सरकार को 2 लाख किलोमीटर सड़कें इस प्रदेश में बनवा कर तैयार कर देनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, मान्यवर, जो राष्ट्रीय मार्ग हैं वे भी हमारे प्रदेश में सब से कम हैं। हरियाणा एक बहुत ही छोटा प्रदेश है लेकिन वहां पर साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़कें हैं और हमारे प्रदेश में केवल 2800 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग हैं। आप दूसरे प्रदेश को देखें तो प्रति लाख डेढ़ सौ किलोमीटर सड़क यहां पर आती है और उत्तर प्रदेश को देखें तो यहां पर प्रति लाख 0·84 किलोमीटर सड़क आती है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इस सरकार को इस प्रदेश की उन्नति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और भी दूसरे कारण हैं। इस प्रदेश की प्रगति और उन्नति इस वजह से नहीं हो सकती कि क्योंकि जो सड़कें, पुल या अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं वे क्षत्र विशेष के आधार पर हो रहे हैं। जो कार्य होगा वह रायबरेली में होगा, सीतापुर में होगा। इस तरह से पूरे प्रदेश की तरक्की का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

मान्यवर, इस प्रदेश में 12 जिले डाकग्रस्त जिले हैं। वहां पर सड़कें नहीं बनवा रहे हैं। इस प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यह था कि हम 15 सौ तक की आबादी के गावों में सड़कें पहुंचा देंगे। लेकिन 50 प्रतिशत गांवों तक भी नहीं पहुंचा पाये हैं। एक हजार से 15 सौ तक के आबादी के गांवों में 25 प्रतिशत और 1 से 999 तक की आबादी को गांवों में 13 प्रतिशत सड़कें ही पहुंचा पाये हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि इस सरकार को प्रदेश की उन्नति का ध्यान नहीं है और सड़कों के बिना किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए में मांग करना चाहता हूं कि आप अपने झूठे और ढपोलशंखी वादों को छोड़कर इस दिशा में काम करें।

मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप जो नई तकनीकी की बात करते हैं, जब से यह शुरू हुई है तब से सड़कों की मियाद उतनी ही कम हो गई। सड़कों पर जो डाबर डाली जाती थी, जो गिट्टी डाली जाती थी, मिट्टी खोद कर डाल जाती थी, अब वह डाबर मिट्टी में मिलाकर वैसे ही डाल दी जाती है। जिसका नतीजा यह होता है कि दूसरे वर्ष ही वह डाबर और मिट्टी अलग हो जाती है और इस तरह से सड़कों की मियाद एक वर्ष से ज्यादा नहीं रह गई है। इसका कारण यह भी है कि आधा डाबर और आधा मिट्टी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के घरों की चली जाती है। मान्यवर, एक बात और है, अभी तक तो केवल इंजीनियर ही भ्रष्ट थे लेकिन जब से मौजूदा मिनिस्टर के हाथ में यह पी0 डब्लू0 डी0 विभाग आया तब से स्थिति और भी चौपट हो गई। जब दूसरे लोगों के नाम की भूमि फर्जी तौर पर अपने हक में कर ली, तो विभाग का पैसा कहां जायेगा।

इसी तरह से यहां पर सेतु निगम की बात की गई कि वह विदेशों में प्रतिष्ठा पैदा कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ईराक और बगदाद जा रहे हैं आप यह कहते कि आपने यहां के तकनीकी लोगों की बुद्धि और कौशल विदेशों में भेज दिया जबकि उनकी कुशलता और अनुभव से इस प्रदेश को लाभान्वित करना चाहिए था।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप सड़कों के लिए किसानों की जो भूमि अर्जित करते हैं उनका उन्हें ठीक से मुआवजा नहीं देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री बदन सिंह--

इनकी जो सड़कें बनी हैं वह इतनी दोषपूर्ण हैं कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। मान्यवर, चूंकि समय हो गया, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्रीमती कुदेसिया बेगम--

जनाबेवाला, मैं मुबारकबाद देती हूं मंत्री जी को जिन्होंने यह पी0 डब्लू0 डी0 का बजट पेश किया है। जनाबेवाला, किसी मुल्क की तरक्की निर्भर करती है वहां की सड़कों के ऊपर क्योंकि सड़कें इंसान की जिंदगी से बहुत अहमियत रखती हैं। गांव और शहरों में सड़कों की बहुत जरूरी होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से आज तक हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की है। विरोधी दल के लोगों को खराब बात की मुखालफत करनी चाहिए, नुक्ताचीनी करनी चाहिए लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस बात को तसलीम करना चाहिए कि जो तरक्की हुई है उसको वे तसलीम करें।

मैं आपसे कहना चाहती हूं मैं टर्की गई थी। उसे आजाद हुए 38 साल हुए हैं लेकिन आपको सुन कर हैरानी होगी कि वहां 38 सालों में एक हाई-वे एशिया माइनर में है जहां पर मोटरें चलती है और वहां ट्रेनें नहीं थी। उन्होंने सारा रुपया जो नई राजधानी बनाई अंकरा में उसी में खर्च कर दिया जिसकी वजह से वहां की सरकार गिरी और वहां कोई तरक्की नहीं हुई। हमारे यहां आजादी के बाद जितनी योजनायें बनी और जितने विकास के काम हुए हैं वे बहुत सराहनीय हैं। बाहर के लोग भी आकर तारीफ करते हैं अगर हम तारीफ न करें तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। हमारा मुल्क गरीब और पिछड़ा हुआ था, कोई साधन हमारे पास नहीं थे। मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे संडीला में जो लखनऊ से सिर्फ 35 मील है लेकिन वहां से यहां आने के लिए कोई सड़क नहीं थी। इसी तरह से किसी भी शहर को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं थी। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिरते हैं हमें मालूम होता है कि हमसे कितनी तरक्की है। तो जो हमने तरक्की की है, जो अच्छी बातें हुई हैं उसके लिए जरूर तारीफ करनी चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क और प्रदेश ने काफी तरक्की की है इसकी हमें खुशी होनी चाहिए। मैं अशोक बाजपेयी जी से पूछना चाहती हूं वे मेरे जिले के हैं वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारा हरदोई जिला जो पहले पिछड़ा था उसने कितनी तरक्की की है जिससे वहां के गांव के लोग कितने खुश हैं। आप देखेंगे हरदोई में कितनी तरक्की हुई है, हमारे संडीला में तरक्की हुई है। सिर्फ नुक्ताचीनी करने से ही फायदा नहीं होता है। बल्कि हम सबको मिल कर आगे चलना है। हम सबको एक मुंह से मदद करनी चाहिए। हमारी कांग्रेस सरकार ने ये सारे काम किये हैं इसमें कोई शक नहीं है। अगर जनता पार्टी की सरकार ने अपने तीन सालों में कोई तरक्की की थी तो मैं पूछना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहती हूं कि वह काम कहां गये आज उनका कोई नामोनिशान भी नहीं है।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ जरूरी चीज अर्ज करना चाहती हूं। हमारे यहां संडीला स्टेशन से इमालियां बाग तक चक्कर सड़क जाती है उसे नगरपालिका से लेकर पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जाय। वह बाजार से सड़क निकलती है और उस पर बहुत ज्यादा सवारियों का बोझ है। इसी तरह से एक और सड़क जिसके बारे में मैंने 301 में प्रस्ताव पेश किया था गदोरा संडीला रोड को भी पी0 डब्लू0 डी0 में ले लें ताकि उसमें जैसूखेड़े पर बेहता नदी पर पुल बन सके यह बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप खतम करें।

श्रीमती कुदेसिया बेगम--

स्कूलों के भवनों और सड़कों के बारे में बाकी चीजें मैं माननीय मन्त्री जी को भेज दूंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी जिनके पास यह विभाग है सब से ज्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूं। उनके जमाने में बहुत ज्यादा प्रदेश ने तरक्की है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर आये बजट प्रस्ताव पर अपने साथी माननीय अशोक बाजपेयी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे ताज्जुब होता है जब सत्ता पक्ष के लोग यह कहते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग सिर्फ कटौती की बात क्यों करते हैं। मान्यवर, मैं 2-3 बिन्दुओं पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करा चाहता हूं। मान्यवर, लगता है उधर के लोग सिर्फ लखनऊ की सड़कों को देखकर सोचते हैं कि प्रदेश में सड़कों की प्रगति हुई है लेकिन मैं अपने जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां पी0 डब्लू0 डी0 ने 12 लाख पये का एक भवन का निर्माण किया है जो स्वास्थ्य विभाग को देना था। स्वास्थ्य विभाग ने उसको लेने से इंकार कर दिया और कहा कि हैंड ओवर से पहले ही वह भवन गिर गया। इसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 अच्छा कार्य कर रहा है।

मान्यवर, 6 लाख रुपये का घोटाला इलाहाबाद में आपके विभाग में हुआ है। मंत्री जो इलाहाबाद गये थे तो उनको जानकारी में आया होगा। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पीपे का पुल बना था लेकिन 6 लाख रुपये की चक्कर प्लेट गायब कर दी गयीं। तो जहां इस तरह की भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, आपको भी आश्चर्य होगा कि और किसी विभाग के बजट पर इतने कांग्रेस के लोग बोलने वाले नहीं खड़े हो रहे थे जितने कि आज के बजट पर। यह क्यों? यह इसलिए कि अपने-अपने इंजीनियरों की दलाली और सफाई के लिए कह रहे हैं और कहना चाहते हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इलाहाबाद में मंत्री जी गये थे वहां कुछ अभियंताओं की अनियमितताएं पकड़ी गयीं। और आपने कहा था कि अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही करेंगे लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि आप अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं। इलाहाबाद में मेले की नीलामी 50-50 हजार रुपये में की जाती है तो जो पैदा कर सकता है वह वहां जाता है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 6 लाख के घोटाले का अभियंता वहां अभी भी मौजूद है लेकिन आप कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि काम होता है। तो पिछले दिनों जून में उच्च न्यायालय में कुछ असिस्टेंट

इंजीनियरों, कुल 161 में से 37 इंजीनियरों को आप पिछले साल से वेतन दे रहे हैं लेकिन काम नहीं ले रहे हैं तो यह क्यों ?

मान्यवर, इलाहाबाद में शास्त्री पुल पिछले कई सालों से बना हैं और रोड टैक्स ले रहे हैं, तो उसको अब समाप्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सोन नदी, मिर्जापुर के पुल पर जो टोल टैक्स ले रहे हैं वह भी समाप्त किया जाना चाहिए। मान्यवर, शास्त्री पुल की नीलामी 84 लाख रुपये की हुई और सोन नदी के मिर्जापुर पुल की नीलामी एक करोड़ रुपये की हुई है, लेकिन मेरी मांग है कि अब यह टैक्स समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बजट की बढ़ोत्तरी नहीं की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण मिश्र--

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक निर्माण बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट प्रदेश की 11,08,86,000 जनता को राहत देने वाला बजट है। श्रीमन्, 895 विकास खंडों के माध्यम से प्रदेश के समस्त गांव सभाओं में यातायात की जो सुविधा मंत्री जी देने के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और विरोध पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, श्री अशोक बाजपेयी ने अपने भाषण में यह भावना जागृत किया कि जिस समय जनता पार्टी का शासन था सड़कें बहुत बनीं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह इस चीज को सोचें कि जनता ने उनका जब काम करने का अवसर दिया था तो वह उस समय शाह आयोग बिठाते थे, तो सड़कें बनी और काम कब हुआ। इनका कटौती का प्रस्ताव जो है वह न तो जनहित मे है न समाज के हित में हैं। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं और उनका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र चांदा की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धोपाप एक तीर्थस्थल है और बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र भी है। उसमें गोमती का पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। उसके साथ-साथ कोइरीपुर टाउन एरिया में पीली नदी पर पुल के लिए आपने 1 लाख 85 हजार रुपया संक्शन किया था, लेकिन सुप्रिन्टेंडिग इंजीनियर, प्रतापगढ़ ने आज तक उस पुल का निर्माण नहीं कराया है। इस पुल का निर्माण होना जनहित में परम आवश्यक है। मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं और उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा और विरोध करता हूं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि आज सबसे पहली बात यह है कि पी0 डब्लू0 डी0 डिपार्टमेंट गांवों में बाढ़ पैदा करने वाला एक जरिया बन गया है। प्रदेश में जो मैन-मेड सैलाब आ रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पी0 डब्लू0 डी0 डिपार्टमेंट है। क्योंकि इस विभाग के लोग बिना किसी सर्वे के बिना किसी प्लनिंग के, बिना इच्छा और बिना मौका के और बिना जरूरत के किसी के दबाव में आकर सड़क बना देते हैं। पहले तो सैलाब नदियों के जरिये आता था, उसके पानी से गांवों को नुकसान पहुंचता था, लेकिन आजकल 80 फीसदी सैलाब बरसात का पानी खेतों में भरने और गांव में भरने से आता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं खेतों में पानी का जमाव पैदा होता है और गांव में मकान गिरते

हैं। यह सब इनके विभाग की लापरवाहियों के कारण बिना जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये हुये निर्माण कार्य करने से होता है ..

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

यहीं मुझे एक बात कहनी है, मुझे सब्र नहीं हो रहा है बहुत जरूरी बात करने के लिए। अब जो हम प्लान बनवा रहे हैं, उसमें यह भी किया है, निर्देश दिए हैं कि जो ड्रेनेज है, उन्हें उनके साथ कोआर्डिनेट करके बनवाया जाय।

श्री फजलुल बारी--

यह अच्छी बात है, अकल तो आयी देर आए दुरुस्त आए। अब तो सोचें। इस सिलसिले में कहना यह है कि यह काम सही तरीके से हो क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि इसके वास्ते जो सर्वे डिपार्टमेंट है, जो सर्वेक्षण करने और प्लानिंग बनाने का कार्य करता है या जो कह लीजिए डिजाइन बनाता है, उसके इंजीनियरों का उसमें कोई कमीशन का मसाला नहीं है, जिसके कारण से उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। जो जाता है वह सजा के रूप में वहां पर रहता है, पड़ा रहता है। इसलिए वह कायदे से वहां मन लगाकर काम नहीं करते हैं। इसलिए वह अपने विभाग में एक बदलाव का काम कर सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने विभाग मे बदलाव लाकर सर्वे डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग कर दें

(व्यवधान)

मुझे दो मिनट भी अभी नहीं हुए

(व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा था कि आप इसको अलग कर दीजिए और वहां के इंजीनियरों की तन्खवाहें आप इतनी बढ़ा दें, जितना दूसरे वर्किंग डिवीजन में इंजीनियर को तन्खवाह और कमीशन आदि जोड़कर मिलता है। लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास उसकी एक छोटी सी मिसाल है। 40वें सर्किल फैजाबाद के एस0 ई0 ने जनवरी 1980 में कार्टेज का रेट बढ़ा दिया और 31 मार्च, के बाद जब पहली अप्रैल आई तो कारटेज के रेट को उसने घटा दिया। इस बढ़े हुए कारटेज के रेट में 50 लाख रुपया जो गरीब पब्लिक का पैसा था उसका नुकसान हुआ। वजह यह थी कि ठेकेदारों ने कहा था कि आप रेट बढ़ा दीजिए तो हम आपको कुछ रुपया देंगे लेकिन नतीजा यह हुआ कि ठेकेदारों से आधी रकम मिली। 31 मार्च के बाद ठेकेदारों ने आधी रकम नहीं दी तो फिर 1 अप्रैल से दाम बढ़ा दिये। जिस वक्त दाम बढ़ाये थे उस वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं थे। अप्रैल में डीजल के दाम बढ़ गये लेकिन कारटेज के दाम घट गये। तो यह गौर तलब है इस पर गौर कीजिए। मान्यवर, आपका जो यह डिपार्टमेंट है इसमें भ्रष्टाचार तो बहुत डिफाइन्ड है। भ्रष्टाचार बड़ा ही व्यवस्थित है। इसके लिए नियम फिक्स हैं कि इनको एक परसेंट, उनको 2 परसेंट और उनको 5 या 7 परसेंट। गरज यह है कि बड़ी ईमानदारी के साथ कमीशन का बटवारा होता है। मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं कि आपका राजकीय निर्माण निगम है वहां पर 12 घंटे मजदूरों से काम कराया जाता जाता है और 8 घंटे का पेमेंट देते हैं। यह कहां का इंसाफ है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, इनके एक चीफ इंजीनियर हैं वह कहते हैं कि मन्त्री टेम्परेरी हैं, एम0 एल0 ए0 टेंपरेरी हैं, हम परमानेंट हैं।

श्री सुरेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पी0 डब्लू0 डी0 जैसे महत्वपूर्ण बजट

पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों का सवाल है, केन्द्रीय वन अधिनियम के कारण 1980 से सड़कें रुकी पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे मोरनौला–मझोला पूर्णियागिरी–टनकपुर और अन्य ऐसी सड़कें हैं जो 1980 के पूर्व स्वीकृत हो चुकी थीं तो उनको आप जल्दी से जल्दी पूरी कराने के आदेश प्रदान करें। हमारे क्षेत्र में कुछ और भी मोटर मार्ग हैं खनस्यू संयत लौट, गोपापारखेड़ा मोटर मार्ग उनको पक्का कराने की मैं मांग करता हूं। जहां तक सड़कों का रख-रखाव का सवाल है मैं आपसे सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि जो भी कार्य हो उसके लिए एक कमेटी बना दें। उसमें रख–रखाव के लिए जितना धन व्यय हो रहा है उसके ऊपर कमेटी विचार करे और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दें कि क्या प्रोग्रेस है।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र––

धन्यवाद।

श्री सूर्य प्रताप शाही––

मान्यवर आपने..

श्री फजलुल बारी––

अधिष्ठाता महोदय, मेरी गुजारिश है कि हमको कुछ बातें कहनी होती हैं इसलिए आप वक्त बढ़ा दें ताकि हम अपनी बातों को कह सकें।

श्री अधिष्ठाता––

अगर पूरा सदन यह चाहे तो हो सकता है लेकिन पूरा सदन नहीं चाहता।

श्री सूर्य प्रताप शाही––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर माननीय वाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, 5 मिनट उस पर बोलते हुए मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

5 मिनट नहीं आप 2 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री सूर्य प्रताप शाही––

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी टेलीविजन और रेडियो पर भाषण में कहा करते हैं कि वह भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं लेकिन आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग आज से 14 साल पीछे 1971 की स्थिति पर योजनायें बना रहा है। 1971 की जनगणना के आधार यह गांवों को सम्पर्क मार्गों, सड़कों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्णय लिया है कि 1971 के जनगणना में 1500 की आबादी वाले गांवों को सन् 1990 तक जोड़ा जायेगा किन्तु मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1971 की जनगणना के स्थान पर 1981 की जनगणना के आधार पर योजनाएं तैयार करावें। उत्तर प्रदेश का पी0 डब्लू0 डी0, उत्तर प्रदेश को आज से 14 वर्ष पीछे छोड़ दिया है जबकि प्रधान मन्त्री दिन–रात रेडियो और टेलीविजन पर इक्कीसवीं सदी में भारत को पहुंचाने की बात करते हैं। यदि 71 के आधार पर योजनाएं बनी, तो उत्तर प्रदेश कैसे इक्कीसवीं सदी में पहुंच पायेगा। मेरी बात इससे भी साबित होती है कि उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 1984-85 में पी0 डब्लू0 डी0 ने 1510 किलो मीटर पक्का, 1815 किलो मीटर खड़ंजा, 4784 किलो मीटर मिट्टी तथा 100 सेतुओं का निर्माण कराया और इस वर्ष 1985–86 की योजना में 930 किलो मीटर पक्का 370 किलो मीटर

खड़ंजा, 1805 किलो मीटर मिट्टी और 85 सेतुओं के निर्माण का प्राविधान किया गया। यह आंकड़े साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश को पी0 डब्लू0 डी0 पीछे की ओर ले जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सड़क निधि तथा राज्य पुल निधि के मद में इस वर्ष कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वह 1984-85 के प्राप्त धनराशि में ही कार्य करायेगा। यह लोक निर्माण विभाग के पिछड़ेपन का द्योतक है। मान्यवर, देवरिया जिले में पी0 डब्लू0 डी0 का भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। एक अवर अभियंता पी0 डब्लू0 डी0 कसिया में लगातार 15 वर्षों से एक ही स्थान पर नियुक्त हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह आदमी ऐसा है, जिसने पी0 डब्लू0 डी0 की जमीन पर सड़क के किनारे कसिया में एक मकान बनाया है, जिसे किराये पर चलाता है। इसके अलावा दो मकान और उसने कसिया में बना लिया है। देवरिया जनपद के पकहा घाट के सेतु का ठेका अपने रिस्तेदारी के भाई को दिनांक 12 अगस्त, 1985 को उक्त ठेके में अपने भाई को दिलवा दिया है। यह ठेका काफी कम रुपये में किया गया है। ठेका नियमों के विरुद्ध हुआ है। अधिशासी अभियंता उस दिन लखनऊ छुट्टी पर आये थे। धोखा-धड़ी करके उसने ठेका अपने भाई को दिलवाया, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मन्त्री जी से की है। उस ठेके को कैंसिल करने का आदेश पारित करें और फिर नियमानसार विज्ञापन करा कर सबको समान अवसर देते हुए ठेका कराने की व्यवस्था करें। तब मैं यह समझूंगा कि आपकी सरकार साफ-सुथरे ढ़ंग से, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहती है।

पिछले तीन वर्षों में लगभग 1 करोड़ रु0 बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के भवन निर्माण का पी0डब्लू0 डी0 के खाते में पड़ा हुआ है। लेकिन वे विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। हमारे जनपद के छोटे बच्चों को इस बरसात के दिनों में खुले आकाश में भवनहीन विद्यालयों में जाड़ा, गर्मी, बरसात में पढ़ना पड़ रहा है। वहां के प्राथमिक विद्यालयों के भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें, ताकि शिक्षा कार्य ठीक ढंग से चल सके। मान्यवर, देवरिया जिले में खनुआं नदी पर एक पुल का बनाया जाना नितांत आवश्यक है। वह स्थान पथरदेवा, कसिया, फाजिलनगर ब्लाक के पिछड़े हिस्सों का पथरदेवा ब्लाक के नारायनपुर गांव के निकट तिरमोहानी घाट पर सेतु बनाये जाने पर जोड़ेगा। उस पिछड़े इलाके के विकास के लिए आवश्यक है कि तिरमोहानी घाट पर सेतु के निर्माण के बारे में आप निर्णय लें, मेरे क्षेत्र में पथरदेवा से विशुनपुरा और विशुनपुरा से पकहा जहां नदी पर सेतु बना है, को जोड़ने के लिए एक पक्की सड़क का बनाया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है।

मेरे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी सड़क जो 20 वर्ष पूर्व जिला परिषद् से सार्वजनिक निर्माण विभाग से अंतरित हुई, महुवआ बजराटार से भैंसहा जो 13 किलोमीटर लम्बा है, को अभी तक पक्का नहीं किया जा सका, उसको पक्का कराने का निर्णय लें। मेरे क्षेत्र की एक दूसरी सड़क तरकुलवा से बंजरिया होते हुए देवरिया धूस की सड़क 10 वर्षों से निर्माणाधीन है, 3 किलोमीटर उस पर पक्का किया गया है, शेष अधूरी है। उसको जनहित में पक्का कराने का आदेश दें। चूंकि इन सब बिन्दुओं की चर्चा आपके बजट में नहीं हुई है, इसलिए आपके बजट का विरोध करता हूं तथा माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमर चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट

पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मन्त्री जी द्वारा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो इस प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसके लिए वास्तव में वह बधाई के पात्र हैं । मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आगरा जनपद की वाह तहसील की ओर ले जाना चाहता हूं । यह क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है । यह दस्युग्रस्त इलाका रहा है । दस्युओं से यह प्रभावित रहा है । इस क्षेत्र में सड़कों का बेहद-अभाव रहा है । यहां पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमायें मिलती हैं । यहां पर तीन सेतुओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है । ये तीनों सेतु कचौराघाट, नारंगी-घाट, उसेतघाट, इन सेतुओं का निर्माण न होने की वजह से क्षेत्र दस्युओं द्वारा अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली और उनके जो अपराध करने का क्रम है, वह निरन्तर जारी है । आपका ध्यान पिनहट, नदगवां मार्ग से खोहरी ग्राम की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा जो स्वीकृत सड़कें हैं, उन पर काम अधूरा पड़ा हुआ है । बीच में हमारे सांसद माननीय गंगाराम आये थे, उनके विशेष अनुरोध करने पर भी उन सड़कों पर काम अभी तक नहीं लगाया गया है । इसके अलावा मैं आपका ध्यान वन विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं । वन विभाग सड़क के बनने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है । उनका कहना है कि केन्द्रीय सरकार से जब तक इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक नहीं बनने देंगे । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में पानटून ब्रिज हैं, इनका सार्वजनिक निर्माण विभाग जब खुद चलता है, तो उसमें और प्राइवेट ठेके में सिर्फ 10-12 हजार का फर्क है । लेकिन वहां यात्रियों से 10 पैसे के स्थान पर एक रुपया पथकर वसूल किया जाता है । मेरे क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मित्रसेन—

माननीय, आपकी व्यवस्था यह थी कि नये सदस्यों को मौका देंगे । हमारी पार्टी के किसी सदस्य को बोलने नहीं दिया । हमारी पार्टी से एक आदमी का नाम भिजवाया गया, उनको भी बोलने का मौका नहीं मिला ।

*श्री माता प्रसाद पांडेय—

माननीय, कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव माननीय मन्त्री जी को यह देना चाहूंगा कि जिला योजना से कोई योजना आपके यहां आती है तो बजट पास होता है, वित्तीय स्वीकृति जाती है....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कोई भी कैबिनेट मन्त्री यहां उपलब्ध नहीं है । एक तो यह परम्परा बन गयी है कि बजट पेश नहीं करते हैं और बैठकर सुनते भी नहीं हैं ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, कैबिनेट चल रही है । सारे मन्त्री वहां हैं, इसलिए हमको यहां बैठना पड़ रहा है कि सारे नोट मुख्य मन्त्री जी के सामने रख सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं व्यवहारिक तौर पर कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने एक विशेष बात बतायी है....

(शोरगुल)

एक सदस्य—

कैबिनट नहीं चल रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सब माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । मन्त्री परिषद् की बैठक हो चाहे कोई बैठक हो, एक मन्त्री परिषद् के कैबिनट मन्त्री को विराजमान रहना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

जो बेनी प्रसाद जी ने बात कही और जो मैनेजर सिंह जी ने बात कही कि कैबिनट स्तर का मन्त्री होना चाहिए । अगर वह लाबी में हैं तो उनको आना चाहिए । अगर कैबिनट चल रही है तो मैं चाहूंगा कि व्यवहारिक तौर पर सदन चलने दें ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मैं सुझाव दे रहा था कि वित्तीय स्वीकृति जाए तो प्रोजेक्ट की स्वीकृति भी जानी चाहिए । प्रोजेक्ट की स्वीकृति में देर हो जाती है तो कास्ट आफ बजट बढ़ जाता है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया शान्त रहें और सुझाव सुनें ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने माफिया गिरोह हैं वह सिंचाई विभाग से पलते हैं उनकी फाइनेंशियल बांडो इरगेशन विभाग है, तो इस ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करके डिपार्टमेन्टल कार्य कराया जाए । हमारे यहां जो सड़कें बनती हैं उनका सर्वेक्षण होना चाहिए । एक मानक निर्धारित होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कैसी सड़क होनी चाहिए । होता यह है कि आपने सड़क बना दिया दूसरे साल बन्धा बना दिया तो सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित करके सड़क बनानी चाहिए छोटे-छोटे नदी नाले हैं इनका विभाग पुल नहीं बना सकता है वित्तीय संसाधन सीमित हैं । पुल बनाकर टोल टैक्स वसूल किया जाता है तो मेरा सुझाव है कि प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए कि वह भी पुल बनाएं और एक निश्चित अवधि तक वसूली करें और जब लागत आ जाय तो उस पुल को सरकार ले ले । सरकार को प्राइवेट लोगों को आमंत्रित करना चाहिये । मेरे क्षेत्र में एक पुलिया 3 लाख 62 हजार की तीन वर्ष से बन रही है, कोहड़ौरा-सोहन मार्ग पर । पुलिया न होने के कारण अगर डाकू आ जायं तो थाने तक सूचना पहुंचना असम्भव है । जब तीन साल से एक पुलिया नहीं बन पा रही है तो ब्रिज कारपोरेशन बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनाता है । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । सदियों पूर्व महान विद्वान कौटिल्य ने कहा था-"राजा के महान कार्यों में सड़क का निर्माण सबसे बड़ा काम है ।" मुझे यह कहते हुये गौरव हो रहा है खुशी हो रही है कि आज हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है । एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा गया है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा गया है, सड़कों से जोड़ा गया है । 15 सौ आबादी और एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है । यह प्रगति का प्रतीक है । मान्यवर, जब कोई बड़ा काम होता है, बड़े पैमाने पर होता है तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो जाना स्वाभाविक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । हमारे विरोध पक्ष के लोग सिर्फ उस गड़बड़ी को देखते हैं, उन कमियों को देखते हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, वह इनको दिखलाई नहीं देते हैं, इसका बड़ा दुख है । आज हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है । सड़कों के द्वारा प्रदेश की उन्नति निर्भर है, सड़कों के द्वारा प्रदेश का विकास सम्भव है ।

आज हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर है । सड़कों के निर्माण में हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर है । मान्यवर, एक सड़क शेर शाह सूरी ने बनवाया जी0 टी0 रोड और वह अमर हो गया। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है । एक हजार और 15 सौ आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे योग्य मंत्री की देख-रेख में हमारे अधिकारी वर्ग काफी जागरूक हैं। हमारा बस्ती जिला काफी पिछड़ा है । बस्ती जिले में आजादी के पहले केवल एक सड़क थी जो पक्के के नाम से कही जाती थी । आज बस्ती में सड़कें हैं ।

हमारे यहां एक अधिशासी अभियन्ता [illegible], उनकी गुटबन्दी के कारण काम ठप्प है, कोई काम नहीं हो रहा है । हमारे उच्च अधिकारियों ने वहां जा कर सड़कों का निरीक्षण किया और हिदायत दी है, सड़कों का काम ठीक से हो । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं । हमारे क्षेत्र में एक सड़क सेवरई ढवरुआ मार्ग है । मैं मांग करती हूं कि हमारे यहां सिसवा-बसहिया, शोहरतगढ़-बेतिया, शोहरतगढ़-पल्टादई मार्गों का निर्माण कराया जाय, सड़कें बनवाई जायं । अंत में मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । जो बजट मंत्री जी ने पेश किया है, इस बजट में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जायेगा । बड़ी अच्छी बात है, सड़कों का जाल बिछाया जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आजमगढ़ जिला और पूर्वी जिलों को हमेशा हर बजट में उपेक्षित किया जाता है, नजरअन्दाज किया जाता है, आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से विकास के कार्य नहीं किये जाते हैं । इन्हें इतना फण्ड नहीं दिया जाता है, इसलिए वह इलाके पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं और जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं, वह और आगे बढ़ जाते हैं । मान्यवर, हमारे यहां आजमगढ़ परदहा ब्लाक में कुछ सड़कें बनी हुयी हैं और साथ ही सिंचाई विभाग ने अपनी नहरें जो बनाई हैं वह इस हिसाब से बनाई हैं कि हमारे यहां के उन इलाकों में वाटर लागिंग अक्सर होती रहती है । इस पानी के भर जाने की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, यह मान्यवर, इसलिए ज्यादातर जगहों पर हो रहा है क्योंकि इन दोनों विभागों में आपस का कोआर्डीनेशन सही नहीं है । मान्यवर, हमारे यहां मऊ-इटौरा मार्ग है, इस सड़क पर छोटी आबादी का गांव है, यहां पर बहुत पहले ईंटें बिछाई गयी थीं जिनमें काफी टूट-फूट हो जाने की वजह से बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गये हैं और इस सड़क पर इटौरा नाला पर पुल बना हुआ है और इसके साथ ही गोपीगंज ब्लाक में जयरामगढ़ से सिपाह ग्राम को जाने वाली सड़क है । इस सड़क के बने हुए मान्यवर, लगभग 28 साल हो गये हैं, इसमें भी इतने गड्ढे हो गये हैं कि साइकिल आदि उस पर चल ही नहीं पाती, इसलिए लोग उस पर पैदल ही चलते हैं । इसलिए मान्यवर, इस सड़क का बनाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह मार्ग चालू मार्ग है और इस सड़क के सही न होने की वजह से वहां के निवासियों को 10-10 कि0 मी0

तक पैदल चलना पड़ता है, इसलिए सड़कों को बहुत ही शीघ्र बनाया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि जनता पार्टी शासन काल में बहुत सी सड़कों का निर्माण हुआ था । यह सही है कि उस समय सम्पर्क मार्ग बने थे लेकिन उस समय जो भी सड़कें बनायी गयी थीं, उन पर मिट्टी डाली गयी थी जो पानी के बरसने से बह गयीं तथा साथ ही साथ जनता शासन भी बह गया । यह सम्पर्क मार्ग पक्के कराये थे कांग्रेस ने 1980 के बाद । मान्यवर, यह सही है कि हमारा जो लक्ष्य था सड़कों के बनाने का उसे हम पूरा नहीं कर पाये धन भाव के कारण । इस विषय पर योजना आयोग से माननीय वित्त मंत्री जी विचार-विमर्श करें । मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि केन्द्र से प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर ही केन्द्रीय अनुदान का आवंटन हो, यदि इस आधार पर आवंटन होगा तभी समस्याओं का निराकरण होगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सड़कों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के बाद शासक धन की स्वीकृति दे जिससे कि सड़कों के निर्माण में शीघ्रता हो । मेरा यह भी सुझाव है कि सड़क निर्माण निगम बनाया जाय जो कि इस कार्य को देखें । मान्यवर, हमारे मित्र बाजपेई जी ने जहां और बातें कहीं, वहीं पर सेतु निगम के बारे में कुछ भी प्रशंसा नहीं की और इन अधिकारियों की पीठ नहीं ठोकी जो विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही एक बात की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह प्रतिष्ठान केवल लाभ ही नहीं कमा रहा है बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें, आपके बोलने का वक्त खत्म हो गया ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने समय दिया । वैसे मैं बोलता नहीं लेकिन सत्ता पक्ष से कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, इसलिए बोलना पड़ जाता है । मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जो हैं, इनसे कहिए कि यह हमारी तरफ देखें, मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि आज हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आज हमने ओ0 सी0 आर0 बनाया, फलां बिल्डिंग बनाई और फलां काम किया, तो इस पर मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि जिन लोगों ने पहले ताजमहल बनाया, कुतुबमीनार बनाया, कहीं उन्हीं लोगों ने तो पुनर्जन्म लेकर इन चीजों का निर्माण किया है, यह सारे के सारे उसी जमाने के इंजीनियर्स होंगे ।

मान्यवर, अभी कुछ साथी बोल रहे थे, हमें बड़ा हर्ष है, हमें बड़ा गर्व है । हमारी सरकार ने ऐसी सड़कें बनाईं, इतने काम किये लेकिन अगर मान्यवर, आप मेरे क्षेत्र की सड़कें देख लें, माननीय हुकुम सिंह जी आप देख लें और शर्मा जी आप भी देख लें, मेरे क्षेत्र की सड़कें ऐसी हैं कि अगर आप महिला होते और आप गर्भवती महिला होते तो मेरे क्षेत्र की सड़कों पर चल कर आपका गर्भपात हो जाता ।

(7 बज कर 40 मिनट)

श्री रामनाथ मुंशी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर दो मिनट बोलने का अवसर दिया । मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं

अपनी तरफ से माननीय सदस्यों को कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा :--

आप तसल्ली न दें, सिर्फ बैठे रहें,
प्रदेश यों ही बदलता चला जायेगा,
रोशनी भी न दें, सिर्फ देखा करें,
देश रोशन जहां में यों हो जायेगा।

मान्यवर, आजादी के बाद, सन् 47 के बाद आज 85 तक, 38 वर्षों के अन्दर प्रदेश में जितनी सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ वह देखिये। सन् 47 में यह 15,111 कि0 मी0 थीं और आज 71,119 कि0 मी0 हैं, इसमें साढ़े चार गुने की वृद्धि हुई है। अभी 85-86 में हजार किलोमीटर तक सड़कें, सौ सेतुओं का निर्माण किया गया जो कि एक मिसाल है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना जब कि हवाई पट्टियों तक हमारा हजारों टन गेहूं रखा हुआ था कहां गया, जनता शासन में कितनी सड़कें बनीं, कहीं नहीं बनीं, केवल गड्ढे पाटे नपे गये। खाद्यान्न योजना में ट्रक के ट्रक गेहूं आया और तस्करों द्वारा विदेशों में भेज दिया गया। सन् 80 में अन्न धन का वह सारा खजाना समाप्त हो गया। सत्ता के लोभ में कोई नियोजित विकास हुआ नहीं गाजीपुर में सड़कों, पुलों का निर्माण हो इन स्थितियों में मैं पुनः पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जयहिन्द। जय भारत।

*श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, एक कहावत है कि यह तो ऊसर भूमि है जहां अन्न उपजे नहीं। यहां पर ऊसर भूमि की तरह है जहां पर कोई पैदावार नहीं होगी। हमारे जनपद इटावा में आप देखें। मान्यवर, आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको पता चल जायेगा कि इटावा आ गया क्योंकि वहां की सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं। कानपुर के पीछे औरैया पहुंचते हैं तो मालूम हो जाता है कि इटावा में हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से जब चलते हैं तो भिण्ड शुरू होते ही पता चलता है कि इटावा आ गया। आगरा से चलते हैं तो यही स्थिति मिलती है। हमारा जनपद बीहड़ में बसा है। इसमें सड़कें नाम मात्र की हैं। जनता पार्टी के शासन में कुछ सड़कें बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस सरकार का बस चलता तो जो मिट्टी पड़ी है उसे भी उठा ले जाती। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस विभाग के कर्मचारियों और मंत्रियों से कहें कि यहां पर ये ढंग काम करावें जिससे हमारे जिले का उद्धार हो जाए।

श्री अमिताभ अनिल दूबे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, गंगा के समान पवित्र हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके कार्यान्वयन में कुछ कमी है। इसमें हम लोगों को सीमित साधन में विशेष ध्यान देना होगा। इसके कार्यान्वयन के लिये हर सम्मानित सदस्य को निगाह रखनी होगी जिससे उसका लाभ सारे लोगों को मिल सके। दूसरे जो शिकायतें की जाती हैं, उनका इतना लम्बा प्रोसीजर है कि पहली बात तो काम बन्द हो जाता है शिकायत करने के बाद। फिर कार्यवाही से हम लोगों को अवगत नहीं कराया जाता। इस पर ध्यान दें। तीसरे मैं अपने गाजीपुर जनपद के बारे में चन्द सुझाव देना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पहले प्रान्तीय निर्माण खण्ड का अस्थायी निर्माण गाजीपुर में कार्यरत था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब यह अस्थायी निर्माण खण्ड बस्ती ले जाया गया है छः महीने हुए, सारा काम ठप है । अतः गाजीपुर में अस्थायी विभाग पुनः देने की कृपा करें । दूसरे मान्यवर, गाजीपुर में जो गंगा का पुल बना है, वहीं बक्सर का पुल बना है । वहां पर सवारियां बहुत ज्यादा चलती हैं । सड़क उसका लोड नहीं ले पा रही है । इस पर ध्यान दिया जाय वहां पर गाजीपुर बक्सर रोड जो 45 किलोमीटर है, उसे राजपथ रोड घोषित करें । यह यू0 पी0 और बिहार को मिलाती है । हमारे गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में आपके विभाग द्वारा एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है । इस पर जो खर्च हो रहा है, उस पर ध्यान दें । गाजीपुर में ताड़ीघाट पर पुल की आवश्यकता है, गंगा नदी पर स्वीकृत परमेठ का पुल तत्काल बनाया जाय ।

(व्यवधान)

धर्मपुर–जमानियां को पीपे के पुल से तत्काल जोड़ा जाय । गाजीपुर–वाराणसी मार्ग को चौड़ा कराकर उसकी मरम्मत करायी जाय, गाजीपुर–बलिया मार्ग को चौड़ा किया जाय ।

श्री शारदा प्रताप––

मान्यवर, आपने माननीय सदस्य अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मैं लम्बी चौड़ी बात भ्रष्टाचार के मामले में नहीं कहना चाहता हूं । क्योंकि अभी माननीय सदस्य हैदरगढ़ ने पी0 जी0 आई0 के बारे में बताया कि कितना भ्रष्टाचार है, मैं उसके सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डालूंगा । मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । सन् 77 से 80 के बीच में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कुछ इतने महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हुए जिन पर मिट्टी का काम हो गया था और पत्थर की सिल्ट बिछाई गयी थी । लेकिन अब मिट्टी बह गयी है और पत्थर की सीलिंग निकल आयी है जिस पर चलना दूभर हो रहा है । ये मार्ग हैं काकोरी सकरा मार्ग और फतेहपुर, नारायनपुर मार्ग और बिजनौर से सिसेंडी मार्ग जो उन्नाव जनपद को जोड़ता है––यह मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण सड़के हैं, जिन पर मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अविलम्ब पेन्टेड करायें । मेरे क्षेत्र में लखनऊ जिले से उन्नाव जनपद को जाते समय रहीमनगर पड़ियाना, लतीफनगर मार्ग में सई नदी पर पुल बनना बहुत आवश्यक है । उस पुल के लिये वहां की जनता ने काफी प्रयास किये । शासन का बार–बार ध्यान दिलाया गया । यही नहीं जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, तो जो कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते हैं बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी उन्होंने भी वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि अगर मेरी पार्टी हुकूमत में आती है तो सई नदी पर पुल यथाशीघ्र बनवा दिया जायेगा । इतना समय हो जाने के बाद आज भी सई नदी पर लतीफ नगर, रहीम नगर पड़ियानी मार्ग पर उस पुल की रूपरेखा जनता के सामने नहीं आयी है । वहां की जनता में आक्रोश है । सोहरामउ से जैतीपुर रेलवे स्टेशन के लिये सड़क जा रही है––माननीय सदस्य हड़हा–बाजपेयी जी ने और मैंने दोनो ने मिलकर एक पत्र लिखा था कि वह सड़क जो जा रही है वह नथई खेड़ा गांव के बिड़याने टोला के उत्तर से निकलने का प्रस्ताव है, लेकिन एक वहां सेंगर साहब हैं जो अपने को युवक कांग्रेस का सदस्य बताते हैं, उसे नथई खेड़ा के दक्षिण किनारे से ले जाना चाहते हैं ।

मान्यवर, प्रस्तावित सड़क प्रस्ताव के आधार पर बननी चाहिये । जिससे मान्यवर, लखनऊ जनपद और उन्नाव जनपद दोनों को फायदा हो । मान्यवर, हमारे यहां बहुत छोटे–छोटे पुल हैं, जिनके बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है, आप मेरे क्षेत्र की तरफ कृपया ध्यान दें । क्योंकि आज वहीं यह कहावत चरितार्थ हो रही

है कि चिराग तले अंधेरा । मान्यवर, लखनऊ में रिंग रोड की योजना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त गोमती पर एक पुल का निर्माण चल रहा है । लेकिन लखनऊ देहात के लिये कोई काम नहीं हो रहा है मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, इस बजट में बहुत सी अच्छाइयां हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है । पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत से ऐसे काम किये हैं जो काबिले तारीफ हैं । प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है । तमाम नदियों पर पुल बन गये हैं जिसके लिये हमें अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गर्व है । मेरी यह समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद भी इन नीतियों की विपक्ष के लोग दाद नहीं देते । चूंकि विपक्षी लोगों ने पेशा ही बना लिया है विरोध करने का, हर अच्छी बात के विरोध करने का तो मान्यवर, उसमें क्या किया जा सकता है । मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं कानपुर जनपद से आता हूं जो देहात से लगा हुआ है क्षेत्र बिल्हौर । मान्यवर, वहां 17 वर्षों तक विपक्ष के व्यक्ति के रहने के कारण वहां के क्षेत्र का काम नहीं हुआ है । सड़कें बनाने के नाम पर, लिंक रोड बनाने के नाम पर वहां काम नहीं हुआ है । मान्यवर, मेरे यहां ककवन ब्लाक इतने निचले भाग पर है कि वहां पर बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है, आवागमन का कोई तरीका नहीं रह जाता है । वहां पर सड़कों और लिंक रोड्स का निर्माण कराया जाय । मान्यवर, इसके अतिरिक्त बिल्हौर से रसूलाबाद वाया ककवन मार्ग पर जो पेन्टिंग करवायी गयी है, वह सही नहीं हुई है । मान्यवर, हमारे यहां पिछले दिनों शर्मा जी जो माननीय मंत्री हैं, गये थे । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि उस इलाके की सड़कों को ठीक करने के लिए अच्छे ढंग से पेन्टिंग की जाय और जो पैसा सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ । कृपया आप बैठ जायं ।

श्री सखावत हुसैन—

मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं । आज यहां पर पी० डब्लू० डी० का बजट सामने है । और शासन उसकी बुराई चाहता है । 38 साल आजादी के दौर मे इन्होंने 60-65 हजार किलोमीटर सड़के इस प्रदेश में बनाई हैं । जितनी बुराई और तारीफ करना ये चाहते हैं, आज इस 12 करोड़ की जनसंख्या वाले सूबे में हजारों गांव ऐसे हैं जिनको कस्बों से और शहरों से सड़कों के माध्यम से नहीं मिलाया गया है । इसकी तरफ आपको गौर करना चाहिए था । आज कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, पी० डब्लू० डी० का ही तस्करा हम क्यों लें, जहां करप्शन न हो और लूट-खसोट न हो । अगर इस पर रोक हो जाय और करप्शन पर चेक हो जाय तो मैं यकीन दिलवाता हूं कि इन योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंच सकता है ।

ग्रामीण विकास के जरिये से आप सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं । पी० डब्लू० डी० जो कि 100 साल पुराना महकमा है और जिसके पास टेकनिकल ट्रेड व्यक्ति काफी हैं और टेकनीकल ज्ञान का काफी पुराना तजुर्बा है, इस प्रकार नये विभाग खोलकर

करप्शन का आप एक और अड्डा बना रहे हैं । इससे न तो आपकी योजनायें ही सफल हो पायेंगी और न पैसे का ही सदुपयोग हो पायेगा । आप यह न सोचिये कि मैं आपके पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की तारीफ कर रहा हूं । कहीं तो आप मण्डी समितियों से सड़कों को बनवा रहे हैं और कहीं गन्ना समितियों के माध्यम से सड़कें आप बनवा रहे हैं । जनता को यह मालूम नहीं हो पाता है कि यह सड़क किस महकमे ने बनाई है और किससे इसको रिपेयर करवाया जाना है । जब हम गन्ना समिति के पास जाते हैं तो वह कह देते हैं कि आप मन्डी समिति वालों के पास जाइये, इनके पास जाते हैं तो वह कह देते हैं कि पी0 डब्लू0 डी0 वालों के पास जाइये । इसलिए मेरा सुझाव है कि पक्की सड़कों को आप कम से कम एक ही एजेन्सी द्वारा बनवायें और कच्ची सड़कों को आप आर0 ई0 एस0 के माध्यम से बनायें । कम से कम आपकी योजना एक योजनाबद्ध तरीके से हो तो अच्छा रहेगा ।

मान्यवर, मैं गाजियाबाद और मेरठ से आता हूं । यह सड़क दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार और सहारनपुर से आती है । इस पर आप सबकी निगाह भी होती है । मुरादनगर क्षेत्र है । इसमें कुल मिलाकर सवा सौ गांव हैं लेकिन यहां पर 16-17 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़क नहीं है । जो गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ आदि शहरों से मिलती है और वह इतना पिछड़ा हुआ है । इसकी तरफ आप ध्यान दें ।

हिन्डन नदी के ऊपर सुरांवा के पास कम से कम 7000 की आबादी है, वहां तक पक्की सड़क बनी हुई है । हिन्डन नदी से बागपत तक पक्की सड़क बनी हुई है, सिर्फ हिन्डन नदी पर पुल न बनने से मुरादनगर, देश की आजादी के 38 साल के बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है । इसलिए आपसे निवेदन है कि हिन्डन नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री गजराज सिंह—

परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । साथ ही साथ में मंत्री जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के हित में इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है कि यह किसी से छिपा नहीं है । प्रदेश में अच्छे कार्य भी हुए हैं मान्यवर, इसी लखनऊ को ले लीजिये इसके अन्दर जवाहर भवन के प्रांगण में इन्दिरा भवन, सरोजनी नायडू मार्ग पर योजना भवन का निर्माण, रायल होटल के प्रांगण में गांधी भवन का निर्माण पुराने विधायक निवास में बहुखण्डीय आवासीय भवन के निर्माण हुए हैं । कितने ही ऐसी सैकड़ों योजनायें चल रही हैं प्रत्येक जनपद में जो किसी से छिपी हुई नहीं हैं । मैंने माननीय सदस्य श्री अशोक बाजपेयी जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना उन्होंने जहां कुछ अच्छाइयां रखी थीं उनके मुकाबले में बुराइयों को ज्यादा रखा, उनके जनपद की ही एक सदस्या ने ही उनका भाण्डा-फोड़ दिया । जहां तक कटौती के प्रस्ताव का सवाल है, उन्हें अवश्य बोलना चाहिए था लेकिन अच्छाइयों को भी सामने रखते । इसके साथ ही साथ में अपने क्षेत्र हापुड़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें । मेरे क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से दो पुलों की मांग चली आ रही है एक खरौली नाले का पुल ऐसा है जिसके चारों तरफ 20 गांव हरिजनों के हैं उसमें बाढ़ आने से प्रतिवर्ष दो-तीन आदमी या बच्चे मर जाते हैं । इसी तरह का दूसरा नाला सिकन्दराबाद का है, जो हरसिंगपुर गांव के नजदीक है, मैं सम्मानित सदस्य के सामने रखना चाहता हूं कि एक वृद्ध गरीब ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक पुल

नहीं बनेगा तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा और न हजामत दाढ़ी बनवाऊंगा ।

मैं मंत्री जी और अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उन दोनों पुलों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करायें । अन्त में मैं मंत्री जी द्वारा पेश किये हुए बजट का समर्थन करता हूं और माननीय बाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

*श्री कमलेश कुमार पाठक--

अशोक बाजपेयी जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उस पक्ष के लोगों ने अभी पी० डब्लू० डी० के बजट पर बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं और माननीय मन्त्री जी की बड़ी बड़ाई कर डाली कि सारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बड़ी अच्छी-अच्छी संगमरमर की सड़कें बनायी जा रही हैं लेकिन शायद उन लोगों को मालूम नहीं है कि सड़कों का बजट जब पेश होता है और किसी भी चीज का हो, बजट पेश होते ही सड़क निर्माण होने से पूर्व ही 50 प्रतिशत तो इनकी नौकरशाही और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है । इसके बाद कोई सड़क बननी शुरू होती है । इसलिए इस प्रदेश में जो भी सड़कें निर्माण की जाती हैं उन पर काम कभी पूरा हो नहीं पाता है ।

दूसरा मेरा सुझाव है सरकार को कि पहले वर्ष तो मिट्टी डाली जाती है, दूसरे वर्ष ईंट बिछायी जाती है, तीसरे वर्ष गिट्टी डाली जाती है और चौथे वर्ष में उस पर रोलर चलाया जाता है तब कहीं तारकोल डाल कर वह काली बनायी जाती है और इस तरह से जब एक-दो-तीन-चार साल पूरे होते हैं तब तक वर्षा से, अतिवृष्टि से वह सड़क बह जाती है इसी बीच में और उनका काम पूरा हो नहीं पाता है । यह उन मार्गों की हालत है जो सम्पर्क मार्ग से जाते हैं लेकिन जो नेशनल हाइवे हैं, थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 2 है, इटावा से कानपुर के बीच में इसकी जबरदस्त दुर्दशा है । अगर मंत्री जी उस सड़क पर चल कर देखें, तो शायद उन्हें अनुभव होगा आज लगातार 5 वर्ष हो गये, 80 से लेकर 85 तक का समय गुजर गया, किन्तु इस बीच सड़क जो कि 20 कि० मी० खराब पड़ी है बन नहीं पायी है । महेबा से लेकर बकेवर तक इतनी दुर्दशा है कि 80 कि० मी० की स्पीड से चलने वाली गाड़ी भी एक घण्टे में पास हो पाती है । इन्जीनियर, ठेकेदार 5 वर्ष तक काम करते रहे लेकिन सड़क नहीं बन पायी, सारा बजट इनके इन्जीनियर हड़प गये । इसलिये मैं माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हमारे यहां हमारे क्षेत्र में कंचौसी से लहरपुर तक पी० डब्लू० डी० का मार्ग है, आज तक वह बन नहीं पाया है उसे बनवा दें ।

श्री रामचन्दर--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

हम यहां चुनकर आये हैं । यह भी सही है कि भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लेकिन माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सबका कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करें क्योंकि ये सड़कों पर जितना बजट दिया जाता है, अगर उसके अनुपात से काम किया जाय तो मेरा विश्वास है जैसे महात्मा गांधी का यह सपना था कि रामराज्य का रूप गांवों को दिया जाय, तो सपना साकार हो सकता है यह सही है कि बजट का सही इस्तेमाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जनपद वाराणसी की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां जी0 टी0 रोड से पड़ाव-भुपोली रोड है, जिसकी लम्बाई 12 कि0 मी0 है, वह अधूरी पड़ी हुई है। जो 8 कि0 मी0 सड़क 72 की बनी हुई है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस 4 कि0 मी0 सड़क को भी पूरा करा दिया जाय। इसके अलावा मुगलसराय से भुपोली-पम्प कैनाल रोड काफी खराब हालत में है। इसको पहले सिंचाई विभाग ने तैयार किया था, लेकिन अब पी0 डब्लू0 डी0 को हैण्डओवर कर दी गयी है। उसकी मरम्मत नहीं हो पायी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दूसरी सड़क (मुगलसराय से भुवौली पम्प कैनाल रोड) है उसकी भी मरम्मत होना अनिवार्य है क्योंकि आम जनता को कष्ट है। जैसे 1500 की आबादी और 1000 की आबादी पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि जी0 टी0 रोड से दुलहीपुर होते हुए रामनगर पोखरा, साहूपुरी से लंका रोड, परसराम-पुर से पंचवटी रोड और पान्डेपुर से सिकन्दर पुर, उसरौड़ी होते हुए कंचन रोड में जोड़ दिया जाय तथा काली महाल से सहजोर तक, इन सड़कों का निर्माण शीघ्र कराया जाय। इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सारे प्रदेश में जो सड़कों की लम्बाई है प्रति सौ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से और प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से भी, वह भारत के औसत से काफी कम है। मुझे आशा है कि इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे अपने संसाधनों को देखते हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण की बात आये तो दो-तीन बातें ध्यान में रखें। एक तो यह कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़क ही केवल यातायात का एकमात्र साधन है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की भांति रेलें इत्यादि वहां पर नहीं हैं। दूसरे, यातायात के साथ ही वहां की इकानामी और पर्यटन जुड़ा हुआ है तीसरे सड़क यातायात हो पहाड़ों में दूरसंचार का भी एक जरिया है।

चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पहाड़ों की सड़कों से जुड़ी हुई है व वहां की सुरक्षा की है। वहां की सड़क कैसी निर्मित की जाय इस पर भी मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पर सड़कों के निर्माण का कार्य ऐसा है कि भू-स्खलन कम हो यह ध्यान में रखना चाहिए। सड़क निर्माण से जिसे डिबरी कहते हैं या मलवा कह लीजिए वह काफी निकलता है जिसके कारण भू-स्खलन में तीव्रता बढ़ जाती है। आप इस बात पर गौर करके ही सड़क का प्लान बनायें। भू-स्खलन को रोकने का काम भी सड़क निर्माण के साथ ही का आर्डिनेट करें।

पिथौरागढ़ के लिए 1984-85 में केवल 7 कि0 मी0 की सड़क प्रस्तावित थी जबकि ननीताल के लिए 132 व अल्मोड़ा के लिए 55 कि0 मी0 स्वीकृत की गई है। पिथौरागढ़ जनपद में सड़कों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाय यह मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने स0 नि0 विभाग के इतने महत्वपुर्ण बजट पर मुझे आज बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, वास्तव में इस प्रदेश में और इस देश में सड़क निर्माण के तथा रचनात्मक काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ही मजबूत तथा अच्छा किय गए हैं और इसके विभाग के काम बहुत ही सराहनीय हैं। मैं इस देश के बारह राज्यों में सहकारी यात्रा किया हूं और घूमा हूं। यह देखने में मिला है कि वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं वह अच्छी चमकती हुई और मजबूती से बनाई गई हैं।

माननीय बाजपेयी जो ने जो बात कही है तमिलनाडू की, आन्ध्रा की महाराष्ट्र तथा केरला की जनसंख्या की औसत सड़के निर्माण की उनका यह नहीं मालूम है कि वहां पर, पापुलेशन कम है केरला की तीन करोड़ की पापुलेशन है और यहां पर 12-14 करोड़ की पापुलेशन है। यहां पर क्षेत्र बड़ा है उस लिहाज से यहां पर जो निर्माण का कार्य हुआ है, जितनी सड़कें बनी हैं वह काफी सराहनीय हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में मैंने देखा है कि गांव-गांव सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। बलिया रसड़ा में भी काफी निर्माण का कार्य हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वहां पर रसड़ा में और अधिक सड़क निर्माण के लिए कुछ आवश्यकता है और सुझाव देना चाहता हुं तथा रसड़ा की अनेक सड़कों के निर्माण शीघ्र कराने के लिए कल अधिकारियों के बीच मांग किया था वे सड़के शीघ्र बनाई जायं।

मेरा सुझाव यह है कि जो सड़कें बने वह मजबूत बने और ठीका का काम प्रदेश में बन्द करें, काम कर्मचारियों और अधिकारियों से लिया जाय। इस काम में लगाई गई ईटें पक्की हो, और हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र रसड़ा को ओर विशेष तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर प्रधानपुर के पास तमसा नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। यदि वह प्रस्तावित पुल बन जाता है तो गोरखपुर, देवरिया, बिल्थरा रोड, रसड़ा से होते हुए बिहार, बक्सर, बंगाल, कलकत्ता जाया जा सकता है इससे करीब 22 कि0 मी0 यातायात को कम चलना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण पुल को तत्काल बनाया जाय।

दूसरी बात मैं आरक्षण के कोटा के बारे में कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस विभाग में नियुक्तियों में आरक्षण के कोटा को पूरा किया जाय जो अब तक पूरा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और श्री बाजपेई जो द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव के लिए निवेदन करता हूं कि एक रुपया कटौती करके आप शरमिन्दा न हों और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री इयाम बिहारी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन म बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी क ध्यान अपने जनपद बरेली की ओर दिलाना चाहता हूं कि--

मान्यवर, बरेली क्षेत्र में तहसील आवला सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता--

आप 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री इयाम बिहारी सिंह--

उसकी तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनता पार्टी के समय में जो सड़कें बनी थी वह रुकी पड़ी है, अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं माननीम मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह सड़क पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराई जाय । रमपुरा अलीगंज मार्ग पूरा हो चुका है, उस पर एक रेलवे क्रासिंग बनने को है । मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि उसका पैसा जमा कर वह क्रासिंग बनवाई जाय । जिससे वहां की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े । मान्यवर, छोटी लाइन का पंखा बन चुका है, बड़ी लाइन का पंखा नहीं बना है उससे यातायात अवरुद्ध है । अलीगंज सिरोली मार्ग का केवल 5 कि0 मी0 निर्माण रह गया है इसको सिरौली तक पूरा किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें । जो सुझाव हैं उसको लिखकर भेजें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मन्त्री जो ऋषिराज और मुनिराज हैं पर कोई लांछन लगाना, कोई कुंठित विमांग का ही आदमी लगा सकता है । मान्यवर, मैं उनके द्वारा रखे हुए बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की इसलिए निन्दा करता हूं क्योंकि एक वाक्या याद आता है कि जब हम अपने जनपद के अन्दर विकेन्द्रीकृत योजना के अन्दर सड़क बनाने की योजना कर रहे थे तो मैंने अपने प्रस्ताव में एक गांव की सड़क पक्की कराने का प्रस्ताव रखा, जब सड़क बनाने विभाग के लोग पहुंचे तो इस गांव के तो विरोधीदल के लोग इकट्ठा होकर आ गए कि हम यह सड़क नहीं बनने देंगे और इसलिए नहीं बनने देंगे कि आप हमारा नुकसान कर रहें हैं । हमने कहा कि हम कैसे नुकसान कर रहें हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां चोर डकैतों के आने का रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए सड़क नहीं बनने देंगे । इसलिए कटौती का प्रस्ताव इसी बिना पर रखा गया है उसकी निन्दा करता हूं । मान्यवर, मेरा दूसरा कहने का तात्पर्य है कि अभी भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी एक आरोप लगा रहे थे कि हमारे निर्माण निगम वाले जहां निर्माण करते हैं, पहले चेक मांगते हैं । और उन्हें पहले चेक मिल जाता है । तो मैं कहता हूं कि जिसकी साख अच्छी होती है इसलिए उसको पैसा एडवांस मिलता है । हमारे निर्माण निगम की साख अच्छी है उसका काम अच्छा है इसलिए पहले उन्हें चेक मिल जाती है

इसके बाद मैं 2 बाते जरूरी कहना चाहता हूं कि हमारे सहारनपुर में स्टार पेपर मिल से नागल के लिए सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर हिन्डन का पुल बनाना अति आवश्यक है जिससे सहारनपुर से मुजफ्फरनगर मेरठ का रास्ता लगभग 15–16 कि0 मी0 कम हो जाएगा तथा मंगलौर से होते हुए सीधे लक्सर तक रास्ता खुल जाएगा । इस सड़क का निर्माण पूर्ण हुआ है । इस पुल का डिफेंस प्वाइन्ट आफ व्यू से बड़ा महत्व है । माननीय शीतला शरण जी भूतपूर्व प्रमुख अभियन्ता ने इसका निरीक्षण किया है । इसके अतिरिक्त सहारनपुर शहर के अन्दर कोर्ट रोड पर रेलवे ब्रिज जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर पड़ता है बहुत जीर्णशीर्ण व तंग हालत में है जिस पर आये दिन ट्राफिक की अधिकता के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं । आधा शहर सहारनपुर इसी पुल के दूसरी तरफ बसा हुआ है । अतः मेरी मांग है कि दिल्ली चकराता मार्ग के लिए यह पुल का पुनर्निर्माण होना अति आवश्यक है । अन्त में मैं अपने राज्य मंत्री जो ऋषिराज हैं, के रखे हुए प्रस्ताव का हृदय और रोम रोम से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं तथा श्री बाजपेई जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रस्तुत कटौती का विरोध करते हैं । मान्यवर,

माननीय बाजपेई जी ने बजट प्रस्ताव में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं और माननीय सदस्य सहारनपुर ऐसे नौजवान हैं जो स्वीकृत सरकारी धन में कटौती का प्रयास करते हैं। में अधिक नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ यह कहना है कि माननीया स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जिनका नाम लेते थकते नहीं सत्ता पक्ष के लोग।

उन्होंने लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी की स्मृति मे एक स्मारक निर्माण के लिए केन्द्र में समिति बनाई थी केन्द्र में और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा था कि लोक नायक जय प्रकाश की स्मृति के लिए कुछ काम उत्तर प्रदेश सरकार उनके जन्म भूमि में करे और उनकी मूर्ति लगाकर स्मारक बनावे लेकिन उस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह बड़े दुख की बात है कि आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्म भूमि जयप्रकाश नगर को सड़क से नहीं जोड़ा। ये इंदिरा जी की भावनाओं के ही दुश्मन हैं।

मान्यवर, आज तक जयप्रकाश नगर तक सड़क बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, शासन को लिखने पर भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। मान्यवर 9 कि0 मी0 मात्र का कच्चा मार्ग है, उसको पक्का नहीं किया गया है। वहां पर सड़क नहीं है यह सरकार नाटक करती है कि सड़क बनायी जायेगी। शासन के लोग कहते हैं कि वहां पर स्मारक बनाया जायेगा, लेकिन उसके लिये एक भी पैसा स्वीकृत नहीं है। मान्यवर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर जी ने चन्दा करके 10 लाख रुपया इकट्ठा कर स्मारक का निर्माण कराने जा रहे हैं। आप वहां की सड़क का निर्माण करायें।

मान्यवर, एक दूसरी बात में और कहना चाहता हूं कि मांझी घाट पर जनता शासन में एक पुल की स्वीकृति हुई थी और उस समय जो परिवहन मंत्री श्री चांदराम थे और अब कांग्रेस के नेता हैं, की अध्यक्षता में दोनों प्रदेश के मुख्य मंत्री और दोनों प्रदेश के चीफ इन्जीनियर की उपस्थिति में श्री चन्द्रशेखर द्वारा उस पुल का शिलान्यास हुआ था, परन्तु 5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया और उस पुल को नहीं बनने दिया, शासन के लोग उस मांझी पुल को बनने नहीं देना चाहते हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं उसका शिलान्यास करने आ रहा हूं, मैंने कहा कि क्या दुबारा करना चाहते हैं, तो आइये कीजिये, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर उसका शिलान्यास हो गया है तो दुबारा शिलान्यास करना गलत बात है, लेकिन मान्यवर, उसके शिलान्यास की दुबारा तैयारी की जा रही है। मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्रियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने सामूहिक निश्चय किया था कि उस सेतु का नाम जयप्रभा सेतु रखा जाये, और इस बात की घोषणा उद्घाटन अवसर पर हुआ परन्तु अब चर्चा है कि उसका नाम बदल कर राजेन्द्र प्रसाद के नाम से किया जा रहा है, जो अनुचित है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[8 बज कर 22 मिनट]

*श्री फजले मसूद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे कामों का प्रतिफल अच्छा होता है, मान्यवर, हमारे सामने जो लोग बैठे हुये हैं, बड़ी देर से इधर उधर की आलोचनायें कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम इस बात का प्रमाण हैं कि 38 सालों में जनता ने इसी पक्ष को बार-बार चुन कर भेजा है । मैं कहना चाहता हूं कि 77 से 80 के बीच में इस ओर उनको बैठने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता को सुविधा पहुंची हो, इसीलिये जनता ने उनको दुबारा चुनकर नहीं भेजा है ।

माननीय अधिठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवरिया सदर में...

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षत्र देवरिया सदर की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 100 ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क है, परन्तु छोटी गन्डक नदी पर पुल न होने के कारण वहां पर आवागमन में कठिनाई होती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि गोरियाघाट पर एक पुल का निर्माण कराया जाये । मान्यवर नगर क्षेत्र में 20 किलोमीटर नई पद्धति से सड़क बनाने का प्रस्ताव है, उसको शीघ्र पूरा किया जाये, आपने जो समय दिया उसके लिये आभारी हूं और इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

बहुत समय हो चुका है । माननीय शर्मा जी, समय को देखिये, जो आपका दायित्व है उसे भी बनाये रखें कृपया बैठ जायं

एक सदस्य--

एक-एक मिनट का सयय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायं ।

(श्री अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री अवधेश राय शास्त्री--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जो व्यवस्था करते हैं उसमें पहले तो आप 10-10 मिनट का समय देते हैं फिर 5-5 मिनट का समय देते हैं और फिर दो-दो मिनट का समय देते हैं । लेकिन किसी को आप एक मिनट का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समय भी नहीं देते हैं । तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि सबको समान अवसर मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो पुराने सदस्य हैं आप जानते हैं । कृपया बैठें ।

श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लग रहा है फिर कोई लहर आने को है, इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है । रक्तखोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्शिया, फिर नये विद्रोह की कोई खबर आने को है ।

मान्यवर, जब चीन में माउत्सेतुंग का राज्य हुआ तो उन्होंने उस समय एक नारा दिया था--"ओपन दि कन्ट्री" । उसी नारे को बल देते हुए डाक्टर लोहिया ने नारा दिया था और कहा था आज इस देश में भी इसी नारे की आवश्यकता है । उन्होंने कहा था कि जो दुर्गम स्थान हैं उनको गम्य बनाओ और जो गम्य स्थान हैं उनको सुगम बनाओ यह कार्य है सार्वजनिक निर्माण विभाग का लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी चीजों पर अमल नहीं किया गया । अभी हमारे माननीय सदस्य चाहे इधर के बैठे हों या उधर के बैठे हों, भले ही पार्टी के अनुशासन में रहते हुए उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया हो लेकिन जो भावना ध्वनित हो रही थी उससे स्पष्ट हो रहा था कि वे कटौती के प्रस्ताव का शत-प्रतिशत समर्थन कर रहे हैं । एक तरफ तो वे माननीय मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ वे इन विडम्बनाओं से बच नहीं पाये और यह कहा कि मेरा क्षेत्र अविकसित है, वहां पर दुर्गम रास्ते हैं, पुल नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं । इस सच्चाई को माननीय मंत्री जी स्वीकार करें । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की योग्यता और कार्यकुशलता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता लेकिन उनका दृष्टिकोण सदैव से शहरों के विकास का रहा है और शहरों के विकास पर ही उन्होंने बल देते हुये कहा क्योंकि उनकी इच्छा रही है कि बड़े-बड़े नगरों का सौन्द्रयीकरण हो, वे साम्य हों, शहरों को सुन्दर बनाया जाय और वह भी दिल्ली की तरह की सड़कें हर शहर में बनायी जायं । मान्यवर, मेरे पास "लिंक" पत्रिका है जिसमें शीतला शरण ने इसके बारे में लिखा है । उसकी चार लाइनें मैं आपके माध्यम से पढ़ देना चाहता हूं :--

"दि चीफ मिनिस्टर इज वेरी कीन टु सी दैट आल दि मेन सिटीज आफ उत्तर प्रदेश हैव इक्सीलेन्ट रोड्स ऐन्ड आफ दि सेम राईडिंग क्वालिटी ऐज इन डेलही"

माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरों की सड़कें दिल्ली की तरह सुन्दर बना दी जायं और इसके ऊपर 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाय । मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सारे प्रदेश की सड़कों को सम दृष्टि से देखें । गांवों में रहने वाली गरीब, निरीह जनता के दर्द को समझें । केवल लखनऊ-कानपुर न देखें । उनको अपने घरों से निकलने का रास्ता दें ताकि वे भी शहरों के समीप हो जायं । अगर यह दृष्टि रखी जाय तो गांव का किसान भी शहर से जुड़ सकता है । इस तरह से गांव-गांव से जुड़ जायेगा, गांव शहर से जुड़ जायेगा और शहर-शहर से जुड़ जायेगा ।

मान्यवर, जब तक हम इसको पूरी तरह से लागू नहीं करते प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । योजनाओं के बाद योजनायें बनती जाती हैं लेकिन लक्ष्य

को पा नहीं पाते हैं तो उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं होता है । मान्यवर, मैं आपके सामने 7वीं योजना आयोग की रिपोर्ट की एक लाइन का उद्धरण देता हूं । 6ठीं योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं हो सका । मान्यवर, नयी सड़कों का लक्ष्य था 9655 कि0मी0 उसमें मात्र 8850 कि0 मी0 सड़कें बनी हैं । इसी तरह से पुनर्निर्माण जिन सड़कों का होना था वह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका । इसी तरह से जो गांव 15 सौ से अधिक की आबादी के थे जिनके लिए सड़कें बनती थी उनकी संख्या 8257 थी और उसमें से मात्र 7174 गांव ही सड़कों से जुड़ सके । तो सातवीं योजना में स्पष्ट लिखा है जो योजना के संकल्प हैं उन लक्ष्य की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, मैं यह नहीं कहता हूं कि विभाग के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, मेरा उन पर कोई आक्षेप नहीं है । मैं इसमें भी कोई संदेह व्यक्त नहीं करता हूं कि पी0डब्लू0 डी0 में अच्छे अधिकारी नहीं हैं या इमानदार अधिकारी नहीं हैं । लेकिन इमानदार और अच्छे अधिकारियों की पकड़ विभाग में कमजोर होती जा रही है । जो भ्रष्ट आचरण के लोग हैं उनकी बुनियाद विभाग में मजबूत हो रही है, येन-केन-प्रकारेण वे अपनी स्वेच्छा की जगह पर अपने को नियुक्त करा लेते हैं, जहां पर लाभ अधिक होता है, जहां पर वे रहना चाहते हैं वहां पर अपनी नियुक्ति करा लेते हैं । तो इससे इमानदार और अच्छे अधिकारियों के सम्मान को ठेस लगती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि भ्रष्ट अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाय इसलिए मेरा सुझाव है कि अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करें जो कार्य जिसके जिम्मे सौंपा गया हो चाहे वह सड़क निर्माण का चाहे भवन निर्माण का हो उसमें स्पष्टरूप से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाय कि यह भवन इस अधिशासी अभियंता इस सहायक अभियंता और इस अवर अभियंता की देखरेख में बन रहा है और उसमें कम से कम एक समय निर्धारित कर दिया जाय 5 साल या 10 साल जो भी हो उस समय तक भवन में कोई खराबी आती है तो जो अधिकारी उससे संबद्ध रहे हैं उनको उसके लिए दोषी करार दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । कार्यवाही का मतलब यह नहीं है कि उनकी चरित्र पंजिका में कठोर वार्निंग देकर उनको छोड़ दें । यह राष्ट्रीय आधार है । एक तरफ एक पुल बनता है, दूसरी तरफ वह उद्घाटन के बाद गिर जाता है । किसी विभाग का भवन का बनता है और वह हस्तांतरण से पहले ही जरजर हो जाता है । तो जहां वह एक तरफ विभाग के लिए शर्म की बात है, वहीं दूसरी तरफ वह प्रदेश के लिए समस्या है । मैं अनुरोध करूंगा स्थानान्तरण आदि में इन सारी चीजों को सोचा जाय कि यदि कोई अधिकारी भवन बना रहा है, उसके लिए आप समय निर्धारित कर दीजिये कि एक या दो वित्तीय वर्ष तक वह पूरा हो जाय और जब तक उसका निर्माण पूरा न हो जाय तब तक उसका स्थानान्तरण न किया जाय ताकि निर्माण कार्य में उनका दायित्व रहे । होता यह है कि बिल्डिंग में मिट्टी और बालू जो लगता है, वह दूसरी जगह चला जाता है, जिसके कारण दायित्व निर्धारित नहीं होता है ।

कटौती का प्रस्ताव एक पारम्परिक प्रस्ताव होता है, लेकिन यह चिन्ता पूरे सदन की है, उधर और इधर के बैठने वाले सभी सदस्यों की है कि जनता की गाढ़ी कमाई का सही उपयोग हो, यह मुख्य चिन्ता दोनों तरफ से है । हम जानते हैं कि कटौती के प्रस्ताव में एक रुपया करने के सारे प्रदेश की सड़कें नहीं बन सकती हैं । लेकिन इसके पीछे जो भावना है, जिसमें हमारे माननीय साथी उग्र हुए हैं, तो जो भावना उनकी है, वह हमारी भी है । उसको उनको समझना चाहिये ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जो आपका अन्वेषण विभाग है, उसमें बहुत अच्छी बात है कि उसका बजट जो

50 हजार रु0 था, वह 20 लाख रु0 प्रतिवर्ष कर दिया है । आज दुनिया में जहां विज्ञान की नई-नई खोज हो रही है कि हमारा विभाग भी इस दिशा में अच्छा काम करेगा । लेकिन सही माने में कौन सा मैटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी परख होनी चाहिए, सीमेन्ट में कितना बालू मिलना चाहिये, यह तय होना चाहिए। इसी तरह जहां लकड़ी की चौखट या आर0 सी0 सी0 की छत लगने की बात है और उसके उचित मैटेरियल लग रहा है कि नहीं, यह देखने और तय करने की बात है । मान्यवर, आज स्थिति है कि आपका अन्वेषणालय विभाग का काम शिथिल है, वहां तमाम परियोजनाओं का मसाला आता है जांच के लिए, लेकिन आपके विभाग की निष्क्रियता के कारण वह वर्षों तक बिना जांच के पड़ा रहता है और जांच नहीं हो पाती है । इसलिए ऐसा निर्णय लें कि जो प्रकाश में मामला आता है उसकी तीन महीने में जांच रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाये तभी आपके विभाग का सही उपयोग हो सकता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निर्माण निगम और सेतु निगम के मैटेरियल की जांच अन्वेषणालय के वरिष्ठ अधिकारियों से करायें । मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसे छापामार दस्ते बनायें जो निगम के काम जहां हो रहे हैं वहां समय-समय पर जाकर जांच करें, जिससे अच्छा मैटेरियल सार्वजनिक कामों मे लग सके ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय मार्ग जो प्रदेश की सीमा में बहुत नगण्य है, उनको प्रदेश में बढ़ाने के लिए मन्त्री जी और सरकार प्रयास करे, केन्द्र सरकार के समक्ष स्पष्ट स्थिति रखे कि उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, वहां राष्ट्रीय मार्ग दूसरे प्रदेशों की तुलना में सब से कम है, उनको बढ़ाया जाय और इस प्रकार नये मार्गों का सृजन किया जाये ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का काम सरकार करे, क्योंकि कुछ सत्ता या प्रमुख लोग हैं, जिनके क्षेत्रों में विभाग का सारा पैसा चला जाता है, जैसे अमेठी या सुल्तानपुर या चंद मन्त्रियों के क्षेत्रों को ही उत्तर प्रदेश न समझ लिया जाये बल्कि समदृष्टि से उत्तर प्रदेश का विकास किया जाये, जिससे प्रदेश के 12 करोड़ नागरिकों को लाभ मिल सके और जो अमेठी या रायबरेली या सुल्तानपुर से दूर रहते हैं ।

मान्यवर, मन्त्री जी ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात अपने भाषण म कही थी, जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन वह तभी है जबकि ईमानदारी के साथ उसका उन्मूलन किया जाये । मान्यवर, निगमों का जब निर्माण किया गया था तो भावना थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे, लेकिन आज वह निगम भी ठेकेदारों की बैसाखी पर काम कर रहे हैं । यदि सही माने में ठेकेदारी समाप्त करना चाहते हैं तो आपकी नीति भी स्पष्ट और सही होनी चाहिये । जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या है तो ठेकेदारों की क्या आवश्यकता है जो लूटने का काम क रहे हैं ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि विभाग में कार्य का विभाजन स्पष्ट होना चाहिये, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं चाहूंगा कि आप वर्क चार्ज के बारे में स्पष्ट नीति बनायें, क्योंकि स्पष्ट नीति न होने से कई वर्षों तक कर्मचारियों से बेगार का काम लिया जाता है और अधिकारियों के घर पर कपड़े धोने एवं बच्चों को खिलाने का काम वर्क चार्ज कर्मचारियों से लिया जाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की चरित्र पंजिका ठीक है, एक दो साल तक काम ठीक किया है तो क्यों न उनको विनियमतीकरण किया जाय और अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त किया जाये ।

मान्यवर, आज हाट मिक्स पेवर फिनिशर से सड़कें बनाई जा रही हैं,

जिसके लिए 12 करोड़ रु0 के संयंत्र खरीदे गए हैं, लेकिन उनका उपयोग ज्यादातर ठेकेदार कर रहे हैं उल्टे पैसा भी सरकार से ले रहे हैं, इसलिए उनका उपयोग जनहित में किया जाये ।

मान्यवर, इसके साथ अब मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनायें और उसका कड़ाई से पालन किया जाये कि इतने वर्षों तक एक जगह रहने के बाद ट्रान्सफर किया जायेगा, तीन वर्षों बाद ट्रान्सफर होगा लेकिन इस विभाग में आज किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है । जब चाहे एक साल में और जब चाहें तब पांच साल में तबादला । इस तरह से कोई तो एक इच्छित स्थान पर कई-कई साल तक बना रहता है । इसलिए स्पष्ट और दृढ़ स्थानान्तरण नीति बनाई जाए, जिससे जो कर्मचारी जोड़-तोड़ नहीं जानता है, वह भी सही रूप में चैन से रह सके और उसको भी सुविधा मिल सके और निहित स्वार्थी तत्वों को बहुत दिनों तक अनुचित लाभ उठाने का मौका न मिले ।

सड़कों और भवनों की लागत बढ़ती चली जा रही है । इसलिए सरकार को इस बात की खोज करनी चाहिये कि इनकी लागत कैसे कम की जा सकती है ।

जल मार्गों की बात यहां कही गई है । यह सही है कि प्रदेश की सड़कों पर बहुत बोझ बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है । इसलिए कई वर्षों से जो जल मार्ग सम्बन्धी योजनायें प्रस्तावित हैं, उनको लागू किया जाए, उनको लागू करने में क्यों आवश्यक विलम्ब किया जा रहा है । इसको अविलम्ब लागू किया जाये । हमारे पास तमाम नदी सम्पदा है, आने-जाने के साधन हैं, उसका उपयोग किया जाए ।

इसके साथ जो गिट्टी खरीदी जाती है, इसको खनिज निगम से, बजाये ठेकेदारों के खरीदा जाय तो सड़कों के निर्माण पर खर्च कम किया जा सकता है । इस पर वह विचार करें ।

जहां सोलिंग पर लगने वाली ईंट पर चिन्ता व्यक्त की गई है, दोनों तरफ से व्यक्त की गई है, वह उस पर भी विचार करें, क्योंकि सोलिंग पर ही सड़क का सारा दारोमदार होता है । तो सोलिंग में प्रथम श्रेणी की ईंटें लगे और जिस इंजीनियर या ओवरसियर के क्षेत्र में गलत ईंट लगाते पाया जाय, उसको प्रताड़ित किया जाय, सजा दी जाय । क्रय समिति के बारे में मैंने सबेरे यह कहा था । उद्योग विभाग में क्रय समिति है, जिनके माध्यम से जिसकी संस्तुति से ही सारे विभागों में सामान की खरीद की जाती है, लेकिन आपके यहां उस क्रय समिति की कोई राय भी नहीं ली जाती है । यों ही करोड़ों का माल खरीद लिया जाता है । इसलिए इसकी संस्तुति को आप अपने यहां भी लागू करायें, इससे करोड़ों का लाभ होगा । साथ ही सिरसा पुल में जो भ्रष्टाचार की बात है, इसके लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उसकी आप जांच करायें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । आप इसकी अवश्य जांच करें ।

इसके साथ मेरा सुझाव है कि जहां हम शहरों में सड़क निर्माण का कार्य करते हैं तो बिजली विभाग और जल संस्थान से समन्वय स्थापित कर लिया करें, क्योंकि एक तरफ सड़कें बनती हैं, दूसरी तरफ ये विभाग वाले उनको अपने काम से खोदना शुरू कर देते हैं । इसी तरह जल संस्थान और विद्युत् विभाग से समन्वय करके शहरों में सड़कों का निर्माण किया जाय और देहात में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग से समन्वय करके सड़कों को बनवाया जाय, जिससे बनी हुई सड़कें बार-बार खोदनी न पड़ें ।

इसके साथ में मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए

हैं, उन पर वह गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जिन बिन्दुओं पर ध्यान अकर्षित किया है, उन पर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

निर्माण निगम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उसके बारे में उधर से तारीफ भी बहुत की गई है, लेकिन इसमें स्थिति यह है कि जो आई० टी० आई० रायबरेली का भवन बना उसमें निगम को 12 लाख का घाटा हुआ है । पारीछा थर्मल पावर हाउस में 15 लाख का घाटा निगम की उठाना पड़ा है और लीबिया में 1 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है ।

मान्यवर, स्थिति यह है कि एटा में एहसान वर्क में 36 लाख का काम था और 36 लाख का घाटा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

बाजपेयी जी अब खत्म करें । 45 मिनट उधर और 15 मिनट इधर हो गये हैं । कुछ सीमा होगी । बिना सीमा से सदन नहीं चल सकता । अब खत्म करें ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन सारे बिंदुओं पर विचार करने का प्रयास करेंगे जो माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें रखी हैं । मान्यवर, विभाग के जो ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत करने की सलाह मैं देता हूं । माननीय मंत्री जी जो कर्मचारी वाकई में निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाय । कुछ माननीय सदस्यों ने सचिव, पी० डब्लू० डी० की सराहना की । मैं उनकी निष्ठा पर और ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता । उनकी छवि प्रदेश के बहुत अच्छे अधिकारियों में है । मेरा आग्रह है कि उनका प्रयास हो, अगर उनके जैसे प्रदेश के कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारी के रहते हुए इस विभाग में सुधार नहीं हो सका तो यह कहना कठिन होगा कि इस विभाग में कैसे सुधार किया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं तमाम उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें । आखिर में कहना चाहता हूं कि :—

न सोचो क्या गुजरती है दिले
खुद्दार पर अवसर,
जब किसी ना-मेहरबां को मेहरबां
कहना ही पड़ता है ।

हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन
लूटी,
उसी को अब फरोसे अंजुमन कहना
ही पड़ता है ।

यह दुनिया है यहां हर काम होता
है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना
ही पड़ता है ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आज जो दोनों पक्षों की ओर से हमारे साथियों ने, माननीय सदस्यगण ने सुझाव दिये हैं उनसे मैं अपने को बहुत ही लाभान्वित समझता हूं और साथ ही साथ यह महसूस करता हूं कि विभाग को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा । मान्यवर, श्री बाजपेयी जी ने जिस सुन्दर ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया है, मुझे बुलन्दशहर में उनसे मिलने का एक बार मौका मिला था । उन्होंने मंत्रमुग्ध-सा कर दिया, हम उनके शब्दजाल में, जो वास्तविकता है उसको कभी-कभी भूल जाते हैं । आज आपने कुछ बातें कहीं, चूंकि समय ज्यादा हो गया है तो दोबारा उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता । जो बिंदु आपने उठाये हैं उन पर कुछ कहना मैं अपना कर्तव्य

समझता हूं। आपने अन्वेषणालय के बारे में कहा है। वह बात आपकी सही है उसमें बहुत कमियां पायी हैं और हमने सप्राइज इंस्पेक्शन करके काफी नये निर्देश दिये हैं। आपने जल परिवहन के बारे में कहा है तो उस सम्बन्ध में भारत सरकार से उसके निर्देश मिले हैं और वह काम हमको नहीं करना है वह परिवहन डिपार्टमेंट को दिया गया है वह काम हमारे जिम्मे नहीं है। एक बात आपने कही, स्थानान्तरण नीति के बारे हमारे कुछ साथियों ने, माननीय सदस्यों ने कहा था तो इस वर्ष हमने स्थानान्तरण के मामले में, जिनकी भी संदिग्ध सत्यनिष्ठा थी उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रखा है उनको साधारण पदों पर तैनात किया है।

(मेजों की थपथपाहट।)

एक हमारे साथी जो चले गये हैं, वह माननीय सदस्य पहले मंत्री रह चुके हैं, मसूद साहब ने पूछा था कि 1-4-80 को सड़कों की कितनी लम्बाई थी। तो वह नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1-4-80 को 4,820 कि0 मी0 लम्बाई की सड़कें लेपित स्तर तक बनानी शेष थीं। वर्ष 1980 से 3/85 तक 4,591 कि0 मी0 सड़कों को इंटर कोट करके कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक बात माननीय बाजपेयी ने कहा था, आपने यह बात उठायी थी कि माननीय विद्याभूषण जो भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने यह बात कही थी कि एक दिन में एक गांव को सड़कों से जोड़ा जायगा। तो पिछले साल हमने पहले 6 महीनों में एक गांव को प्रति दिन जोड़ा है और दूसरे 6 महीनों में 2 गांव प्रति दिन जोड़े हैं। 548 गांवों के स्थान पर 1,289 गांव सड़कों से जोड़े हैं। एक बात नेशनल हाई वे के बारे में हमारे एक साथी ने पूछा था। राज्य सरकार के प्रयासों से ही वर्ष 1984-85 में 279 किलोमीटर लम्बी लखनऊ-वाराणसी मार्ग को राज मार्ग घोषित किया गया। 45 करोड़ की लागत पर वाराणसी बाई पास की स्वीकृति दी गयी है। नेशनल हाई वे 2 के दिल्ली-आगरा भाग को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। 6 अन्य मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के विचारार्थ दिया गया है।

आगे आपका भी नम्बर आ जायगा। एक हमारे साथी ने जानना चाहा था कि इलाहाबाद में एक जो भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उसको स्थानान्तरित कर दें। उसके बारे में मैं सूचित कर दूं कि उसका चार्ज ले लिया गया है और दूसरे अवर अभियंता को चार्ज दे दिया है। उसका चार्ज पूरा हो गया है। तीसरी बात शायद बाजपेयी जी ने उठाई थी कि बाम्बे प्लान पूरा नहीं हुआ है, उसकी लक्ष्य प्राप्ति की क्या स्थिति है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह योजना 1961 से 81 की अवधि के लिए थी और इसमें वर्ष 1981 तक प्रदेश में 65 हजार किलो मीटर सरफेस मार्ग बने जोकि योजना का लगभग 66 प्रतिशत था। वित्तीय संसाधनों के कारण आगे का कार्य रुक गया। उसके बाद एक राजकीय निर्माण निगम के बारे में बात आई थी, उसमें स्थिति यह है कि लीबिया में यह निगम केवल एन0 बी0 सी0 सी0 का एक सब-कंट्रेक्टर था और चूंकि एन0 बी0 सी0 सी0 के साथ निगम के कंट्रेक्ट में मूल्य वृद्धि का कोई प्राविधान नहीं था, अतः निगम ने कार्य पूरा होने में और अधिक हानि से बचने के लिए एन0 बी0 सी0 सी0 द्वारा मूल्य वृद्धि अस्वीकार किये जाने पर कार्य को बीच में छोड़ना उचित समझा। इससे निगम अथवा देश की प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं लगा है।

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी चले गये, उन्होंने कहा था कि ईरान में कुछ कमियां थीं। जो कुछ उन्होंने कहा है, उसकी हमने जांच कराना शुरू कर दिया है। एक बात और बतला देना चाहता हूं कि 20-8-85 को लगभग 12 बजे हमारे सहायक ने सूचना दी कि काठगोदाम-नैनीताल मार्ग आम पड़ाव के पास बहुत बड़ा स्लिप आने से बन्द हो गया है। वहां पर तुरन्त हमारे आदमी स्थल पर पहुंचे। पहले पैदल यात्रियों के स्लिप पर से जाने का रास्ता बनाया एवं ट्रान्शिपमेंट आरम्भ करा दिया। बुलडोजर मंगा कर इस स्लिप को साफ करा दिया। 21-8-85 को हल्द्वानी, काला-ढूंगी, नैनीताल मार्ग खुला रहा। इसकी सूचना जगह-जगह पर दी गयी। काठगोदाम, भवाली, मोरनावा मार्ग रामगढ़ के निकट कई बार बन्द हुआ एवं खोला गया। वहां पर टिगार लगा कर मार्ग को खुला रखा जा रहा है। चाफी पदमपुरी मार्ग बन्द है। 23-8-85 तक खुलने की सम्भावना है। मैं बहुत आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का, इधर के माननीय सदस्यों का, और उधर के माननीय सदस्यों का कि उन्होंने हमारी आंख खोली है। लेकिन एक शेर जरूर कहना चाहूंगा। मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। माननीय विरोध पक्ष से क्षमा मांगते हुये कहना चाहूंगा क्योंकि दो-तीन दिन से बहुत कुछ सुन रहा हूं। इसलिए एक शेर कह रहा हूं ...

झिड़की सही, अदा सही, चीने-जबी सही,
पर हर बात को नहीं की नहीं सही।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है। जो ट्यूबवेल के नाले हैं पटरिया हैं इसमें हमारी जमीन चली जाती है ...

श्री अधिष्ठाता--

आपका स्पष्टीकरण नहीं बना। आप कृपया बैठें सुझाव भी नहीं लिया जा सकता है।

(शोर)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सुझाव के रूप में ले लें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, नोयडा में जो सड़क बन रही है, उनकी कीमत प्रति किलोमीटर एक लाख 49 हजार है और गाजियाबाद में वही सड़क बन रही है उसकी कीमत 2 लाख 59 हजार रुपया है।

श्री अधिष्ठाता--

क्योंकि नोयडा सड़क का कोई सवाल नहीं आया इसलिए स्पष्टीकरण नहीं बनता है।

(व्यवधान)

आप सब कृपया बैठें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, इनके जवाब में एक शेर कह दूं

तेरे बालों को देखकर करार आया,
और तेरा मुंह देखा तो कुछ और पाया।

श्री अधिष्ठाता--

यह समय शेर और शायरी का नहीं है। वरना अध्यक्ष के नाते मैं मुशायरे की अध्यक्षता करना शुरू कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग

(अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 25,76,76,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या-72 सार्वजानिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,09,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,97,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,46,77,000रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री रामेन्द्र गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री सूर्य प्रताप शाही, डा0 दिनेश जौहरी की बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के साढ़े तीन लाख अध्यापकों को वेतन न मिलने की की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा बांदा में बरछा सेतु निर्माण में किसानों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने एवं उन्हें मुआविजा न देने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री राम गोविन्द चौधरी की सूचना श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के बारे में है इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है। बाकी सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

[illegible] विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को निरस्त करके पुनः परीक्षाएं कराने के निर्णय के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

शिक्षा राज्य मंत्री (संकठा प्रसाद शास्त्री)—

[बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में वर्ष 1985 की विभिन्न परीक्षायें 8 अप्रैल, 1985 से प्रारम्भ होकर 1 जून, 1985 तक सम्पन्न हुई। यह परीक्षायें 20 परीक्षा केन्द्रों पर ली गयीं। 43,000 छात्र इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए।

2—विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने दिनांक 17 जून, 1985 को बैठक में आठ परीक्षा केन्द्रों पर कुछ विषयों के प्रश्न-पत्रों में सामूहिक नकल के कारण उनकी परीक्षायें निरस्त करके पुनः परीक्षायें सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जिसके लिये परीक्षार्थियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

3—परीक्षा समिति के उपरोक्त निर्णयानुसार पुनर्परीक्षा दो केन्द्रों—राजकीय इण्टर कालेज, झांसी तथा राजकीय इण्टर कालेज, ऊरई में 12 व 14 जुलाई, 1985 को निर्धारित की गई। पुनर्परीक्षा की तिथियां एवं केन्द्रों की सूचना विश्वविद्यालय तथा सम्बन्ध महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के पते पर डाक द्वारा भेजी गई तथा विभिन्न समाचार पत्रों में एवं आकाशवाणी द्वारा क्रमशः प्रकाशित एवं प्रसारित की गई। पुनर्परीक्षा में 4,639 परीक्षार्थियों को बैठना था पर केवल 388 परीक्षार्थी ही पुनर्परीक्षा में बैठे।

पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण परीक्षा समिति ने दिनांक 22 जुलाई, 1985 की बैठक में यह निर्णय लिया कि जो परीक्षार्थी 13 व 14 जुलाई, 1985 की परीक्षा में बैठे हैं उनका परीक्षाफल पुनः दी गई परीक्षा के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर घोषित कर दिया जाय

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

तथा जो परीक्षार्थी इस पुनर्परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अवसर और दिया जाय तथा उनकी परीक्षायें पुरक परीक्षाओं के साथ कराई जायं।

परीक्षा समिति के दिनांक 22 जुलाई, 1985 के निर्णय के अनुसार जो 388 परीक्षार्थी पुनर्परीक्षा में बैठे थे उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है तथा जो परीक्षार्थी पुनर्परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे उनकी परीक्षायें 2, 3 व 4 सितम्बर, 1985 को निर्धारित की गई हैं। इसके सम्बन्ध में सभी छात्रों को सूचना भेजी जा चुकी है, और समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जा चुका है। इन परीक्षाओं का परीक्षाफल 20 सितम्बर, 1985 तक घोषित कर दिया जायगा और छात्रों का अहित नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रकरणों पर निर्णय लेने का अधिकार परीक्षा समिति को है। इसमें शासन का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिन जिन स्थानों पर परीक्षाएं हुईं, वहां पर दिन भर फ्लाइंग स्क्वायड रहा और जिन छात्रों को स्क्वायड ने नकल करते देखा उसे पकड़ा भी, इससे यह बात समझ में आती है कि उन स्थानों पर सामूहिक नकल नहीं हुई, केवल कुछ ही छात्रों ने नकल की, तो दूसरी परीक्षा के कराये जाने का औचित्य क्या है, यह स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

सामूहिक नकल हुई परीक्षा केन्द्रों पर, फ्लाइंग स्क्वायड ने जांच की और उसी ने यह रिपोर्ट दी, उसी के अनुसार यह दुबारा करायी गई।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

अभी जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर फ्लाइंग स्क्वायड दिन भर बैठा रहा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फ्लाइंग स्क्वायड दिन भर वहां बैठा रहा और नकल उसके सामने होती रही, मैं यह जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, जो प्रश्न हमारे साथियों ने किये, इससे पूर्व कि मैं उनको कोई उत्तर दूं एक आग्रह करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय जितने भी हैं, वह सब स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 73 के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रकारणों पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें पूर्णतया प्राप्त है, हमें इनके मामले में किसी भी प्रकार के दखल देने के अधिकारी नहीं हैं, यह तो एक सूचना मांगी गई थी, वह जानकारी जितनी हमें मिली है-हम वक्तव्य के रूप में आपको दे रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वायड वहां पर दिन भर रहा, और वह क्या करता रहा नकल होती रही, यह सारी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र की नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह बात अपनी जगह पर सही है जो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा लेकिन जब इन स्वायत्त-शासी संस्थाओं के कार्य-कलापों से शांति और व्यवस्था प्रभावित होगी तो इन अपरिहार्य परिस्थितियों में सरकार को इस ओर अवश्य कुछ सोचना पड़ेगा। मान्यवर, इस बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में पहली बार परीक्षाएं हुयीं, फिर दूसरी बार हुयीं, तब परिक्षार्थियों ने इस दूसरी परीक्षा का बहिष्कार किया और अब तीसरी बार होने जा रही हैं परीक्षाएं।

इसका बहिष्कार करने के लिए छात्र बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्ता जी आप प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मामले को देखकर तो यह प्रतीत होता है कि परीक्षाओं के दौरान जब फ्लाइंग स्क्वायड गया तो उसने केवल कुछ ही छात्रों को नकल करते देखा, जिन्हें उसने पकड़ा भी और उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की । यदि सामूहिक नकल करते वह स्क्वायड देखता तो उस प्रकार की कार्यवाही वह करता, तो मालूम यह हुआ कि सामूहिक नकल नहीं हो रही थी, फिर भी दुबारा परीक्षाएं कराई गयीं, इसके क्या कारण हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार इन परिस्थितियों को देखते हुए और विश्व-विद्यालय अधिनियम, 73 के तहत अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए पहली परीक्षा के आधार पर ही परीक्षाफल घोषित कराने का कष्ट करें । साथ ही.....

श्री हुकुम सिंह--

यह आठ परीक्षा केन्द्र ऐसे थे जिनके बारे में आठों के आठों के बारे में उड़नदस्ते की जो रिपोर्ट आई है वह मैं पढ़कर बता सकता हूं । एक है गुरुनानक खालसा स्कूल दूसरा है राजकीय महा-विद्यालय, तीसरा है कालपी कालेज, जिसकी रिपोर्ट आई है कि विद्यार्थी खुले आम नकल कर रहे हैं और हम लोगों के पहुंचते ही खलबली मच जाती है और नकल सामग्री इधर-उधर फेंक दी जाती है । इसी तरह से डी0 ए वी0 कालेज, उरई है । इसमें जो सीमित प्रश्न है वह छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखे हुए हैं । यह एक-दो छात्र नहीं हैं हजारों छात्र हैं इसलिए उनसे बारे में चिन्तित होना स्वाभाविक है । इसमें एक प्राविधान है कि रिप्रेजेंटेशन किया गया और जो निर्णय था उसी को यहां पेश कर दिया गया । राज्यपाल महोदय के यहां से उसकी पुष्टि करने के बाद अधिकार क्षेत्र में कुछ रहता नहीं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

यह समस्या बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की हैं लेकिन यह प्रवृत्ति नकल करने की और कराने की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें यह भी जोड़ दें कि क्या दुबारा इम्तहान कराने की कार्यवाही करेंगे ?

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में नकल केवल झांसी और उरई केवल दो स्थानों के दो केन्द्रों पर हुई । झांसी और उरई दोनों स्थानों पर छात्र आन्दोलन इतनी तेजी से है कि वे आमरण अनशन पर बैठ गये हैं । झांसी में तो 16 तारीख से अनशन पर बैठ गये हैं और उरई में भी बैठ चुके होंगे या कल से बैठने वाले होंगे । इसके साथ ही हमारा यह निवेदन है कि क्या माननीय मंत्री जी विश्व-विद्यालय प्रशासन से या महामहिम राज्य-पाल से यह निवेदन कर सकते हैं कि परीक्षा समिति की बैठक दुबारा करवाकर इस विषय पर पुनर्विचार करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण को आप दुबारा देखकर जो तथ्य हों उसको आप दें ।

श्री हुकुम सिंह--

परीक्षा समिति को और वाइस चांसलर का यह निर्णय है और यूनिव-र्सिटी ऐक्ट का यह प्राविधान है । यह मामला दुबारा रिओपेन हो सकेगा या नहीं, वह अपनी जगह एक प्रश्न है । जो स्थिति बन रही है उसको देखते

हुए हम लोग भी चिंतित हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे ।

फैजाबाद पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय । (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया) ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-3-1985 को मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर के ईटगांव में थाना-ध्यक्ष इनायतनगर श्री मोहन राय को घेर कर उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया । फलस्वरूप श्री मोहन राय की दिनांक 6/7 मार्च, 85 की रात्रि में मृत्यु हो गयी । प्रथम सूचना के अनुसार इस घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों का हाथ होना बताया गया । एक अभियोग अप0 सं0-92/85 धारा 147/336/332/307/109/395 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत थाना इनायतनगर में पंजीकृत हुआ । इसमें भी मित्रसेन यादव, सदस्य विधान सभा सहित 15 अभियुक्त नामजद हैं । दूसरा अभियोग अप0 सं0 111/85 पर धारा 436 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत थाना इनायतनगर में पंजीकृत है और ग्राम ईटगांव में हत्या की उक्त घटना के बाद कुछ छप्परों में हुई आगजनी की घटना से संबंधित है । तीसरा अभियोग अप0 सं0 572/85 पर धारा 436/427/323 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत थाना कोतवाली फैजाबाद में श्री मित्रसेन यादव द्वारा प्रेषित इस सूचना पर पंजीकृत हुआ है कि दिनांक 5-6-1985 को कतिपय पुलिस जन व उनके समर्थकों ने उनके फैजाबाद नगर स्थित कार्यालय व निवास में आग लगा दी, वहां उपस्थित कतिपय व्यक्तियों को मारा पीटा तथा सम्पत्ति नष्ट की । इन तीनों अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

2—इस संबंध में दिनांक 18-3-85 को सदन में इस समस्त मामले को अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराने की घोषणा के बाद शासन ने सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिनांक 20-3-85 को जारी किये थे । सी0 आई0 डी0 द्वारा रेडियोग्राम दिनांक 28-3-85 द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को संबंधित अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना को रोक दिये जाने के आदेश दे दिये थे । यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस द्वारा श्री मित्रसेन यादव, विधायक व एक अन्य अभियुक्त के अतिरिक्त शेष 13 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22-3-85 को ही आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया था । जनपद फैजाबाद में शासनादेश प्राप्त होते ही विवेचना उसी स्तर पर तुरन्त रोक दी गयी और कोई भी अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी । अतः यह कहना सही नहीं है कि जनपद पुलिस ने मनमानी कर मुख्य मंत्री की घोषणा को नकार दिया ।

3—प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि स्थानीय पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जाने मात्र से मामले को अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपराध शाखा के विवेचक द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की अनुमति से ही अभियोग की अग्रेतर विवेचना की जा रही है यथा अग्रेतर विवेचना से प्रकाश में आने वाले सम्पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा ।

4—यह कहना भी सही नहीं है कि श्री मित्रसेन यादव के घर पर हुई आगजनी व मारपीट की रिपोर्ट पर सी0आई0डी0 द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है । उल्लेख किया जा चुका है कि श्री यादव के घर पर हुई आगजनी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की घटना की विवेचना भी सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है । अतः यह कहना भी सही नहीं है कि मुख्य मंत्री द्वारा सदन में घोषणा के बावजूद पुलिस प्रशासन शासनादेशों की खुली अवहेलना कर रही है ।

5--दिनांक 2 अप्रैल, 1984 की घटना की न्यायिक जांच प्रचलित है । इस न्यायिक जांच में कोई अभियुक्त नहीं है और न ही न्यायिक जांच का अभी कोई ऐसा निष्कर्ष प्राप्त हुआ है जिससे तत्कालीन थानाध्यक्ष इन्द्रायतनगर या किसी अन्य के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत किया जा सके । यह कहना भी सही नहीं है कि थानाध्यक्ष द्वारा जांच के गवाहों को मारपीट कर डरा धमका कर न्यायिक जांच का मखौल बनाया जा रहा है । श्री मित्रसेन यादव की सुरक्षा हेतु उन्हें अंगरक्षक प्रदान किया गया है । यह कहना सही नहीं है कि फैजाबाद जनपद में भयानक आक्रोश व्याप्त है ।]

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के पैरा नम्बर-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें है कि दिनांक 18-3-85 को सदन में इस समस्त मामले की अपराध अनुसंधान विभाग से जांच करने की घोषणा के बाद शासन से सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिनांक 20-3-85 को जारी किये थे । सी0 आई0 डी0 ने जिला पुलिस प्रशासन को विवेचना रोकने के आदेश 23 को दिये । तो 5 तारीख की घटना है और 22 को अभियोग पत्र पुलिस ने अदालत में दाखिल कर दिया । इससे सबूत मिल जाता है कि पुलिस ने जानबूझ कर 17 दिन में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया । जिनके खिलाफ अभियोग-पत्र दाखिल किया गया है, उन्हें अदालत में दौड़ना पड़ रहा है । जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है । माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पत्र अदालत में दाखिल किया गया है, उनके मामले में सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कर रही है तो क्या जो अग्रिम कार्यवाही सी0 आई0 डी0 द्वारा अभियोग पत्र दाखिल करने के बाद होगी, तो क्या पुलिस द्वारा दाखिल अभियोग-पत्र अदालत से वापस लेकर सी0 आई0 डी0 को दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

यह सवाल नहीं बनता है । माननीय मित्रसेन जी आप तो पुराने सदस्य हैं । आप वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर लें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं पूछ रहा था कि जिन अभियुक्तों के खिलाफ प्रकरण में सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है, तो उसमें पुलिस के अभियोग पत्र पर कार्यवाही नही होगी । सी0 आई0 डी0 को डेढ़ दो साल लग सकता है । अभियुक्तों को रोज अदालत में दौड़ना पड़ता है . तो क्या पुलिस को अभियोग पत्र वापस लेने के लिये निर्देश देंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं इससे सम्बन्धित । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 18 तारिख को सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की घोषणा की और मेरी निश्चित जानकारी है कि 19 तारीख को अखबारों में और सब जगह इसकी सूचना मिल गयी । क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा के बाद पुलिस ने इस बात को देखते हुए कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी में जाने से मुकदमा हाथ से बाहर हो जायगा, इसलिये 22 तारीख को ही चार्जशीट दे दी गयी । दूसरे यह कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है तो सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर ने कोर्ट में यह प्रार्थना-पत्र क्यों नहीं दिया कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है, इसलिये चार्जशीट वापस ले लें और इन्क्वायरी के बाद चार्जशीट फिर दी जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, यह निष्कर्ष की बात है

कि जल्दी की या जल्दी चार्जशीट दाखिल की या देर से की । कभी-कभी शिकायत आती है कि चार्जशीट कुछ देर से दाखिल की । तो केस की तफसीश हो गयी तो चार्जशीट दाखिल कर दी गयी । अखबारों में आने से और शासनादेश में अंतर होता है जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि मुकदमें में दरख्वास्त क्यों नहीं दी, तो सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर की ओर से दरख्वास्त दी गयी कि शासन के आदेश हो चुके हैं सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के । उसमें यह भी अनुरोध किया गया कि इन्क्वायरी के बाद सी0 आई0 डी0 की चार्जशीट अदालत में दाखिल की जायगी । यह सही है । लेकिन जो पहले अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी तो यह मान्यवर, सम्मानित न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर है कि एप्लीकेशन के बारे में क्या कार्यवाही करें या न करें । माननीय सदस्य उनके निर्णय के विरुद्ध दूसरे न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र हैं । अपने आप भी दरख्वास्त दे सकते हैं इस प्रकरण के संबंध में । जहां तक पुलिस और सी0 आई0 डी0 का सम्बन्ध है, वह कार्यवाही सब की जा चुकी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य के पैरा सं0-5 में 2 अप्रैल 1984 की घटना का जिक्र किया है । उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की बात है, इसलिए कुछ कहना नहीं है । मान्यवर, जो जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है, उसमें पुलिस एक पक्ष है, दरोगा एक पक्ष है, उसको वहां से न हटाये जाने से जो न्यायिक प्रक्रिया है, वह प्रभावित हो रही है । क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जिस घटना से न्यायिक जांच चल रही है पहली बात वहां वह दरोगा नहीं है । जिस थाने के अंतर्गत य घटना हुई थी उस थाने पर यह दरोगा है ही नहीं । इसलिए हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता--

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

जो जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई गयी है उसमें टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि गत विधान सभा में भी प्रकरण उठाया गया था । इसमें थाने के सपर प्रदर्शन हुआ था, माननीय सदस्य भी सम्मिलित थे, लाठीचार्ज पुलिस का हुआ था । गिरफ्तारी कुछ लोगों की की गयी उस प्रकरण के बारे मे जुडिशियल इन्क्वायरी बिठायी गयी ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, वह दरोगा उस थाने से हटाया गया है, लेकिन उसे उसी क्षेत्र में 10 कि0 मी0 दूर कुम्हार गंज में कर दिया गया है । डेढ़ सौ गवाह हैं वहां के । वहां के बेनीराम और अजीत सिंह को घायल कर मारकर दोबारा बंदकर दिया गया । दर्जनों गवाहों को मारा गया जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी प्रभावित न हो गवाहों को तोड़ा न जा सके, वह डेढ़ साल से वह दरोगा वहां बना हुआ है, उसको वहां से हटाने में क्या परेशानी है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सम्मानित मित्रसेन जो प्रभावशाली विधायक हैं और एक राजनीतिक नेता हैं । इनके होते हुए कोई दरोगा प्रभावित कर पायेगा किसी कार्यवाही को, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है । लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी चलेगी और माननीय न्यायाधीश की ओर से ऐसी कोई बात आती है, तो अवश्य विचार करेंगे ।

अप्रैल, 1980 से मार्च, 1985 तक हथकरघा निगम द्वारा अधिकांश माल निजी इकाइयों से क्रय करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैंने 17 जुलाई को यह सवाल पूछा था। उसके जवाब में माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया उसमें बताया गया कि 203 इकाइयां हथकरघा निगम ने खोली हुई हैं। उसमे से 34 कार्यरत हैं। उसके बाद मान्यवर, जो सामग्री यहां उद्योग विभाग की ओर से मिली, उसमे जो निर्यात के सिलसिले में सामग्री दी, उसके पेज 61 पर यह लिखा है कि यह योजना 17 स्थानों पर चलायी गयी है, इस योजना के अन्तर्गत 60 इकाइयां कार्यरत हैं। उसके बाद जो हथकरघे के सम्बन्ध में एक परफारमेंस रिपोर्ट मिली है, उसके सम्बन्ध में यह लिखा हुआ है कि यह योजना अब तक 18 स्थानों पर बनायी गयी है अब तक कुल 345 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है जिसमें 146 की योजना पर ऋण स्वीकृत किया गया है। 33 यूनिटों में भवन निर्माण कार्य चल रहा है। 73 यूनिटों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, सवाल के जवाब में कहा जाता है कि 34 काम कर रही है। पींजन होल मे जो एक रिपोर्ट मिलती है उसमें कहा गया है कि 60 काम कर रही हैं और दूसरी रिपोर्ट जो मिली उसमें कहा गया कि 73 काम कर रही हैं। मान्यवर, मामला यूं है कि यह पूरा का पूरा हैण्डलूम कारपोरेशन भ्रष्टाचार में डूबा है। सही मायनें में इसे यही मालूम नहीं है कि उसकी कितनी इकाईयां चल रही हैं और कितनी बन्द हैं। 1978 में यह स्कीम चालू किया गया था। अखबारों में एडवरटाइजमेंट भी किया गया जो लोग बुनकरी का काम करते हैं उनको तरक्की के लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए, बिल्डिग लोन, मशीनरी रा-मैटीरियल, फाइनेन्शियल असीसटेन्स और मारकेटिंग की सुविधा दी जायेगी। और 10 परसेन्ट इनवेस्टमेंट की बात भी कही गई थी। बहुत से लोग जो इसमें रुचि रखते थे, इसमें आये। उन्होंनें दरख्वास्तें दी, उनका इन्टरव्यू हुआ और उनका चयन हुआ। जब काम शुरू किया गया तो यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन नें जिन इकाईयों को मन्जूरी दी थी, उन इकाईयों को शुरू में जमीन के लिए और मशीन के लिए कर्जा दिया लेकिन जब वह तैयार हुआ और कारखाना बनकर तैयार हुआ तो उसको चलाया कैसे जाय। उनके साथ वायदा किया गया था कि हम आपको रा-मैटीरियल भी देंगे और फाइनेन्सियल असीस्टेन्स भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। यह सब उनके साथ एक धोखा था या क्या था मुझे मालूम नहीं।

मैं आपको सीनियर डिवीजनल मैनेजर प्रोजेक्ट हैण्डलूम के 9-6-1982 के पत्र का हवाला देता हूं जिसमें उन्होंनें लिखा है "प्लीज रेफर टु युवर लेटर ऐड्रेस्ड टु आवर मैनेजिंग डाइरेक्टर इन कनक्सन विद दी एबव। इन दिस कनेक्सन आई एम टु कनवे दैट हैवेन दि नसेप्ट आफ दि काम्पलेक्स वाज फारमूलेटेड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट, दि बेसिक फसेलिटीज प्रपोज्ड अन्डर दि काम्पलेक्स स्कीम वेयर टु प्रोवाइड टर्म लोन आन 10 परसेन्ट मारजिन एण्ड वर्किंग कैपिटल लोन आन 10 परसेन्ट मारजिन। एकार्डिंगली यू0 पी0 फाइनेन्सियल कारपोरेशन स्टारटेड-गिविंग टर्म लोन आन 10 परसेन्ट मारजिन एण्ड कामर्शियल बैंक आलसो अहेड आफ दि एबव। दियर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन पंजाब नेशनल बैंक एण्ड यू0 पी0 फाइनेन्सियल कारपोरेशन इन ह्विच प्राविजन फार प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल बाई पंजाब नेशनल बैंक आन 10 परसेन्ट मारजिन हैज बीन एग्रीड।" उन्होंने लिखा कि हमारा और आपका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय होना था कि पंजाब नेशनल बैंक के जरिये 10 परसेन्ट मारजिन पर टर्म लोन 10 परसेन्ट मारजिन पर कार्यशील पूंजी दी गई थी। वहां से कोई जवाब नहीं आया नतीजा यह हुआ कि 203 इकाईयों को दिखा दिया गया। आज हकीकत यह है कि 8 इकाईयां चल रही हैं न 73 चल रही हैं, न 60 चल रही हैं और न ही 34 चल रही हैं। हैण्डलूम कारपोरेशन बुनकरों को उठाने के लिए बना था, लेकिन इसने ऐसा काम शुरू किया कि जिसने बुनकरों के जिस्म में बचे खून के कतरे-कतरे को चूस के रख दिया। मंत्री जी बेबस हैं और मजबूर हैं।

मान्यवर, मैं जनता धोतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी कीमत 24.54 पैसे थी। मंत्री जी और बारी, दोनों की कमेटी बना दें।

एक सदस्य--

बन्द कमरे में।

(हंसी)

श्री फजलुल बारी--

यह हंसी मजाक की बात नहीं है। लोग रोजी-रोटी के लिए तरस रहे हैं जिसमें एक पूरी कौम, नस्ल का सवाल है, उसको आप मजाक की बात कर रहे हैं।

जनता धोती जो 24.54 की बिकती है वह 24.50 को खरीदी जाती है और 10 रुपया उसमें केन्द्र सरकार से सबसिडी के रूप में मिलता है। जो इनके अफसर हैं, आर0 एम0 एम0, और प्रोजक्ट मैनेजर, ये लोग सारा फर्जी लेन-देन करते हैं, ट्रक के ड्राइवर को बुलाते हैं और एक चालान बनवाते हैं, माल जाता है कागज पर, ट्रक नहीं चला, किराया दिया गया। माल आया नहीं, दाम दिया गया और एक लाख 20 हजार सेन्ट्रल गवर्नमन्ट से वसूल करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। यह हैण्डलूम कारपोरेशन जो बनाया गया है, उसमें जो बुनकरों के पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको रखा जाता। एक फिल्म बनी थी--नाम याद होगा उमराव जान, मुजफ्फर अली उसके निर्देशक थे उनकी पत्नी शुभाशीन अली, इस विभाग में उनको स्पेशल कन्सलटेन्ट बनाया गया है 15 सौ रुपये का। यह है हैण्डलूम।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न के अन्तर्गत सूचना आयी है उसमें समितियों के बारे में बात की लेकिन यह शुभाशीन अली यह कहां से आ गई, इनका जिक्र नहीं आना चाहिए।

श्री फजलुल बारी--

हैण्डलूम कारपोरेशन में जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने तीन-तीन मुकतलिफ जगहों पर तीन-तीन मुकतलिफ जवाब दिये हैं क्योंकि वह इस तरह से कामों में लिप्त हैं। सुभाशीन अली नई कन्सल्टेन्ट हैं यह उनके साथ विचार विमर्श में लगे रहते हैं। एक दफा कुछ, दूसरी दफा कुछ और तीसरी दफा कुछ। सरकार को यह चाहिए कि जब उनके बनाये हुए हैण्डलूम कारपोरेशन की गलती के बिना पर उन बुनकरों को धोखा देकर कारखाने बनाये गये, कर्जा दिलवाया गया, लोन दिलवाया गया, लेकिन चलवाने की बात नहीं है। जब खरीदने की बात आती है तो यह मैनेजर जनता धोती को बाजार से खरीदकर बुनकरों को काम करने का मौका नहीं देते हैं। बड़े-बड़े कारखानों से, वहां के मालिकों से, गाजियाबाद, मेरठ में बड़े-बड़े फर्मे हैं, उनसे बिचौलियों से लेते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इकाइयां चलवायें, कर्जा दें, सूत दें, कार्यशील पूंजी दें, वरना आपको कोई हक, अख्तियार नहीं है कि उनके कर्जे का मुतालबा करें। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने आपके कारपोरेशन पर सरकार पर ऐतबार करके जो एडवर-टाइजमेन्ट निकाला गया था सरकार की तरफ से, उसको सही मानते हुए, मैं चाहूंगा कि मंत्री इस पर ध्यान दें और जवाब दिलवायें। दूसरों की गलती का हम क्या करें। वह सुझाव दें कुछ सुझाव देंगे बाद में।

उद्योग मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जिस प्रश्न के संदर्भ में आज यहां चर्चा की मांग की थी उसके विषय में एक पहले निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिन काम्प्लेक्सेज की बात उन्होंने कही, वे शुद्ध रूप से बुनकरों के नहीं कुछ उद्यमियों ने इस प्रकार के काम्पलेक्स लगाये थे। यह बात सही है कि 1976 में एक विज्ञापन करके बुनकरों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से, जो अपना हथकरघा नहीं लगा पा रहे थे और कुछ उद्यमी हथकरघा लगाकर बुनकर भाइयों को काम दे सकते थे उनके लिए विज्ञापन किया गया था और उनके आधार पर 203 प्रार्थी चयन किये गये, प्रार्थना-पत्र कुछ अधिक आये थे। उन 203 जो चयनित प्रार्थी थे, उनमें से 185 उद्यमी केवल कार्य करने के लिए आगे आये, इनमें से 137 ऐसे थे जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी और यू0 पी0 एफ0 सी0 से टर्म लोन लेने के लिये तैयार हुये। यू0 पी0 एफ0 सी0 ने इन सबको टर्म लोन देना स्वीकार कर लिया। इसके साथ भवन, मशीन और भूमि की व्यवस्था करने में केवल 57 प्रार्थी सक्षम हुये 10 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था यह लोग कर सके। 57 उद्यमियों को बैंक से कार्यशील पूंजी मिलनी थी। बैंक और यू0 पी0 एफ0 सी0 की शर्तों को केवल 34 ही पूरा कर सके और 34 ही काम्पलेक्स लगाने में सक्षम हो पाये, ये कार्यरत हैं। यह बात सही है कि इसमें बहुत से बुनकर भाई काम करते हैं। जो काम्पलेक्स चल रहे हैं इनको सुविधा देने के लिए शासन ने बहुत से कार्यक्रम बनाये हैं।

माननीय सदस्य ने इन काम्पलेक्सेज से माल खरीदने की बात कही है। अगर उनका सारा उत्पादन यानी उनके काम्पलेक्स में जो माल उत्पादित होता है, वह सब का सब खरीद लिया जाय तो जो व्यक्तिगत मूल बुनकर हैं, उनके साथ न्याय नहीं होगा। तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की चिन्ता से शासन को भी चिन्ता है उद्यमियों की पूंजी लगी है, उन पर ब्याज पड़ रहा है लेकिन यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शासन ने इनकी कठिनाई को ध्यान में रखकर इनको बीमार यूनिट मानने के लिए और सुविधायें देने के लिए शासन ने निर्देश कर दिया है।

*श्री बुनियाद हुसेन अन्सारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना तो यह चाहता हूं कि यह यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका उल्लेख करना मुश्किल है। अभी बारी साहब ने एक बात कही कि वह अड्डा बहुत सी चीजों का है, उन्होंने एक नाम भी लिया सुभाषिनी अली का। ये नाम से ही हैण्डलूम और पावरलूम लगती हैं। इनके पास कोई योग्यता नहीं है। अखबार में इस पोस्ट के लिए कोई विज्ञापन भी नहीं निकाला गया। इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है—

बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक
ही उल्लू काफी है,
हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा।

इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर जिस तरह से यह कार्य कर रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूं। बाराबंकी में माल बनाते ही नहीं हैं। माल जो प्रोजेक्ट आफिसर फर्जी तौर पर माल को भेज कर खाली इन्डेन्ट पर दस्तखत करा लेते हैं। ड्राईवर को भी मिला लेते हैं यह सब चल रहा है। अभी मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि 304 में से 37 मिलें चल रही हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि माल न बनवा कर फर्जी टर्न ओवर करते हैं। ट्रक जो चलती हैं तो जगह-जगह बेरियर बने हुए हैं, आप इसको चेक करा लीजिए तो आपको सब पता चल जायेगा।

इसके साथ ही मेरा कहना यह भी है कि बिजनौर में आपने सबको इनवाईट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं नहीं किया।

किया और तमाम फारमेल्टीज को पूरा करने के बाद सारी कार्यवाही के बावजूद टर्म लोन मिला लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं मिला, आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया । विज्ञापन तो आपने दे दिया और उन लोगों ने आपके विज्ञापन पर विश्वास करके बिल्डिंग बना डाली लेकिन आज वे भुखमरी के शिकार हो गये हैं या तो आप रिकवरी को वापस लें अन्यथा इन्टरेस्ट को माफ कर दें । उनके खिलाफ शासन कार्यवाही कर रहा है इसको आप रोकें ।

श्री अफसर यू अहमद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में बुनकरों की सही हालत लाना चाहता हूं और उनकी समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में 50,000 बुनकर हैं । मैं मंत्री जी से उनका डेलीगेशन लेकर मिला हूं । बुनकरों द्वारा तैयार जनता धोती का जो माल उठाते हैं, उसको खरीद का दो-ढाई महीने के बाद पेमेन्ट होता है । भारत सरकार प्रति धोती के जोड़े पर 12 रु0 अनुदान देती है, उस अनुदान को जब्त करने के लिए यह बात होती है । 16 मार्च, 1985 से आज तक बीसियों बार सचिव के माध्यम से, प्रोजेक्ट आफिसर के माध्यम से, हथकरघा के मैनेजिंग डाईरेक्टर के माध्यम से मैं इस ओर शासन का ध्यान दिला चुका हूं । परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

इसमें भ्रष्टाचार कितना होता है कि 12 रु0 प्रति जनता धोती बुनकरों से न खरीद कर अन्यत्र किसी जगह से खरीद ली जाती है कि उन्हें यह रुपया न देना पड़े और उनका अनुदान का अंश हड़प लिया जाता है । एक नया उत्पीड़न और शुरू किया गया है कि माल अन्यत्र से खरीद लेते हैं दबाव डाल कर और जब क्वालिटी कन्ट्रोल की चेकिंग होती है तो अगर कोई धोती का जोड़ा बिलो स्टैण्डर्ड पाया गया तो उसको अब वापस कर रहे हैं उन बुनकरों को जिन्होंने कि उसे बनाया भी नहीं था । मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं । बुनकरों के पास चार-चार महीनों तक की पड़ी हुई धोतियां हैं जो वह वापस कर रहे हैं । इसके बारे में मंत्री जी से मैं आग्रह करुंगा कि बराबर उनका डेलीगेशन आपसे मिल रहा है परन्तु अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है । मेरे क्षेत्र के बुनकर खलीलाबाद के पी0 ओ0 पर अब भरोसा नहीं रखते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है । कि पी0 ओ0 श्री बलवन्त सिंह को तत्काल हटाकर वहां पर किसी लोक प्रिय पी0 ओ0 की पोस्टिंग की जाय तथा बुनकरों पर हो रहे उत्पीड़न को वह चाहे जहां भी हो प्रदेश भर में, उसे तुरन्त रोका जाय तथा मेरे जनपद बस्ती तथा क्षेत्र मेंहदावल में जनता धोती की खरीद तुरन्त शुरू की जाय तथा उनका बकाया पैसा तुरन्त दिया जाय । माननीय दिवाकर विक्रम साहब ने भी कहा था, इसके बारे में कुछ कार्यवाही की जाय । जो यह बुनकरों का नया उत्पीड़न शुरू किया गया है कि उनका माल खरीदा नहीं जा रहा है और उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है । यह मूल समस्या है बुनकरों की । इसको दूर करायें । धन्यवाद

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बस्ती ने कम से कम आज सही बात तो कही ।

एक सदस्य—

बस्ती के है ।

श्री मैनेजर सिंह—

हां बस्ती ने । ये आख बन्द करके कैसी भाषा सत्ता की खुशामद में बोला करते हैं हाउस में लेकिन आज इन्होंने बुनकरों के दर्द का जिक्र किया है । माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जो यह काम्पलेक्स की योजना बनी थी शासन की स्वीकृति से, वह असफल हुई माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया । 75 प्रतिशत यूनिटों के लिए

आवेदन पत्र ही नहीं आये और 25 प्रतिशत आवेदन पत्र आये उनमें भी 2/3 लोगों ने ही उस स्कीम की योजना बनायी। बाद में वह लोग भी भाग गये। इससे स्पष्ट है कि 1/3 यूनिटों पर काम शुरू हुआ वह भी असफल हो गया इसलिए जो वायदे किये गये 10 प्रतिशत अंश पूंजी देने के लिए 10 से 15 प्रतिशत कार्य पूंजी देने के लिए उसको नहीं दिखाया गया। इसलिए जो पूंजी लगी थी वह भी बरबाद हो गयी है और माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसको वह सहायता देना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल है वह उत्पादित माल के विक्रय का होता है। उत्पादित माल का सही ढंग से सही मूल्य पर लिया जाय और जो छूट दी जाती है वह छूट सही उत्पादन करने वाले बुनकर भाई को ही मिले ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जितना भाई अफसर यू ने कहा है उसको दोहराऊंगा नहीं। केवल जो बातें छूट गयी हैं उनको जोड़ूंगा। खलीलाबाद कमिशनर, प्रोजेक्ट मैनेजर के माध्यम से पावरलूम की धोतियां खरीदी जा रही हैं। यहां उनके आज जितने बुनकर हैं जिनको उन्होंने दलाल सा बना रखा है, उनके यहां से धोतियां खरीदी जा रही हैं। बिना मुहर लगाये उनको बेचा दिखलाया जा रहा है और उसको पुनः खरीदा जा रहा है। यह जो पावरलूम की धोती खरीदी गयी उसमें भारत सरकार से 12 रुपये का अनुदान मिल रहा है। खरीदने और बेचने के बारे में उसके दाम में उत्तर प्रदेश सरकार छूट दे रही है। उस पैसे को भी यह हथिया रहे हैं। मान्यवर, धूमधामकर वह घाटा पूरा कराया जाता है। बुनकरों का भुगतान नहीं हो रहा है। 3-3 महीने से कपड़े खरीदे नहीं जा रहे हैं। जो वापस करने की बात बताई अफसर भाई ने उसकी जांच करा लें। एक कार्ड पर केवल 7 धोतियां खरीदी जायेंगी।

मान्यवर, एक घर में 2 हैण्डलूम लगे हुए हैं तो एक हफ्ते में एक परिवार के लोग 14 धोतियां बनाते हैं। 7 धोतियां तो खरीदी जायेंगी और बाकी 7 धोतियां कहां जायेंगी। दूसरी बात आपके यहां जिस ताने बाने की धोतियां खरीदी जा रही हैं, जो आप सूत दे रहे हैं, उस सूत से उस ताने बाने की धोतियां नहीं तैयार होती हैं। सूत दे रहे हैं। दूसरे ताने बाने का और धोतियां खरीद रहे हैं दूसरे ताने बाने की। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस ताने बाने का सूत दें उसी ताने बाने की धोतियां भी खरीदें। भुगतान की व्यवस्था आप तुरन्त करा दें वर्ना वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मामले को हल्का करने के लिये कहा, उसमें उद्यमी लगे हुये हैं। बुनकर उसमें काम करते हैं, जब बुनकरों को काम नहीं मिलेगा तो वह कहां पर जायेंगे, तो कारखानों को बन्द न कीजिये, उनको चलाना चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि अगर उनको कार्यशील पूंजी नहीं मिलेगी तो वह बन्द हो जायेंगे, जब तक वह पूंजी का इन्तजाम न कर लें, उनसे वसूली न की जाये। कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराना आपका काम है। सूत कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जाय और उनको थोड़ा सा रुपया भी दिया जाये जिससे वह उनको इस्टेबिलिश कर सकें। मान्यवर, जो खरीद फरोख्त होती है, आप उसके लिये जो भी कमेटी बनावें उसमें उन तमाम यूनिट्स जो काम कर रही हैं, उनके रिप्रजेन्टेटिव्ज को रखें ताकि बुनकरों का मामला इस कारपोरेशन में जा सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, बहुत से प्रश्न हुये हैं, उनका एक मिनट में उत्तर नहीं हो सकता है । मान्यवर, बस्ती के सम्मानित सदस्य ने जो कहा है मैं उनको बताना चाहता हूं कि बस्ती के बुनकरों का रुपया जून, 1985 तक भुगतान हो गया है । जुलाई का बाकी है । यह रुपया भारत सरकार से सबसीडी के रूप में मिलती है तब प्रदेश सरकार उनको दे पाती है । मान्यवर, बस्ती की कुछ शिकायतें मिली थीं खराब माल खरीदने के सम्बन्ध में जिनके कारण 4 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है । मान्यवर, जहां तक जनता वस्त्र वितरण की बात है, इसका वितरण उपभोक्ता भन्डारों और पी० सी० एफ द्वारा किया जाता है । मान्यवर, जो काम्पलेक्स लगाया गया था, वह हथ-करघा निगम की ओर से नहीं लगाया गया था । इसको बनाने का काम उनको सौंपा गया था कि जो उद्यमी उसको लगा रहे हैं उनकी मदद की जाये और मान्यवर, उनकी मदद भी की गयी । लेकिन वह पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाये और बैंकों से वह ऋण नहीं ले सके इसलिये काम्पलेक्स नहीं चल सका । मान्यवर, ऋण देने का दायित्व हैंडलूम कारपोरेशन का नहीं था, ऋण की व्यवस्था यू० पी० एफ० सी० और बैंक करता है । उद्यमियों को उनकी शर्तें पूरी करनी चाहिये थी जिससे कि ऋण मिल सके लेकिन उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की । फिर भी हथकरघा निगम ने उसकी सहायता की और बैंकों पर दबाव डाला कि उनकी सहायता की जाये । मान्यवर, सारा दारोमदार भ्रष्टाचार पर है, कहा गया कि बहुत भ्रष्टाचार है इस निगम में, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं । यह कार-पोरेशन हिन्दुस्तान में प्रथम श्रेणी का माना गया है और इसने जो सूत का वितरण किया है, जो वस्त्र का उत्पादन किया है जो बिक्री की व्यवस्था की है, आप कहें तो मैं सुना दूं । और कार्य-वाही होती रही है । इसके अलावा इस समय जो तत्काल कार्यवाही की गई है उसमें एक कार्य तो यह है कि कमेटियों की सोसाइटियों की जांच करने के लिए वास्तविक सोसाइटियों की जानकारी करने के लिये उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे प्रत्येक जनपद में 10 सोसाइटियों की प्रैक्टिकल जानकारी करें । इसके अलावा 11 लाख रुपये लगाकर प्रदेश भर में वास्तविक सोसाइटियों की जांच करायी जा रही है । इसमें जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । उत्तर प्रदेश में समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हथ-करघा बोर्ड का गठन अभी एक सप्ताह पूर्व किया गया है । हमें विश्वास है कि इस बोर्ड के गठन से हमारे बुनकर भाइयों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 9 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

22 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

सलंग्नक

वर्ष 1984–85 में गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डल में वितरण से अवशेष रह गये गेहूं बीज के भण्डारण की स्थिति :

नाम जनपद	अवशेष गेहूं बीज की मात्रा (कुंतल में)	भण्डारित बीज (कुंतल में)	छानस एवं खराब बीज (कुंतल में)
1	2	3	4
1—गोरखपुर	1403·56	1403.56	..
2—देवरिया	257.40	97.79	163.61 (भंडारित नहीं किया गया)
3—बस्ती	729.30	729.30	..
4—आजमगढ़	795.95	795.95	..
योग, गोरखपुर मण्डल ..	3186.21	3026.60	163.61

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
1--फैजाबाद	1558.41	1558.41	..
2--गोण्डा	2577.94	2577.94	इस बीज में से 139.20 कुंतल बीज के लिए उपयुक्त नहीं हैं
3--बहराइच	391.00	391.00	..
4--सुल्तानपुर	543.34	543.34	..
5--प्रतापगढ़	486.00	486.00	..
6--बाराबंकी	951.20	951.20	..
योग, फैजाबाद मण्डल ..	6507.89	6507.89	..

पी0एस0यू0पी0--52 वि0 सभा0--21-1-86--813 (पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा